खण्ड–500, अंक–5
शुक्रवार 29 वैशाख, शक संवत् 1939
(19 मई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 500 में 10 अंक है)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य . .	1–6
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग . .	7
प्रश्नोत्तर . .	7–38
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार . .	38–41
पूर्व विधायकों के निधन की सूचना सदन को ना भेजने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही . .	41–42
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं . .	42–44
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में हरपाल पुर से फर्रूखाबाद के बीच में रामगंगा नदी पर पक्का पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	44
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर अन्तर्गत ग्राम रामदासपुर में दिनांक 22.03.2017 को एक दिव्यांग व्यक्ति को बस से कुचल दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	45
जनपद बदायूं के कस्बा सहसवान में पूर्व स्वीकृत कन्या डिग्री कालेज को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	45
जनपद कानपुर नगर में भीषण पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	45–46
जनपद चंदौली के विधान सभा क्षेत्र शकलडीहा के अन्तर्गत रमौली में 33/11 सब–स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	46
जनपद बिजनौर के नजीबाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नाज प्लाईवुड फैक्ट्री आबादी क्षेत्र से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	46
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत जिला अस्पताल में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त किये जाने एवं नई सिटी स्कैन मशीन लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	46
मथुरा–वृन्दावन नगर निगम से वृन्दावन ए–ग्रेड नगर पालिका परिषद् को अलग करने तथा उसे विशेष दर्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	47
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र के तमकुहीराज में तहसील मुख्यालय व दुदही को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	47–48

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद अन्तर्गत बिराहीपुर के

विषय	पृष्ठ–संख्या
एटा शहर में ट्रामा सेन्टर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	48
पीलीभीत में स्थापित ललित हरि चीनी मिल को आबादी से अन्यत्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	48
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला अन्तर्गत पेप्सीकोल प्लांट द्वारा नहर से अनुबन्धित पानी लेने एवं आसपास के बोटिंग फेल हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	49
जनपद सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	49
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां अन्तर्गत सीतापुर–बहराइच–लखनऊ मार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	49
गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा अन्तर्गत गोण्डा गौरा, चौकी बभनान मार्ग को फोर लेन सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	50
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में हिन्डन नदी से हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	50
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में मण्डी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	50
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में वरूणा नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	50–51
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में जलाशयों का निर्माण कराये के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	51
जनपद गाजीपुर में ताड़ीघाट बारा टी0बी0 रोड मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	51
जनपद अलीगढ़ में नवसृजित ब्लाक गभाना के भवन निर्माण कार्य कराये के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	51
जनपद आगरा मुख्यालय को आगरा एक्सप्रेस–वे से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . .	52
जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उस्का बाजार में सिंचाई हेतु	

ट्यूबवेल लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 52

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत नदियां, नहरें रजवहा, माइनर व ड्रेनों के सफाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 52–53

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत कुशहरी में ट्रामा

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जनपद औरैया नेशनल हाई–वे के पास ट्रामा सेन्टर की सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 54

जनपद रायबरेली के थाना जगतपुर में दिनांक 06.05.2017 दर्ज अपराध संख्या 0071/2017 में नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 54

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत मौजा मकसूदनपुर देवी दास में पूर्व स्वीकृत मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 54–55

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में ग्राम इरनी नहर पर पुलिया एवं कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 55

जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना अन्तर्गत आकाशनगर कालोनी के मध्य गन्दे पानी की निकासी एवं पक्का नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 55

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में माइनर की सफाई न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 55

जनपद मऊ के थाना कोतवाली घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा इन्दपुर में 17.05.2017 को हुई दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 5 लाख की आर्थिक सहायता एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 56

लखनऊ–रायबरेली राजमार्ग पर बछरावां स्थित पटेल नगर कालोनी के मुख्य द्वार पर कट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 56

जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में ग्राम चक बरैचा व धन्यौरा के मध्य गर्रा नदी पर पेन्टून बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 57

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के गांवों को मनरेगा योजना में विकास योजनाओं को शामिल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 57–58

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में कलवारी/पाऊ में तहसील की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . . 58

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर अन्तर्गत अमराहट कैनाल योजना के द्वितीय चरण को चालू कराये जाने के सम्बन्ध

में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना . . 59
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के कुछ ग्राम सभायें जिसकी आबादी 10000 से अधिक है में ओवरहेड टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 59
जनपद प्रतापगढ़ में आजादी के पूर्व से स्थापित पृथ्वीगंज हवाई अड्डे को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 59
जनपद लखनऊ के ट्रांसगोमती क्षेत्र में पेयजल की सुचारु उपलब्धता के लिए वाटर वर्क्स की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 60

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत इलाहाबाद–फैजाबाद हाई–वे से विश्वनाथगंज से मन्धाता होकर जेठवार तक मार्ग को चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 60
विद्युत सेवा आयोग द्वारा तकनीशियन–ए (विद्युत) के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 61
भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्राविधानों का एल्डिको के प्रोजेक्ट सौभाग्यम्, वृन्दावन योजना, लखनऊ द्वारा उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 61–62
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चहनिया के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 62
विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर नगर के बीचो–बीच स्थित दिल्ली–यमुनोत्री राज्य राज्यमार्ग में व्याप्त जाम की समस्या के निराकरण हेतु फोर लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 62
बरेली महानगर स्थित सिटी श्मशान भूमि के पास लगने वाले जाम की समस्या के निराकरण हेतु रेलवे फाटक के ऊपर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 62
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र भिडिहाल अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़क जमुई वाया अहरौरा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 63
जनपद गाजीपुर के दिलदार नगर में पशुओं के मेले को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 63
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0 का0–नि0–2–1718/ग्यारह– 9(295)/07–उ0प्र0 वैट नियम–08–आदेश–(171)–2016, दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) . . 63
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0 का0–नि0–2–1751/ग्यारह– 9(150)/15–उ0प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(172)–2016, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 63

(सदन के पटल पर रखी गयी) . .
उप लोक आयुक्त, उ0 प्र0 के विशेष प्रतिवेदन सं0–8–2014 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित), (सदन के पटल पर रखा गया) . . 64
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0–4–2014 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित), (सदन के पटल पर रखा गया) . . 64
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0–11–2016 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित), (सदन के पटल पर रखा गया) . . 64
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2012–2013 (सदन के पटल पर रखी गयी) . . 64
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2013–2014 (सदन के पटल पर रखी गयी) . . 64
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 36वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2015–2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) . . 64
ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मांग) आधारित प्रबन्धन विनियमावली, 2014 सम्बन्धी अधिसूचना सं0 उत्तर प्रदेश वि0नि0आ0 / सचिव / डी0एस0एम0 विनियमावली

ङ

विषय **पृष्ठ–संख्या**

विधान सभा से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (वापस लेने की अनुमति) . . 65
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए दिनांक 22 मई, 2017 के लिए निर्धारित जो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा सम्बन्धी मद आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) . . 65
असरकारी संकल्पों को आज ही प्रस्तुत कर उस पर चर्चा जारी किये जाने की अनुमति . . 66
जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरीघाट, गोलाघाट, धोकरहरघाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . . 66
भारतीय स्वातंत्र्य समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . . 66
जनपद हरदोई में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाये जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . . 66–67
सहारनपुर मण्डल के छात्र–छात्राओं की व्यवस्थित शैक्षिक, प्रशासकीय और परीक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों हेतु मण्डल मुख्यालय पर एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) . . 67
श्री अबरार अहमद, सदस्य विधान सभा को इलाज के लिए दिल्ली ले जाने हेतु सुविधा युक्त एम्बुलेंस उपलब्ध करवाये जाने की मांग . . 67–68

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) . . 68—127

भारत का संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के अभिभाषण के पृ0 3 के प्रस्तर 2 की दूसरी पंक्ति में अंकित दिनांक 31.12.2016 के स्थान पर 31.03.2016 पढ़े जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) . . 127—128

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) . . 128—139

दिनांक 15 मई, 2017 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय मा0 सदस्यों द्वारा पीठ पर कागज के गोले फेके जाने, शोर मचाने एवं श्री राज्यपाल के ऊपर प्रहार करके संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति विषयक दिनांक 16 मई, 2017 को श्री पंकज सिंह द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर सुरक्षित निर्णय की घोषणा . . 139—142

भारत का संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अन्तर्गत प्राप्त श्री राज्यपाल का संदेश जिसमें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता का प्रकरण नव निर्वाचित अध्यक्ष के सम्मुख ही रखा जाये को विधान सभा की नियम समिति को संदर्भित किया जाना . . 143—144

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें . . 145—146

जनपद प्रतापगढ़ के टाउन एरिया, लालगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग 231 पर अधूरे ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती

विषय **पृष्ठ—संख्या**

जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में विद्युत के जर्जर खम्भों व तारों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य . . 148—149

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के तहसील मार्टिनगंज के ग्राम महुजा नेवादा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य . . 149—152

जनपद लखनऊ में पक्का पुल से आई0एम0 रोड तक बन्धा बाई पास निर्माण में आ रहे अवरोध को दूर किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री का वक्तव्य . . 152—153

प्रदेश के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित चेकडैमों में हुए घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लघु सिंचाई मंत्री का वक्तव्य . . 153—155

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज, मान्धाता के ग्राम

सभा पूरे तोरई के पास बकुलाही नदी पर प्रस्तावित चेकडैम का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0 के0 वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लघु सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य . . 155—156

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शालगंज के गौखाल में स्वीकृत 400/200/132 के0वी0ए0 का विद्युत सब—स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य . . 156—157

जनपद कुशीनगर के हाटा परिक्षेत्र में नहरों की सफाई व टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री का केवल वक्तव्य . . 157—158

सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव . . 158

नत्थियां 159—200

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सत्रहवीं विधान सभा
शुक्रवार, दिनांक, 19 मई, 2017 ई0
(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–368

1. अक्षयवर लाल, श्री बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री बस्ती
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
8. अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री रायबरेली
10. अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
12. अनिल कुमार मौर्य, श्री सोनभद्र
13. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
14. अनिल राजभर, श्री वाराणसी
15. अनिल सिंह, श्री उन्नाव
16. अनीता, श्रीमती अम्बेडकर नगर
17. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 बुलन्दशहर
18. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती बहराइच
19. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
20. अनूप, श्री अलीगढ़
21. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
22. अभिजीत सिंह सांगा, श्री कानपुर नगर
23. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
24. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
25. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
26. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
27. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली
28. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
29. अलका राय, श्रीमती गाजीपुर
30. अवधेश सिंह, श्री वाराणसी
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
32. अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
33. अशोक कुमार राणा, श्री बिजनौर
34. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
35. असलम अली, श्री हापुड़
36. आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़
37. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
38. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
39. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
40. आलमबदी, श्री आजमगढ़
41. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
42. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
43. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
44. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
45. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
46. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
47. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
48. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
49. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
50. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
51. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
52. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
53. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
54. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
55. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
56. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़

57. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
58. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
59. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
60. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
61. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
62. काली प्रसाद, श्री देवरिया
63. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
64. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
65. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
66. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
68. केसर सिंह, श्री बरेली
69. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
70. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
71. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
72. गंगा, श्री कुशीनगर
73. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
74. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
75. गिर्राज सिंह धर्मेश, श्री आगरा
76. गौरी शंकर, श्री जालौन
77. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
78. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
79. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
80. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
81. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
82. छत्र पाल गंगवार, श्री बरेली
83. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
84. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
85. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
86. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
87. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
88. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
89. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
90. जयमंगल, श्री महराजगंज
91. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
92. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
93. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
94. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
95. ज्ञानेन्द्र, श्री महराजगंज
96. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
97. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
98. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
99. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
100. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
101. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
102. दल बहादुर, श्री रायबरेली
103. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
104. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
105. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
106. दिनेश खटिक, श्री मेरठ
107. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
108. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
109. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
110. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
111. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
112. देवेन्द्र प्रताप, श्री कासगंज
113. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
114. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
115. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
116. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
117. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
118. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
119. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ पप्पू भइया, श्री बदायूं
120. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
121. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
122. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद

123. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री इलाहाबाद
124. नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
125. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
126. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
127. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
128. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
129. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
130. नाहिद हसन, श्री शामली
131. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
132. निर्मला संखवार, श्रीमतीकानपुर देहात
133. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
134. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
135. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
136. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
137. नीलिमा कटियार, श्रीमतीकानपुर नगर
138. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
139. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
140. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
141. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
142. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
143. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
144. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
145. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
146. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
147. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
148. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
149. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
150. प्रभु नारायण यादव, श्री चन्दौली
151. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
152. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
153. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
154. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
155. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
156. फागू चौहान, श्री मऊ
157. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
158. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
159. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
160. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
161. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
162. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
163. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
164. बावन सिंह, श्री गोण्डा
165. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
166. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
167. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
168. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
169. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
170. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
171. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
172. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
173. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
174. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
175. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
176. मनीष असीजा,श्री फिरोजाबाद
177. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
178. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
179. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
180. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
181. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
182. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
183. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
184. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
185. महबूब अली, श्री अमरोहा
186. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
187. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
188. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
189. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
190. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
191. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई

192. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
193. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
194. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
195. मुकेश बर्मा, श्री फिरोजाबाद
196. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
197. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
198. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
199. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
200. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
201. मौ0 फईम, श्री मुरादाबाद
202. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
203. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
204. योगेश धामा, श्री बागपत
205. योगेश वर्मा, श्री खीरी
206. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
207. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
208. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
209. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
210. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
211. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
212. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
213. रमेश चन्द्र, श्री औरैया
214. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
215. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
216. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
217. रवि शर्मा, श्री झांसी
218. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
219. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
220. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
221. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के वर्मा, श्री प्रतापगढ़
222. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
223. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
224. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
225. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
226. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
227. राज करन कबीर, श्री बांदा
228. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
229. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
230. राजबाला, श्रीमती रामपुर
231. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
232. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
233. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
234. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री बदायूं
235. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
236. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
237. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
238. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
239. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
240. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
241. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
242. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
243. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
244. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
245. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
246. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
247. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
248. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
249. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
250. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
251. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
252. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री

बलरामपुर
253. राम फेरन, श्री श्रावस्ती
254. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
255. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
256. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
257. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
258. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
259. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
260. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
261. लाखन सिंह, श्री औरैया
262. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
263. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
264. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
265. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
266. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
267. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
268. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
269. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
270. विजय कुमार कश्यप, श्रीमुजफ्फरनगर
271. विजय मिश्र, श्री भदोही
272. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
273. विनय कुमार, श्री गोण्डा
274. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
275. विनय शाक्य, श्री औरैया
276. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
277. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
278. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
279. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
280. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
281. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
282. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
283. वीरेन्द्र, श्री एटा
284. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
285. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
286. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
287. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
288. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
289. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
290. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
291. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
292. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
293. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
294. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
295. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
296. शैलेश कुमार सिंह, श्री बलरामपुर
297. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
298. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
299. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
300. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
301. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
302. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
303. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
304. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
305. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
306. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
307. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
308. संगीता, श्रीमती गाजीपुर
309. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
310. संजय, श्री बुलन्दशहर
311. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
312. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
313. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
314. संजय यादव, श्री बलिया
315. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
316. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
317. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
318. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
319. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
320. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
321. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
322. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर

323. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
324. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
325. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
326. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
327. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
328. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
329. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
330. सहेन्द्र सिंह रमाला, श्री बागपत
331. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
332. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
333. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
334. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
335. सीताराम, श्री सुल्तानपुर
336. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
337. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
338. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
339. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
340. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
341. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
342. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
343. सुरेन्द्र, श्री बलिया
344. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
345. सुरेश कुमार, श्री शामली
346. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
347. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
348. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
349. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
350. सुरेश राही, श्री सीतापुर
351. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
352. सुशान्त कुमार, श्री बिजनौर
353. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
354. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
355. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
356. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
357. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
358. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
359. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
360. सौरभ सिंह, श्री खीरी
361. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
362. हरगोविन्द भार्गव, श्री सीतापुर
363. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
364. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
365. हरीराम, श्री सोनभद्र
366. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
367. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
368. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :–उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (डा0 महेन्द्र सिंह), परिवहन राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार (श्री स्वतंत्र देव सिंह), पंचायतीराज राज्य मंत्री स्वतन्त्र प्रभार (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, मेरी नियम 311 की सूचना है। उत्तर प्रदेश में जब से नई सरकार आई है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नोत्तर काल हो जाने दीजिये, आप सबकी कृपा से बहुत सुन्दर सदन चला है। आप सबके सहयोग से सुन्दर सदन चला है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मेरा भी विषय महत्वपूर्ण है इसे नियम 311 में सुन लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

यह जो शोर में बोला जा रहा है वह सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश में डाक्टरों की कमी है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें मैं तो प्रतिपक्ष की प्रसंशा कर रहा हूं कि आपके सहयोग से बहुत सुन्दर सदन चला है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, सदन की कार्यवाही रोककर पहले मुझे सुन लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 311 की दोनों सूचनाओं को निरस्त करता हूं और दोनों पर वक्तव्य स्वीकार करता हूं।

(श्री अजय कुमार लल्लू अपने दल के साथ सदन त्यागकर चले गये)

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बालू खनन सम्बन्धी नीति की जानकारी

''01–श्री संजय गर्ग, मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) तथा श्री नितिन अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालू खनन सम्बन्धी नीति क्या है ? क्या सरकार आम उपभोक्ता के हित में जनपदों में सस्ती दर पर बालू/रेत उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

ई–टेण्डर के माध्यम से बालू के रिक्त क्षेत्रों को अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत 6 माह की अवधि के लिए खनन अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत करने की नीति है।

बालू/रेत का मूल्य बाजार भाव पर निर्भर करेगा।

ई–टेण्डर के माध्यम से खनन अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। स्वीकृत खनन अनुज्ञा के अन्तर्गत माह 15 जून, 2017 तक खनन क्षेत्रों से बालू की निकासी प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

(नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न–1 का उत्तर पढ़े जाने पर)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न दूसरा है उत्तर दूसरे प्रश्न का दिया जा रहा है। इस प्रश्न के मंत्री उपस्थित ही नहीं हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

इसीलिए मैं कह रहा था कि सरकार में कोई सामन्जस्य नहीं है न ही इसका कोई उद्देश्य है।

श्रीमती अर्चना पाण्डेय–

मान्यवर, मैं जवाब दे रही हूं।

श्री संजय गर्ग–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने कहा कि स्वीकृत खनन अनुज्ञा के अन्तर्गत 15 जून, 2017 तक खनन क्षेत्रों से बालू की निकासी प्रारम्भ हो जायेगी। मैं सुदूर जनपद सहारनपुर से आता हूं जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बार्डर पर यमुना नदी से विभाजित होता है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जनवरी से वहां पर खनन बन्द है और बार–बार तारीख पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार मिलकर इस बात की एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी को दाखिल करने का काम करें कि उन्होंने खनन और उसका ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के सम्बन्ध में क्या संयुक्त नीति बनाई, परन्तु सरकार के द्वारा अभी तक हरियाणा सरकार के साथ एक भी मीटिंग नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रदेश सरकार हरियाणा सरकार के साथ एक मीटिंग करके खनन और उसका ट्रांसपोर्टेशन या जो अवैध खनन और उसका ट्रांसपोर्टेशन है उसे रोकने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कब तक दाखिल करेगी ? यह ज्वाइंट स्ट्रेटजी दाखिल न करने की वजह से जनवरी से सभी विकास के कार्य बन्द हैं। गड्ढामुक्त सड़कों की हवाईयां उड़ रही हैं और जनपद में कोई भी विकास का काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह एक अति गम्भीर विषय है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 सदस्य ने अपनी ओर से एक बात रखी। मान्यवर, आप प्रश्न देख लें और प्रश्न का उत्तर देख लें जो बिल्कुल स्पष्ट है। हम आज आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यह सरकार खनन नीति को अन्तिम रूप देने जा रही है और ऐसी खनन नीति आ रही है कि जिसमें उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा और जितने भी विकास के कार्य हैं उनको गति मिलेगी। हम यह बहुत जल्दी करने जा रहे हैं।

श्री संजय गर्ग–

मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि प्रश्न मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। प्रश्न से सम्बन्धित ही मेरा प्रश्न है और मेरे विधान सभा क्षेत्र से ताल्लुख रखता है। आपने प्रदेश की जो अल्पकालीन नीति बनाई है आप उसको दीर्घकालीन बनायेंगे, परन्तु तब तक सहारनपुर में खनन नहीं होगा और उसका ट्रांसपोर्टेशन बराबर के प्रदेशों से भी बैन है, जिसकी वजह से कोई भी छोटा या बड़ा काम वहां नहीं हो सकता है जब तक कि हरियाणा के साथ एक ज्वाइंट रणनीति न बनाई जाये। मान्यवर, इसलिए मैं आपसे इस बात के लिए निश्चित रूप से निर्देश चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस बात की कठिनाई को दूर किया जाये और उत्तर प्रदेश सरकार हरियाणा सरकार के साथ मिलकर एक ज्वाइंट रणनीति बनाकर उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल करने का काम कब तक करेगी ?

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

मा0 अध्यक्ष जी, जैसाकि अभी सदन में मा0 मंत्री जी ने कहा कि ई–टेण्डरिंग की जो व्यवस्था की गयी है वह छह महीने के लिए की गयी है, लेकिन पूरे प्रदेश में खासतौर से हमारे जनपद श्रावस्ती, बहराइच और पूरे मण्डल में उस टेण्डर में 01.07.2017 से लेकर 30.09.2017 तक खनन न करने का प्रावधान रखा गया है। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि उसकी अवधि छह महीना क्यों रखी गयी ? या तो तीन महीने ही रखते और मा0 मंत्री जी ने जैसाकि अभी छह महीना अभी बताया है।

श्री अध्यक्ष–

अगर तीन महीना रखते तो आप यह भी कहते कि तीन महीना क्यों रखा ?

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अभी छह महीना कहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में जो टेण्डर दिया गया है उसमें यह साफ–साफ लिखा गया है कि 01.07.2017 से 30.09.2017 तक कोई खनन नहीं होगा। ऐसा क्यों लिखा गया है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, हमने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि 15 जून, 2017 तक खनन क्षेत्रों से बालू की निकासी प्रारम्भ हो जायेगी। इस बात के लिए उत्तर के सेकेण्ड लास्ट पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से दिया गया है और अपने सप्लीमेंट्र में मैंने यह भी बता दिया कि हम खनन नीति को अन्तिम रूप देने जा रहे हैं। दूसरे राज्यों से जो बालू आती थी, उसके लिए हमने कुछ राज्यों से अलाऊ भी किया है कि आने दिया जाये और किसी भी प्रकार से विकास कार्यों को रोका न जाये। यह सरकार की पूरी मंशा है और इसीलिए चूंकि खनन नीति में देरी हो रही थी। इसलिए छह महीने के लिए यह टेम्पोररी व्यवस्था भी कर दी। माननीय सदस्यों की जिज्ञासा थी कि पूरे प्रदेश में विकास का काम न रुके और उपभोक्ताओं को बालू उचित दर पर मिल जाये, उसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से प्रयास किया और टेण्डर भी फ्लोट कर दिया। अब सवाल यह है कि जो वर्षा की स्थिति है उसके आधार के ऊपर यह किया गया होगा कि भाई जितने–जितने दिनों बारिश हो उतने दिनों तक बारिश का प्रभाव खनन पर न पड़े। इसलिए सरकार ने पूरी

तरीके से संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उपभोक्ताओं और विकास कार्यों का ध्यान रखते हुए इसके ऊपर अन्तरिम पालिसी दे दी है और अन्तिम रूप से हम खनन नीति जल्दी फाइनल करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार वस्तुस्थिति से मैंने आपको अवगत करा दिया। मान्यवर, जहां तक माननीय संजय गर्ग जी का सवाल है तो निश्चित रूप से एन0जी0टी0 के सामने सरकार को अपना पक्ष रखना है और हम जल्दी ही इसमें अपना पक्ष रखेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब तो उत्तर आ गया है।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय राइनी साहब ने स्पेसिफिक सवाल किया कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम छह महीने के लिए अनुज्ञा–पत्र पारित कर रहे हैं और उसके साथ उसी में दिनांक 01.07. 2017 से 30.09.2017 तक रोक भी है, तो जब तीन महीने की रोक है तो अनुज्ञा–पत्र भी तीन माह के लिए ही दीजिये, छह माह को किसलिए दे रहे हैं। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं और इसका जवाब आप हमें सरकार से दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

श्री नितिन अग्रवाल जी को भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछ लेने दीजिये जिससे दोनों प्रश्नों का उत्तर सरकार की तरफ से एक साथ आ जाये।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, सरकार ने अपने जवाब में यह मान लिया है और सरकार का गठन दिनांक 19 मार्च, 2017 को हुआ था और जवाब में आया है कि दिनांक 15 जून, 2017 तक खनन क्षेत्रों से बालू की निकासी प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है। सम्भावना कही है इन्होंने यह नहीं कहा है कि शुरू हो जायेगा। तो इसका मतलब सरकार ने यह मान लिया है कि करीब–करीब तीन महीने का समय जो बीच में है इसमें जितने भी सरकारी काम हैं, सरकार को जानकारी होगी कि सारे सरकारी काम चाहे सड़क का हो चाहे सरकारी बिल्डिंगों का काम हो, क्योंकि खनन की कोई नीति नहीं है, न बालू मिल रही है, न मिट्टी मिल रही है और न मौंरग मिल रही है। सारे काम प्रभावित हैं और सब काम रूके हुये हैं। आपने मान लिया है कि सरकार की मंशा के अनुरूप तीन महीने तक सारे सरकारी कामों को रोक दिया गया है और सरकार यह स्पष्ट जवाब नहीं दे पायी है कि पन्द्रह जून के बाद भी इनकी नीति के आधार पर क्या बालू आने लगेगी, क्या मौंरंग आने लगेगी। मेरा सरकार से सिर्फ इतना सवाल है कि आज सभी लोग जानते होंगे क्योंकि सरकारी खनन पर रोक है और अभी आपकी कोई नीति नहीं है और आज बालू का क्या दाम हो गया है, गिट्टी का क्या दाम हो गया है, तो क्या इन दो–तीन महीने में जितने भी काम प्रभावित हुए हैं तो क्या सरकार इस पर ऐसी कोई नीति बना रही है या सरकार कोई ऐसी घोषणा करेगी और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जो ई–टेण्डर प्रक्रिया शार्ट टर्म के लिए लाई गई है उसका आज अन्तिम दिन है इसको पूर्ण करने के लिए। सरकार की अगर मंशा न होती तो हम

शार्ट टर्म पालिसी न लाते। चूंकि लांग टर्म पालिसी में देर हुई तो अन्तरिम व्यवस्था हमने तुरन्त कर दी कि छह महीने के लिए यह व्यवस्था होगी। अगर सरकार की यह मंशा न होती तो सरकार इसे क्यों करती। हम जो छह महीने के लिए शार्ट टर्म प्रक्रिया ला रहे हैं उसके ई–टेण्डर के पूर्ण होने का आज अन्तिम दिन है। तो एक सवाल का जवाब तो यह है। दूसरा सवाल जो माननीय वर्मा जी ने पूछा है कि दिनांक 01.07.2017 से 30.09. 2017 तक वाला, तो मैं बताना चाहता हूं कि केवल बारिश की वजह से ऐसा किया गया। बहुत सी जगह पर बारिश नहीं भी होती है और हम इसको दिखवा भी लेंगे और फिलहाल उपभोक्ताओं को परेशानी न हो और विकास कार्य न रुके, इसलिए यह दोनों व्यवस्था की जा रही है। इसलिए इनको किसी बात की चिन्ता नहीं करने की जरूरत है। अच्छा सरकार इनसे यह तो पूछ ले कि यह देन किसकी है। यह देन तो इन्हीं की है मान्यवर,। यह देरी हुई किसकी वजह से तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से इतनी देरी हुई है। हमारी मंशा साफ है और हमारी नियत साफ है और हम इसको करने जा रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, यह जनहित का एक मुद्दा है और जानबूझकर संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दूसरी तरफ मोड़ देना चाहते हैं। टेक्निकल बातें चाहे जो कुछ भी हों लेकिन ये जो मा0 सदस्य अपने–अपने क्षेत्रों से चुनकर आये हैं, मा0 यह तीन महीना होता है, अप्रैल, मई, जून इन महीनों में गरीब, श्रमिक, छोटे किसान जो लोग साल भर गन्ना बेचकर, गेहूं बेचकर, धान बेचकर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, इसलिए कि मई, जून, के महीनों में काम से हम खाली रहेंगे एक–दो कमरा बनाकर के अपने सिर को छुपाने की हम व्यवस्था कर लेंगे और किन्हीं भी कारणों से खनन के कारणों से ये जो उनका अरमान है पूरा नहीं हो सके और इसके कारण कितने गरीब घरों की बेटियों की शादी नहीं हो सकी कि जब घर ही हमारे पास नहीं है तो हम शादी कैसे करेंगे ? श्रीमन्, इसलिए आवश्यक यह है कि चाहे कठिनाई जो हो कठिनाई को दूर करने का काम सरकार का है जल्दी से जल्दी बालू, मौरंग और गिट्टी की व्यवस्था सरकार करवाये। मान्यवर, इसको जहां दाखिल करना है वहां दाखिल करे जिससे गरीबों का घर बन सके। सरकारी काम हो सके और किसी भी तरह के घर, मकान, पुल, सड़क आदि बनवाने में कोई कठिनाई पैदा न हो सके। इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर तो आ गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसमें एक कंडिशन कोर्ट की यह थी कि इन्वॉयरमेंटल क्लियरेंस लेने के बाद ही यह कार्य शुरू किया जा सकता है। मान्यवर, जैसे ही यह सरकार आई मा0 मुख्यमंत्री जी ने एक सब–कमेटी बनाई और उस सब–कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो उस सब–कमेटी की रिपोर्ट के आधार के ऊपर जितनी सुविधा, जितनी जल्दी से जल्दी दी जा सकती थी उसकी व्यवस्था मान्यवर, कर दी गयी और छह महीने के लिए टेम्परेरी व्यवस्था किया है और उसके बाद खनन नीति फाईनल करने जा रहे हैं। मान्यवर, आज उसकी प्रक्रिया पूरी हो रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि मा0 सदन के सदस्यों को

किसी प्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिए। हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और इसकी व्यवस्था तुरन्त की जा रही है।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में सिंथेटिक दूध बनाने के कारोबारियों को रोके जाने की योजना

'01–श्री संजय गर्ग तथा श्री नितिन अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अप्रैल, 2016 से 28 अप्रैल, 2017 तक दूध के कितने नमूने लिये गये तथा उनमें से कितने नमूने फेल हुए ? क्या सरकार जनहित में सिंथेटिक दूध बनाने के कारोबार को रोकने की कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह')–

प्रदेश में दिनांक 01.04.2016 से 28.04.2017 तक, दूध के कुल 3597 नमूने संग्रहीत किये गये हैं, जिसके सापेक्ष प्राप्त 2381 जांच रिपोर्ट में 1118 नमूने मानक के अनुसार, 1247 नमूने अधोमानक, 02 नमूने मिथ्याछाप, 14 नमूने असुरक्षित पाये गये।

जी नहीं। पूर्व योजना को और प्रभावी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंथेटिक/मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए मोबाइल दुग्ध विश्लेषण उपकरण से मौके पर जांच का कार्यक्रम चलाया गया है। सिन्थेटिक/मिलावटी दूध बनाने के कारोबार को रोकने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मिलावटी दूध की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा होली, दीपावली, नवरात्रि आदि त्योहारों पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं। अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की शिकायत के लिए आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है, जिसका टोल फ्री नम्बर 18001805533 है। खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जनजागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की वेबसाइट है, जिस पर आम जनमानस के लिए जानकारियां उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रचलित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत अर्थदण्ड के प्राविधान से लेकर आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, यह जो प्रश्न है हमारी आने वाली पीढ़ी को भी अपंग कर रही है। हमारे प्रदेश की मुख्य डाइट दूध के रूप में है। चूंकि उत्तर प्रदेश में डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से सिंथेटिक दूध बनाने वाले, जहर पैदा करने वाले ऐसे अपराधियों की वजह से इस तरह का विकृत दूध उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बन रहा है। मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से केवल इतनी बात पूछना चाहता हूं, मैंने 28

तारीख को प्रश्न किया इसलिए इन्होंने 28 तारीख तक का ही मानक दिया परन्तु 28 तारीख के बाद भी आज 21 दिन हो गये वह रिपोर्ट इनके पास आ गयी होगी।

जो 3597 सैम्पल इन्होंने लिये उनमें से 2381 की जांच रिपोर्ट आयी। जिसमें से दो नमूने मिथ्याछाप थे 14 नमूने असुरक्षित पाये गये। मैं जानना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 में जो प्राविधान सख्त से सख्त सजा का है। जब तक यह सख्त से सख्त सजा नहीं दी जायेगी। तब तक इस तरह के अपराधियों पर रोक नहीं लगेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 1247 नमूने अद्योमानक, 2 नमूने मिथ्याछाप व 14 नमूने असुरक्षित पाये गये इनके खिलाफ अभी तक क्या सजा हुयी है या इससे पहले भी कितने लोगों को अभी तक दण्डित किया गया है। क्या किसी को आजीवन कारावास अभी तक हुआ है अथवा नहीं हुआ है ?

'**श्री अतुल गर्ग–**

मान्यवर, जो सजा देने का काम है वह कोर्ट का है और इस बात को मैं व्यक्तिगत रूप से भी स्वीकार करता हूं कि पहले से काम ठीक नहीं हुआ है और हम इस बात को सदन को सुनिश्चित करते हैं कि जो प्रश्नकर्ता की भावनायें हैं उसको ध्यान में रखकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री संजय गर्ग–

3597 नमूने में से 1216 नमूने बचे हैं। उन 1216 में से कितने मिथ्या और असुरक्षित पाये गये। मैंने चूंकि 28 अप्रैल तक का पूछा था अब तो आज 19 मई है। मा0 मंत्री जी के पास तो यह जानकारी होगी।

'वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

'**श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–**

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। जो मा0 सदस्य प्रश्न कर रहे हैं वह बड़ा विस्तीर्ण है। उसमें सूचना की आवश्यकता होगी। उसको वह तत्काल कैसे दे सकते हैं। उत्तर दे दिया आश्वासन दे दिया। विषय समाप्त हो गया। आपके कार्यालय में मा0 मंत्री जी विवरण भेज देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मोती सिंह जी, आप बैठें।

श्री नितिन अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार ने अपने जवाब में स्वयं माना है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा नमूने फेल हुये हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो जिलों में सरकारी अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से ही मिलावटखोरों को संरक्षण मिल रहा है।

(सत्तपक्ष के कई सदस्यों के द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहिये। बैठिये।

श्री नितिन अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने अभी जवाब दिया कि जो दोषी हैं उनको सजा देने का काम कोर्ट का है। मेरा सरकार से सवाल है जितने लोग भी मिलावटखोरी में

पकड़े गये हैं क्या सरकार ने उसमें एफ0आई0आर0 कराने का काम किया और कितने लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 करायी गयी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, जो मा0 नितिन अग्रवाल जी ने सवाल किया है उसमें 600 वाद मा0 न्यायालय में दाखिल किये गये और 133 वाद उसमें निर्णीत हुए उसमें 29 लाख 90 हजार सात सौ रुपये का अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया और समय–समय पर इसमें विशेष अभियान चलाये जाने का भी निर्देश है और दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दो महीने में विशेष अभियान चलाते जायें।

माननीय अध्यक्ष जी, दूध की सेम्पलिंग को टेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी प्रयोगशालायें हैं और गाय और भैंस का दूध बाजार में अशुद्ध बिक रहा है और उसका एक मात्र कारण है, आक्सोटोसिन इन्जेक्शन जो गाय और भैंस का दूध बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अनेक डाक्टरों की रिपोर्ट में यह बात आयी है कि आक्सोटोसिन इन्जेक्शन जहरीला पदार्थ है इसलिए आक्सोटोसिन इन्जेक्शन पर क्या प्रतिबन्ध लगेगा ?

(कोई उत्तर न आने पर)

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, सवाल का जवाब तो दे दे सरकार। मान्यवर, आप जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेश जी ने सूचना दी है, प्रश्न नहीं पूछा है।

'वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, वह इस सदन के मेम्बर हैं, उनके प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, इन्होंने माना है कि मिलावटी दूध का काम चल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

जैसे आप लोग कभी–कभी बोल देते हैं और बाद में प्रश्न पूछते हैं। अब अगला प्रश्न।

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के शहरों, तहसीलों एवं गांवों में विद्युत आपूर्ति की जानकारी

'01–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में शहरों में 24 घण्टे, तहसीलों में 22 घण्टे व गांवों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो उक्त मानक के अनुसार आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो कब से आरम्भ की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में घोषित विद्युत रोस्टर के अनुसार वर्तमान में जनपद मुख्यालय को 24 घण्टे, तहसीलों में 20 घण्टे व गांवों में 18 घण्टे विद्युत व्यवस्था आदेशित है।

श्री नितिन अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें खुद ही सरकार अपने जवाब का विरोधाभास कर रही है। एक तरफ तो कहती है कि शहरों में 24 घण्टे, तहसीलों में 20 घण्टे व गांवों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति करेंगे। लेकिन उत्तर आया है 'जी नहीं' और नीचे वह दूसरे प्रश्न के जवाब में कह रहे हैं कि इसके लिए विद्युत व्यवस्था आदेशित है। मेरे सरकार से तीन सवाल हैं, पहला सवाल है कि अगर आपने आदेशित किया है कि 18 घण्टे गांवों को, 20 घण्टे तहसीलों को और 24 घण्टे जनपद मुख्यालयों को बिजली देंगे तो इसके लिए आपको कितने यूनिट बिजली की जरूरत है, कितने यूनिट बिजली का आप उत्तर प्रदेश में उत्पादन कर रहे हैं और अगर कोई कमी है तो उस कमी को आप कैसे पूरा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें हमारी जिज्ञासा है, यद्यपि मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं। हमारी जिज्ञासा है कि आप उत्पादन से जुड़े प्रश्न पूछ रहे हैं, यह प्रश्न वितरण से जुड़ा है। अब आप को जो पूछना है पूछिये।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इतने घण्टे विद्युत व्यवस्था आदेशित है तो अगर इतनी बिजली देने को आदेशित है तो इसके लिए कितने यूनिट बिजली की जरूरत है, सरकार को और कितने यूनिट का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी है तो उस कमी को कैसे पूरा करेंगे ? मान्यवर, आप इसका सरकार से जवाब दिलवा दीजिये।

श्री श्रीकान्त शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट कर दूं कि जो सरकार का रोस्टर है, मैंने माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सदन को अवगत कराया है। एक चीज का उल्लेख आपके माध्यम से और करना चाहता हूं कि अगर वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल में माह मार्च से मई, 2017 तक औसत विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 17 घण्टे 29 मिनट रही है, जबकि पूर्व में इसी समय 13 घण्टे 24 मिनट रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। इसी प्रकार

तहसील मुख्यालय में माह मार्च से मई, 2017 तक औसत विद्युत आपूर्ति 19 घण्टे 08 मिनट रही है, जबकि इसी अवधि में गत वर्ष विद्युत आपूर्ति 15 घण्टे 45 मिनट रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद मुख्यालय में भी माह मार्च, से मई, 2017 तक औसत विद्युत आपूर्ति 23 घण्टे 05 मिनट रही है, जबकि इसी अवधि में गत वर्ष औसत विद्युत आपूर्ति 20 घण्टे 29 मिनट रही थी। मा0 सदस्य का जो सवाल है, 15 साल तक आपने गड्ढे खोदे और इतने गहरे गड्ढे खोदे और आज कह रहे हैं कि 50 दिन की सरकार उसको नाप ले, कितने गहरे हैं, तो नाप लेंगे हमारे पास सब कुछ है, अभी तो हमने नीचे सीढ़ी डाली है, उनको भरने का भी काम करेंगे। मान्यवर, पूर्व सरकार के जहां वी0आई0पी0 कुछ खास इलाके होते थे, वहीं मान्यवर, इस सरकार का जो वी0आई0पी0 है वह किसान और गरीब है।

(विपक्ष के अनेक सदस्य विरोध स्वरूप अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल का जवाब नहीं है, यह इधर–उधर की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें, पहले उत्तर आ जाने दीजिये फिर आप सवाल पूछ लेना।

श्री श्रीकान्त शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां पूर्व सरकार में वी0आई0पी0 कुछ खास क्षेत्रों को चिन्हित किया था, वहीं हमने इस देश के गांव के किसान को वी0आई0पी0 माना है, गरीब को वी0आई0पी0 माना है। मा0 अध्यक्ष जी, जहां पिछली सरकार में ट्रान्सफार्मर बदलने के लिए लगातार किसान विद्युत विभाग के चक्कर लगाता रहता था, लेकिन ट्रान्सफार्मर नहीं बदलता था, हमारी सरकार ने 48 घण्टे के अन्दर किसान का ट्रान्सफार्मर बदले यह सुनिश्चित किया है।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी भाषण दे रहे हैं उत्तर नहीं दे रहे हैं, हमारे सवाल का उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री श्रीकान्त शर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, यह सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री एक मिनट बैठ जायें, पहले सवाल आ जाये।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा जो पहला प्रश्न था, अभी उसी का उत्तर नहीं आया है।

श्री श्रीकान्त शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर दे रहा हूं। मान्यवर, अभी हमारी जो पीक डिमाण्ड है वह 17819 मेगावाट है और हमारे पास अभी 18500 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। मा0 अध्यक्ष जी, पिछली सरकार के उत्पादन से 30 परसेण्ट उत्पादन में हमारे यहां वृद्धि हुई है और पीक आवर्स में हम बिजली खरीद भी रहे हैं। लगभग 1500 मेगावाट बिजली हम पीक आवर्स में खरीदते हैं, जिससे गांव में रहने वाला हमारा गरीब, किसान रात को पंखे में सो सके, उसके घर में उजाला हो सके।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी बता रहे थे कि 23 घण्टे बिजली मुख्यालय पर आ रही है, शायद मंत्री जी अपने क्षेत्र के बारे में बता रहे होंगे, लेकिन प्रदेश के ये हालात नहीं हैं, गांव में 10 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक मा0 सदस्य एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्ति से अपने स्थान पर बैठें।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार देखा गया है कि विपक्ष शान्ति से बैठा है, माननीय मंत्रीगण का खड़ा होकर के आपकी पीठ का आदर न करके इतना साउण्ड प्रदूषण कर रहे हैं। वायु प्रदूषण को तो माननीय मंत्री जी ने रोक दिया ये ध्वनि प्रदूषण कैसे रुकेगा, इसकी व्यवस्था आप करायें ?

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार जानती है। मंत्री जी ने पूरा भाषण दे दिया पर जो मैंने सवाल किया उसका तो जवाब नहीं मिला। हमने सवाल किया था कि यह रोस्टर लागू करने की बात कर रहे हैं उस रोस्टर को लागू करने में इनको कितनी बिजली की आवश्यकता होगी और कितनी बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अभी हो रहा है ? और जो कमी है, उसको कैसे पूरा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने बताया कि ये कितनी खरीद रहे हैं ?

श्री नितिन अग्रवाल–

नहीं मान्यवर, अभी नहीं बताया।

श्री श्रीकान्त शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत विस्तार से आपके माध्यम से सदन को अवगत कराया कि अभी जो हमारी पीक डिमाण्ड है, वह 17819 मेगावाट है और वर्तमान में हमारे पास जो उपलब्धता है वह 18500 मेगावाट है। जब फ्लक्चुएशन बढ़ता है हर दिन उसकी डिमाण्ड अप–डाउन होती रहती है, उसके लिए हम प्रतिदिन 1000 से 500 मेगावाट बिजली खरीदते भी हैं और फिर उसकी भरपाई पूरी करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह जो बिजली इस वक्त आ रही है, बिजली की खूबी यह है कि जितनी बिजली बनेगी उतनी आपको देना है, स्टोर नहीं की जा सकती यह पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, गैस नहीं है जिससे कि स्टोर कर लें जितना प्रोडक्शन होगा, उतना ही उसका कन्जम्पशन होगा। अभी बजट पास नहीं हुआ है, कोई नया बिजली का कारखाना नहीं लगा है, कोई सब–स्टेशन नहीं बना है, कोई तार नहीं लगे हैं और स्कीम भी नहीं बदली गयी है।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ऐसा ही हम भी करने लगे थे तो यहां बैठे हैं, हमने यह काम 3–4 साल बाद किया था आप 3–4 हफ्तों के बाद ही कर रहे हैं, थोड़ा सीखो भी और थोड़ा हमारे अन्जाम से सबक भी लो। मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो भी बिजली के मामले में है, जो प्रोडक्शन है और जो गांव को, शहरों को दिया जा रहा है, बस केवल एक जुमले में आप जवाब दे दें कि जितनी एक्सिस्टिंग व्यवस्था है, यह पिछली सरकार की है या इसमें आपने कुछ किया है।

श्री श्रीकान्त शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो जर्जर व्यवस्था हमें विरासत में मिली है उसमें निरन्तर प्रतिदिन हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, केवल एक सेन्टेन्स का जवाब है जितनी बिजली इस जर्जर अवस्था में मिल रही है, 2 घण्टे, 4 घण्टे, 6 घण्टे, 8 घण्टे, 20 घण्टे, 40 घण्टे, जो बिजली मिल रही है इसमें आपकी कोई कोशिश है या पिछली सरकार की दी हुई बिजली मिल रही है इसमें हां, न में जवाब दे दें।

(माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा जवाब देने के लिए खड़े होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी कभी ऊर्जा मंत्री नहीं रहे, कभी सदन में ऊर्जा पर बोले भी नहीं, आज यह ऊर्जा कहां से आ गयी ?

मा0 संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर एक संसदीय कार्यमंत्री होते थे जो घुमाऊ और भटकाऊ जवाब देते थे और वे कभी टू–द–प्वाइंट बात नहीं करते थे। बात कहीं और की बात खेत की हो तो खलिहान की करते थे लेकिन मान्यवर, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इनकी बात का टू–द–प्वाइंट जवाब देंगे। आप इतनी खराब व्यवस्था छोड़ कर गये थे कि पूरा प्रदेश त्राहि–त्राहि कर रहा है और उस त्राहि–त्राहि का प्रतिफल क्या हुआ कि जिस पार्टी को 2012 में मात्र 47 सीटें इस विधान सभा में मिली थीं, उसी पार्टी को 312 अपनी और एन0डी0ए0 की मिलाकर 325 सीटें मिलीं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, बिजली की व्यवस्था पर यह सरकार गम्भीर नहीं है। प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी इस सदन का बहिष्कार करती है।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हमने प्रशासनिक सुधार किया है। हमने हर स्तर पर प्रशासनिक सुधार किया है। पीक आवर्स पर जब भी जरूरत पड़ी तो हमने बिजली खरीदी। 312 यूनिट से लेकर 383 मिलियन यूनिट तक सप्लाई हम आज भी कर रहे हैं। 16 तारीख को 312 यूनिट से लेकर 383 मिलियन यूनिट की हमने सप्लाई की है और जब–जब पीक आवर्स पर हमको जरूरत पड़ी तो जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए हम बिजली खरीद भी रहे हैं। मान्यवर, आपके प्रश्न का एक–एक उत्तर, हर बात का उत्तर मा0 शर्मा जी ने दिया।

श्री लालजी वर्मा–

मा0 मंत्री जी ने कहा कि 24 घण्टे, 20 घण्टे, 18 घण्टे आपूर्ति के लिए आदेशित किया गया है। मान्यवर, आदेश से तो सप्लाई होती नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और मान्यवर, आप स्वयं भी जानते हैं कि उत्पादन को स्टोर भी नहीं किया जा सकता और न ही इसको रोका जा सकता है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

वैसे सभी प्रश्नों के उत्तर आ गये हैं।

श्री लालजी वर्मा–

नहीं, मान्यवर, उत्तर स्पष्ट नहीं आया, उसको घुमा–फिरा कर दिया, मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि 24 घण्टा, 20 घण्टा, 18 घण्टा बिजली आपूर्ति करने के लिए कितने मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी या कितने यूनिट की ? इतने समय तक आपूर्ति के लिए कितने मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता होगी और कितना हम खरीदकर या उत्पादन के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं।

श्री श्रीकान्त शर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन को अवगत भी कराया गया है और मैं पुनः अवगत करा रहा हूं कि अभी पीक आवर्स में डिमाण्ड को पूरा करने के लिए जब से हमारी सरकार बनी है तब से कल तक 337 मिलियन यूनिट बिजली हमने खरीदी है और खरीद कर हमने गांव में, गरीब के घर में उजाला करने का प्रयास किया है। जहां तक मा0 सदस्य ने पूछा है कि व्यवस्था की है निश्चित रूप से शब्दों का तो यही चयन होगा। हमने सुनिश्चित किया है कि गांवों के अन्दर 18 घण्टे, तहसील के अन्दर 20 घण्टे और जिला मुख्यालय के अन्दर 24 घण्टे बिजली रहे। इस जर्जर व्यवस्था में, हमको जो जर्जर और अपंग व्यवस्था मिली है, जर्जर तारों की व्यवस्था, जर्जर खम्भों की व्यवस्था मिली है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि सामने वाली जो

विपक्ष की बेंच है, इन्होंने बिजली चोरी को बढ़ावा दिया था, हमने बिजली चोरों पर अंकुश लगाने का काम किया है। सबसे बड़ी पीड़ा इनकी यही है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक प्रश्न का उत्तर तो आ गया लेकिन एक प्रश्न का उत्तर अभी रह गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब अगला प्रश्न।

प्रदेश में बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कार्य योजना

'02–श्री संजय गर्ग–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के दृष्टिगत बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सरकार ने कोई नयी कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से, नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्प्रेषित कर, उन्हें रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाती है। साथ ही कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को, रोजगार अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता तथा रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है। इस निमित्त रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जाता है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आशय अपने प्रश्न के माध्यम से था चूंकि दो–तीन महीने पहले चुनाव के दौरान मैंने बहुत से लुभावने नारे सुने थे कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया जायेगा और 2014 के चुनाव में भी कुछ इसी तरह की बातें रहीं परन्तु बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई नीति की घोषणा न करके एक रटा रटाया जवाब विभाग के द्वारा यहां माननीय मंत्री जी ने दिया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं यह जानना चाहता हूं, मेरा प्रश्न है कि ''क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के दृष्टिगत बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सरकार ने कोई नई कार्ययोजना तैयार की है।'' किसी नई योजना का जिक्र न करके पुरानी विभाग के रटे–रटाये जवाब को देने का काम सम्मानित मंत्री जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भोली–भाली जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो नये रोजगार के साधन पैदा करके नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में उन ठगे हुए बेरोजगार नौजवानों को कोई रोजगार देने की व्यवस्था की नीयत इस सरकार की है या नहीं है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

पहले तो मैं माननीय संजय गर्ग जी को इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी सरकर के ठगे हुए बेरोजगार नौजवानों का जिक्र कर दिया (मेजों की थपथपाहट) और दूसरी बात हमारी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व अपने संकल्प पत्र में इस बात को शामिल किया है कि हम 5 साल के अंदर 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, सेवा से योजित करके उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास करेंगे और जहां तक रही बात रोजगार की तो मान्यवर, अभी केवल अप्रैल के महीने में हमने सेवायोजन विभाग के माध्यम से 34 रोजगार मेलों का आयोजन करके 2255 लोगों को इम्प्लाइमेंट दिया है। एक महीने के अंदर अभी यह शुरूआत की है और मान्यवर, इसी प्रकार से यह अभियान हमारा जारी रहेगा और आपकी जो मंशा है आप तो अपनी सरकार में नहीं पूरी कर सके लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार उसे जरूर पूरा करेगी और बेरोजगार नौजवानों को कभी निराश नहीं होने देगी।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है कि 34 रोजगार मेलों का आयोजन हुआ। इन 34 रोजगार मेलों का आयोजन किन–किन जनपदों में हुआ और कैरियर काउन्सिलिंग के लिए जो आपका विभाग कार्य कर रहा है। किस–किस जनपद में कैरियर काउन्सिलिंग के कार्यक्रम हुए कृपया इसकी जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी सूची है आपके पास ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि सम्मानित सदस्य बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और इनको मालूम भी है कि सेवायोजन विभाग का वेबपोर्टल है। वेबपोर्टल के माध्यम से सेवायोजकों को भी ऑन लाइन पंजीकृत किया जाता है और बेरोजगार नौजवानों को भी पंजीकृत किया जाता है और मान्यवर, इन दोनों को कहीं भटकना न पड़े इसलिए सेवायोजन मुख्यालय पर ही इन दोनों की मीटिंग करा के और भिन्न–भिन्न जगहों पर रोजगार मेलों का आयोजन करके इनको सेवायोजित करने का प्रयास किया जाता है और उसी क्रम में मान्यवर, अभी तक जो नियोजकों की संख्या पंजीकृत हो चुकी है वह 5021 की है और इसी प्रकार बेरोजगार नौजवान जो अभी तक पंजीकृत हुए हैं उनकी संख्याः 1592163 है। मान्यवर, यह सेवायोजन विभाग खुद समय–समय पर रोजगार मेला उनको प्रशिक्षण और समय–समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियां देकर के सेवायोजित करने का अभियान चला रहा है और हम समझते हैं कि माननीय सदस्य की जो पीड़ा है उस पीड़ा और चिंता को लेकर सरकार काम कर रही है। इसलिए माननीय सदस्य जी को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपकी मंशा के अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है और बेरोजगार लोगों को बढ़े पैमाने पर रोजगार भी देगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सादा–सा सवाल है,आपने फरमाया कि मेले लगाए गए और 2255 को रोजगार मिला। यह मेले लगाए गए का मतलब यह हुआ कि आपकी सरकार आने के बाद इन मेलों का आयोजन हुआ और आपने ही इसकी स्कीम को तैयार किया। मान्यवर, श्रम मंत्री रहने का मुझे मौका मिला है, किसी भी मेले के आयोजन में प्रोसिजरली कम से कम एक वर्ष लगता है। इन मेलों के आयोजन को आपने शुरू किया था या जाने वाली सरकार ने किया था, मात्र इतनी जानकारी दे दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री आजम खां जी को इस विधान सभा में रहने का बहुत लम्बा अनुभव है और विशेष रूप से तमाम बड़े–बड़े मंत्री पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। यह जानते है कि सरकार एक अनवरत प्रक्रिया है और उस क्रम में यह वेब पोर्टल की शुरूआत 2015 में हुई थी और मैं इसको और भी सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए काम कर रहा हूं। मान्यवर, इन्होंने तो जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ते के नाम पर बेरोजगार नौजवानों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है, ठगने का काम किया है, इनको तो बेरोजगार के विषय में कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह संसदीय कार्य मंत्री के पद पर थे और तब भी बेरोजगार लोगों की बात आती थी ऐसा घुमाते थे कि सारा का सारा सदन घूमने लगता था, उत्तर का कहीं अता–पता नहीं होता था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 02 महीने में 2255 लोगों को रोजगार दिया गया, अगर 02 महीने में 2255 को रोजगार दिया गया तो 05 साल में 70 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और इन्होंने कहा है कि हम 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इसका माननीय मंत्री जी जवाब दे दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य प्रश्न को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय लालजी वर्मा जी हमारे सहयोगी रहे हैं और मैं इनको अवगत कराना चाहता हूं कि यह 01 महीने के अंदर की प्रगति है। 01 महीने में 34 रोजगार मेलों का आयोजन हुआ। अभी आपके एक सदस्य ने पूछा कि रोजगार मेले कितने हुए और कहां–कहां हुए।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप इसकी रफ्तार बढ़ाएंगे, माननीय वर्मा जी शायद यही कह रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह तो अभी अंगड़ाई है, अभी हमारा जो संकल्प–पत्र है, उस संकल्प–पत्र के माध्यम से जब हमारी स्पीड बढ़ेगी तब इनको अपने–आप यह आभास हो

जायेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है, वही करती है। अभी तक का इतिहास रहा है कि जो हमारी सरकार ने, चाहे केन्द्र की सरकार रही हो, चाहे प्रदेश की सरकार रही हो उसको स्वाभाविक रूप से अमलीजामा पहनाने का भी काम किया है। मान्यवर, यही कारण है कि उत्तरोत्तर हमारे विधायकों और सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है और भविष्य में जब कभी यहां मौका मिलेगा तो शायद विपक्ष दिखायी नहीं पड़ेगा, इस बात पर मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री रितेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि नेशनल सैम्पल सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश में करीब एक करोड़ की नौजवानों की जनता इस समय बेरोजगार है। इस एक करोड़ की जनता के लिए 70 लाख की व्यवस्था तो कर दी गयी है बाकी के 30 लाख लोगों के लिए सरकार क्या करेगी और उसके साथ–साथ इन्जीनियरिंग कालेज खोलने की बात कही जा रही है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि इन्जीनियरिंग जॉब्स में बहुत भारी गिरावट आ रही है और सरकार की मंशा स्किल डेवलेपमेंट में इन्जीनियरिंग के अलावा और भी कुछ चीजों को डेवलेप करनी है या नहीं है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, चूंकि माननीय सदस्य नये हैं और उत्साही हैं इनके उत्साह की मैं तारीफ करता हूं। चूंकि इन्जीनियरिंग कालेज का इस विभाग से कोई संबंध नहीं है लेकिन उसके बावजूद.....

श्री अध्यक्ष–

फिर आप काहे इसका उत्तर दे रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम फिर भी उत्तर दे रहे हैं। मान्यवर, जब हम विकास के मुद्दे पर सरकार में आये हैं और साथ ही साथ अनेक विश्वविद्यालय खोलने का हमारा संकल्प–पत्र में वायदा है तो यह चिन्ता तो हमारी पहले की है। जिस चिन्ता को लेकर मैं सरकार में आया हूं इस चिन्ता पर हमारी सरकार काम करेगी। दूसरी चीज, आपने अभी जो पूछा कि जब हमारा कुल लक्ष्य 70 लाख बेरोजगारों का रोजगार देने का है तो अभी तो आप देखेंगे 4 महीने के अन्दर बड़े पैमाने पर पुलिस की भर्ती होने जा रही है जिसके अभाव में उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा गुण्डाराज का सम्राज्य बन गया था सबसे पहले हम उस गुण्डाराज पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस बल को ठीक करने के लिए पहली प्राथमिकता हमारी पुलिस की भर्ती होगी जिसकी बड़े पैमाने पर कमी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मननीय अध्यक्ष जी, सरकार का विरोधाभाषी बयान अभी इस सदन में आया। माननीय श्रम मंत्री जी ने अभी कहा कि इतने प्रचण्ड बहुमत से पिछली बार हम लोग आये कि विपक्ष का नाम तक नहीं रहेगा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा अभी सदन में थोड़ी देर पहले कि हम 47 थे इतना बहुमत में आ गये तो यही तो हमारे लिए शुभ है और अगले चुनाव में इनसे भारी बहुमत में हम आयेंगे पहले ही कह चुके हैं।

विपक्ष का नाम तब नहीं रहेगा जब हम भारी बहुमत में उधर जायेंगे और आप यहां एक भी नहीं रहेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मुंगेरी लाल के सपने अच्छे होते हैं सपना देखें, उसमें हमें कोई चिन्ता नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अध्यक्ष जी, कल नेता विरोधी दल ने यह कहा था कि हमने सपना देखना छोड़ दिया है आज इन्होंने एक बहुत बड़े सपने का जिक्र किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपने जो फरमाया उसी को मैंने कहा। आपने कहा कि हम 47 थे और आपके कर्मों से हम इतने भारी बहुमत से आ गये। अध्यक्ष जी, हम भी 47 आये आपकी करने से हम 385 आयेंगे आप काहे को चिन्ता में पड़े हुए हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब हम 337 विधान सभा क्षेत्रों में जीते थे और 03 साल तक यही रट लगाये रहे कि आने दो विधान सभा का चुनाव, आने दो विधान सभा का चुनाव। हमने कहा आने दो विधान सभा का चुनाव। और उसका नतीजा क्या हुआ कि 337 से हम 325 पर फिर भी रहे। मान्यवर, इन्होंने कल ही कहा था कि हमने सपने देखना छोड़ दिया है। हमारी सलाह भी यही है नेता विरोधी दल को कि सपने देखना छोड़ दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, 2014 के चुनाव में हम 5 आये थे लोक सभा के चुनाव में 5 और 2017 के इस चुनाव में हम 47 आये प्रगति पर हैं लोक सभा में 5 और विधान सभा में 47 हम प्रगति पर हैं अगला 22 के चुनाव में 385 आपके कथन के अनुसार।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जिस औसत से प्रगति करी है उसी औसत से प्रगति करना।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण, तहसील व शहरी क्षेत्रों के विद्युत आपूर्ति के साथ अघोषित कटौती का विवरण

01–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, तहसीलीय क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों की 18 घण्टे तथा जिला मुख्यालय एवं मण्डलों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने के साथ अघोषित कटौती को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी हां। मांग का आकलन करके अल्पकालीन ग्रीष्मकाल की अवधि हेतु विद्युत क्रय किया गया है साथ ही बैंकिंग द्वारा भी विद्युत का प्रबन्ध किया गया है। विद्युत की मांग बढ़ने पर एक्सचेन्ज से विद्युत के क्रय की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षेत्र में मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने हेतु नये बिजली उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

(अ) राज्य क्षेत्र में :–

1–1 ग 660 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार परियोजना।

2–2 ग 660 मेगावाट ओबरा 'सी' परियोजना।

3–2 ग 660 जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना।

(ब) संयुक्त क्षेत्र में :–

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं–

1–2ग660 मेजा तापीय विद्युत परियोजना (स्टेज) (उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 एवं एन0टी0पी0सी0 का संयुक्त उपक्रम)।

2–3ग 660 घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना (उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 एवं नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का संयुक्त उपक्रम)

उ0प्र0 जल विद्युत निगम के अन्तर्गत खारा लघु जल विद्युत परियोजना (2ग0.75 मे0वा0) पर कार्य चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न सं0–2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद मे तारों का बदलना एवं ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि के कार्य की जानकारी

02–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत बिजनेस प्लान के अन्तर्गत तारों का बदलना, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि व अन्य कार्य जो स्वीकृत हैं, को पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी हां।

1–ट्रान्सफार्मरों की क्षमतावृद्धि का कार्य दिनांक मई, 2017 में पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

2–तारों को बदलना एवं अन्य स्वीकृत कार्य दिनांक 30–06–2017 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की नगर पालिका महमूदाबाद में 11 के0वी0 पोलों एवं एल0टी0 लाइनों के पोलों को हटाये जाने की जानकारी

03–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की नगर पालिका महमूदाबाद में भूमिगत केबलिंग का काम पूरा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनमें पहले से लगे बिजली के पोल हटा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी हां।

जी नहीं।

11 के0वी0 पोलों को हटाये जाने का कार्य दिनांक 20–06–2017 तक एवं एल0टी0 लाइनों के पोलों को हटाने का कार्य दिनांक 30–09–2017 तक पूर्ण करा दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के देवरिया में स्थित 33/11, पावर हाउस के निर्माण को चालू कराये जाने की जानकारी

04–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतपुर के देवरिया गांव में स्थित 33/11, पावर हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो उक्त पावर हाउस को कब तक चालू किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी हां।

सम्बन्धित 33 के0वी0 लाइन में एक अद्द रेलवे क्रासिंग की अनुमति पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ से वाांछित है जिसमें दो माह का समय सम्भावित है। अनुमति प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर पावर हाउस चालू कर दिया जायेगा एवं ऊर्जीकृत करने का कार्य लगभग 20 जुलाई 2017 तक पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में निर्माणाधीन 132/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्र का ऊर्जीकृत

05–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद जनपद सीतापुर में निर्माणाधीन 132/11 के0वी0ए0 के पावर हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक चालू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी हां।

132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र महमूदाबाद माह मार्च, 2017 में ऊर्जीकृत हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन एवं लघु किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली दिये जाने की मांग

06–श्री अनुराग सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर विद्युत आपूर्ति करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब से लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार लघु किसानों को सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली देने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी हां।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के परिवारों को बिजली संयोजन प्राप्त करने की धनराशि को मुफ्त करके कनेक्शन देने की सुविधा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश के शहरी क्षेत्र में भी इसी प्रकार गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के परिवारों को आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत बिना शुल्क प्राप्त किये विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों द्वारा कृषि कार्यों में प्रयुक्त विद्युत पर लागत मूल्य से अत्यन्त कम विद्युत दर लागू है। इसके अतिरिक्त कृषि कार्य में उपयोग हेतु निजी नलकूपों पर विद्युत कर पूर्णतया माफ है। इसी क्रम में यह भी सूचनीय है कि विभिन्न विद्युत उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दर का निर्धारण मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग जो कि एक स्वतंत्र अर्धन्यायिक संस्था है, द्वारा खुली जनसुनवाई के उपरान्त विभिन्न परिस्थितियों पर विचार कर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी व मिर्जापुर के ग्रामीण क्षेत्रों को 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति की जानकारी

07–श्री अनुराग सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की सरकार की क्या कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार धार्मिक एवं पर्यटन महत्व वाले जिलों व केन्द्रों को प्राथमिकता से 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध वाराणसी व मिर्जापुर के ग्रामीण क्षेत्रों को भी वर्ष 2017 में 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी हां।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था अक्टूबर, 2018 से सुनिश्चित किया जाना लक्षित है।

जी हां।

वाराणसी में वर्तमान में 24 घण्टा की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था निर्धारित है। मिर्जापुर जनपद में भी बिन्ध्याचल मन्दिर क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने वाले 33/11 के0वी0 सब–स्टेशन बिन्ध्याचल को भी 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 24 घण्टे बिजली आपूर्ति हेतु मेगावाट बिजली एवं विद्युत उत्पादन का विवरण

08–श्री पारस नाथ यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली उत्पादन के कितने संयंत्र अधिष्ठापित हैं तथा उनकी कितने मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है ? क्या सरकार बतायेगी कि बढ़ती हुई विद्युत मांग के अनुसार 24 घण्टे बिजली आपूर्ति हेतु कितने मेगावाट बिजली की आवश्यकता है ? क्या सरकार मांग के अनुरूप बिजली उत्पादन हेतु नये बिजली उत्पादन संयंत्र लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0–

प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन 05 तापीय विद्युत गृहों के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन हेतु कुल 28 संयंत्र स्थापित हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 5938 मेगावाट है, इनका विवरण निम्नवत् है :–

1–अनपरा परियोजना (3 ग 210 + 2 ग 500 + 2 ग 500 त्र 2630 मे0वा0)

2–ओबरा परियोजना (2 ग 50 + 2 ग 94 + 5 ग 200 त्र 1288 मे0वा0)

3–हरदुआगंज परियोजना (1 ग 60 + 1 ग 110 + 2 ग 250 त्र 670 मे0वा0)

4–पनकी परियोजना (2 ग 105 त्र 210 मे0वा0)

5–पारीछा परियोजना (2 ग 110 + 2 ग 210 + 2 ग 250 त्र 1140 मे0वा0)

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम–

उ0प्र0 जल विद्युत निगम के अधीन 524.90 मेगावाट क्षमता के कुल 34 सयंत्र स्थापित हैं।

निजी क्षेत्र–

निजी क्षेत्र में स्थापित परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

(क) ;पद्ध मै0 रोजा पावर सप्लाई कम्पनी (फेज–1)–2 ग 300 त्र 600 मे0वा0।

;पपद्ध मै0 रोजा पावर सप्लाई कम्पनी (फेज–2)–2 ग 300 त्र 600 मे0वा0।

(ख) मै0 बजाज इनर्जी प्राइवेट लि0–450 मे0वा0 (10 ग 45) त्र 450 मे0वा0।

(ग) श्री नगर जल विद्युत परियोजना–330 मे0वा0 (10 ग 45) त्र उ0प्र0 का अंश 290 मे0वा0।

(घ) ललितपुर पावर परियोजना 3 ग 660 त्र 1980 मे0वा0।

जी हां।

सरकार मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित तापीय विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत नये बिजली उत्पादन संयंत्रों की स्थापना कर रही है :–

(अ) राज्य क्षेत्र में :–

1–1ग660 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार परियोजना।

2–2ग660 मेगावाट ओबरा 'सी' परियोजना।

3–2ग660 जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना।

(ब) संयुक्त क्षेत्र में :–

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं–

1–2ग660 मेजा तापीय विद्युत परियोजना (स्टेज)।

(उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 एवं एन0टी0पी0सी0 का संयुक्त उपक्रम)।

2–3ग660 घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना (उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 एवं नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का संयुक्त उपक्रम)।

उ0प्र0 जल विद्युत निगम के अन्तर्गत खारा लघु जल विद्युत परियोजना (2ग0.75 मे0वा0) पर कार्य चल रहा है।

ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिस्थापित बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से निम्न परियोजना विकसित की जा रही है :–

(1) प्रयागराज तापीय परियोजना (बारा) (3ग660 मे0वा0) :–

प्रथम इकाई– 29 फरवरी, 2016 को कमीशन हो चुकी है। (660 मे0वा0 क्षमता, 90 प्रतिशत यू0पी0 शेयर)।

द्वितीय इकाई– 10 सितम्बर, 2016 को कमीशन हो चुकी है। (660 मे0वा0 क्षमता, 90 प्रतिशत यू0पी0 शेयर)।

तृतीय इकाई– मई 2017 में कमीशन होने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमेठी के जिलाधिकारी को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

09–श्री सूर्यभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, अमेठी को सम्बोधित श्री तेजभान सिंह पूर्व विधायक गौरीगंज का दिनांक 27–03–2017 को फैक्स द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र लोक गांव सभा अचलपुर ब्लाक जामो जनपद अमेठी के स्थाई कोटेदार को एक पक्षीय जांचकर निलम्बित करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आदित्यनाथ योगी–

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 27–03–2017 में शिकायतकर्ता द्वारा ग्रामसभा अचलपुर के कोटेदार को बहाल करने और ग्रामसभा हरगांव के कोटेदार द्वारा की जा रही अनियमितताओं का संज्ञान लेकर उसकी निष्पक्ष जांच करवाकर कार्यवाही करने की मांग की गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, अमेठी द्वारा जांच करायी गयी और वह पाया गया कि जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत अचलपुर के उचित दर विक्रेता का अनुबन्ध पत्र दिनांक 23–03–2017 को ही बहाल किया जा चुका है।

ग्राम पंचायत हरगांव के उचित दर विक्रेता श्रीमती सीमा सिंह के विरूद्ध जांच में पायी गयी अनियमिताओं के लिए उनका अनुबन्ध पत्र दिनांक 08–05–2017 को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में पी0सी0सी0 पोल लगवाये जाने की जानकारी

10–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ के अन्तर्गत ग्राम अमरौली सुमाली के चिरैयाडाड़ दक्षिण पुरवे पर स्थित राजकीय नलकूप से गांव मे विद्युत आपूर्ति हेतु लगे लकड़ी के पोल जर्जर होने के कारण विद्युत तार जमीन पर लटक रहे हैं जिससे कभी भी गम्भीर दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लकड़ी के पोलों को हटाकर सीमेन्ट अथवा लोहे के पोल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

लकड़ी के पोल लगे होने के कारण तार ढीले हैं। जर्जर पोल के स्थान पर पी0सी0सी0 पोल लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

दिनांक 10–06–2017 तक कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ नगर के इन्जीनियरिंग कालेज चौराहा के निकट बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने की मांग

11–डा0 नीरज बोरा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के इन्जीनियरिंग कालेज चौराहा के निकट बस स्टेशन का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो उक्त बस स्टेशन का निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जाराज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्जीनियरिंग कालेज के सन्निकट परिवहन निगम के स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

जनपद लखनऊ नगर के श्याम बिहार कालोनी, रहीम नगर, डुडौली क्षेत्र में खम्भे लगवाये जाने की जानकारी

12–डा0 नीरज बोरा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत श्याम बिहार कालोनी, रहीमनगर, डुडौली क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बांस व

बल्लियों के सहारे चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उल्लिखित स्थानों पर बिजली के खम्भे लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी हां।

जी हां।

श्याम बिहार कालोनी, रहीमनगर डुडौली क्षेत्र निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित किया जा रहा है। विद्युत वितरण संहिता– 2005 के अनु0–4.9 में निहित है कि विकासकर्ता द्वारा विकसित क्षेत्र में विद्युत तन्त्र का विकास एवं विस्तार विकासकर्ता द्वारा ही किया जायेगा, जिसके आधार पर विकासकर्ता अथवा सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा आवश्यक प्राक्कलन की धनराशि जमा की जानी है।

वर्तमान में क्षेत्र के निवासियों द्वारा संयुक्त रूप से विद्युत तन्त्र विकसित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिये गये जिसके सापेक्ष खण्डीय कार्यालय–सीतापुर रोड द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय स्थल का निरीक्षण किया गया, तदुपरान्त खण्डीय कार्यालय के पत्रांक–51/ई0यू0डी0डी0– सी0रो0 दिनांक 12–01–2017 द्वारा प्राक्कलन धनराशि रू0–74,865.00 (चौहत्तर हजार आठ सौ पैंसठ) जमा योजना के अन्तर्गत दिया गया, जिसका भुगतान सम्बन्धित उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये जाने के उपरान्त उपरोक्त कार्य प्राथमिकता पर करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ नगर के डालीगंज से नबीकोट नन्दना से 33 के0वी0 हाईटेंशन लाइन को हटाये जाने की मांग

13–डा0 नीरज बोरा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के डालीगंज से नबीकोट नन्दना की ओर सघन आबादी के ऊपर से संचालित 33 के0वी0 हाईटेंशन लाइन से आये दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हाईटेंशन लाइन को आबादी से दूर हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी हां।

सम्बन्धित लाइन 40 वर्ष पूर्व बनी थी। आवास बाद में अनाधिकृत रूप से बनाये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय निवासियों को सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा समय–समय पर नोटिसें भी निर्गत की गयी हैं। उक्त हाई टेंशन लाइन को हटाने में आने वाले व्यय की धनराशि वहां के निवासी/ उपभोक्ता द्वारा सामूहिक रूप से जमा कर देने अथवा किसी योजना में शासन द्वारा धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त वांछित कार्य कराया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में 33/11, विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य एवं विद्युत आपूर्ति की जानकारी

14–श्री सुखदेव राजभर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड–मार्टिनगंज के ग्रम खासडीह में निर्मित 33/11, विद्युत उपकेन्द्र पर ट्रान्सफार्मर स्थापित हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उपकेन्द्र से जनसामान्य को विद्युत आपूर्ति शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी नहीं।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड–मार्टिनगंज के ग्राम खासडीह में निर्माणाधीन 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र–कवरा गहनी का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा अभी परिवर्तक स्थापित नहीं है परिवर्तक स्थापित करके विद्युत आपूर्ति अगस्त, 2017 तक शुरू करना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में राजभर बस्ती में बिना विद्युत संयोजन के जारी विद्युत बिलों को माफ करने की जानकारी

15–श्री सुखदेव राजभर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज विकास खण्ड–मार्टिनगंज के ग्राम हड़वा के राजभर बस्ती तथा अनुसूचित जाति बस्ती में विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले 10 वर्षों से बिना विद्युत आपूर्ति तथा बिना विद्युत संयोजन के ग्रामवासियों के विद्युत बिल आ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बिना विद्युत आपूर्ति तथा बिना विद्युत संयोजन लिये ग्रामवासियों को जारी विद्युत बिलों को माफ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी हां।

ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

संज्ञानित होने पर, यदि बगैर विद्युत आपूर्ति हुए कोई बिल जारी हुआ है तो जांच कराकर उस पर बिल समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

उपभोक्ता द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के एक सप्ताह के अन्दर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में 132 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण

16–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र स्थापित किये जाने हेतु ग्राम बदरहिया में भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर स्वीकृत उपकेन्द्र का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला प्रशासन द्वारा ग्राम बदरहिया के निकट ही ग्राम आशा, परगना गोपामऊ में अधिग्रहीत की गयी भूमि पर 132 के0वी0 उपकेन्द्र निर्माणाधीन है।

प्रदेश की जेलों में बन्द 70 वर्ष की उम्र से ज्यादा के कैदियों को रिहा करने की योजना

17–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में बन्द 70 वर्ष की उम्र से ज्यादा के कैदियों को रिहा करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आदित्यनाथ योगी–

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध 70 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई, अन्य बन्दियों की भांति यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 के अन्तर्गत फार्म–ए/लाइसेंस, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल–198ए के अन्तर्गत नामिनल रोल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 सपठित उ0प्र0 जेल मैनुअल 195, 196 व 197 के अन्तर्गत इन्फर्मिटी रोल तथा संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर, किये जाने की व्यवस्था/प्राविधान है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद बागपत में सिंचाई हेतु किसानों से निजी नलकूप विद्युत कनेक्शन का पृथक–पृथक बिल लिये जाने का प्रकरण

18–श्री कृष्णपाल मलिक–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में सिंचाई हेतु किसानों से निजी नलकूप विद्युत कनेक्शन का बिल अन्य जनपदों की तुलना में अधिक लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार निजी नलकूपों पर दोहरी नीति पृथक–पृथक बिल लिये जाने की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत के मार्गों पर परिवहन निगम की बसों के संचालन का विवरण

19–श्री कृष्णपाल मलिक–

क्या परिबहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र–51 बड़ौत के अन्तर्गत किन–किन मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन हो रहा है तथा किन–किन मार्गों पर बसें संचालित नहीं है ? क्या सरकार जिन ग्रामीण मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं है, पर जनता की कठिनाइयों को देखते हुए बस सेवाओं का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री स्वतंत्र देव सिंह–

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र–51 बड़ौत के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन हो रहा है :–

1–बड़ौत–कोताना–मेरठ।

2–बड़ौत–छपरौली।

3–बड़ौत–दिल्ली।

4–बड़ौत–सहारनपुर।

5–बड़ौत–मुजफ्फरनगर

6–बड़ौत–मेरठ।

7–बड़ौत–मवी–अमीनगर सराय।

8–बड़ौत–बिनौली–फजलपुर–तेडा–मीतली–टटीरी–बागपत।

9–बड़ौत–बिनौली–सरधना–दौराला–हस्तिनापुर।

10–बड़ौत–लोहारी–खामपुर–खेड़ाहटाना–निनाना–गोरीपुर–बागपत।

शेष मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन वर्तमान में नहीं हो रहा है।

स्थानीय निवासियों की मांग पर बड़ौत–लोहारी खामपुर–खेड़ाहटाना–निनाना–गोरीपुर–बागपत मार्ग पर परिवहन निगम की एक बस (एक अप एवं एक डाउन ट्रिप प्रतिदिन) का संचालन दिनांक 08–05–2017 से प्रारम्भ का दिया गया है। संकरे मार्गों पर कभी–कभी बसों का संचालन संभव नहीं हो पाता है। उक्त के अतिरिक्त यात्रियों की आवश्यकता तथा मांग व परिवहन निगम में उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत समय–समय पर नये मार्गों पर बस संचालन प्रारम्भ करने पर विचार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद श्रावस्ती में परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों की जानकारी

20–श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य परिवहन के एक डिपो पर कितनी बसें दिये जाने का मानक है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद श्रावस्ती के परिवहन डिपो पर मात्र 04 बसें ही उपलब्ध होने के कारण यात्रियों को भारी

परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डिपो पर मानकानुसार समुचित मात्रा में बसें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह–

डिपो स्थापित करते समय जनता तथा संचालन की आवश्यकता एवं भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत डिपो में बसों की संख्या का निर्धारण किया जाता है।

जनपद श्रावस्ती में परिवहन निगम का कोई डिपो नहीं है। अपितु मात्र 01 बस स्टेशन है। जहां से सिरसिया–भिनगा–बहराइच अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर 04 बसों का परमिट के आधार पर संचाालन होता है। जनपद श्रावस्ती में पर्याप्त संख्या में निजी बसों का संचालन होता है। अतः यात्रियों को परेशानी की स्थिति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद के सम्बद्ध मार्ग अराष्ट्रीयकृत है। अराष्ट्रीयकृत मार्ग बहराइच–भिनगा–सिरसिया मार्ग पर निगम के पास 04 परमिट उपलब्ध हैं एवं उस पर 04 बसें संचालित हैं। इस मार्ग के परमिटों पर दिनांक 04–02–2009 से राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा स्टेटस–को प्रभावी किया गया है। जिसके कारण और परमिट प्राप्त कर बस संचालित करना सम्भव नहीं है। अतः वर्तमान में अतिरिक्त बसें संचालित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या एवं श्रमिकों की सुरक्षा की जानकारी

21–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कितनी संख्या है ? क्या यह सत्य है कि ऐसे श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई कानून न होने के कारण उनका निरन्तर शोषण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में मुख्य कर्मकारों की कुल संख्या : 4.47 करोड़ थी, जिनके सापेक्ष अनुमानतः 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस प्रकार वर्ष, 2011 की जनगणना के अनुसार असंगठित कर्मकारों की अनुमानित संख्या लगभग 4.15 करोड़ है।

जी नहीं।

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या–1161/36–03–2016–01(यू0एस0एस0)–13 दिनांक 19–10–2016 द्वारा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आवर्त किये जाने हेतु ''उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2016 का प्रख्यापन किया गया है।

''असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008'' की धारा–6 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड'' के गठन की कार्यवाही की जा रही है। बोर्ड

के अनुमोदनोपरान्त असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु योजनाओं को तैयार कर उनके संचालन एवं क्रियान्वयन का कार्य किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग में कार्यरत लिपिक एवं खाद्य एवं आपूर्ति निरिक्षक वर्ग के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति

22–श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत कार्यरत लिपिक एवं खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक वर्ग के कर्मचारियों की स्थनान्तरण नीति क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद मऊ में घोसी तहसील सहित समस्त जनपद में स्थानान्तरण नीति के विपरीत 20–20 वर्षों से भी अधिक समय से कतिपय कार्मिकों द्वारा एक ही स्थान पर कार्यरत रहकर अकूत सम्पत्ति अर्जित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों की सम्पत्तियों की जांच कराकर उन्हें मण्डल से बाहर स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आदित्यनाथ योगी–

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–2/2017/1/3/96–का–4/2017, दिनांक 03 मई, 2017 द्वारा वर्ष 2017–18 की स्थानान्तण नीति जारी की गयी है।

जनपद मऊ में कुल 07 पूर्ति निरीक्षक तथा 09 आपूर्ति लिपिक कार्यरत हैं। घोसी तहसील सहित जनपद में एक तहसील में किसी भी पूर्ति निरीक्षक अथवा आपूर्ति लिपिक का कार्यकाल 20 वर्ष से अधिक नहीं है। मात्र 01 आपूर्ति लिपिक का जनपद में कार्यकाल 20 वर्ष से अधिक है। जनपद मऊ में कार्यरत लिपिक की चल–अचल सम्पति का विवरण संलग्न है।

स्थानान्तरण नीति 2017–18 का अनुपालन दिनांक 30 जून, 2017 तक कराया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय परिवहन बसों में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को किराये में छूट दिये जाने की मांग

23–श्री संजय गर्ग–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजकीय परिवहन बसों में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सरकार किराये में छूट देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह–

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वरिष्ठ नागरिकों को बसों के किराये में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में प्राविधान नहीं है और न ही परिवहन निगम के स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्तीय व्ययभार की प्रतिपूर्ति किये जाने पर उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम द्वारा श्रेणी विशेष के व्यक्तियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में किसानों से क्रय किये गये गेहूं के भुगतान की जानकारी

24–श्री सुखदेव राजभर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में कुल कितने गेहूं क्रय केन्द्र किन–किन स्थानों में खोले गये हैं एवं उन केन्द्रों में अब तक कुल कितना गेहूं खरीदा गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त क्रय केन्द्रों में किसानों द्वारा खरीदे गये गेहूं की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान उन्हें कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस दर पर ? यदि हां, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आदित्यनाथ योगी–

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज मे खाद्य विभाग का 01 मार्टीनगंज तथा पी0सी0एफ0 का 02 क्रमशः साधन सहकारी समिति नर्वे साधन सहकारी समिति खरसहनकला, इस प्रकार कुल 03 गेहूं क्रय केन्द्र खोले गये हैं, जिनका स्थान क्रमशः 1–कौरागहनी, 2–इरिना गोकुलपुर, नर्वे, 3–दीदारगंज थाने के पास, खरसहनकला है। उक्त गेहूं क्रय केन्द्र मार्टीनगंज पर दिनांक 03–05–2017 तक 4610 कुन्तल, साधन सहकारी समिति नर्वे पर दिनांक 04–05–2017 तक 500 कुन्तल एवं साधन सहकारी समिति खरसहनकला पर दिनांक 04–05–2017 तक 2298.50 कुन्तल गेहूं किसानों से क्रय किया गया है।

जी हां।

जी हां।

क्रय किये गये गेहूं का समर्थन मूल्य रु0 1625 प्रति कुन्तल तथा उतराई एवं छनाई के मद में रु0 10 प्रति कुन्तल अर्थात कुल रु0 1635 प्रति कुन्तल की दर से सम्बन्धित कृषकों को भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के एल0टी0 उपकेन्द्रों के ट्रांसफार्मरों का निरीक्षण करा कर क्षमता वृद्धि कराये जाने की जानकारी

25–श्री सुखदेव राजभर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ के उन गांवों में जहां पर कम क्षमता वाले बिजली ट्रान्सफार्मर पर लोड बढ़ जाने से आये दिन ट्रासफार्मर जलने की घटनाएं होती हैं ? क्या सरकार ऐसे कम क्षमता के ट्रान्सफार्मरों का सर्वेक्षण कराकर इन्हें उच्चीकृत करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी नहीं।

समय–समय पर ऐसे एल0टी0 उपकेन्द्रों का निरीक्षण कराकर यथा आवश्यक क्षमतावृद्धि करायी जाती है।

आवश्यकतानुसार तत्काल करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में जर्जर/ढीले तारों को बदलने/टाइट कराये जाने की जानकारी

26–श्री सुखदेव राजभर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में पुराने एवं जर्जर बिजली के तारों के टूटने तथा ढीला होकर लटकने से आये दिन आगजनी की घटनाएं होने के साथ–साथ जन धन की अपूर्णीय क्षति हो रही है ? यदि हां, तो सरकार सर्वेक्षण कराकर ऐसे जर्जर व पुराने तारों को बदलवायेगी तथा ढीले तारों को कसवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

समय–समय पर जर्जर/ढीले तारों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता एवं संसाधन उपलब्धता के आधार पर बदलने/टाइट करने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड कटेहरी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की मांग

27–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड कटेहरी के कतिपय ग्रामों मे विद्युत आपूर्ति गोसाईगंज जिला फैजाबाद से की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु जिला अम्बेडकरनगर के ग्राम हाथ पाकड़ में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी हां।

आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी के ग्रामों को गोसाईगंज से की जा रही विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने हेतु यादव नगर में 33/11 के0वी0 उप संस्थान निर्माणाधीन है, जिसका कार्य 31–07–2017 तक पूर्ण होना लक्षित है। इस उपकेन्द्र के निर्माण के पश्चात् जिस पोषक से विकास खण्ड कटेहरी के ग्रामों को विद्युत आपूर्ति की जाती है, के स्थान पर नव निर्मित उपसंस्थान से पोषित फीडर जिसकी लम्बाई कम हो जाने के कारण ब्रेक डाउन भी कम होने के साथ–साथ अच्छी वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति होगी।

ग्राम हाथ पाकड़ क्षेत्र जिसकी वर्तमान में विद्युत आपूर्ति गोसाईगंज से निकलने वाले 11 के0वी0 पोषक (लम्बाई लगभग 20 किमी0) को 33/11 के0वी0 कटेहरी उपकेन्द्र

से पोषित करने हेतु एक 11 के0वी0 फीडर (08 किमी0) का निर्माण कार्य पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वीं) में प्रस्तावित है तथा उक्त फीडर का निर्माण 31–08–2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। इस फीडर के निर्माण के उपरान्त विकास खण्ड कटेहरी के ग्रामों में भी बेहतर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होगी।

प्रदेश में गृहस्थी योजना के अन्तर्गत पात्र लोगों को योजना लाभ दिलाये जाने की मांग

28–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत चयनित पात्र लोगों के स्थान पर अपात्र लोगों को चावल, गेहूं दिये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार कमेटी, गठित कर गांव पंचायतों की खुली बैठक कराकर पात्र लोगों को उक्त योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आदित्यनाथ योगी–

शासनादेश संख्या–7/2017/631/29–6–2017–104सा/09टीसी, दिनांक 27–04–2017 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभार्थियों की सूची को एक बार विस्तृत रूप से सत्यापन कराते हुए त्रुटिरहित सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया है।

उक्त शासनादेश द्वारा दुकान वार टीम गठित कर ग्राम सभा की खुली बैठक में उस ग्राम सभा में आने वाली समस्त दुकानों से सम्बन्धित सत्यापित पात्रों की सूची एवं चयनित पात्रों तथा अपात्रों की सूची को सार्वजनिक स्थल पर पढ़े जाने एवं अनुमोदित किये जाने तथा दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के अनुमोदन प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के सल्टौआ के कतिपय ग्रामों में विद्युत आपूर्ति कराये जाने की जानकारी

29–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के सल्टौआ गोपालपुर ब्लाक के सूरतागढ़ में दीन दयाल ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद आज तक विद्युत आपूर्ति का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि अमरौली खुमाली के चिरैया डांड़ के रामवारी तथा राम नगर ब्लाक के राजस्व गांव बेलबना में बिजली के खम्भे लगे हैं परन्तु आज तक विद्युत की आपूर्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त गांवों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

(क) सल्टौआ, गोपालपुर ब्लाक के सूरतागढ़ को दिनांक 10–06–2017 तक ऊर्जीकृत कर दिया जाना लक्षित है।

(ख) अमरौली खुमाली के चिरैया डाड़ के रामवारी को दिनांक 10–06–2017 तक ऊर्जीकृत कर दिया जाना लक्षित है।

(ग) रामनगर ब्लाक के राजस्व ग्राम बेलबना को दिनांक 15–06–2017 तक ऊर्जीकृत कर दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना की जानकारी

30–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या समन्वय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद में आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना के अन्तर्गत स्वीकृत गांव मीरानगर, पोखराकलां तथा खपूरा में उक्त योजना के कार्यों की पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जी नहीं।

धनराशि की उपलब्धतानुसार यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

ख12ण्00 , विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

मैं इस आदरणीय सदन को शोक के साथ सूचित करना चाहता हूं कि इस अवधि में जब यहां सदन समवेत नहीं था हमारे इस आदरणीय सदन के सदस्य रह चुके 15 महानुभाव हम लोगों का साथ छोड़कर चले गये। इस आदरणीय सदन के प्रत्येक सदस्य को स्वभाविक ही इससे शोक हुआ है, दुख पहुंचा है।

माननीय इस सदन के आदरणीय सदस्य रहे मान्यवर, सुल्तान सिंह जी का निधन 03 अक्टूबर, 1996 को हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे। श्री सुल्तान सिंह का जन्म 20 अक्टूबर, 1931 को हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुल्तान सिंह निर्वाचन क्षेत्र बहजोई, जिला मुरादाबाद से वर्ष 1974 में भारतीय क्रान्ति दल, वर्ष 1977 में जनता पार्टी, वर्ष 1980 में जनता (एस0) चरण सिंह दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री सुल्तान सिंह खादी ग्रामोद्योग किसौली के अध्यक्ष रहे थे। समाज सेवा, खेती तथा ग्रामोद्योग में उनकी विशेष रूचि थी तथा सूत कातना उन्हें प्रिय था। श्री सुल्तान सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मान सिंह का 17 जनवरी, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री मान सिंह का जन्म 1929 में हुआ था। श्री मान सिंह वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र आगरा (पश्चिमी), जिला आगरा से रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मान सिंह शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के आन्दोलन में जेल गये थे। श्री मान सिंह शू मेकर्स कोआपरेटिव सोसायटी के प्रधान तथा रिपब्लिकन चर्म–कलाकार संघ, आगरा के अध्यक्ष व राम सिंह कन्या

पाठशाला के कोषाध्यक्ष भी रहे। कृषि और जन सेवा में उनकी विशेष रूचि थी। श्री मान सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी का 21 अप्रैल, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी का जन्म 1 जनवरी, 1937 को मोहल्ला सोहबतिया बाग राजाबाजार, जखनऊ में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस आई0 के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी वर्ष 1974 में 10 दिन तक राजनीतिक बन्दी रहे थे। वे अनेक शिक्षा संस्थाओं के कार्यकारिणी सदस्य व संस्थापक रहे तथा वे उर्दू सभा व सुन्नी रिलीफ कमेटी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे थे। सामाजिक कार्यों एवं साहित्यिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने में उनकी विशेष रूचि थी। श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सूबेदार प्रसाद का 21 सितम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री सूबेदार प्रसाद का जन्म 1 अप्रैल, 1935 को ग्राम रोरवा, जिला सोनभद्र में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सूबेदार प्रसाद वर्ष 1969 व 1974 में जनसंघ के टिकट पर तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र राबर्ट्सगंज (अ0जा0) तत्कालीन जिला मिर्जापुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री सूबेदार प्रसाद दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष रहे थे। वे भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला मिर्जापुर की कार्यकारिणी के सदस्य रहे थे तथा उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अध्यापन का कार्य भी किया था। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमण्डल में राज्य मंत्री तथा जनसंघ विधान मंडल दल के सचेतक भी रहे थे। पिछड़े वर्गों की सेवा, कृषि एवं अध्ययन में उनकी विशेष रूचि थी। श्री सूबेदार प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभी के भूतपूर्व सदस्य श्री स्वयंवर चौधरी का 18 दिसम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 67 वर्ष के थे। श्री स्वयंवर चौधरी का जन्म 01 जनवरी, 1949 को ग्राम सकतपुर, जिला सिद्धार्थनगर में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री स्वयंवर चौधरी वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र इटवा, जिला सिद्धार्थनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री स्वयंवर चौधरी धारा 144 के उल्लंघन करने पर जिला कारागार बस्ती, लखनऊ और गोण्डा में बन्दी रहे थे। वे साधन सहकारी समिति लिमिटेड, मुडिला बक्सी तथा क्षेत्र समिति विकास खण्ड, इटवा के अध्यक्ष रहे थे। वे शिक्षा संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे थे। कृषि और जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री स्वयंवर चौधरी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मनफूल सिंह का 20 दिसम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री मनफूल सिंह का जन्म 25 मई, 1932 को ग्राम टिटौली, जिला मुजफ्फरपुर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मनफूल सिंह वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र जानसठ (अ0जा0), जिला मुजफ्फरनगर से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित

हुए थे। श्री मनफूल सिंह एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे डा0 अम्बेडकर छात्रावास, मुजफ्फरनगर के अधीक्षक रहे थे। शिक्षा के प्रसार तथा अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मनफूल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अब्दुल वहीद का 13 जनवरी, 2017 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री अब्दुल वहीद का जन्म 15 जून, 1938 को हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अब्दुल वहीद वर्ष 1974 में भारतीय क्रान्ति दल तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र सिवहारा, जिला बिजनौर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अब्दुल वहीद एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे बिजनौर की जिला मोमिन कान्फ्रेन्स के ट्रेजरार रहे थे। उद्योग एवं कृषि में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अब्दुल वहीद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शर्मेन्द्र त्यागी का 15 जनवरी, 2017 को निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे। श्री शर्मेन्द्र त्यागी का जन्म 01 जुलाई, 1945 को जिला मुरादाबाद में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शर्मेन्द्र त्यागी वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद पश्चिम, जिला मुरादाबाद से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री शर्मेन्द्र त्यागी राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप उन्नाव, लखनऊ, मुरादाबाद, देहरादून और दिल्ली जेल में बन्दी रहे थे। वे श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रिमण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। अध्ययन और राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। श्री शर्मेन्द्र त्यागी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नेतराम सिंह का 15 जनवरी, 2017 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री नेतराम सिंह का जन्म 01 जनवरी, 1927 को ग्राम ढोलना, जिला कासगंज में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री नेतराम सिंह वर्ष 1969 में जनसंघ, वर्ष 1977 में जनता पार्टी तथा वर्ष 1991 एवं 1996 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र कासगंज, तत्कालीन जिला एटा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री नेतराम सिंह आपातकाल तथा राम जन्मभूमि आन्दोलन में जिला कारागार, एटा तथा मैनपुरी में धारा 133 के अन्तर्गत बन्दी रहे थे। वे ग्राम पंचायत ढोलना के प्रधान, सहकारी संघ तथा क्षेत्र समिति, ढोलना जिला कासगंज के अध्यक्ष एवं क्रय–विक्रय समिति, कासगंज के उपाध्यक्ष रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा बागवानी एवं कृषि उन्हें प्रिय थी। श्री नेतराम सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम प्रसाद जायसवाल का 19 फरवरी, 2017 को निधन हो गया। वे लगभग 55 वर्ष के थे। श्री राम प्रसाद जायसवाल वर्ष 2007 में निर्वाचन क्षेत्र बरहज, जिला देवरिया से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम प्रसाद जायसवाल एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम प्रसाद जायसवाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। इसी आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री मोहन लाल कपूर का 26 फरवरी, 2017 को निधन हो गया।

वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री कपूर का जन्म 05 फरवरी, 1927 को मेरठ में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। वे वर्ष 1967 में व 1969 व 1974 में निर्वाचन क्षेत्र मेरठ, जिला मेरठ से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री कपूर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य, मंत्री नगर व जिला जनसंघ रहे थे। वे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ नगर शाखा, मेरठ के प्रधान, नगर पालिका मेरठ के सदस्य तथा जनसंघ दल के नेता भी रहे थे। वे कई शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे थे। पठन–पाठन एवं पर्यटन में उनकी विशेष रुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री बनवारी सिंह यादव का 08 मार्च, 2017 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे। उनका जन्म 31 जनवरी, 1949 को ग्राम मानपुर, जिला बदायूँ में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। वह निर्वाचन क्षेत्र उसैहत, जिला बदायूँ से वर्ष 1991 में जनता पार्टी तथा वर्ष 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। श्री यादव धारा 144, 151 के अन्तर्गत अनेक बार जिला जेल बदायूँ में बन्दी रहे थे। वे जिला सहकारी बैंक, बदायूँ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ के अध्यक्ष व लोकदल बदायूँ के जिलाध्यक्ष रहे थे। वे माननीय मुलायम सिंह यादव मंत्रिमण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। वे कई शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध रहे थे। कृषि, सहकारिता सम्बन्धी आन्दोलन, अध्ययन एवं बागवानी में उनकी विशेष रुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

इसी आदरणीय सदन की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती किशोरी शुक्ला का 05 अप्रैल, 2017 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष की थीं। उनका जन्म वर्ष 1944 में बस्ती जिले में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट एवं विशारद की शिक्षाा ग्रहण की थी। वह वर्ष 1980 में निर्वाचन सहजनवाँ, जिला गोरखपुर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। वे अपने जिले की महिला सेवा संस्थान तथा पूर्वांचल ग्रामोत्थान सेवा संस्थान की अध्यक्ष रही थीं। वे कांग्रेस सेवा दल की प्रदेशीय स्तर की महिला संगठनकर्ता तथा अखिल भारतीय अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति संघ "पूर्वांचल" के अध्यक्ष पद पर भी रही थीं। कृषि और जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। वे कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थीं। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खोया है।

इसी आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री वेदराम का 09 अप्रैल, 2017 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। उनका जन्म 1933 में रामसिंहपुरा तहसील सोरों, तत्कालीन जिला एटा में हुआ था। वे वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र सहावर, जिला एटा से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनकी जनसेवा एवं राजनीति में विशेष रुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

इसी आदरणीय सदन के पूर्व सदस्य श्री बृजराज त्रिपाठी का 15 मई, 2017 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। उनका जन्म 16 सितम्बर, 1938 को ग्राम खालेपुरवा मौजा–झौनहा, जिला गोण्डा में हुआ था। वे वर्ष 1991 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र बहराइच, जिला बहराइच से प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्हें स्वाध्याय एवं सार्वजनिक हित के कार्य प्रिय

थे। से सामाजिक हित के लिए बहराइच, तिहाड़ तथा गोण्डा आदि कारागारों में विभिन्न धाराओं में बन्दी रहे। वे पं0 दीन दयाल उपाध्याय कृषि विद्यालय के व्यवस्थापक तथा आदर्श संस्कृत आयुर्वेद महाविद्यालय बहराइच के कोषाध्यक्ष, महामंत्री व प्रबन्धक रहे थे तथा श्री बृजराज त्रिपाठी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बहराइच के तहसील एवं जिला संघ चालक भी थे। वे वर्ष 1961 से 63 तक मा0 हाईकोर्ट लखनऊ में अधिवक्ता भी रहे। उनकी सामाजिक कार्य, सहकारिता एवं विधि सम्बन्धी कार्य में विशेष रुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

विधान सभा के इन मा0 पूर्व सदस्यगणों के निधन से यह पूरा आदरणीय सदन शोकग्रस्त है। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के प्रत्येक मा0 सदस्य की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक–संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति दे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक–संवदेनायें उनके शोकाकुल परिवारों तक पहुँचवा दूँगा।

अब हम दिवंगत वरिष्ठ राजनेताओं की आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे। कृपया खड़े हो जायं।

(सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

(सभी सदन अपने–अपने स्थान पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए)

पूर्व विधायकों के निधन की सूचना सदन को ना भेजने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे एक विधायक माननीय छोटे लाल निर्भय आज ढाई महीने लगभग हो रहा है, उनकी मृत्यु हो गयी। पूर्व विधायक थे। मैं यह इंगित कर रहा हूँ कि यह अधिकारियों की लापरवाही है ढाई महीने हो गये अभी तक विधान सभा को सूचित नहीं किया गया और उस माननीय विधायक के बारे में आज संवेदना हो जाती, दुःख व्यक्त कर लेता सदन। लेकिन मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि अधिकारियों की लापरवाही है कि ढाई महीने उस पूर्व विधायक को मरे आजमगढ़ में हुआ। आज तक विधान सभा सचिवालय को सूचना तक नहीं दी गयी है। मैं। उस पर दुःख व्यक्त करता हूँ और मैं तो यह चाहता हूँ कि यह शौक के नाते नहीं बोल रहा हूँ, इन अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

निश्चित रूप से हम उनसे स्पष्टीकरण लेंगे और अगर जान–बूझकर ऐसी गलती हुई है तो हम उन पर कार्यवाही भी करवायेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

वर्ष 2016 में, सीतापुर के मैमू लाल विधायक थे, उनके स्वर्गवास की भी सूचना नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष–

यह जो सूचनायें माननीय सदस्यों ने बाद में यहाँ स्मरण कराई हैं उनके बारे में हम अतिशीघ्र इसकी जाँच करायेंगे और निश्चित रूप से कार्यवाही करवायेंगे।

ख12:18, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19–5–2017 को नियम–301 में कुल 50 सूचनायें प्राप्त हुईं और सभी माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकृत हुईं। पहली सूचना कु0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में हरपालपुर से फर्रूखाबाद के बीच में रामगंगा नदी पर पक्का पुल निर्माण के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर अन्तर्गत ग्राम रामदासपुर में दिनांक 22–03–2017 को एक दिव्यांग व्यक्ति को बस से कुचल दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री ओमकार सिंह यादव की जनपद बदायूँ के कस्बा सहसवान में पूर्व स्वीकृत कन्या डिग्री कालेज को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की जनपद कानपुर नगर में भीषण पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पाँचवी सूचना श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र शकलडिहा के अन्तर्गत ग्राम रमौली में 33/11 सब स्टेशन के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के नजीबाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नाज प्लाईबुड फैक्ट्री आबादी क्षेत्र से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना सुश्री अदिति सिंह की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत जिला अस्पताल में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त किये जाने एवं नई सिटी स्कैन मशीन लगाये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री नरेश सैनी की मथुरा–वृन्दावन नगर निगम से ए–ग्रेड नगर पालिका परिषद को अलग करने तथा उसे विशेष दर्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में तहसील मुख्यालय व दुदही को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद अन्तर्गत ग्राम बिराहीपुर के सामने बेहता नाले पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री विपिन कुमार डेविड की एटा शहर में ट्रामा सेन्टर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री संजय सिंह गंगवार की पीलीभीत में स्थापित ललित हरि चीनी मिल को आबादी से अन्यत्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री राजकुमार अग्रवाल की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला अन्तर्गत पेप्सीकोल प्लान्ट द्वारा नहर से अनुबन्धित पानी लेने एवं आस–पास के बोरिंग फेल हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां अन्तर्गत सीतापुर–बहराइच–लखनऊ मार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा अन्तर्गत गोण्डा–गौरा, चौकी–बभनान मार्ग को फोर लेन सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में हिन्डन नदी से हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में मण्डी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री मो0

मुजतबा सिद्दीकी की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में वरूणा नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में जलाशयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्रीमती सुनीता सिंह की जनपद गाजीपुर में ताड़ीघाट बारा टी0बी0 रोड मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में नवसृजित ब्लाक गभाना के भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेइसवीं सूचना श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह की जनपद आगरा मुख्यालय को आगरा एक्सप्रेस वे से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है। चौबीसवीं सूचना श्री श्याम धनी की जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उस्का बाजार में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगवाये जाने के सम्बन्ध में है। पच्चीसवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह, सेंगर की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत नदियाँ, नहरें, रजबहा, माइनर व ड्रेनों की सफाई के सम्बन्ध में है। छब्बीसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत कुशहरी में ट्रामासेन्टर 100 बेड का अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। सत्ताइसवीं सूचना श्री रमेशचन्द्र दिवाकर जनपद औरैया नेशनल हाइवे के पास ट्रामा सेन्टर की सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। अट्ठाइसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के थाना जगतपुर में दिनांक 6–5–2017 दर्ज अपराध संख्या 0071/2017 में नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है। उन्नतीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत मौजा मकसूदनपुर देवी दास में पूर्व स्वीकृत मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में ग्राम इरनी नहर पर पुलिया एवं कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। इकत्तीसवीं सूचना श्री असलम अली की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना अन्तर्गत आकाशनगर कालोनी के मध्य गन्दे पानी की निकासी एवं पक्का नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में। बत्तीसवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में माइनर की सफाई न होने के सम्बन्ध में। तैंतीसवीं सूचना श्री मुख्तार अंसारी की जनपद मऊ के थाना कोतवाली घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा इन्दपूर में 17–05–2017 को हुई दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 5 लाख की आर्थिक सहायता एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। चौंतीसवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की लखनऊ–रायबरेली राजमार्ग पर बछरावां स्थित पटेल नगर कालोनी के मुख्य द्वार पर कट बनाये जाने के सम्बन्ध में है। पैंतीसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहाँपुर विधान सभा तिलहर के विकास खण्ड निगोही में ग्राम चक बरैचा व धन्यौरा के मध्य गर्रा नदी पर पेन्टून पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। छत्तीसवीं सूचना श्री जटा शंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के गांवों को मनरेगा योजना में विकास योजनाओं को शामिल करने के सम्बन्ध में है। सैंतीसवीं सूचना श्री रवि सोनकर की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में कलवारी/पाऊ में तहसील की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है। अड़तीसवीं सूचना श्री विनोद कटियार की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर अन्तर्गत अमराहट–कैनाल योजना के द्वितीय चरण को चालू कराये जाने के

सम्बन्ध में है। उन्नतालीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के कुछ ग्राम सभायें जिनकी आबादी 10000 से अधिक है में ओवरहेड टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में है। चालीसवीं सूचना श्री संग्राम लाल गुप्ता की जनपद प्रतापगढ़ में आजादी के पूर्व से स्थापित पृथ्वीगंज हवाई अड्डे को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है। इकतालीसवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के ट्रांसगोमती क्षेत्र में पेयजल की सुचारू उपलब्धता के लिए वाटर वर्क्स की स्थापना के सम्बन्ध में है। बयालीसवीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की बुन्देलखण्ड में शीत गृह व वेयर हाउस बनाये जाने के सम्बन्ध में है। तैतालीसवीं सूचना डा0 आर0के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा विश्वनाथगंज के अन्तर्गत इलाहाबाद फैजाबाद हाइवे से विश्वनाथगंज से मान्धाता होकर जेठवारा तक मार्ग को चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में है। चवालीसवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की विद्युत सेवा आयोग द्वारा तकनीशियन–11 (विद्युत) के विज्ञाप्ति पदों पर नियुक्ति कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पैंतालीसवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधानों का एल्डिको के प्रोजेक्ट सौभाग्यम, वृन्दावन योजना, लखनऊ द्वारा उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छियालीसवीं सूचना श्री सुशील सिंह की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चहनिया के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सैंतालीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर नगर के बीचों–बीच स्थित दिल्ली–यमुनोत्री राज्य राजमार्ग में व्याप्त जाम की समस्या के निराकरण हेतु फोर लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में है। अड़तालीसवीं सूचना डा0 अरूण कुमार की बरेली महानगर स्थित सिटी शमशान भूमि के पास लगने वाले जाम की समस्या के निराकरण हेतु रेलवे फाटक के ऊपर उपरिगामी हेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। उन्चासवीं सूचना श्री रमा शंकर सिंह पटेल जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मिडिहाल अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़क जमुई वाया अहरौरा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पचासवीं सूचना श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया की जनपद गाजीपुर के दिलदार नगर में पशुओं के मेले को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत संलग्न सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में हरपालपुर से फर्रूखाबाद के बीच में रामगंगा नदी पर पक्का पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुँ0 माघवेन्द्र प्रताप सिंह–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर जनपद हरदोई में रामगंगा नदी पर अर्जुनपुर में एक पुल बनाये जाने की मांग 70 वर्षों से चली आ रही है। पूर्व में तत्कालीन मा0 अध्यक्ष जी राजनाथ सिंह जी के द्वारा घोषणा की गयी थी व पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा भी घोषणा की गयी थी। 20 वर्षों से पेन्टून पुल बना है जिस पर प्रत्येक वर्ष कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। हरदोई से हरपालपुर होते हुए फर्रूखाबाद तक सीधा मार्ग है। जनहित में यहाँ पर पुल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पक्का पुल बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।,

---

नोट :–ख्यह अंश पढ़ा हुआ माना गया,

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर अन्तर्गत ग्राम रामदासपुर में दिनांक 22–03–2017 को एक दिव्यांग व्यक्ति को बस से कुचल दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। विगत 2 माह में हमारे विधान सभा क्षेत्र में कई अप्रिय घटना घटी। दिनांक 22–03–2017 को एक दिव्यांग व्यक्ति को बस से कुचल दिया जाता है। तत्काल मौके पर ग्राम सभा के लोग चक्का जाम करते हैं, मौके पर पहुँचे बस मालिक वीडियो रिकार्डिंग कराकर झूठा आश्वासन देकर जाम खुलवाने का कार्य करते हैं। तुरन्त उसी रिकार्डिंग को लेकर थाना–सादात पहुँच कर लगभग 100 नवजवानों के ऊपर ग्रामसभा रामदासपुर, हुसैनपुर के ऊपर मुकदमा कराने का कार्य किया जाता है। वापस दिनांक 23–03–2017 को रात्रि 1.30 बजे 6 थानों की फोर्स सैदपुर कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में और बस मालिक तथा क्षेत्रीय बी0जे0पी0 के वरिष्ठ नेता का भतीजा अपने समर्थकों के साथ आकर पूरे गांव में ताण्डव करते हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तथा मौके पर मिले नौजवानों को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। बाद में वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जी का नारा लगाते हुए वहाँ से निकलने का कार्य करते हैं तथा जब हम लोग वहाँ मौके पर मुआयना करने पहुँचते हैं तो उस समय क्षेत्राधिकारी, सैदपुर हमारे साथ जाने का कार्य करते हैं तथा जांच कराने की सहमति देते हैं पर दुर्भाग्य होता है कि कुछ ही दिन बाद अराजक तत्वों पर न तो कोई कार्यवाही होती है बल्कि साफ–सुथरे छवि वाले ईमानदार क्षेत्राधिकारी का भाजपा नेता के दबाव में स्थानान्तरण करा दिया जाता है।

अतः आपके माध्यम से वर्तमान सरकार से मांग करता हूँ कि उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारी व अराजकतत्वों पर जांच कराकर उचित कानूनी कार्यवाही कराने की कृपा करें।,

जनपद बदायूँ के कस्बा सहसवान में पूर्व स्वीकृत कन्या डिग्री कालेज को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकार सिंह यादव–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद बदायूँ के कस्बा सहसवान में पूर्व में स्वीकृत कन्या डिग्री कालेज का निर्माण अभी रूका हुआ है। यह तहसील सहसवान का एक मात्र डिग्री कालेज है जिसके निर्माण से पूरे क्षेत्र की जनता को शिक्षा की दृष्टि से फायदा होगा। इस लिए इस कालेज का बनना जनहित में नितांत आवश्यक है। यह अति लोक महत्व का विषय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त डिग्री कालेज का निर्माण कार्य शुरू कराये जाने की माँग करता हूँ।,

जनपद कानपुर नगर में भीषण पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निमय 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा में कानपुर नगर में पेयजल का भीषण संकट है जिससे नगर वासियों को पानी का संकट बना हुआ है। आये दिन पानी के संकट के कारण गरीब मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का संकट दूर हो जाने से कानपुर नगरवासियों को हो रही समस्याओं से निजात मिल सके और उनका आक्रोश भी कम हो जाये।

नोट :– ख्यह अंश पढ़ा हुआ माना गया,

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की माँग करता हूँ।,

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत रमौली में 33/11 सब–स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा चन्दौली के अन्तर्गत ग्राम रमौली में 33/11 सब–स्टेशन पूर्व सरकार के द्वारा स्वीकृत हुआ था जिसका कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था परन्तु वर्तमान समय में कार्य पूरी तरह से बन्द कर दिया गया है। जिससे जनमानस में बड़ा आक्रोश है। जनहित में इसका पुनः निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिससे जनमानस को हो रही समस्याओं से निजात मिल सके और उनका आक्रोश भी कम हो जाये।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।,

जनपद बिजनौर के नजीबाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नाज प्लाईवुड फैक्ट्री आबादी क्षेत्र से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद–

ख्मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि नाज प्लाइवुड फैक्ट्री आबादी में है जिसके कारण बराबर ये आबादी वाले कस्बा जलालाबाद के निवासियों को एवं राहुखेडी ग्राम के ग्रामवासियों को पोलीशन के कारण जीना दूभर है एवं भविष्य में जनहानि की सम्भावना बनी हुई है।

ऐसी दशा में उपरोक्त फैक्ट्री का आबादी क्षेत्र में लगे रहना जन मानस के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है क्या सरकार जल्द से जल्द नाज प्लाईवुड फैक्ट्री को हटाने का निर्देश करेगी। तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं। ,

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत जिला अस्पताल में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त किये जाने एवं नई सिटी स्कैन मशीन लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री अदिति सिंह–

[मान्यवर, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र, सदर जनपद रायबरेली स्थित जिला अस्पताल में स्वीकृत 22 पदों में से वर्तमान में 17 पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों पर चिकित्सकीय स्टाफ एवं चिकित्साधिकारी तैनात न होने के कारण यहाँ की जनता को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ–साथ जिला हास्पिटल में सिटी स्कैन मशीन बहुत पुरानी एवं बदतर हालत में है। प्रत्येक साल उसके रिपेयर में लाखों रुपये खर्च कर दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त मशीन के स्थान पर दूसरी सिटी स्कैन मशीन लगाया जाना जनहित में अति–आवश्यक है। प्रकरण तात्कालिक, जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त जिला अस्पताल, रायबरेली में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर कर्मचारी नियुक्त किये जाने तथा पुरानी खराब सिटी स्कैन मशीन के स्थान पर नयी सीटी स्कैन मशीन लगाये जाने की कार्यवाही की माँग करती हूँ।,

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया,

मथुरा–वृन्दावन नगर निगम से वृन्दावन ए–ग्रेड नगर पालिका परिषद को अलग करने तथा उसे विशेष दर्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में नयम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी–

ख्मान्यवर, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि भगवान श्री कृष्ण जी की क्रीडास्थली वृन्दावन ए–ग्रेड नगर पालिका परिषद को प्रदेश सरकार ने मथुरा नगर पालिका परिषद में सम्मिलित कर नगर निगम बनाये जाने का प्रस्ताव पारित किया है। इससे वृन्दावन के संत समाज, समाजसेवियों, श्रद्धालुओं, व्यापारियों, पुरोहितों तथा युवाओं में सरकार के प्रति व्यापक आक्रोश है। वृन्दावन दुनिया भर में मन्दिरों का शहर, संतों का शहर तथा धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक कहलाता है। हाल ही में वृन्दावन को पूर्ववर्ती सरकार ने सी–ग्रेड नगर पालिका से ए–ग्रेड नगर पलिका परिषद में उच्चीकृत किया था जबकि मथुरा शहर के समीपवर्ती 51 गांवों को सम्मिलित करते हुए मथुरा को नगर निगम बनाये जाने का प्रस्ताव करते हुए उसमें वृन्दावन नगर पालिका को समावेशित करने का प्रस्ताव किया गया था। तत्समय वृन्दावन के संत समाज, प्रबुद्ध वर्ग, नागरिकों, श्रद्धालुओं, व्यापारियों, युवाओं तथा छात्रों के विरोध को देखते हुए उसे वापस ले लिया था, इन लोगों ने इसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि मथुरा नगर निगम में वृन्दावन को सम्मिलित कर उसे केवल 5 से 8 वार्डों तक में ही सीमित कर देने से वृन्दावन की प्राचीनता के साथ ही साथ इसके अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो जायेगा। किन्तु मथुरा के एक सत्तासीन मंत्री की हठधर्मिता के कारण वृन्दावन ए–ग्रेड नगर पालिका परिषद् को मथुरा नगर निगम में सम्मिलित कर नगर निगम बनाकर बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है, जबकि ईश्वर में आस्था रखने वाली वर्तमान प्रदेश सरकार भी धार्मिक स्थलों, प्राचीनता व उनका अस्तित्व बनाये रखने में विश्वास करती है। इसलिए जनहित व आस्थाहित में मन्दिरों का शहर व ए–ग्रेड नगर पालिका परिषद्, वृन्दावन का अस्तित्व अलग से रहे इसके लिए उसे विशेष

दर्जा प्रदान करते हुए मथुरा–वृन्दावन नगर निगम से अलग किया जाना अति–आवश्यक है। प्रकरण तात्कालिक, जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मथुरा–वृन्दावन नगर निगम से वृन्दावन ए–ग्रेड नगर पालिका परिषद् को अलग किये जाने तथा उसे विशेष दर्जा प्रदान करने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।,

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में तहसील मुख्यालय व दुदही को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू–

ख्मान्यवर, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान का आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर के तहसील मुख्यालय तमकुहीराज एवं दुदही काफी आबादी वाला क्षेत्र हो गया है, किन्तु यहाँ अब भी ग्राम पंचायत स्तर की ही सुविधा मिलने के कारण यहाँ के आबादी क्षेत्र के निवासियों को शहरी क्षेत्र जैसी सुविधायें जैसे कि सड़क, बिजली, पेयजल, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट आदि नहीं मिल पा रही हैं। इससे यहाँ के निवासियों का विकास बाधित है। पचासों वर्षों पुरानी यह बाजारें विकसित नहीं हो पा रही हैं। इन दोनों स्थलों तमकुहीराज एवं दुदही के आबादी क्षेत्र तथा इनके पास के गांवों की आबादी नगर पंचायत के मानक की आबादी से ज्यादा की है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में तमकुहीराज एवं दुदही को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना अति आवश्यक है।

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया,

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र, तमकुहीराज में तहसील मुख्यालय तमकुहीराज व दुदही को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।,

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद अन्तर्गत बिराहिमपुर के सामने बेहता नाले पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जयदेवी–

ख्मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र 168 मलिहाबाद, जिला लखनऊ की तहसील व ब्लाक मलिहाबाद के गांव बिराहिमपुर के सामने बेहता नाला है जिसके कारण उक्त गांव व आसपास के गांव के लोगों को आने–जाने में बहुत ही असुविधा होती है, जिसके निराकरण हेतु गांव बिराहिमपुर के सामने बेहता नाले पर पुल बनाकर लखनऊ–हरदोई रोड तक लिंक मार्ग बनाना जनहित में बहुत जरूरी है। यह विषय अति लोक महत्व का है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त सूचना को ग्रहण करके इस अति लोक महत्व के विषय को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने की कृपा करें।,

एटा शहर में ट्रामा सेन्टर की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपिन कुमार डेबिड–

ख्मान्यवर, एटा जिला पिछड़ा जिला है इसके साथ ही दिल्ली–कानुपर नेशनल हाइवे, आगरा–बरेली हाइवे है इन दो हाइवे के लगभग बीच में एटा पड़ता है। यहाँ पर दुर्घटनायें अधिक होती रहती हैं। साथ ही पिछड़ा एवं आपराधिक क्षेत्र होने की वजह से प्राइवेट डाक्टर एवं प्राइवेट नर्सिंग होम भी न के बराबर हैं। इस स्थिति में आकस्मिक घटना घट जाने पर इलाज के अभाव में घायलों की मृत्यु हो जाती है। जनहित में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण एटा शहर में एक ट्रामा सेन्टर खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए एटा शहर में एक ट्रामा सेन्टर खोले जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।,

पीलीभीत में स्थापित ललित हरि चीनी मिल को आबादी से अन्यत्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय सिंह गंगवार–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर क्षेत्र पीलीभीत में ललित हरि चीनी मिल (निजी चीनी मिल) की स्थापना ब्रिटिश शासन काल में हुई थी। जिस समय इस मिल की स्थापना हुई थी उस समय उसके आस–पास आबादी नहीं थी जिसके कारण कोई समस्या नहीं थी। वर्तमान समय में आबादी बढ़ जाने के कारण अब यह चीनी मिल नगर के बीच में हो गयी है जिसके कारण आये दिन मिल में गन्ना लाने वाले वाहनों से दुर्घटनायें होती रहती हैं अब तक दर्जनों दुर्घटनायें हो चुकी हैं। यही नहीं आबादी के बीच में मिल के हो जाने के कारण आबादी में राख की बरसात होती है जिससे आम जनता का जीना दूभर हो गया है। जनहित में इस चीनी मिल को नगर से बाहर स्थापित किया जाए। इस सम्बन्ध में जनता द्वारा कई बार आन्दोलन भी किया जा चुका है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ललित हरि चीनी मिल को पीलीभीत नगर के बाहर स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।,

नोट :– ख्यह अंश पढ़ा हुआ माना गया,

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला अन्तर्गत पेप्सीकोल प्लांट द्वारा नहर से अनुबन्धित पानी लेने एवं आस–पास के बोरिंग फेल हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकुमार अग्रवाल–

[मान्यवर, जनपद हरदोई के सण्डीला विधान सभा क्षेत्र में पेप्सीकोल का एक बड़ा प्लान्ट सण्डीला औद्योगिक क्षेत्र में लगाया गया है। इस प्लान्ट से 40 लीटर पानी निकाल कर 01 लीटर पेटनी बनती है, जबकि इतना अधिक जल दोहन न हो, इसके लिये नहर से पानी लेने का अनुबन्ध है। इतनी अधिक मात्रा में जल दोहन से आने वाले समय में आस–पास के किसानों के लिए पानी का संकट उत्पन्न हो जायेगा। किसानों की बोरिंग फेल हो जायेगी। इस प्लान्ट में क्षेत्र का कोई भी क्षेत्रीय व्यक्ति कार्य पर नहीं लगाये जा रहे हैं, बल्कि सभी कर्मचारी क्षेत्र से बाहर के लगाये गये हैं।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।,

जनपद सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी–

[मान्यवर, जनपद सहारनपुर के डिग्री कालेज जो मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है, जिसकी दूरी भी लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा पड़ती है जिस कारण से छात्र–छात्राओं को वहाँ आने–जाने व समस्याओं के समाधान के लिए अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सहारनपुर से मेरठ रेल यातायात भी बहुत अधिक सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इस रूट पर नाममात्र की ही ट्रेनें संचालित होती हैं बस से यातायात व्यय बहुत अधिक महंगा पड़ता है। मेरठ विश्वविद्यालय पर अधिक भार होने के कारण यह समस्या बनी हुई है। जनपद सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।,

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां अन्तर्गत सीतापुर–बहराइच–लखनऊ मार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

[मान्यवर, विधान सभा विसवाँ जनपद सीतापुर में सीतापुर–बहराइच मार्ग एवं बिसवाँ लखनऊ मार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज न होने के कारण क्षेत्र के किसान, नौजवान एवं छात्र–छात्राओं को आने–जाने में काफी संकट का सामना करना पड़ता है। समय का दुरूपयोग होता है एवं आये दिन दुर्घटनायें होती हैं। उपरोक्त दोनों मार्गों पर ओवरब्रिज बन जाने से जहाँ दुर्घटनाओं में कमी आयेगी वहीं किसानों, नौजवानों एवं छात्र–छात्राओं की समय की भी बचत होगी।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सीतापुर–बहराइच मार्ग एवं बिसवां लखनऊ मार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने हेतु कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।,

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया,

गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा अन्तर्गत गोण्डा–गौरा चौकी–बभनान मार्ग को फोर लेन सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गौरा के गोण्डा–गौरा चौकी–बभनान मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग पर वाहनों का दबाव अत्यधिक रहता है। सिंगल मार्ग होने के कारण आये दिन दुर्घटना एवं जाम की समस्या रहती है। इसलिए जनहित एवं

दुपहिया, कार व भारी वाहनों के आवागमन के दबाव को देखते हुये गोण्डा–गौरा चौकी–बभनान मार्ग को फोरलेन बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गोण्डा–गौरा चौकी–बभनान मार्ग को फोरलेन बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।,

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में हिन्डन नदी से हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम–

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन से हिन्डन नदी गुजरती है इस नदी में प्रदूषित जल बहता है जिसके कारण क्षेत्र में कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियां फैल रही हैं और हैण्ड पम्पों में प्रदूषित जल निकल रहा है जिसके निदान के लिए इस क्षेत्र में ओवर हेण्ड टैंक बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।,

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में मण्डी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रो0 श्याम बिहारी लाल–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा फरीदपुर जनपद बरेली में विगत वर्षों में मण्डी समिति स्थल बनाने के लिये भूमि का चयन करना प्रारम्भ हुआ था लेकिन बाद में इस कार्य को रोक दिया गया। क्षेत्र के किसानों को इससे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में फरीदपुर बरेली में मण्डी समिति स्थल का चयन कर निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फरीदपुर जनपद बरेली में स्थल चयन करके मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।,

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में वरूणा नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा 257 प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद क्षेत्र में वरूणा नदी के अधिक जलभराव होने के कारण अगल–बगल के आबादी वाले गांव तथा हजारों एकड़ खेती प्रभावित होती है। जिससे नदी की सफाई की बहुत आवश्यकता है। विशेषकर गांव नेदुला गांव से सटे गांव जो लगभग

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया,

10 किमी0 तक की सफाई बहुत ही आवश्यक है। इस समस्या के तरफ गांववासियों ने शासन–प्रशासन को अवगत कराया मगर अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्र की जनता काफी आक्रोशित है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित कराने एवं त्वरित कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।,

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में जलाशयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू–

ख्मान्यवर, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि जनपद बलरामपुर के वि0स0 क्षेत्र तुलसीपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र असिन्चित है एवं सुहेलवा वन्य जीव जंगल का क्षेत्र है जो पूरा क्षेत्र जंगल से सटा हुआ है। आजादी के बाद से प्रदेश सरकार ने यह प्रयास किया कि सम्पूर्ण क्षेत्र को सिंचित करने के लिये एवं जंगल को बचाने के लिए जलाशयों (बांधों) का निर्माण कराया जाए जिससे उस क्षेत्र की भूमि की सिंचाई एवं वन्य जीव पशु पक्षियों को पूरे वर्ष भर जल का लाभ मिल सके।

अतः सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद बलरामपुर के वि0स0 क्षेत्र तुलसीपुर जलाशयों (बांधों) का निर्माण किये जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।,

जनपद गाजीपुर में ताड़ीघाट बारा टी0बी0 रोड मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सुनीता सिंह–

ख्मान्यवर, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करते हुए जनपद गाजीपुर में ताड़ीघाट बारा मार्ग का निर्माण जिसकी लम्बाई 38. 7 किमी0 है। इस प्रदेश को बिहार राज्य से जोड़ता है इस मार्ग पर पिछले 5 वर्षों से आवागमन अवरूद्ध होने के कारण जनता में बहुत ही ज्यादा रोष व्याप्त है इस दूरी को तय करने में 3 घण्टे से अधिक समय लगता है।

अतः सम्पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद गाजीपुर ताड़ीघाट बारा मार्ग की हालत को ठीक कराने की समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु सदन से वक्तव्य की मांग करती हूँ।,

जनपद अलीगढ़ में नवसृजित ब्लाक गभाना के भवन निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ में तहसील मुख्यालय गभाना को नवसृजित ब्लाक गठित किया गया है। उक्त ब्लाक हेतु भवन न होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई आ रही है नव सृजित ब्लाक गभाना को अपने प्रशासनिक ब्लाक भवन की अति आवश्यकता है नया भवन शीघ्र बनवाये जाना जनहित में उपयोगी होगा। अतः मैं नवसृजित ब्लाक गभाना के लिये भवन निर्माण की माँग करता हूँ।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।,

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया,

जनपद आगरा मुख्यालय को आगरा एक्सप्रेस–वे से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

रानी पक्षालिका सिंह–

[मान्यवर, बाह विधान सभा क्षेत्र 94, जनपद आगरा मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर है। चम्बल नदी एवं यमुना नदी के बीच स्थित है, क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ पर कोई कारखाना आदि नहीं है। क्षेत्र के एक तरफ राजस्थान की सीमा तथा दूसरी ओर मध्य प्रदेश की सीमा स्थित है। आवागमन का सीधा साधन न होने के कारण भारी वाहनों को काफी दूर से घूमकर आना पड़ता है जिससे समय एवं धन की बर्बादी होती है। सरकार की योजना झांसी को जालौन होते हुए आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे से जोड़कर झांसी को दिल्ली से सम्बद्ध करने की है, यह योजना प्रक्रिया में है। अगर उक्त मार्ग जालौन से चकरनगर, उदीमोड़, जैतपुर, बाह, बटेश्वर होते हुए आगरा एक्सप्रेस वे से लिंक कर दिया जाए तो क्षेत्र के लोगों को रोजगार व आने–जाने में सुविधा होगी, जिससे क्षेत्र का विकास सम्भव होगा।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के उपरोक्त विषय परसदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से तत्काल कार्यवाही करने की माँग करती हूँ।,

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उस्का बाजार मे सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम धनी–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद सिद्धार्थनगर, विकास खण्ड उस्का बाजार के ग्राम महदेवा खुर्द पोस्ट चौरी महुलानी में राधेश्याम मिश्र पुत्र स्व0 वंशमणि मिश्र, राकेश मिश्र पुत्र राधेश्याम मिश्र, नवरातन यादव पुत्र फागु यादव, ओसारे यादव पुत्र सुचित यादव, राधेश्याम पाण्डेय, दिनानाथ तिवारी, रामनाथ तिवारी, विश्वम्भर शुक्ल, परमात्मा तिवारी जिनकी खतौनी संख्या 193, 194, 195, 188, 190, 196, 197 आदि की लगभग 600 एकड़ कृषि योग्य भूमि स्थित है, सिंचाई हेतु मुख्य नगर की उप शाखा कृषि भूमि के पास से गुजरती है परन्तु उप शाखा होने के कारण एवं कृषि भूमि की ऊँचाई नहर से अधिक होने के कारण प्रायः सिंचाई के अभाव में फसलें सूख जाती हैं जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति पहुँचती है किसान बेहद ही मजबूर एवं बेबस है, उक्त ग्राम सभा की कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगवाया जाना जनहित में अतिआवश्यक है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूँ।,

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बाँगरमऊ के अन्तर्गत नदियां, नहरें, रजबहा, माइनर व ड्रेनों के सफाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

ख्मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र सं0 162, बाँगरमऊ में कई वर्षों से निम्न नदियाँ, नहरें, रजबहा, माइनर व ड्रेनों की सफाई नहीं हुई है। इन

सभी जगह पानी नहीं है। कृपया सम्बन्धित के इन सभी स्थानों की सफाई हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

1—सई नदी, रोशनाबाद से लेकर गौरिमाकला तक।

2—कल्याणी नदी, लोनारी कुशराजपुर से एफ—84 ब्लाक के अन्त तक।

नोट :— [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया,

3—नहर सुल्तानपुर कोट से काँटा गुलजार (पतेलीखड़ा का पुल तक)

4—कलवारी ड्रेन सुल्तानपुर कोट से सई नदी तक। (अति आवश्यक)

5—कबीरपुर रजबहा हेड से टेल तक।

6—महोलिया रजबहा हेड से टेल तक।

7—तमोरिया रजबहा हेड से टेल तक।

8—इस्लामाबाद माइनर हेड से टेल तक।

9—ब्योली माइनर हेड से टेल तक।

10—रसूलपुर माइनर हेड से टेल तक।

11—असायस माइनर हेड से टेल तक।

12—सुल्तानपुर माइनर हेड से टेल तक।

13—रूरी माइनर हेड से टेल तक।

14—सुरसेनी माइनर हेड से टेल तक।

15—गंज मुरादाबाद माइनर हेड से टेल तक।

16—संचानकोट माइनर हेड से टेल तक।

17—अतर्धनी माइनर हेड से टेल तक।,

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत कुशहरी में ट्रामा सेन्टर/100 बेड का अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव—

ख्मान्यवर, जनपद फैजाबाद अन्तर्गत मुख्यालय से 70 कि0मी0 दूर संचालित सी0एच0सी0 मवई हाइवे से 5 किमी0 अन्दर मवई गांव पंचायत में स्थित है। मवई विकास खण्ड जनपद का सबसे पिछड़ा हुआ विकास खण्ड है। एन0एच0 28 पर रामसनेही घाट से लेकर रौनाही के बीच में आये दिन बड़ी—बड़ी सड़क दुर्घटनायें होती हैं। हर माह इन दुर्घटनाओं में दर्जनों लोगों की मौतें होती हैं। हाइवे के किनारे ट्रामा सेन्टर न होने के कारण इन दुर्घटनाओं में घायल लोगों को स्थानीय अस्पतालों से लखनऊ रिफर किया जाता है। ऐसे गम्भीर घायल लोग इलाज के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। कई बार ऐसी दुर्घटनाओं के होने पर हाइवे जाम हो जाता है, जनता सड़कों पर आ जाती है। क्षेत्रवासियों द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कुशहरी में

ट्रामा सेन्टर की स्थापना की मांग को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन देकर, धरना प्रदर्शन कर अवगत कराया गया है। कुशहरी गांव पंचायत में भूमि की उपलब्ध हाइवे के किनारे हैं। उक्त भूमि को जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा ट्रामा सेन्टर के लिए प्रस्तावित कर शासन को प्रस्तुत किया गया है परन्तु अभी तक ट्रामा सेन्टर की स्वीकृति शासन द्वारा नहीं की गयी है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कुशहरी में ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।,

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया,

जनपद औरैया नेशनल हाई–वे के पास ट्रामा सेन्टर की सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र दिवाकर–

[मान्यवर, औरैया जनपद में नेशनल हाई–वे के पास कोई भी आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण हाई–वे पर होने वाली दुर्घटनाओं में आकस्मिक चिकित्सा के अभाव के कारण अक्सर घायलों की मृत्यु हो जाती है और जिला यमुना और संगर नदी व छोटी नदियों के बीच बसा है जिससे यहाँ की ज्यादा जनसंख्या मध्यम व गरीब परिवारों की है। साधनों के अभाव में आकस्मिक चिकित्सा सुविधा न होने के कारण मरीज को दूरस्थ जनपद के अस्पतालों में रिफर कर दिया जाता है जिससे तत्काल इलाज के अभाव में अक्सर मरीजों की मृत्यु हो जाती है। जनहित में औरैया में आकस्मिक चिकित्सा हेतु 100 बेड का आकस्मिक चिकित्सालय (ट्रामा सेन्टर)/मेडिकल कालेज की स्थापना किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आकस्मिक चिकित्सा हेतु 100 बेड का ट्रामा सेन्टर/मेडिकल कालेज खोले जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।,

जनपद रायबरेली के थाना जगतपुर में दिनांक 06–05–2017 दर्ज अपराध संख्या 0071/2017 में नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

[मान्यवर, अवगत कराना है कि दिनांक 05–05–2017 को थाना जगतपुर जनपद रायबरेली की ग्राम सभा उमरी में श्रीमती सरोज को उनके पति राकेश सिंह चौहान उर्फ धमेन्द्र सिंह पुत्र भगवती सिंह व सास उर्मिला व नन्द ज्योति के द्वारा 05 मई, 2017 को रात्रि लगभग 9:30 बजे पकड़कर मिट्टी का तेल डाल दिया गया। मिट्टी का तेल डालते समय माचिस गीली होने के कारण जल नहीं पायी। प्रार्थिनी सरोज ने 100 नम्बर से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आने के बाद पीड़ित के मिट्टी के तेल से गीले कपड़े उतरवाकर जब्त करते हुये राकेश सिंह व नीरज सिंह को सुपुर्द कर दिया, जिसका मुकदमा काफी जद्दो जहद के बाद अपराध संख्या–0071/2017, दिनांक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

06–05–2017 थाना जगतपुर रायबरेली में दर्ज हुआ। स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपित पति राकेश सिंह को 15 घन्टे थाने में बैठाने के बाद भी लेन–देन कर छोड़ दिया गया। पुलिस द्वारा सुलह का दबाव बनाया जा रहा है व पीड़ित की मदद करने वाले भाई धर्मेन्द्र सिंह व अन्य बचाव करने वाले परिजनों पर झूठा मुकदमा लिखवाये जाने की साजिश की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी न करने पुलिस उनको बचाने का प्रयास कर रही है।

अतः कृपया नामजद अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करते हुये पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की जाए।,

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत मौजा मकसूदनपुर देवीदास में पूर्व स्वीकृत मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत मौजा मकसूदनपुर देवीदास में पूर्व में स्वीकृत मेडिकल कालेज को बनवाने के सम्बन्ध में है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराये जाने की मांग करता हूँ।,

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में ग्राम इरनी नहर पर पुलिया एवं कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन–

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र 351 लालगंज में ब्लाक ठेकमा में ग्राम इरनी नहर पर पुलिया का निर्माण और ब्लाक पहल्हना में ग्राम लहुआखुर्द (भीटी) परदेशी राजभर के घर के सामने नहर पर पुलिया, सोमनाथ राजभर के घर से लहुआखुर्द सड़क तक 500 मीटर नाली का निर्माण करना जनहित में कराना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षण की मांग करता हूँ।,

जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना अन्तर्गत आकाशनगर कालोनी के मध्य गन्दे पानी की निकासी एवं पक्का नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री असलम अली–

[मान्यवर, कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि जिला हापुड़ के डासना देहात के अन्तर्गत ग्राम इन्दगढ़ी ग्राम एवं आकाश नगर कालोनी के मध्य घनी आबादी के बीच खुले में गन्दा पानी रुके रहने के कारण आस–पास रहने वाले लोगों में महामारी फैली हुई है। उक्त स्थान पर गन्दे पानी के निकासी हेतु पक्का नाले का निर्माण करने हेतु

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इससे क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतएव अति गम्भीर महत्वपूर्ण अविलम्बनीय और तात्कालिक विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूँ।,

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में माइनर की सफाई न होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर–

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में शहजना राजबहा से ग्राम पुरवन्दपुर सीकरौर सहबरी होते हुए नरईपुर तक माइनर बहुत पहले से बना है। यह माइनर किसानों के सिंचाई हेतु बहुत लाभकारी एवं उपयोगी है। दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि उपरोक्त माइनर की सफाई नहीं हो रही है। जिससे टेल तक पानी नहीं जा रहा है। जिससे कई एकड़ जमीन सिंचाई के अभाव में परती पड़ी रहती है। किसान काफी परेशान है तथा आक्रोशित है, क्षेत्रीय जनता आन्दोलित है किसी भी क्षण अप्रिय घटना घट सकती है।

कृपया इस अविलम्बनीय लोक हित के महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।,

जनपद मऊ के थाना कोतवली घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा इन्दपुर में 17–05–2017 को हुई दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 5 लाख की आर्थिक सहायता एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुख्तार अंसारी–

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जिला मऊ के थाना कोतवाली घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा इन्दपुर में दिनांक 17–05–2017 को समय लगभग सायं 5 बजे श्री वाहिद पुत्र श्री वैस, निवासी ग्राम हमीदपुर अपनी मोटर साइकिल से जा रहा था। उक्त ग्राम इन्दपुर की निवासिनी श्रीमती कन्धेरिया पत्नी श्री दुईज एकाएक मोटर साइकिल के सामने आ जाने से दुर्घटना हो गयी। जिससे उक्त महिला की मृत्यु हो गयी और मोटर साइकिल चालक भी गम्भीर रूप से घायल हो गया, जो कि जिला अस्पताल मऊ में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है।

उक्त सड़क दुर्घटना घटित होने के बाद कुछ साम्प्रदायिक एवं शरारती अराजक तत्वों द्वारा राहगीरों को मारा–पीटा जाने लगा तथा पथराव किया जाने लगा। जिससे क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव व्याप्त हो गया। क्षेत्रीय जनता द्वारा मृतका श्रीमती कन्धेरिया के परिवार को तथा गम्भीर रूप से घायल श्री वाहिद को पांच–पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने एवं शरारती अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मांग की जा रही है, परन्तु अभी तक शासन स्तर से पीड़ित परिवार को कोई भी सहायता नहीं मिल सकी है। सरकार की इस उदासीनता से जनमानस में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार द्वारा परिवार को आर्थिक सहायता दिलाये जाने एवं शरारती अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।,

लखनऊ–रायबरेली राजमार्ग पर बछरावां स्थित पटेल नगर कालोनी के मुख्य द्वार पर कट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश रावत–

[मान्यवर, अवगत कराना है कि लखनऊ–रायबरेली राज मार्ग पर पी0जी0आई0 से लेकर रायबरेली तक के मार्ग पर बने हुए डिवाइडर पर कट न होने के कारण आमजनों को गलत दिशा में यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। जिस–जिस पर कट बनाये गये हैं वह इतनी दूरी पर है कि लोगों को मजबूर होकर गलत दिशा में जाने को मजबूर होना पड़ता जिस कारण आये दिन मार्ग दुर्घटनायें होती रहती हैं।

बछरावां स्थित पटेल नगर कालोनी के मुख्यद्वार के सामने कट न होने के कारण कालोनी वासियों को अत्यधिक ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। कालोनीवासी इस परेशानी के कारण उल्टी दिशा में जाने को मजबूर हो जाते हैं जिस कारण दुर्घटना के शिकार होते हैं। कभी–कभी तो इस दुर्घटना में लोग मौत के भी गाल में समा गये हैं।

अतः लोक महत्व एवं जनहित के इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पटेल नगर कालोनी के मुख्य द्वार पर कट बनाये जाने की मांग करता हूँ ताकि आमजनों को गलत दिशा में न जाना पड़े।,

जनपद शाहजहाँपुर विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में ग्राम चक बरैचा व धन्यौरा के मध्य गर्रा नदी पर पेन्टून पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा–

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहाँपुर विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में ग्राम चक बरैचा व धन्यौरा के मध्य गर्रा नदी पर पेन्टून पुल न होने से कृषकों को बरसात में अपनी खेती करने व फसल लाने व ले जाने में 1 कि0मी0 की दूरी की वजह से 10 कि0मी0 की अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। मेरे द्वारा व क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को पेन्टून पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी लेकिन पिछली सरकार की उदासीनता के कारण यहाँ कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।,

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के गांवों को मनरेगा योजना में विकास योजनाओं को शामिल कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटाशंकर त्रिपाठी–

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[मान्यवर, जटाशंकर त्रिपाठी की ओर से आप सादर चरण स्पर्श स्वीकार करें। हम सम्मानित सदन के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि खड्डा विधान सभा क्षेत्र जो बेहद पिछड़ा क्षेत्र है जो एक तरफ नेपाल के बार्डर तो दूसरी तरफ बिहार की सीमा को छूता है, गण्डक नदी का प्रकोप हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका के रूप में इस क्षेत्र की जनता पर टूटता है। विकास के नाम पर जो भी सुविधायें यहाँ हैं वह नाकाफी हैं, गरीबी चरम पर है जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के साथ ही विकास के अन्य संसाधन भी गरीबी की पहुँच से काफी दूर हैं। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों में कभी जान जोखिम में डालकर जनता के बीच पहुँचने की भी जहमत उठाने से अफसर शाह बचते रहते हैं जिनके कारण इस क्षेत्र में बदहाली, गरीबी, अशिक्षा संसाधनों के अभाव के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता है।

हम सम्मानित सदन से मनरेगा योजना के सन्दर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सदन से नियम 301 के तहत प्राप्त करना चाहते हैं। आप अवगत हैं कि सबका साथ, सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जो समाज के वंचित/उपेक्षित वर्गों के समावेशी विकास को अपना ध्येय मानता है। इस व्यापक लक्ष्य की पूर्ति हेतु मनरेगा कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है मनरेगा के तहत जिन योजनाओं के क्रियान्वयन का प्राविधान रखा गया है उसका पालन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान नहीं किया जाता है। हमसे आग्रह है कि मनरेगा के गाइड लाइन के अनुसार ही मनरेगा के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन खड्डा एवं नेबुआ नौरगिया ब्लाक के ग्राम सभाओं में सुनिश्चित कराया जाए जो आगामी वित्तीय वर्ष में मनरेगा कार्यक्रम की गतिशीलता हेतु महत्वपूर्ण होंगे।

- ग्राम पंचायत स्तर पर जलसंरक्षण के अधिकाधिक कार्य/प्रस्ताव सुनिश्चित किये जायें।
- जलजनित बीमारियों, इन्सेफेलाइटिस की रोकथाम हेतु जल निगम के कन्वेर्जस के माध्यम से मनरेगा में उच्चीकृत हैंडपम्प, सोकपिट निर्माण एवं जल निकास के अधिकाधिक कार्य प्रस्ताव शामिल किये जायें।
- मनरेगा के अन्तर्गत निजी कार्यों हेतु 11ह–30ह की व्यवहार्यता के आधार पर वर्मी कम्पोस्ट नाडेप कम्पोस्ट, लो–टनल पालीहाउस नर्सरी–पिट के कार्य प्रस्ताव यथासम्भव शामिल किये जायें।
- सम्भव हो तो अप्रैल, मई माह में प्रायः होने वाली आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु समुचित मात्रा में बस्ती के आस–पास बालू का भण्डारण किया जाये और इस समयावधि के बाद अवशेष बालू का मनरेगा निर्माण कार्यों में उपयोग कर लिया जाये।
- पंचायत स्तर पर गोट–शेड, काऊ–शेड, पोल्ट्री शेड का निर्माण कन्वर्जेन्स के माध्यम से आजीविका वृद्धि हेतु किया जाये।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में सेवा प्रदान करने वाले धोबी, नाई, मोची जैसे सेवा प्रदाताओं को सुचारुपूर्वक कार्य करने हेतु धोबीघाट, नाई–शेड, मोची–शेड जैसे रोजगारपरक कार्यों को भी कार्य योजना में शामिल किया जाए।

- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उच्चीकृत हैंडपम्प के साथ उच्चीकृत शौचालय एवं प्लेटफार्म के कार्य प्रस्ताव सुनिश्चित हों।
- जनहित के दृष्टिकोण से नारायणी नदी के प्रमुख शवदाह घाटों पर शवदाह गृह, शवदाह शेड एवं चबूतरे निर्मित करने के प्रस्ताव सुनिश्चित हों।

कृपया उपरोक्त बिन्दुओं को मनरेगा की वार्षिक कार्य योजना 2017–18 में शामिल करने हेतु आपसे आग्रह एवं निवेदन करते हैं, आपके द्वारा अन्य अपेक्षित जानकारी एवं सूचनाओं हेतु हम आभारी होंगे।,

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में कलवारी/पाऊ में तहसील की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि सोनकर–

[मान्यवर, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी तहसील नहीं है। एक तहसील जिला मुख्यालय पर बस्ती सदर के नाम से है, जो लगभग बस्ती जिले की आधी आबादी को प्रभावित करती है, उल्लेखनीय है कि सर्किल के अन्तिम गांव से जिला मुख्यालय/तहसील की दूरी लगभग 40 से अधिक कि0मी0 है। वहाँ से आने पर लोगों को पता चलता है कि एकल खिड़की पर 200 लोग पहले से लाइन में लगे हैं। जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। क्षेत्र की जनता काफी समय से विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कलवारी/पाऊ में एक तहसील की स्थापना की मांग करती चली आ रही है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा जनहित में जनपद बस्ती में कलवारी/पाऊ में तहसील का आदेश प्रदान किया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।,

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा भोगनीपुर अन्तर्गत अमराहट कैनाल योजना के द्वितीय चरण को चालू कराये जाने के समबन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कटियार–

]मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर अति पिछड़ा है अतः आपसे निवेदन है कि सिंचाई की समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत ही दयनीय है। अमराहट कैनाल योजना का द्वितीय चरण अगर चालू हो जाता है तो हमारे क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हो जायेगी।

कृपया अमराहट कैनाल का द्वितीय चरण चालू करवाने की कृपा करें।,

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के कुछ ग्राम सभायें जिनकी आबादी 10000 से अधिक है में ओवर हेड टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह–

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र रसड़ा (बलिया) अन्तर्गत ग्राम सभा मुण्डेरा, डुमरी, डेहरी, कोटवारी, बछईपुर, सलेमपुर, बर्रेबोझ, रेकुआ, उरैनी, सोनापाली एवं सुल्तानपुर (रसड़ा) बड़े गांव होने के साथ ही यहाँ की आबादी भी 10000 से अधिक है। यह सभी गांव टोंस नदी के किनारे बसे हैं जो कि आर्सेनिक से बुरी तरह से प्रभावित हैं और इन गांवों का भूजल स्तर भी काफी नीचे है। जनहित मे इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए उपरोक्त गांवों में ओवरहेड टैंक (पानी की टंकी) बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सभा मुण्डेरा, डुमरी, डेहरी, कोटवारी, बछईपुर, सलेमपुर, बर्रेबोझ, रेकुआ, उरैनी, सोनापाली एवं सुल्तानपुर (रसड़ा) में ओवरहेड टैंक (पानी की टंकी) बनाये जाने हेतु शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूँ।,

जनपद प्रतापगढ़ में आजादी के पूर्व स्थापित पृथ्वीगंज हवाई अड्डे को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संग्राम लाल गुप्ता–

[मान्यवर, सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद प्रतापगढ़ में मुख्यालय से लगभग
10 किमी0 दूर स्थित पृथ्वीगंज में हवाई अड्डा स्थापित है किन्तु कई दशकों से उपयोग में नहीं लाये जाने के कारण बीच–बीच में लोग अतिक्रमण का भी प्रयास करते हैं जिसमें प्रशासन को भी बार–बार अतिक्रमण भी हटवाना पड़ता है जब की अभी मौके पर एक लम्बे क्षेत्रफल में पक्की हवाई पट्टी मौजूद है।

अतः माननीय महोदय से अनुरोध है कि जनपद प्रतापगढ़ के पृथ्वीगंज हवाई अड्डे से अभियान चला कर अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उसे पुनः संचालित कराने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।,

जनपद लखनऊ के ट्रांसगोमती क्षेत्र में पेयजल की सुचारु उपलब्धता के लिये वाटर वर्क्स की स्थापना के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा–

[मान्यवर, जनपद लखनऊ के ट्रान्स गोमती क्षेत्र में पेयजल की सुचारु व्यवस्था न होने से जनता परेशान है। कई नलकूप खराब हैं, नये नलकूप लगाने की कार्यवाही

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सरकार के पास विचाराधीन है। बढ़ती आबादी को पानी उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि ट्रान्स गोमती क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे घैला के आस–पास एक वाटर–वर्क्स की स्थापना की जाए।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सुसंगत कार्यवाही की मांग करता हूँ।,

बुन्देलखण्ड में शीत गृह व वेयर हाउस बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया–

[महोदय, अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड का किसान सब्जियों सहित अन्य फसलों का उत्पादन करते ही हैं परन्तु उत्पादित सब्जियों का संरक्षण नहीं हो पाता है। इनके संरक्षण के लिये यहाँ पर शीतगृहों का अभाव है जिसके कारण किसानों को सब्जियों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। बुन्देलखण्ड के किसानों ने इस सम्बन्ध में पिछली सरकारों से भी मांग की थी लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।,

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत इलाहाबाद–फैजाबाद हाई–वे से विश्वनाथगंज से मान्धाता होकर जेठवार तक मार्ग को चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0के0 वर्मा–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुये अवगत कराना चाहता हूँ कि उपरोक्त मार्ग लगभग 20 किमी0 लम्बा है एक तरफ इलाहाबाद फैजबाद हाई–वे को सम्बद्ध करता है तो दूसरी तरफ प्रतापगढ़ जेठवार लालगंज (पी0जे0एल0) प्रमुख जिला मार्ग को सम्बद्ध करता है। इस मार्ग पर यातायात घनत्व अधिक होने से प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटनायें होती रहती हैं। जिससे जनता में आक्रोष है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मार्ग को चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण करने हेतु सन्दर्भित को निर्देशित करने का कष्ट करें।,

विद्युत सेवा आयोग द्वारा तकनीशियन–ष (विद्युत) के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव ललई–

[मान्यवर, विद्युत सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति संख्या 12ध्टै।ध2015ध्ज्ळ.प्प्623 ;त्मअपेमकद्ध द्वारा विद्युत विभाग में तकनीशियन–प (विद्युत) की कुल 623 रिक्तियां जिसमें 423 डिस्ट्रीब्युशन की और 80 ट्रान्सकों की थीं, प्रकाशित की गयी जिसकी लिखित परीक्षा दिनांक 16 अक्टूबर, 2016 को आयोजित कर 623 सफल अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 27–12–2016 को निकाली गयी। इनमें से डिस्ट्रीब्युशन डिजीवन की 423 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति करा दी गयी परन्तु ट्रान्सकों डिवीजन की 80 पदों की नियुक्तियां अभी तक नहीं की गयी हैं। एक ही परीक्षा में एक ही पद के लिए कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने और कुछ की न करने की बात न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती है। नियुक्ति न पाने वाले इन 80 अभ्यर्थियों में सरकार के प्रति अत्यन्त क्षोभ है और वह आक्रोशित हैं। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये सरकार से माँग करता हूँ कि उक्त शेष 80 अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाय।,

भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के प्राविधानों का एल्डिकों के प्रोजेक्ट सौभाग्यम, वृन्दावन योजना, लखनऊ द्वारा उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर–

[मान्यवर, मैं माननीय सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के प्राविधानों का एल्डिकों के प्रोजेक्ट सौभाग्यम, वृन्दावन योजना, लखनऊ द्वारा उल्लंघन किये जाने के प्रकरण की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। कानपुर निवासिनी श्रीमती मिथिलेस कुमारी द्वारा वर्ष 2011 में उक्त योजना के अन्तर्गत टावर–4 में ग्राउण्ड फ्लोर पर एक फ्लैट बुक कराया गया था। आवंटी से फ्लैट की समस्त धनराशि जमा कराने के बाद डेवलपर द्वारा पांच साल बाद फ्लैट के साथ प्राइवेट लान के एरिया में बेतहासा बढ़ोत्तरी दर्शाकर तथा सुपर एरिया बढ़ा बताकर आवंटी से छह लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही है। उक्त फ्लैट का बिल्ड–अप (वास्तविक) एरिया लगभग 804 वर्ग फिट है, जबकि आवंटी से 1540 वर्ग फिट के एरिया के आस–पास की आगणित धनराशि जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। डेवलपर को प्राइवेट लान के क्षेत्रफल में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोत्तरी करने पर अलग से किसी प्रकार की लागत नहीं चुकानी पड़ी है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की उपलब्ध भूमि की कटौती करके प्राइवेट लान में जोड़ दी गयी है। इस प्रकार डेवलपर द्वारा आवंटियों को फ्लैट बेंचते समय कुछ क्षेत्रफल और धनराशि बताई गयी और सारा पैसा जमा कराने के बाद उसमें वृद्धि करके धोखाधड़ी की कार्यवाही की गयी है।

सबसे गम्भीर बात यह है कि आवास विकास परिषद् द्वारा इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2011 में मंजूरी दी गयी थी और सारे फ्लैट बुक हो जाने तथा अधिकांश आवंटियों से सम्पूर्ण किश्तें जमा होने के बाद डेवलपर तथा आवास विकास परिषद् की दुरभिसंधि से पांच वर्ष बाद वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी, आवास विकास परिषद द्वारा दिनांक 18–04–2016 को प्रोजेक्ट के मानचित्र में संशोधन को मंजूरी दे दी गयी है। आवास विकास परिषद् को पांच वर्ष बाद मानचित्र में संशोधन की मंजूरी देते

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समय आवंटियों के हितों का ध्यान रखना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये था कि उक्त मंजूरी से पूरा पैसा जमा कर चुके आवंटियों का आर्थिक उत्पीड़न न हो। इस प्रोजेक्ट/टावर को रियल इस्टेट बिल से पृथक करने के उद्देश्य से बिना सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हुये पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत करने की भी कार्यवाही की गयी। इस प्रक्रिया में फ्लैटों में व्याप्त गम्भीर सीलन, सीवेज की निकासी की समस्या, अधोमानक कार्यों तथा स्थापित प्राविधानों की भरपूर अनदेखी की गयी है। उक्त प्रकरण में कार्यवाही होनी चाहिये और श्रीमती मिथिलेस कुमारी पर क्षेत्रफल में वृद्धि दर्शाकर अनुचित थोपी गयी धनराशि निरस्त करके बिल्ड–अप एरिया के अनुसार धनराशि की गणना की कार्यवाही के आदेश शासन स्तर से दिये जाने चाहिये ताकि आवंटी के साथ न्याय हो सके।

अतएव मैं इस जनहित के विषय पर सदन में वक्तव्य तथा कार्यवाही की मांग करता हूँ।,

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चहनिया के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

कुँ0 सुशील सिंह–

ँमान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व से इस अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा, चन्दौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चहनियां का जो पूर्व में स्वीकृत है, लेकिन अभी तक कार्य अधूरा पड़ा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा, चन्दौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चहनियां का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने की मांग करता हूँ।,

विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर नगर के बीचों–बीच स्थिति दिल्ली–यमुनोत्री राज्य राजमार्ग में व्याप्त जाम की समस्या के निराकरण हेतु फोर लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग–

[मान्यवर, नियम 301 के माध्यम से लोक महत्व के एक अवलिम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर के बीचों–बीच से गुजर रहे देहली–यमनौत्री राज्य राजमार्ग के कारण ट्रैफिक की व्यवस्था चरामरा गई है, हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। उपरोक्त मार्ग के बाई–पास के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य भी पूरा हो चुका है। इस मार्ग को यू0पी0 स्टेट हाइवे एथारिटी के द्वारा फोर–लेन बनाया जाना प्रस्तावित है। अतः उसी प्रस्ताव में बाई–पास निर्माण को भी शामिल कर लिया जाना समीचीन होगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये सहारनपुर नगर के बीचों–बीच घनी आाबादी से गुजरने वाले देहली–यमनौत्री राजकीय राज–मार्ग का बाई–पास निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।,

बरेली महानगर स्थित सिटी श्मशान भूमि के पास लगने वाले जाम की समस्या के निराकरण हेतु रेलवे फाटक के ऊपर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरूण कुमार–

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[मान्यवर, बरेली महानगर में स्थित सिटी श्मशान भूमि जो सिटी रेलवे स्टेशन के पास है पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है जिसकी वजह से शव यात्रा में जाने वाले लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा सड़क अक्सर जाम रहता है। कृपया इस स्थान पर जनहित में एक उपरिगामी सेतु रेलवे के फाटक के ऊपर बनाने की आवश्यकता है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।,

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मडिहाल अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़क जमुई वाया अहरोरा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर सिंह पटेल–

ष्मान्यवर, आपको सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उक्त मार्ग काफी क्षतिग्रस्त परन्तु उक्त मार्ग पर पैसा मिलने के बाद भी काम नही हो रहा है। जिससे क्षेत्र की जनता का आना जाना नहीं हो पा रहा है।

अतः उक्त मार्ग के सम्बन्ध में ध्यान रखते हुए कार्य यथाशीघ्र कराया जाना जरूरी है।,

जनपद गाजीपुर के दिलदार नगर में पशुओं के मेले को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया–

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान जनपद गाजीपुर के दिलदारनगर में पशु मेले से नवजवान, गरीब एवं किसानों के रोजी–रोटी से बहुत ही गहरा सम्बन्ध रखता है। इस मेले के बंद हो जाने के क्षेत्र सहित प्रदेश से लेकर अन्य प्रदेश जैसे बंगाल, हरियाणा, पंजाब, बिहार तक के व्यापारी आकर अपने दुधारू पशुओं को ले जाने एवं ले आने का रोजगार करते रहे हैं, मेले के बंद हो जाने से सैकड़ों लोगों का रोजगार छीन गया है, तथा उनके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है, इस मेले से पशुओं के गोबर से लेकर भूसा, गायों के पगहा, पशु घंटा और गोबर से बनने वाले ईंधन (गोइठा) तक बिकने का कार्य होता रहा हैं। कई वर्षों से चले आ रहा मेले को बंद हो जाने से हजारों लोगों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः सदन के माध्यम से पशु मेले को चालू कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।,

[12 : 19, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0 का–नि–2–1718/ग्यारह 9(295)/07–उ0प्र0 वैट नियम–08–आदेश–(171)–2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0 का–नि–2–1718/ग्यारह 9(295)/07–उ0प्र0 वैट नियम–08–आदेश–(171)–2016, दिनांक

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

15 दिसम्बर, 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा–23–क (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0 का–नि–2–1751/ग्यारह 9(150)15–उ0प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(172)–2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0 का–नि–2–1751/ग्यारह 9(150)15–उ0प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(172)–2016, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उप धारा (5) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0 8–2014 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0 8–2014 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उप धारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0 4–2014 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0 4–2014 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उप धारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0 11–2016 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0 11–2016 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उप धारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2012–2013 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3)

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2012–2013 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2013–2014 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3)

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट 2013–2014 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 36वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2015–2016 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 की उपधारा (बी)

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 36वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2015–2016 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 की उपधारा (बी) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मांग आधारित प्रबंधन) विनियमावली, 2014 सम्बन्धी अधिसूचना सं0 उ0 प्र0 वि0 नि0 आ0/सचिव/डी0एस0एम0 विनियमावली, 2014–002 दिनांक 04 अप्रैल, 2014 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–182

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मांग आधारित प्रबंधन) विनियमावली, 2014 सम्बन्धी अधिसूचना सं0 उ0 प्र0 वि0 नि0 आ0/सचिव/डी0एस0एम0 विनियमावली, 2014–002 दिनांक 04 अप्रैल, 2014 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–182 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं उनके पास जो माननीय सदस्य खड़े हैं वह अपना स्थान ग्रहण करें। मद संख्या–13, 14, 15, 16 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या 17 ।

ख12 : 25, विधान सभा से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक 2011 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि विधान सभा से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक 2011 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए दिनांक 22 मई, 2017 के लिए निर्धारित 'जो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा' सम्बन्धी मद आज ही लिए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, एक प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए दिनांक 22 मई, 2017 के लिए निर्धारित 'श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा' सम्बन्धी मद आज ही ले ली जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुए दिनांक 22 मई, 2017 के लिए निर्धारित 'श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा' सम्बन्धी मद आज ही ली जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

असरकारी संकल्पों को आज ही प्रस्तुत कर उस पर चर्चा जारी किये जाने की अनुमति

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

चूंकि आज यह असरकारी दिवस है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चर्चा को कन्टीन्यू करें अगर माननीय सदस्य रुचि रखते हों तो पहले अपना संकल्प प्रस्तुत कर दें चर्चा उसके बाद हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है किसी शुभ काम को करने के पहले संकल्प होता है। पहले संकल्प प्रस्तुत करवा देते हैं।

जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरीघाट, गोलाघाट, धोकरहाघाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे संकल्प रखने की अनुमति दी इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। महोदय, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरीघाट, गोलाघाट, धोकरहाघाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाय।''

मान्यवर, जनहित के अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा बाद में कर लेंगे। आज संकल्प को स्वीकार कर लेते हैं।

भारतीय स्वातं×य समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प

डा0 नीरज बोरा–

माननीय अध्यक्ष जी मेरे द्वारा यह संकल्प प्रस्तुत किया जाता है कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि भारतीय स्वातं×य समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाय।''

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद हरदोई में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाए जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना के संबंध में प्रस्तुत संकल्प

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुज्ञा से ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरदोई में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाए जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना करायी जाय।''

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

सहारनपुर मण्डल के छात्र–छात्राओं की व्यवस्थित शैक्षिक, प्रशासकीय और परीक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों हेतु मण्डल मुख्यालय पर एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प

'**श्री संजय गर्ग–**

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि सहारनपुर मण्डल के छात्र–छात्राओं की व्यवस्थित शैक्षिक, प्रशासकीय और परीक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों हेतु मण्डल मुख्यालय पर एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करायी जाय।''

श्री अध्यक्ष–

इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संकल्प प्रस्तुत हुये। अब मा0 श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करते हैं।

श्री अबरार अहमद सदस्य विधान सभा को इलाज के लिए दिल्ली ले जाने हेतु उच्च सुविधा युक्त एम्बुलेंस उपलब्ध करवाये जाने की मांग

'श्री राकेश प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और इस सदन से जुड़ा हुआ प्रश्न है इसलिये मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि मैं उसे रख दूं और सरकार अगर उस पर विचार कर लेगी तो बहुत अच्छा होगा। हमारे सदन के एक साथी और हमारे दल के विधायक श्री अबरार अहमद जी इसौली, सुल्तानपुर से विधायक हैं। वह तीन दिन से बहुत बीमार हैं और मेडिकल कालेज में भर्ती हैं, अन्कॉन्सस है। वहां पर उनका इलाज सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। डाक्टरों से बात की गयी तो वह उन्हें वेदान्ता या पीजीआई शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। मेडिकल कालेज वेंटीलेटर युक्त एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध करा पा रहा है जिससे इन्हें इलाज के लिये पीजीआई या कहीं बाहर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इसको संज्ञान में भी ले लें और उनके इलाज के लिये जो भी डाक्टर सुझाव दें, उसकी व्यवस्था करने का कष्ट करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, इसको अभी हम दिखवा लेते हैं और जो भी आवश्यक होगा वह व्यवस्था करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, आप उनसे भी बात कर लीजियेगा।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, ठीक है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)–

मान्यवर, मा0 सदस्य के इलाज के लिये जो भी आवश्यक होगा वह व्यवस्था करा दी जायेगी।

'श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, इसके लिये एअर एम्बुलेंस की आवश्यकता होगी और उत्तर प्रदेश के पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट भी लेगा तो किसी से लेगा, उनके पास भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि सदन में ऐसा पहली बार हो रहा है, बल्कि पिछली सरकार में अगर किसी मा0 सदस्य का विदेश में भी इलाज कराना पड़ा है तो विदेश में भी इलाज कराया गया है। मानवीय आधार पर इसे देख लें। असल में मा0 सदस्य वेंटीलेटर पर हैं और यहां पर वेंटीलेटरयुक्त एअर लिफ्टिंग की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार के सामने पहले तो यह एक सुझाव आ जाए कि स्वास्थ्य विभाग के पास अपना एक एअर वेंटीलेटर का इंतजाम होना चाहिये, एक ऐसा जहाज या हेलीकाप्टर हो, जिससे इस तरह के मरीजों को भेजा जा सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जितना सम्भव होगा वह करवा देंगे।

ख12:34, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अब मा0 श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करते हैं। [४]

आप सभी मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी बात को पांच मिनट में पूर्ण कर लें। अच्छा होगा कि मा0 सदस्य अपनी बात को चार मिनट उनसठ सेकेण्ड पर समाप्त कर लें।

'श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, 15 मई को इस सदन में राज्य विधान मण्डल के संयुक्त सदन में महामहिम श्री राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का जो अवसर आपने प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। महामहिम श्री राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत हुआ, चाहे कानून–व्यवस्था का विषय हो, चाहे किसानों के कर्जमाफी का विषय हो, यह तमाम मुद्दे और सभी विषय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आये। मान्यवर, कानून–व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा होती है। कदाचित यह सदन सहमत होगा, जब–जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब–तब कानून–व्यवस्था ठीक रहती है, कानून का राज होता है। मान्यवर, हम थोड़ा पीछे जायेंगे, 1991 में मा0 कल्याण सिंह जी की सरकार आई थी और मा0 राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मा0 रामप्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मुझे भी इस सदन का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस नाते मुझे जानकारी है और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं जिस दिन विधान मण्डल दल के नेता का चुनाव हुआ, उसी दिन मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन गया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, विकासयुक्त प्रदेश होगा। मान्यवर, उसी के तहत यह सरकार काम भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के पूर्व जो संकल्प पत्र था। किसानों की यह सरकार है, एक लाख रुपये की कर्जमाफी की जो घोषणा हुई थी, सरकार ने अपने वायदे को पूरा किया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता अपने भाषण में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो पचास हजार रुपये की उन्होंने कर्ज माफी की घोषणा की थी। कदाचित यह सदन सहमत होगा और प्रदेश की जनता जानती है कि अखिलेश जी ने जो पचास हजार रुपये कर्ज माफी की जो घोषणा की थी तो उन्होंने प्रतिबन्धित किया था और उन्होंने केवल एलडीसी बैंक का ही कर्जा माफ किया था। पूर्वान्चल में कोई किसान इस बैंक का कर्जदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्य मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों का एक लाख रुपये का कर्ज माफ किया है। किसी भी बैंक का किसान का कर्ज हो तो एक लाख रुपये तक के कर्ज को माफ किया है। किसी भी बैंक का किसान का कर्ज हो तो एक लाख रुपये का कर्ज माफ करने की सरकार ने घोषणा की है और उसके लिए काम हो रहा है। बिजली की बात हो, पिछली सभी सरकारों को देखा गया है। पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज

[†] दिनांक 16-05-2017 की कार्यवाही से।

पार्टी की सरकार रही हो, चुनाव जब नजदीक आता था तो दो–तीन महीने पहले गांव में 12 घण्टे, 14 घण्टे, 10 घण्टे, 8 घण्टे बिजली दिया करते थे यह लोग, लेकिन यह पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी के नेतृत्व की सरकार कि अभी मात्र दो महीना हुआ है और गांव में 18 घण्टे, बिजली, तहसील मुख्यालय पर 20 घण्टे, बिजली और जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे बिजली देने का काम यह पहली सरकार कर रही है। यह सदन भी जानता होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ही गेहूं क्रय केन्द्र खोले जाते हैं। पूर्व में भी देखा गया है कि सपा और बसपा की सरकार में केवल लक्ष्य की पूर्ति होती है और यह लक्ष्य की पूर्ति बिचौलियों से गेहूं और धान की खरीद करके की जाती थी। इस समय सभी समितियों पर खरीद हो रही है। 15 जून तक सड़कों को गड्ढामुक्त करने का जो कार्य है, वह तेजी से हो रहा है। इस प्रदेश में जो पूर्ववर्ती सरकारों के समय में जमीनों पर जो अवैध कब्जे किये गये हैं तो माननीय योगी जी की सरकार ने एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन किया है और इसका भी परिणाम देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है उनका कब्जा हटाया जायेगा। महराजगंज में ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत 1962 से अब तक पूरे जनपद में मात्र 13 ग्राम पंचायतों में वाटर सप्लाई होती हें महराजगंज कृषि आधारित क्षेत्र है, इन्सेफ्लाइटिस का प्रकोप वहां पर ज्यादा रहता है, मेन्जेटाइसिस के मरीज वहां पर ज्यादा पाये जाते हैं। धान का जब सीजन आता है और उस समय 172 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया था कि यह परियोजना लागू की जायेगी, लेकिन महराजगंज में यह योजना मात्र 13 ग्राम पंचायतों में चालू हो पाई है। उसमें भी मात्र तीस परसेण्ट ही धन अवमुक्त हुआ है। महराजगंज में पन्द्रह ग्राम पंचायतों में यह परियोजना स्वीकृत है, लेकिन धन उपलब्ध नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014 में प्रारम्भ पाइप पेयजल योजना के माध्यम से इलाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, बहराइच, गोण्डा जिलों को प्रथम चरण में लिया गया है, दूसरे चरण में सोनभद्र, फतेहपुर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर एवं संतकबीरनगर जिले को लिया गया है। मान्यवर, बीच में जनपद महराजगंज जो एक पिछड़ा क्षेत्र और पिछड़ा जिला भी है और इन्सेफ्लाइटिस और मेन्जेटाइसिस के ज्यादा पेसेण्ट वहां पाये जाते हैं।

मान्यवर, पूर्ण रूप से धान पर आधारित वहां खेती होती है। मान्यवर, 80 प्रतिशत किसान जो धान अपना पैदा करते है। वहां हम जानते हैं कि इस बीमारी का प्रकोप उसी समय बढ़ता है जिस समय धान अपनी युवा अवस्था में आता है। मान्यवर, जनपद महराजगंज इन परिस्थितियों में छूटा हुआ है इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी भी चिंता होनी चाहिए। इन जिलों के साथ और उस महाराजगंज जनपद को भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। मान्यवर, थोड़ा सा कुछ क्षेत्रीय विषय भी हैं।

श्री अध्यक्ष–

हां क्षेत्रीय बातें कह लीजिए।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

मान्यवर, क्षेत्रीय विषयों के बारे में मैं लिखकर दे दूंगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यापाल जी, के अभिभाषण पर बल देता हूं बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

बहुत–बहुत धन्यवाद आपका।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

मान्यवर,

श्री सतीश चन्द्र शर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, आप द्वारा महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर समय दिये जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और सम्पूर्ण सदन को अपनी तरफ से अभिवादन करता हूं।

मा0 अध्यक्ष जी, इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में मैं प्रथम बार आया हूं और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय विपक्ष के मा0 सदस्यों के द्वारा महामहिम राज्यपाल जी के ऊपर कागज के गोले फेंके गये उससे मेरा मन और प्रदेश की 22 करोड़ जनता का मन व्यथित हुआ है। मैं उसकी बारम्बार निंदा करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार द्वारा जो किसानों की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण काम किये गये हैं मैं उसकी भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। मान्यवर, 86 लाख किसानों की कर्जमाफी का निर्णय लिया गया। अल्प समय में ही तीन गुना अधिक किसानों का गेहूं खरीद करके किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण काम किया गया है। मा0 अध्यक्ष जी, लगभग 85 हजार किलोमीटर की सड़कें जिन पर दस सालों से एक झाड़ू तक नहीं लगायी गयी थी उन सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने का काम प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं उसकी भी भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। मान्यवर, बिजली के क्षेत्र में जो प्रदेश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, मैं इस सदन की ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता को इसकी भूरि–भूरि प्रशंसा करती है। मैं भी उसकी भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, जिस प्रकार अल्प समय में ही योगी सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण काम किये गये हैं और जो अपनी संकल्पबद्धता दर्शानें का काम किया है मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का नम्बर एक राज्य बनेगा ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र बाराबंकी जनपद का एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जो घाघरा, कल्याणी, गोमती तमाम नदियों से बंधा हुआ क्षेत्र है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि कल्याणी नदी पर एक सरेवा स्थित पुल, कल्याणी नदी पर सुहासा एक गांव है वहां पर एक पुल की महती आवश्यकता है। मान्यवर, मैं प्रदेश सरकार से अपील करता हूं कि इन स्थानों पर पुल बनवाने का काम किया जाए। साथ ही मैं महामहिम राज्यपाल जी, के अभिभाषण पर विशेष बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं 'जय–हिन्द'।

श्री अध्यक्ष–

बहुत धन्यवाद आपने निर्धारित समय में अपनी बात पूरी की। इस क्रय से अनेक मा0 सदस्य बोल पाएंगे।

'**श्री राकेश सिंह–**

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपने मा0 राज्यपाल जी, के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, जनपद रायबरेली को एक पुरवा ब्रांच के नाम से नहर जाती है जो लगभग चार विधान सभाओं को प्रभावित करती है। और हरचन्दपुर और सरैनी तथा पुरवा चार विधान सभाओं को प्रभावित करती है। हमारे सिंचाई मंत्री जी चले गये हैं मैं अनुरोध करता हूं कि इसमें तत्काल पानी भिजवाने की व्यवस्था की जाये। एक रायबरेली से सेमरी मार्ग जाता है जो लगभग 30 किमी0 है। यह लगभग डेढ़ वर्ष से पूरा खुदा पड़ा है। इसको भी तत्काल निर्माण कराकर जनता के हित में चालू कराया जाये इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। जनपद रायबरेली में 06 विधान सभायें हैं और पांच तहसीलें है। सभी विधान सभाओं के पास एक–एक तहसील है। किन्तु हरचंदपुर विधान सभा क्षेत्र एक ऐसी विधान सभा है। जहां के लोगों को तीन तहसीलों में जाना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि हरचन्दपुर विधान सभा क्षेत्र के मध्य में गुरूबख्शगंज के आसपास एक तहसील का निर्माण कराया जायें रायबरेली जनपद में तमाम पानी की टंकियां बनी खड़ी हैं। लेकिन उसमें पेयजल का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। मेरा अनुरोध है कि सभी टंकियां चालू करायी जायें। महोदय, मेरे जनपद में लो वोल्टेज की समस्या है। कई स्थानों पर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। मैं उसके लिये भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि कोई न कोई व्यवस्था उससे संबंधित कर दी जाये। एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और अति पिछड़ों को छोड़कर जितने समाज के अन्य गरीब लोग है जो छप्पर और पालीथीन तानकर रह रहे हैं उनके आवास के लिये क्या सरकार कोई योजना बना रही है। अगर नहीं कर रही है तो यह भी व्यवस्था कराना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग मांग करते हैं कि इससे पूर्व सरकार थी महामाया आवास चलायी। उसमें कुछ लोग संतृप्त हो गये।

दूसरी बार सरकार बनी उसमें लोहिया आवास की व्यवस्था हुयी उसमें भी कुछ लोग संतृप्त हो गये। लेकिन क्या यह सरकार जो समाज के अन्य गरीब लोग बचे हैं। जिनको वाकई में आवश्यकता है क्या उनके लिए कोई व्यवस्था करने पर विचार करेगी। मा0 अध्यक्ष जी इस समय मैं देख रहा हूं कि कानून व्यवस्था पर कई दिन से चर्चा चल रही है। मेरा अनुरोध है कि अगर थानों में पोस्ट थानाध्यक्षों को अगर जल्द से जल्द चेंज कर दिया जाये तो आधी कानून व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो पहले से थानाध्यक्ष अभी तक जमे पड़े हैं जिन्होंने उनको पोस्ट कराया है उनके प्रति अभी भी उनका कुछ न कुछ लगाव है। इसलिए सबसे पहले उनको हटाने की व्यवस्था की जायें आधी कानून व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब तक इस विधान सभा की व्यवस्था जो आपके माध्यम से चल रही है मैं देखता था स्कूल के समय जब प्रधानाध्यापक कक्ष में रहते थे। तो कोई भी क्लास से अपसेंट नहीं होता था लेकिन आपकी विधान सभा में ज्यादातर हमारे माननीय सदस्य गायब रहते हैं, इस पर भी मैं अनुरोध करता हूं कि कोई न कोई व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष–

आपके दल के कितने गायब हैं ?

श्री राकेश सिंह–

मान्यवर, हमारे दल के सब उपस्थित हैं। हमारे दल के सभी बैठे हुए हैं। इस पर भी कोई व्यवस्था की जाए कि माननीय सदस्य उपस्थित रहें।

श्री अध्यक्ष–

अच्छी बात है। आपका सुझाव है लेकिन सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, यह नहीं मालूम, लेकिन अच्छा सुझाव है।

श्री राकेश सिंह–

अध्यक्ष जी, एक और अनुरोध है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह कुदरत का निमय है कि जो जितना कम होता है, उतना ही यूनाइटेड होता है। तो कांग्रेस बहुत यूनाइटेड है, कम है न, इसलिए।

श्री अध्यक्ष–

बहुत कमजोर है ?

(हंसी)

श्री राकेश सिंह–

मान्यवर, असर चाहे जिसका हो, लेकिन मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो 325 आप लोग आए हैं, मेरा मानना है कि भाजपा की कोई प्रभुता नहीं है, यह आप सब के सत्कर्मों का फल है जो आप सब को मिल रहा है।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री राकेश सिंह–

इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह भी हमारा सौभाग्य है कि जिनकी वजह से कश्ती में सुराख हुआ, वह भी कुछ कहने लगे।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों की दोस्ती टूट गयी क्या ? दोस्ती कब टूटी ?

श्री राकेश सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं। जितने माननीय सदस्य
15 तारीख को यहां पर उपस्थित थे, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है और जो घटना 15 तारीख को यहां घटित हुई थी, जो लोग हम को चुनकर भेजते हैं, प्रत्येक सदस्य 4–5 लाख मतदाताओं से चुनकर आता हैं। अगर उस जनता के लोग यहां पर उपस्थित होते तो इसमें दो राय नहीं कि विधायकों के उपर से उनका विश्वास हटा जाता और वह वोट देना बन्द कर देते। मैंने लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि पहले से प्रथा चली आ रही हैं। मैंने देखा जितनी देर अभिभाषण पर चर्चा होती है, उसमें ज्यादातर सदस्य इसी पर बोलते हैं, अपने क्षेत्र की बातें नहीं उठाते कि जो 15 तारीख को हुआ वह गलत था। मेरा सुझाव है कि इस पर कोई ऐसा नियम बनाया जाए कि जो प्रथा पहले से चली आ रही है, अब यह बन्द हो जाय। विरोध करने की एक सीमा होनी

चाहिए कि कहां तक विरोध किया जाए। ऐसी चर्चा न हो, ऐसा विरोध न हो कि न तो इधर की बात उधर वाले सुनें और न उधर की बात इधर वाले सुनें, जिसे समय नष्ट हो। क्योंकि विधान सभा जब चलती है, कितना इसमें पैसा खर्च होता है, कितना समय नष्ट होता है, यह सब जनता की गाढ़ी कमाई और दिए गये टैक्स से खर्च होता है। ऐसी कोई बात न तो विपक्ष वाले करें, सत्तापक्ष की प्रति कि जिससे उनको आक्रोश आ जाए, हो–हल्ला शुरू हो जाए और न तो सत्तापक्ष वाले करें कि विपक्ष को क्रोध आ जाए। मेरा सुझाव है कि इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री रवि कुमार सोनकर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने जनपद की तरफ से बहुत–बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो पिछली सरकारों ने वादा किया कि बस्ती की मुंडेरवा मिल हम चालू करायेंगे लेकिन उनकी सरकारों ने सिर्फ वादा किया, चालू कराने का ऐतिहासिक निर्णय हमारे मा0 मुख्यमंत्री, आदरणीय योगी आदित्य नाथ जी की तरफ से हुआ और उन्होंने धन स्वीकृत करके बस्ती के मुंडेरवा मिल को चालू करवाने का निर्णय लिया। हम इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, इसके पहले जो सरकार थी, गेहूं खरीद का एक उदाहरण प्रस्तुत करते थे। कि हम किसानों के बहुत बड़े हितैशी हैं, हम गेहूं खरीदेंगे, लेकिन कागजों में खरीदा जाता था और उसकी सूचना प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से दे दी जाती थी कि गेहूं खरीद हो गयी, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के भण्डारण निगम ने एक सूचना जारी किया है कि जितनी गेहूं खरीद हुई है पूरे उत्तर प्रदेश के सारे गोदाम फुल हो गये हैं, अब गेहूं रखने की भी जगह नहीं बची है। हम आपके माध्यम से जहां से हम चुन कर आये हैं, बस्ती जनपद का विधान सभा क्षेत्र महादेवा, उस तरफ भी हम आपको ले जाना चाहते हैं। महोदय महादेवा विधान सभा बहुत पिछड़ा है, पिछली सरकारों ने वहां को बहुत उपेक्षित रखा है अब एक लोकप्रिय सरकार आई है। महोदय मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र महादेवा में कलवारी और पाऊँ एक जगह है, वहां पर एक तहसील की स्थापना की हम मांग कर चुके हैं। महोदय हमारा क्षेत्र बाढ़ पीड़ित है, बंधे पर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है, पिछली सरकारों ने उसमें बहुत बड़े घोटाले किये हैं, उस तरफ भी हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप क्षेत्र की और श्री राज्यपाल के अभिभाषण की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री रवि कुमार सोनकर–

महोदय, श्री राज्यपाल के अभिभाषण का हम समर्थन करने के लिए, खड़े हुए हैं, क्योंकि पहली बार मैं चुनकर आया हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

नए मा0 सदस्य चार मिनट, साढ़े चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहे हैं, यह अच्छा है।

'**श्री देवमणि द्विवेदी–**

माननीय मनीषी अध्यक्ष महोदय ने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने का अवसर दिया है, इसमें लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं पहली बार विधान सभा में चुन कर के लम्भुआ से आया हूं। मैंने जो पहले दिन यहां पर नजारा देखा तो मुझे अपनी लिखी हुई एक कविता याद आई, जिसमें लिखा भ्रष्टाचरण नहीं तो क्या है।
उसमें मैंने लिखा–

''सदनों से बाहर रह जाना या अन्दर आकर सो जाना,
अगर जगे तो सुन न पाना, कभी सुने तो समझ न पाना,
और समझ लिये तो बोल न पाना और जब बोलें तो अति चिल्लाना,
भ्रष्टाचरण नहीं तो क्या है।''

मैंने तो अति चिल्लाने तक को ही भ्रष्टाचरण में गिना था, मैंने सोंचा कि इतना ही होता है, जब यहां पर महामहिम के सामने कागज के गोले बनाकर के फेंके जाने लगे वहां तक भी हुआ कि मा0 नेता विपक्ष ने बाद में उसमें सफाई दी कि हम अपनी बात को गोले के रूप में भिजवा रहे थे, तो भी जस्टीफाई थी, लेकिन कुछ चेयर पर नहीं सीधे टेबिल पर चढ़कर के और नृत्य करते हुए सीटी बजा रहे थे, मुझे सोचने को मजबूर होना पड़ा, मुझे अपनी वह देवाग्रह नामक कविता में फिर से उस संकल्प को जोड़ना पड़ेगा कि भ्रष्टाचरण में सदनों में वह भी शामिल है। हमने सोचा था कि यहां पर कुछ सीखेंगे, बिल्कुल हमने यहां से कुछ सीखा। दूसरी चीज हमने देखा कि दो तरह की बातें कही जा रही थी एक तो यह कि इस दस्तावेज में, अभिभाषण में बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि इसमें इतनी सारी चीजें लिख दी गई हैं कि यह बहुत मोटा हो गया है। अब आप यही तय कर लीजिए कि यह बहुत मोटा है इसमें सभी चीजें शामिल की गई हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि–

''एक खेमा खामियों पर है नजर गाढ़े हुए,
और खूबियां भी खामियों में ही गिनाने के लिए।''

तो दरअसल, सब कुछ शामिल करने के चक्कर में ही यह दस्तावेज मोटा हुआ है लेकिन यह कहीं से खोटा नहीं है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। एक बार कहा गया कि यह कृषि प्रधान देश है लेकिन कृषि के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं कृषि के बारे में क्रय से लेकर भूमि, जल, खाद्य, बीज, पानी और बीज कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने की बात और इसी के साथ पंचायती राज विभाग के बहुद्देशीय भवन बनाने से लेकर स्वच्छता मिशन तक समाज कल्याण में विज्ञानियों के लिए 300 रुपये से लेकर 500 रुपये करने तक एक दृष्टि से सभी चीजों को समाहित किया गया, इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एम्स बनाने की बात कही गयी। कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित की गयी। उसमें एक मुद्दा यह उठा कि इतने सारे अध्यापक कहां से आयेंगे, दूसरा मुद्दा उठा कि इतना पैसा कहां से आयेगा। मैं दो चीजों का उदाहरण देना चाहता हूं कि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जब बी0एच0यू0 की स्थापना की तो उसके लिए बहुत सारे अध्यापकों की आवश्यकता थी, वह इसके लिए देश–विदेश से जाकर विद्वानों से आग्रह किये कि आप लोग आइए, उसी तरह का आग्रह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी सरकार भी कर सकती है। मैं उसे मालवीय प्रयास कहूंगा, भगीरथ प्रयास कहूंगा, इसी तरह से धन के लिए जैसे उज्जवला के लिए यह हो रहा था कि हर घर में उज्जवला जायेगी, तब यह सोचा जा रहा था कि धन कैसे आयेगा लेकिन जो लोग समग्र हैं उनसे सब्सिडी को सरेन्डर करने के लिए जो निवेदन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से उसके तहत इतना धन आ गया कि उज्जवला की पूरी स्कीम चला दी गयी। मैंने जो अच्छी परम्परा देखी कि माननीय अध्यक्ष जी का समय से आना और तमाम सदस्यों का न होना, उसको देखकर एक चीज आती है कि 'दुर्घटना से देर भली पर देरी भी दुर्घटना है, सही समय से हर हालत में हर घटना को घटना है' जो योजनायें 4 साल में होनी है, अगर 10 साल में होती हैं तो उसमें पैसा बहुत लग जाता है और इतनी डिमाण्ड हो जाती है कि योजनायें पूरी नहीं हो पाती हैं। मैं अपने क्षेत्र की एक योजना भोपात पर पुल बनाने की योजना पर मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जिसमें 2 साल के बजाये 8 साल लग गया, अभी भी अपूर्ण हैं, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह संकल्प लेने की जरूरत है कि उसे यथाशीघ्र पूरी की जाये और मैं इसी के साथ संकल्प के प्रस्ताव के भाषण के पक्ष में धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

'**श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ श्री सुरेश यादव–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष की बातों से अपने आप को सम्बद्ध करते हुए इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 101 पन्ने का जो इतिहास छपा है इसमें कोई भी बात पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा चलायी गयी जन–कल्याण योजनाओं से बाहर नहीं है। पूरी तरह से इतिहास की वह पुस्तक है जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हिन्दू–मुसलमानों के लिए छात्र–नौजवानों के लिए उनके हितकारी योजनाओं को चलाने का काम करने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपकी कृपा पूर्वक मुझे बोलने का अवसर मिला है। आज अगर हम देखें तो हमारे देश की जनता ने बड़ा भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपना अमूल्य मत देकर अपना विश्वास और भरोसा देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं इस सदन में आपके माध्यम से कि दो महीने का कार्यकाल हुआ है और दो महीने के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की बात अगर की जाये तो पूर्ववर्ती सरकार के दो महीने के कार्यकाल से केवल तुलना कर लीजिए मेरी बात गलत साबित होगी। लोगों की बातों को तेजी से दबाने का काम अगर किया जाता है। कोई भी माननीय सदस्य अगर यह बताने को काम करता है कि आपकी सरकार में यह गड़बड़ हो रहा है तो उसे इस सदन के मा0 सदस्यों को सुनना गवारा नहीं होता है। अध्यक्ष जी मैं सुशासन की बात करता हूं, मैं स्वच्छता की बात करना चाहता हूं जिसके भरोसे, जिसका भरोसा देकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सदन में पूरी तरह से सरकार बनाने का काम किया है। आज अगर सुशासन की बात की जाए तो पहले की सरकारों में तो शायद जनता मारी जाती थी लेकिन इस सरकार में बीडीओ से लेकर सिपाही, दरोगा, कप्तान नहीं बचे। आज यह सुशासन चल रहा है। यही भरोसा है प्रदेश की जनता ने 325 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। यही भरोसा देने का काम था और उस सच को हमारे ये सदस्य सुनना पसन्द नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष में ही सही लेकिन अच्छी बातों को सुनने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माद्दा रखने की जरूरत है क्योंकि मा आजम खां साहब ने अभी कहा कि अगर हम सुनते तो इधर न आते। आप भी गौर करिए, हम आपके विरोधी नहीं हैं। प्रतिपक्ष में जरूर बैठे हैं लेकिन जनता ने जैसे आपको जिता कर भेजा है वैसे ही हम लोगों को भी भेजने का काम किया है। जनता का भरोसा, जनता का विश्वास संविधान के तहत चलेगा।

जनता का विश्वास और भरोसा हिन्दू, मुसलमान से नहीं चलने वाला। हम जाति, धर्म की बात करते हैं। शीर्ष के बड़े–बड़े सीनियर नेता इसी सदन में बीजों के विवरण में भी जातिवार रेट लागने की बात करते हैं। क्या सीखेंगे हमारे नये सदस्य हमारे बीच में जो आए हैं। हमारी सरकार पर जाति, धर्म, सम्प्रदाय के आधार पर ऐसे–ऐसे आरोप लगते थे। जाति के नाम पर बांटना भी बहुत बड़ी कला है मा0 अध्यक्ष जी। वह कला जिनको आ गई वही लोग आज सत्ता में बैठे हैं। गुमराह किया, पूरी तरह से बहकाने और भटकाने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री मा0 अखिलेश यादव जी ने कम समय में आगरा एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया और पूर्ववती सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने के लिए जो काम कर छोड़े हैं। मैं आप सबसे एक ही

मांग करना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री से, नेता सदन नहीं हैं, नेता सदन से मांग करना चाहता हूं कि अपने उनके कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री जी से उनके कार्यकाल में अगर उद्घाटन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का करा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी सरकार पूरी तरह से विकास के सोच वाली सरकार है। आज ये लोग सुशासन की बात कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, हम नजरिए की बात करें। जनता के हित वाली योजनाएं बनाने के सहयोग में अगर हमारी पार्टी का कोई भी सदस्य थोड़ा सा कोई मुद्दा उठाता है तो मैं जानता हूं कि हम लोग गलती करते हैं। हम लोग सरकार चलाने में पूरी मदद करने का काम करेंगे लेकिन आज आप बताइए कि स्वच्छ भारत अभियान कहां चल रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, बस थोड़ा सा संरक्षण दीजिए, मैं स्वच्छ भारत अभियान की बात बताने का काम करूंगा कि ओडीएफ में चयनित किए गए एक गांव में मैं एक हफ्ता पहले गया था मेरी विधान सभा जहां से मात्र कुछ किमी दूर है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ओडीएफ की आपकी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मैं 4–5 दिन पहले एक मिट्टी में जा रहा था। वहां अधिकारी लोग खड़े थे, गांव की बहन बेटियां और गांव के किसान लोग खुले में शौच के लिए जा रहे थे। वे अनुरोध कर रहे थे कि आप खुले में शौच न जाओं बड़ी अच्छी योजना है लेकिन उसके साथ–साथ उनको यह भी सुझाव दिया जा रहा था कि अगर खुले में शौच जाना है तो खुरपा लेकर जाओ, पहले गड्ढा खोदो, उसके बाद उसमें लैटरिन करो और फिर उसे बन्द करने का काम करो। क्या यही स्वच्छ भारत अभियान का तरीका चल रहा है प्रदेश में। मैं बताना चाहता हूं कि जनता के बीच से, जनता के आशीर्वाद से, आपकी मदद से जीतकर आया हूं। मैं जनता की समस्याएं उठाने के लिए आपके बीच में आया हूं। क्या यही स्वच्छ भारत अभियान है जनता ने आखिर ऐसा कौन सा काम किया है।

मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जितने भी शौचालय हमारी बाराबंकी विधान सभा में बनाए गए हैं केवल उनकी जांच कराने का काम कर लीजिए, अभी भुगतान नहीं हुए, आधा भुगतान हुआ है और रही बात बिजली की तो हमारी विधान सभा यहां से 12 किमी बात शुरू होती है। पूर्ववर्ती सरकार के समय

का शेड्यूल निकाल लिया जाए और आज की वर्तमान सरकार का शेड्यूल निकाल लिया जाए। अगर आज पहले से कम बिजली नहीं आती होगी तो मैं पूरी विधान सभा के सदस्यों से क्षमा मांग लूंगा। आज हम बिजली की बात करना चाहते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र की थोड़ी सी समस्या आपके बीच में रखना चाहता हूं। बाराबंकी जनपद में चल रही कताई मिल को पूर्ववर्ती सरकार ने चलाया। अगर उसको चलाने का काम वर्तमान सरकार करेगी तो मैं आभारी मानूंगा अपने आपको और शहरी भाग में शहरी भाग को बल्की टाउन एरिया से जोड़ने के लिए एक ओवरब्रिज का निर्माण कराने की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं अनुरोधपूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में उक्त कार्यों को कराने के लिए आप सहमति प्रदान करें आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं पुनः अपनी बातों को माननीय नेता प्रतिपक्ष से जोड़ते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय ने इस सरकार के बारे में जिस प्रकार से सरकार की सारी योजनाओं के बारे में बताया है। पिछले समय में जो सरकारों का हाल रहा उन्होंने प्रदेश को बहुत पीछे ले जाने का काम किया। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से प्रदेश को बढ़ाने का काम किया है। पुरानी बहुत–सारी व्यवस्थाएं जिनको ठीक करने का काम किया है चाहे किसानों की समस्या का मामला हो या अन्य कोई। यह पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 5 हजार गेहूं क्रय केन्द्र खोलकर जिस प्रकार से गेहूं खरीद करने का काम किया गया है उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बिजली के बारे में कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में शहरों को 24 घंटे बिजली मिल रही है और गांवों में 18 घंटे बिजली मिल रही है और एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान बिजली मंत्री जी ने करने का काम किया है कि जब गांव में ट्रान्सफार्मर फूंक जाता था। हमारे साथी सामने बैठे हुए है एक ट्रान्सफार्मर गांव में फूंका तो गांव में पंचायत होती थी, रात को चंदा इकट्ठा होता था। 6–6, 7–7 और 8–8 हजार रुपये लोगों से चंदा होता था और 15–15 दिन के अंदर ट्रान्सफार्मर मिलते थे। आज केवल सूचना देने का काम है और 48 घंटे में किसान का ट्रान्सफार्मर मिल जाता है। किसान को कही जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई ट्रैक्टर, ट्राली कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है और जेई वहीं खेत पर ट्रान्सफार्मर लगाने का काम करता है।

(विपक्ष के सदस्यों के बीच में टोका–टाकी करने पर)

यह होता है। आप लोगों की तरह नहीं है कि 6–6, 8–8 हजार रुपये चंदा लगता हो। ऐसे हाथ चलाने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों के समय में जो खराब व्यवस्था थी, आप लोगों ने जो प्रदेश को इतना नीचे ले जाने का काम किया उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं और एक हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य बैठे हुए है इन्होंने एक बात कही थी, उस समय हम नहीं बोले थे लेकिन जवाब देना आवश्यक है आपने कहा था कि यहां पर उत्तर प्रदेश में गली–गली में शराब की दुकानें तो है लेकिन दूध की दुकान नहीं मिलती। मैं अपने सामने बैठे हुए साथी से कहना चाहूंगा कि जरा कभी बुलन्दशहर आप आइएगा, हर गली में, हर कोने पर आपको दूध की दुकानें

मिलेंगी। हम दूध का बड़ा उत्पादन करते हैं। शराब की दुकानें बढ़ी वह आपने किया होगा। हम दूध उत्पादन का काम कर रहे हैं और गली–गली में सब जगह दूध अब मिल रहा है तो ये इस प्रकार से कहने से काम नहीं चलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से रोजाना प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आज 9 बजे अधिकारी बैठता है। 9 बजे से 11 बजे तक सारे अधिकारी दफ्तर में होंगे इस प्रेदश के गांव गरीब और मजदूर की समस्या का समाधान होगा। गांव के गरीब, मजदूर और किसान सबके अच्छे दिन आ रहे हैं लेकिन गुण्डों के, माफियाओं के जिन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है उनके बुरे दिन आने वाले हैं। ऐसे लोगों की कमर तोड़ने काम भी होगा और उनके लिए जेलों में जगह होगी और यहां पर जो भले लोग हैं, गरीब, मजदूर और किसान उनके अच्छे दिन आ रहे हैं। ये विचार करने की आवश्यकता है। आप लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है। इसमें सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए कि प्रदेश हमारा आगे बढ़े। मैं 2–3 छोटी–छोटी बातों को रखकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि आज समय बहुत कम है। हमारे बुलन्दशहर जनपद की एक समस्या है कि बुलन्द शहर शुगर फैक्ट्री को 29 करोड़ 75 लाख में बेच दिया था। 3 लाख 31 हजार स्कवायर मीटर जमीन उसकी शहर के अंदर है। तीन सौ करोड़ का सामान उसके गोदाम में रखा हुआ था, 58 करोड़ का सामान उसका लोहालाट था और हमारे सामने मित्र लोगों ने उसको 29 करोड़ 75 लाख में बेचने का काम किया। बुलन्दशहर में इनकी लगभग 500 करोड़ की सम्पत्ति होगी, और यह कहा जाता है विधान सभा में कि बुलन्दशहर शुगर फैक्ट्री को हम चलाऐगे लेकिन चली नहीं। तरह–तरह के आश्वासन तो दिए गए लेकिन कभी हुआ नहीं। पूरे प्रदेश की शुगर इंडस्ट्री को लूटने का काम भी सामने बैठे हुए लोगों ने किया है। एक और घटना उस समय हुई थी, जिसकी मांग हम लोगों ने स्वयं उस समय की थी कि इस घटना की जांच सी0बी0आई0 से करायी जाय। उस समय जब यह मांग की गयी थी तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने भी कहा था कि हां इसकी जांच होनी चाहिए लेकिन सरकार आने के बाद तो वह भी भूल गए। न जांच हुई, न मिल चली। ऐसे ही 5 साल गुजर गए। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों का बहुत शोषण हुआ है। बुलन्दशहर शुगर फैक्ट्री बहुत बड़ी और अच्छी इंडस्ट्री थी। वहां पर किसानों का उत्पीड़न हुआ। किसानों ने गन्ना बोना बंद कर दिया। इन सात–आठ सालों में किसानों का बहुत बड़ नुकसान हुआ है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध भी है, जिस प्रकार से मेरे विपक्ष के साथियों ने उस मिल को बर्बाद करने का काम किया वह मिल पुनः चले और किसानों की समस्याओं का समाधान हो। वहां पर किसान ठीक प्रकार से गन्ने को पुनः बोकर अपनी कृषि आमदनी भी बढ़ा सकें।

एक और घटना बुलन्दशहर के अंदर हुई, वहां पर बहुत बड़ा कोल्ड स्टोर था। बुलन्दशहर में आलू का उत्पादन बहुत होता है, कोल्ड स्टोर बंद होने से आलू की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कोल्ड स्टोर को जिस प्रकार से बर्बाद करने का काम किया गया, बहुत बड़ी लूट उसमें हुई, उसके सामान बेच दिए गए, वह कोल्ड स्टोर भी नही चले। वह कोल्ड स्टोर चालू हों, जिससे हमारे किसानो की समस्याा का समाधान हो और जो आलू उत्पादक हमारे किसान हैं उनको आलू ठीक प्रकार से रखा जा सके। इस बार भी आलू की बहुत अच्छी पैदावार

हुई थी। हमारे सामने बैठे लोगों ने जिस प्रकार के काम किए, यहां के गरीब मजदूर किसान को जिस प्रकार से तंग करने का काम किया गया और जिस प्रकार के घपले हुए उनको ठीक करने की आवश्यकता है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, उन सबको ठीक करने का काम किया गया हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया जायेगा और गुण्डागीरी को समाप्त करने का काम किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए और सरकार ने जो काम किए है उनकी तारीफ करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

'डा0 राकेश कुमार वर्मा उर्फ आर0के0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर, अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 की विधान सभा चुनाव के परिणाम के बाद 238 नवनिर्वाचित विधान सभा के सदस्य जब पहली बार उत्तर प्रदेश की विधान सभा में प्रवेश किए और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने के लिए आए तो उनके मन में बड़ी आशा और उम्मीद थी। उनके मन में बड़ी अभिलाषा और जिज्ञासा थी कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से उन्हें सीख मिलेगी, ज्ञान मिलेगा लेकिन उस अभिलाषा को चकनाचूर करने का काम हमारे सदन के अंदर माननीय विरोधी दल के सदस्यों के द्वारा गोले फेंक करके, सीटियां बजाकर किया गया, जो घोर निन्दनीय है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बात तो साबित हो जाती है कि इन लोगों के द्वारा किया गया जो कृत्य है इससे यह साबित होता है कि गोला फेकने और सीटियां बजाने में इन लोगों को महरात हासिल है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, माननीय महामहिम श्री राज्यपाल के द्वारा दिया गया अभिभाषण निश्चित रूप से ऐतिहासिक अभिभाषण है और लोक कल्याणकारी है जो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदल करके विकास के नये पैमाने पर एक इतिहास लिखने का काम करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे बहुत सारे विरोधी दल के माननीय सदस्य ही कानून व्यवस्था को ले करके और सरकार के द्वारा किये जा रहे कार्यों को ले करके उंगलियां उठाने का काम कर रहे थे उन पर सवाल उठाने का प्रयास कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप भूल गये अपने सरकार के उन कारनामों को जब उत्तर प्रदेश गुण्डाराज की आग में जल रहा था, जब यह उत्तर प्रदेश जातिवाद, सम्प्रदायवाद और क्षेत्रवाद की आग में जल रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, वह आइना इनको याद नहीं है जब भू–माफियाओं का राज था थानों को चलाने के लिए थानेदार नहीं थाने को गुण्डे, अपराधी और माफिया चलाने का काम करते थे।

मैं आपके माध्यम से इन लोगों को बताना चाहता हूं कि 2007 में इस उत्तर प्रदेश की आवाम ने बड़े आशा और विस्त्रास के साथ बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी किसानों ने जब खाद मांगी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने लाठिया बरसाने का काम किया, जब नौजवानों ने रोजगार मांगा, आन्दोलन किये तो उन पर मुकदमें लादने का काम किया गया, विश्वविद्यालय के छात्रों ने जब विश्वविद्यालयों में चुनाव कराने के लिए आन्दोलन कराने का कार्य किया तो छात्र नेताओं के उपर बड़े पैमाने पर मुकदमें लादने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया था। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने 2012 में उत्तर

प्रदेश के नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों, छात्रों को ठगने का काम किया था। इन्होंने जो वायदे किये थे उसमें से एक भी वायदा पूरा करने का काम नहीं किया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इनको आइना दिखाना चाहता हूं याद करिये आप 23 अगस्त, 2013 की घटना को जब मुजफ्फरनगर का काण्ड हुआ था कई लोगों की हत्या हुई थी और लाखों लोग रिफ्यूजी कैम्प कर रहे थे उस समय संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार जिस समय लोग रिफ्यूजी कैम्प कर रहे थे उस समय पूरा का पूरा समाजवादी का कुनबा सैफई में सैफई महोत्सव मनाने का कार्य कर रहा था जब बच्चे दूध के लिए अम्मा–अम्मा चिल्ला रहे थे तब यह लोग छम्मा–छम्मा देख रहे थे।

'**श्री विनय शंकर तिवारी–**

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी मैं गोरखपुर जिले के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र 3 नदियों सरयू, राप्ती और तरैना से घिरा हुआ क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त इलाका है जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ की वजह से खेती सुदृढ़ नहीं हो पाती है, जिसके कारण नौजवानों का पलायन सदैव होता रहता है, किसान सदैव परेशान रहता है। सरकार ने अभी एक घोषणा की है चीनी मिल को चलाने के लिए जिसमें पिपराइच और मुण्डेरा चीनी मिल चलाने की बात कही गयी है। धुरियापार में चीनी मिल बनी हुयी है जो पूरी तरह से तैयार है लेकिन कतिपय कारणों से वह चीनी मिल चलाई नहीं जा रही है। यदि वह चीनी मिल चला दी जाय तो वहां के नौजवानों का पलायन रुक जायेगा और सरकार का करोड़ों रुपया वहां लगा हुआ है वह किसानों के हित में हो जायेगा। आये दिन अखबार में यह निकला करता है कि चीनी मिल को एस0एस0बी0 को दे दिया जायेगा। अगर एस0एस0बी0 वहां जाती है तो इससे वहां के किसानों का नुकसान होगा। जिन किसानों से जमीन अधिग्रहीत करके वह मिल लगी थी, उन किसानों ने सोचा था कि चीनी मिल बनेगी तो उनको फायदा मिलेगा। उस पूरे चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र में यही एक ऐसा रोजगार का साधन है जो चीनी मिल है यदि चीनी मिल चलवा देते है जिस तरह से पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल की बात कही जा रही है अगर उसी तर्ज पर धुरियापार चीनी मिल को चलवा दिया जाय तो वहां के नौजवानों को रोजगार मिल जायेगा और वहां के किसानों को रोजगार मिल जायेगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से चूंकि वह विधान सभा क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है, सरयू नदी पर ब्योरी पुल है जो कि जनहित में वहां के लोगों की बहुत दिनों से मांग रही है ब्योरी गांव में सरयू नदी पर एक पुल बना दिया जाय। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से यह भी कहना चाहते हैं कि जो वहां गोला तहसील मुख्यालय है लेकिन आज तक वहां पर बस स्टेशन की व्यवस्था नहीं की गयी है यह सरकार इस नारे के साथ आई थी कि सबका साथ सबका विकास होगा लेकिन आज तक वहां बस स्टेशन नहीं बन पाया है तो वहां बस स्टेशन बनवा दिया जाये जिससे कि वहां के लोगों को आवागमन की सुविधा हो जाय और लोग मुख्यालय से या कहीं और से अपने गंतव्य को आ जा सकें। इसी तरह से जो गोला तहसील मुख्यालय है वहां पिछली बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी जब वहां गये थे तो बड़हलगंज को नगरपालिका घोषित करके आये थे और पुरवा को टाउन एरिया बनाने की बात कही गयी थी। हम चाहते हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि बड़हलगंज को नगर पालिका बना दिया जाय और गोला को टाउन एरिया बनाने का काम किया जाय। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस तरह का यह सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आई है यदि सब चीजों पर सत्य साबित होता है तो चिल्लूपार के लोगों को भी विकास का अवसर मिलेगा, जो अभी तक विकास से अछूता है। आपने हमें अपनी बात कहने का मौका दिया इसके लिये आपको बहुत–बहुत साधुवाद, धन्यवाद और इसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष और नेता बहुजन समाज पार्टी से अपने आपको सम्बद्व करते हुये उनकी बांतों पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्यवीर त्यागी–

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे जैसे राजनैतिक कार्यकर्ता को इस सदन में बोलने का मौका दिया। मैं किठौर विधान सभा क्षेत्र, मेरठ से चुनकर आया हूं। मान्यवर, मैं इस सदन में पहली बार आया हूं। नेता विरोधी दल बैठे हैं मैं इस सदन की कार्यवाही को बहुत ही मूकदर्शक बनकर देख रहा था और सबसे पहले जो मेरा इम्प्रेशन नेता विरोधी दल और जो वरिष्ठ नेता विपक्षी दलों के बैठे हैं, उनके बारे में था तो वह खाली छलावा और भ्रम था। जिस दिन महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हो रहा था, उस दिन वह सारा इम्प्रेशन छिन्न–भिन्न हो गया और जो विरोधी दल के नेता सामने बैठे हैं आदरणीय चौधरी साहब, जो इनके प्रति मेरे दिमाग में छवि थी उसमें जरूर एक खरोंच आने का काम हुआ है। क्योंकि इनके सामने माननीय राज्यपाल जी के उपर गोला फेंकने का काम हुआ, तो मैं इसकी घोर शब्दों में निन्दा करता हूं और निश्चित तौर पर इनकी जो गरिमा है, जिसकी हम कल्पना करते थे, उसमें जरूर उसके स्तर में मैंने गिरावट देखी। मैं अपनी बात को महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए शुरू करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

सभी मा0 सदस्य बोलना चाहते है और एक अच्छा वातावरण बना है कल से, परसों से इस पर चर्चा हो रही है। मेरे पास तमाम तरह से अनुरोध भी आते हैं, पार्टी के लोग भी देते हैं, मेरी इच्छा थी और है कि अधिकांश सदस्य अपनी बात रख लें, कई बार हमारे प्रेम और आदर के कारण, कई बार उत्सुकता के कारण कुछ मा0 सदस्य यहां तक चले आते हैं। हमारे पहले के पूर्व आदरणीय अध्यक्षों और समय–समय पर पीठासीन अधिष्ठाता महानुभावों ने ऐसा घोषित किया है कि यहां नहीं आना चाहिए। हालांकि मुझे कोई बहुत आपत्ति नही रहती लेकिन यदि यहां न आयें तो जरा सुन्दर लगेगा।

श्री सत्यवीर त्यागी–

मान्यवर, आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो खाका अपनी सरकार का महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से इस सदन में खींचने का काम किया है।

(इस समय 1 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए)

मैं पूरी तरह से और पुरजोर तरीके एड़ी से चोटी तक जोर लगा करके उसका समर्थन करता हूं और निश्चित तौर पर जो पहले की सरकारें रही हैं जिनके सदस्य आज विपक्ष में बैठे हैं, उसमें जो मंत्री रहे हैं उन्होंने भ्रष्टाचार की सीमा को लांघ करके जो काम किये हैं उन्हें मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं। मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसमें एक पूर्व मंत्री ने, वहां पर एक रार्धना गांव है, रार्धना गांव में कट्टा बनाने की फैक्ट्री हैं, पूरे देश में और पूरे संसार में वहां का कट्टा (तमंचा) बड़ा मशहूर है

और वहां हजारों कट्टा (तमंचा) बनाने की फैक्ट्री पकड़ने का काम इस सरकार में हुआ है। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात पर आना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में कोई महीना ऐसा नहीं था जब उस क्षेत्र से पशु चोरी न किये जाते रहे हों। पशुवध का काम खेतों में किया जाता था इस तरह का क्षेत्र मेरे ख्याल से यहां का कैबिनेट मंत्री जो सरकार में शामिल था और मा0 नेता विरोधी दल हमारी सरकार और अपनी सरकार में जो आंकलन कर रहे हैं मुझे कहने में शर्म आती है कि उस क्षेत्र से जो मंत्री था उसने 15 हजार वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का काम किया और 15 हजार फर्जी वोटरों को जो 15 साल 12 साल के बच्चे थे उनको शामिल कराने का काम किया। उसने अधिकारियों को अपने सामने बुला करके डांटने का काम किया, मैं निन्दा करता हूं ऐसे मंत्रियों की, ऐसी सरकार की, जिन्होंने अपने विरोधियों को लगातार दबाने का काम किया। चार मुकदमें मेरे जैसे व्यक्ति पर उस व्यक्ति ने लगवाने का काम किया और सैकड़ों किसानों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करायी और जिनके पशु चोरी होते थे उनके उपर गोलियां चलाई जाती थी। जिस खेत में पशु काटे जाते थे वहां पर अपराधी गोली चला करके किसानों को डरा करके भगाने का काम करते थे।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने बहुत गम्भीर आरोप लगाये हैं, ये विशेषाधिकार का भी मामला बनता है। या तो मा0 सदस्य यह प्रमाणित करें कि जो इन्होंने कहा है कि सत्य है अन्यथा वह सदन में माफी मांगें।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो आपने कहा है उसे दिखवा लिया जायेगा, जो उचित होगा वही उसमें रहेगा। आप सभी लोग अपने आसन पर बैठ जाएं।

श्री सत्यवीर त्यागी–

मान्यवर, मैं अपनी बात को लिखित में दे करके साबित कर सकता हूं। 50 हजार साइकिल मेरे विधान सभा क्षेत्र, पूरे जिले की बात छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, 50 हजार साइकिल बांटने का काम किठौर विधान सभा क्षेत्र में जिस मंत्री की आप बात कर रहे हैं उस मंत्री ने कराने का काम किया है। मान्यवर, मेरे अन्दर पीड़ा है वह उस बात की पीड़ा है कि अगर विकास का काम हुआ होता, अगर वहां कोई उद्योग खोलने का काम हुआ होता। अगर बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम हुआ होता तो मुझे खुशी होती। पूर्व मंत्री जिन कामों में लिप्त थे, मैं केवल एक मंत्री की चर्चा कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, संक्षेप करिये, आरोप मत लगाईये।

श्री सत्यवीर त्यागी–

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां काली नदी है जो बहुत प्रदूषित है। यह नदी कई जिलों में जाकर प्रदूषण फैलाने का काम करती है जिससे हमारे क्षेत्र में प्रदूषण एक समस्या है। एक सैनी गांव है उसमें 05 गत्ता मिल हैं उसकी गन्दगी से लेकर पूरे मेरठ शहर की गंदगी इस नदी में डाली जाती है। मान्यवर, मैं काली नदी को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए आपसे निवेदन करता हूं किठौर विधान सभा क्षेत्र के तीन ब्लाक डार्क जोन में हैं, डार्क जोन से उन्हें निकाल करके किसानों को नये कनेक्शन देने का काम किया जाए। (सुफियाबाद लोटी) एक गांव है वहां पर काली नदी पर पुल नहीं है

जिस कारण से लोगों को आने–जाने की दिक्कत होती है उस पर पुल बनाने का काम किया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करिये।

श्री सत्यवीर त्यागी–

मैं बधाई देता हूं अपने मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि जिन्होंने संकल्प पत्र के वायदों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है उसमें तमाम अच्छी बातें कही गयी हैं, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करिये।

श्री सत्यवीर त्यागी–

मान्यवर, हमारे यहां गन्ना मिल सुचारु रूप से चलाने के लिए माननीय मंत्री जी गये थे और गन्ना किसानों का 14 दिनों के अंदर गन्ने का भुगतान कराने का कार्य इस सरकार ने किया है। मैं बधाई देता हूं गन्ना मंत्री जी को कि उन्होंने तीन बार जाकर के वहां के अधिकारियों को हड़का कर 14 दिनों में गन्ने का पेमेन्ट सुनिश्चित कराने का काम किया है। हमारे जिले मे गड्ढ़ामुक्त सड़कें बनाने का काम हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है तो विकास के काम यह सरकार करा रही है। इसी के साथ अधिष्ठाता जी, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

'**श्री अवस्थी बाला प्रसाद–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में आपने बोलने का अवसर दिया, मैं हृदय से आपका आभारी हूं। सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूं कि धन्य है इस उत्तर प्रदेश की महान गरीब जनता जिसने मोदी जी पर विश्वास करके इतना बड़ा मैन्डेट दिया। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो विगत सरकारों की उपलब्धियां रही हैं, तमाम विषय हमारे विद्वान नेताओं के द्वारा आये हैं, उन विषयों में चाहे बिजली रही हो, चाहे शिक्षा रही हो, कानून–व्यवस्था रही हो। बिजली के विषय में उत्तर प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र के आधार पर जो शिड्यूल तय किया गया है, विगत सरकार में तो जो भी शिड्यूल उनके थे, वह जो सम्मानित इस सदन के पूर्व सरकार के मंत्री थे उनके ही जिलों तक शिड्यूल कायम था। उत्तर प्रदेश की महान गरीब जनता जिनको बिजली कितने मिनट मिलती थी यह कोई भरोसा नहीं था। इसी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में भी, विगत सरकार में कोई गरीब अस्पताल जाता था डाक्टर उपस्थित नहीं मिलते थे, मिलते थे तो उनसे पैसा लिया जाता था तब उनको दवा मिलती थी। यहां तक कि कई बार ऐसे अवसर आये कि मुझे भी मरीजों की मदद के लिए जिला मुख्यालय के चिकित्सालय पर जाना पड़ा। मेरी पैरवी करने के बाद भी समुचित उपचार नहीं हुआ। मान्यवर, इसी तरीके से जैसे कानून–व्यवस्था की बात चल रही थी, कानून–व्यवस्था, विगत सरकार में कुछ विशेष अराजक तत्वों के द्वारा राजनैतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के द्वारा जब थानों का संचालन किया जाता था यहां तक कि कानून के रखवालों के साथ गुण्डागर्दी होती थी। तो वह जनता के साथ कैसा व्यवहार करते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे। थाने में सबसे पहले आने वाले उस गरीब से उसकी जात पूछी जाती थी। उसका दल पूछा जाता था उसके बाद धक्का देकर वह थाने से बाहर कर दिये जाते थे। मान्यवर, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा शारदा और घाघरा दो नदियों के बीच की विधान सभा है। जिसमें प्रतिवर्ष सैकड़ों गांव का कटान होता है, बाढ़ आती है, सड़कें टूट जाती हैं वहां इस सरकार में जो गेहूं के क्रय केन्द्र लगाये गये। मेरी विधान सभा में मेरे चार बार विधायक रहने के बावजूद इस बार पहली बार 18 गेहूं क्रय केन्द्र संचालित हुए जिनमें

आम किसान का गेहूं खरीदा गया (मेजों की थपथपाहट) विगत सरकारों में, मैं स्वयं किसान हूं बिचौलियों के द्वारा मंडी से गेहूं गलत कागजों के आधार पर क्रय केन्द्रों पर आपूर्ति किया जाता था। किसी किसान का गेहूं नहीं खरीदा जाता था। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम अपनी विधान सभा में जितनी जिलों में खरीद होती थी उतना हमारी विधान सभा धौरहरा में गेहूं की खरीद किसान की हुई। इसके साथ–साथ कहना चाहता हूं कि कोई टाउन एरिया या नगर पालिका या नगरीय क्षेत्र हमारी विधान सभा में नहीं है।

मान्यवर, बाढ़ का भीषण प्रकोप होने के कारण, बिजली का एक पावर हाउस, वह भी वहां से 70 किमी0 दूरी तक बिजली की आपूर्ति होती है। कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ उसको जोड़ना चाहता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा और जनपद लखीमपुर खीरी का आधा हिस्सा पेयजल के गम्भीर संकट से जूझ रहा है क्योंकि वहां आर्सेनिक की मात्रा बहुत है। कई बार विगत सरकारों में जांच की गई लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आर्सेनिक इतना ज्यादा है कि वहां प्रदूषित जल पीने से आम आदमी को घेंघा की, कैंसर की, आंख जाने की नाना प्रकार की बीमारियां होती है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से निश्चित रूप से हमारी विधान सभा का भी संज्ञान लिया जाय। जो चीजें कहीं से कतिपय कारणों से छूटी हैं वह निश्चित रूप से जोड़ ली जायं। अपने विधान सभा की कुछ विभिन्न समस्याओं को लेकर हमने एक पत्र लिखा है। हम चाहेंगे कि इस धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन के पक्ष में मेरी वह समस्याएं जोड़ ली जायं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

'श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने नेता विरोधी दल के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस सरकार को बने दो महीने हो रहा है। मान्यवर, माननीय महामहिम राज्यपाल का यह जो छपी हुई किताब है उसमें ऐसी कोई नई योजना नहीं हैं। जो पहले की योजनाएं हैं उन्हीं के तर्ज पर बनाया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव की सरकार में जो योजनाएं लागू की गई थी उनको मैं जानता हूं और हमारे पुराने सदस्य भी जो यहां उपस्थित हैं जानते है कि देश की आजादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का विकास कभी नहीं हुआ था। हर योजनाएं उन्होंने लागू करने का काम किया लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनकी जो योजनाएं थी उन पर आज कार्य नहीं किया जा रहा है। उस पर रोक लगाने का काम किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो लखनऊ से सुल्तानपुर होते हुए आजमगढ़ और गाजीपुर बलिया जा रहा है इस एक्सप्रेस वे के बनने से जो भी गांव हमारे सुदूर एरिया के हैं उनको रोजी–रोटी से जोड़ने का काम होगा। हमारी कानून व्यवस्था जो है, दो महीने के अन्दर जिस तरह से लूट डकैती हत्यायें हुई हैं आज तक किसी शासन में दो महीने के अन्दर इतने बड़े पैमाने पर अपराध नहीं बढ़ा था। हमारे आजमगढ़ में परवा थाने में कंचनपुर में दिन दहाड़े एक सोने की दुकान को लूटने का काम किया गया। इसी तरह से मथुरा में, मथुरा की घटना सबको मालूम है किस तरह की घटना हुई। हत्यायें भी हुई और लूटने का भी काम किया गया। हमारे मा0 प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस, बनारस में दस करोड़ की डकैती पड़ी, लेकिन आज तक उसका कोई पर्दाफाश नहीं हो सका। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार हर मुद्दे पर फेल है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पेंशन बड़ी योजना थी। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने इसको लागू किया था करीब 55 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा था आने वाले दिनों में यह घोषणापत्र में था कि

हमारी सरकार आती है तो हम एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को एक हजार रुपया महीने देने का काम करेंगे। मगर यह लोग विकास के नाम पर नहीं आए हैं यह लोग गरीब जनता को गुमराह करके सरकार में आने का काम किए है। आज जनता पछता रही है आज मैं यह जरूर कहना चाहता हूं सदन के अन्दर, कि जो काम हमारे मा0 अखिलेश यादव जी ने, अपने शासन काल में प्रदेश के लिए किया है, गांव के लिए किया है, गरीब जनता के लिए किया है, आज उत्तर प्रदेश की जनता की पूरी आस्था माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार में किसानों को नहरों का पानी उत्तर प्रदेश में फ्री देने का काम किया गया था और टेल तक पानी पहुंचा और उसकी सिल्ट सफाई बहुत बड़े पैमाने पर हुई। किसानों को इसका लाभ मिला, आज बिजली व्यवस्था कितनी खराब है, हमारी पूर्व सरकार में 18 घंटा बिजली गांव के लिए और 24 घंटा बिजली शहरों के लिए थी। (शोर) पूरे प्रदेश में बिजली की कमी नहीं थी। माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने उत्पादन को बढ़ाया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

ट्रांसफार्मर अगर जल जाए तो 24 घंटे के अन्दर ट्रांसफार्मर को बदलकर लगाने के निर्देश थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने इसकी व्यवस्था की थी कि कोई किसान अपने साधन से ट्रांसफार्मर नहीं ले जाएगा उसका सरकारी गाड़ी से ले जाने और ट्रांसफार्मर को लगाने का काम हमारी सरकार ने किया था। मैं यह कहना चाहता हूं आप पता लगा लें कि आज गांव में क्या स्थिति है आज गांव में आठ–दस घंटा बिजली मिल रही है। शहरों में कटौती हो रही है और पूरे प्रदेश की जनता इसको जान रही है। मा0 आजम खां जी ने इस बात को प्रश्नकाल में उठाया था।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। जो बोल रहा है उसे बोलने दें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

आपके खनन के बन्द करने से वाकई में जो गरीब आदमी है किसान है वह अपना मकान नहीं बना पा रहा है। यह गरीबों के हितैषी हैं गरीबों का वोट लेकर आए हैं लेकिन इनकी वजह से प्रजापति समाज के लोग जिनकी रोजी रोटी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उसको मार्केट में ले जाकर बेचने का काम करते हैं। कुल्हड़ बनाते हैं भगवान की मूर्तियां बनाते हैं बर्तन बनाते हैं आज कोई एक ट्राली कहीं से लेकर कोई आता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके बन्द कर देती है। आज गरीब परेशान है वह रोजी रोटी को मोहताज हो गया है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इसको गम्भीरता से लेने का काम करें। पूर्व में हमारी सरकार के समय में सरकारी अस्पतालों में दवा की कमी नहीं थी सांप की सुई, कुत्ते की सुई की कोई कमी नहीं थी दवा गरीबों को बराबर मिलती थी आज स्थिति यह है कि दवा अस्पतालों में नहीं है। डाक्टर क्या करता है पर्चों पर दवा लिख देता है मजबूर होकर गरीबों को बाहर दुकानों से दवा खरीदनी पड़ती है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार गौ रक्षा के नाम पर एक आतंक फैलाने का काम करती है हम भी हिन्दू हैं यह सभी लोग भी हिन्दुत्व का नारा देते हैं हिन्दुत्व का नारा देने से प्रदेश और देश का विकास नहीं हो सकता है। काम करने से विकास होगा हम लोग कर्म में विश्वास रखते हैं काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने माननीय नेता जी की जब सरकार थी जो वायदा किए जो घोषणाएं उन्होंने की थी उन घोषणाओं को उन्होंने पूरा करके जनता को संदेश देने का काम किया।

श्री अधिष्ठाता–

आप संक्षिप्त करें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

आप किसानों के कर्जा माफी की बात किए हैं एक लाख रुपये तक माफ करने की बात की है मैं कहना चाहता हूं कि किसानों का कर्जा सम्पूर्ण माफ होना चाहिए जो गरीब उस श्रेणी में आते हैं उनका पूरा कर्जा माफ करने का काम करना चाहिए। मान्यवर, हमारी सरकार ने वन विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आशीर्वाद से पांच करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाकर विश्व रिकार्ड कायम करने काम किसी ने किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बोलने से काम नहीं चलता है काम करने से काम चलता है।

श्री अधिष्ठाता–

दुर्गा प्रसाद जी आप सीनियर हैं पीठ की ओर मुंह करके अपनी बात रखें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं हैं उसको पूरा किया जाए हमारे आजमगढ़ में गांव में बिजली का कार्य हो रहा था आज उसको रोक दिया गया है ओवर ब्रिज का काम रोक दिया गया सड़कों का काम रोक दिया गया इस तरह का काम यह सरकार कर रही है। मैं तो कहना चाहता हूं कि जनहित का काम होना चाहिए जो भी जनहित की योजनाएं हों उनको पूरा कराने का काम करें। अभी दो महीने की यह हालत है आगे आने वाले समय में क्या होता है हम उस पर नहीं कहना चाहते

यह तो पूरा प्रदेश देखेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन पर बल देता हूं।

श्री अजय कुमार ''लल्लू'' द्वारा कांग्रेस के सदस्य को चर्चा में भाग लेने का अनुरोध करने पर श्री अधिष्ठाता ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा विपक्ष की ओर से एक सदस्य एवं सत्ता पक्ष की ओर से दो सदस्यों को चर्चा में भाग लेने के लिए निर्णय लिया गया है।

'**श्रीमती रजनी तिवारी–**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। विगत 10 वर्षों से माननीय सदन का सदस्य होने के नाते मुझे पहले भी अभिभाषण सुनने का मौका मिला, उसका अवलोकन किया, लेकिन इतना पारदर्शी एवं लोकहितकारी नीतियों से परिपूर्ण अभिभाषण मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये नीतियों का समुचित निर्धारण किया गया। पटरी दुकानदार से लेकर मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, गृहणियों आदि सभी को उचित भागीदारी दी गयी। मान्यवर, हमारी सरकार का संकल्प है 'सबका साथ सबका विकास'। इस संकल्प के साथ ही प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। विगत सरकार में मैं बजट पर कटौती प्रस्ताव रखती थी सिर्फ इसलिये नहीं कि मैं विपक्ष की विधायक थी, अपितु वह बजट होता ही इस तरह का था, जिसमें जनहितकारी नीतियां या तो अदृश्य होती थी या फिर स्पष्ट ही नहीं होती थी।

मा0 अधिष्ठाता जी, विगत सरकार में उचित–अनुचित, न्यायसंगत या लोकहितकारी जैसे शब्दों पर कोई सुनवाई नहीं की जाती थी। विपक्ष का सदस्य होने के कारण ऐसा लगता था कि जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया है। जब इस सदन में हम लोग आते थे और अपनी समस्याओं को कहते थे तो उस समय सरकार की नीतियां ऐसी होती थी कि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी और सरकार की जो लाभकारी नीतियां थी, उनका आवंटन किया जाता था, वह हमारे क्षेत्र के लिये नहीं हुआ करता था। क्या इसी तरह से सरकार चलाई जाती है ? क्या सरकार का यही दायित्व होता है ? जनता सब जानती है। पूर्ववर्ती सरकार विकास के बहुत से दावे किया करती थी। आज जो उधर बैठे है यही लोग इधर बैठे थे और सरकार के विकास के बड़े–बड़े दावे करते थे, लेकिन वह यथार्थ से बहुत दूर थे इसलिये जनता ने उन्हें जनादेश से दूर कर दिया।

मा0 अधिष्ठाता जी, यह पूर्ववर्ती सरकार स्वच्छ प्रशासन का दावा करती थी। इनका यही स्वच्छ प्रशासन था कि एक पूर्व मंत्री को कई बार मंत्रिमण्डल से निष्कासित किया गया और निष्कासित करने के बाद उनको फिर शामिल कर लिया गया। उनको तो शायद शपथ भी याद हो गयी होगी। यही इनका स्वच्छ प्रशासन था। इनकी सरकार का कार्यकाल कुछ इस तरह से था। इनके पहले के तीन साल तो सिर्फ सही बताने में चले गये कि पूर्ववर्ती सरकार का कार्यकाल कैसे गुजरा। चौथे वर्ष में इन्होंने कुछ योजनाएं बनाई, लेकिन इनका पांचवा वर्ष आपसी कलह में बीत गया, जिसके कारण इन्होंने जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजनाएं बनाई उसमें से कई योजनाएं तो ऐसी थी जो जनता के बीच में जाने से पहले ही दफन हो गयी। कुछ योजनाएं जनता के बीच में छलावे की तरह आई और फिर वापस चली गयी, जनता के बीच में वह लागू नहीं हो पायी और इनकी कुछ योजनाएं जो लागू हुयी उनका संचालन सही ढंग से नहीं किया गया और बहुत ही जल्दबाजी में इन लोगों ने कुछ आधी–अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर दिया था। हमारी पार्टी पर जनता ने भरोसा दिखाया और हमारी पार्टी को जनता ने प्रचण्ड बहुमत की सरकार दी। आज हमारी सरकार इसका सम्मान करती है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृव्य में सरकार ने सफलतापूर्वक कार्य करना शुरू कर दिया है। हमारे मुख्य मंत्री जी कार्य का जो समय निर्धारित करते हैं उससे पहले ही कार्य सम्पन्न कर देते हैं। हमारी सरकार के गठन के तुरन्त बाद विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि सरकार की कैबिनेट बैठक कब होगी, कैबिनेट बैठक में क्या होगा। मान्यवर, हमारी शिष्टाचार बैठक को ही यह लोग कहने लगे कि सरकार की कैबिनेट की बैठक हो गई और उस बैठक में क्या हुआ। परन्तु हमारे मुख्य मंत्री जी के निर्णय लेने की क्षमता को कैबिनेट बैठक से पहले ही प्रदर्शित कर दिया और विपक्ष को यह भी बता दिया कि यदि लोकहित में कोई कार्य करना हो तो उसके लिए औपचारिकताओं का बहाना नहीं बनाना चाहिये। मान्यवर, जैसा कि श्री राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा है कि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ अभूतपूर्व जनादेश देकर मेरी सरकार का गठन किया है। मेरी सरकार का मानना है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं आयेगी, तब तक विकास का सपना अधूरा रहेगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में लाना और सबका साथ, सबका विकास करना हमारा संकल्प है। कल तक जो सरकार में थे, आज छोटे से विपक्ष में सिमट कर रह गये, आप सबको हंगामा करने की बजाय हमारी सरकार से सीखना चाहिये। हमारी सरकार विपक्ष के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेगी। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार की तरह ही कार्य करेगी क्योंकि वोटो का बंटवारा हो सकता है लेकिन जनता का नहीं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद।

'श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रश्न में बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, मैं प्रथम बार इस सदन में आया हूं और प्रथम दिन मैंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विपक्ष की भूमिका देखी, हमारे जो नेता विरोधी दल हैं और युवाओं के तथाकथित प्रेरणास्रोत बनने वाले पूर्व मुख्य मंत्री महोदय जिस तरीके से हमारे विरोधी दलों के सदस्य अमर्यादित और असंसदीय आचरण का मनोबल बढ़ाते हुए काम कर रहे थे मैं समझता हूं कि जनता न उनके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया है जिस तरीके से यह झूठ बोलकर सत्ता में आने का काम करते थे और जनता समझ गयी और उन्हें विपक्ष में बैठने का अवसर प्रदान कर दिया। मान्यवर, हमारी सरकार की नीयिां बहुत ही जनापयोगी, गरीबों, किसानों की कल्याणकारी नीतियां है और समाज के सभी लोगों को,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने वाली हैं। मान्यवर, हमारी सरकार ने खासकर किसानों, गरीबों पिछड़ों, दलितों के कल्याण की योजनाएं दी हैं। वही छात्र–छात्राओं और बेरोजगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं जारी की हैं। मान्यवर, हमारी विगत सरकारों ने समाज में भेदभावपूर्ण कार्य करके उन सरकारों ने यहां तक कि किसानों में भेदभाव करके, जब हमारे किसानों पर आपदा आयी तो पीड़ितों की राहत के लिए जो पैसा गया था उसमें किसानों का चेहरा देखकर, बंटवारा कर समाज को बांटने का काम किया था। वहीं हमारी सरकार ने सभी गांवों और कस्बों को समान रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय किया है। हमारे प्रदेश में हर क्षेत्र में खेत के लिए पानी पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई खण्ड की स्थापना करके किसानों को राहत देने का काम किया। वहीं गांव के गरीबों को पं0 दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के अन्तर्गत एक लाख आवास दो लाख रुपये तक की कीमत के देने का प्रावधान किया है। हमारी सरकार अल्पसंख्यक छात्राओं की शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए जहां चालीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया है वहीं दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु और पिछड़े वर्ग की दशमोत्तर कक्षा की छात्राओं की शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु क्रमशः 751 और 551 करोड़ रुपये का प्रावधान करके इस प्रदेश के समुचित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार किया है। मान्यवर, हमारी सरकार ने वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना का प्रावधान किया है। 2018 तक सभी ग्रामों को खुले में शौंच से मुक्त करने का लक्ष्य लागू करके स्वच्छता की और जागरूक किया है। वहीं हमारी सरकार ने 15 जून, 2017 तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने का निर्णय किया है। प्रदेश मे भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए ई–टेंडरिंग की व्यवस्था करने का काम किया है। हमारी सरकार ने कृषकों के एक लाख तक फसली ऋण को माफ करने के लिए लघु और सीमांत कृषकों को राहत देने का निर्णय लिया है। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए कानून का राज स्थापित कर जनसामान्य और खासकर महिलाओं को सुरक्षा देने का कार्य किया है। मान्यवर, मेरी विधान सभा वास्तव में बहुत पिछड़ी विधान सभा है जहां 20 वर्ष से कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। पुरानी विगत सरकारों ने आधे–अधूरे कामों का शिलान्यास करने के बाद उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त होने के बाद काम रोक दिए गये हैं। मेरी विधान सभा में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। मेरी विधान सभा के कई गांव गंगा के कटान से पीड़ित हैं। हमारे यहां कुछ अस्पताल, आई0टी0आई0 का भवन और स्कूल के भवन अधूरे पड़े हुए हैं उनको शीघ्र पूरा कराने का काम हमारी सरकार करे। इसके साथ ही मैं मा0 राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य मसूद अख्तर जी।

श्री मसूद अख्तर–

मैं अधिष्ठाता महोदय का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने आज सदन में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूं इस सदन का नेता विरोधी दल मा राम गोविन्द चौधरी जी का, नेता बहुजन समाज पार्टी लालजी वर्मा जी का, नेता कांग्रेस पार्टी अजय कुमार लल्लू जी का और विपक्ष के सभी नेताओं का और इस सदन का धन्यवाद करता हूं। मा0 अधिष्ठाता जी सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल जी, के अभिभाषण पर जो कुछ हुआ उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि मैं पहली बार चुनकर आया हूं। जब मैंने अपने सीनियर साथियों से जब ये पूछा कि ये क्या हो रहा है ? तो उन्होंने

बताया कि यह परिपाटी है, ट्रेडिशन है। मैं इस विषय पर पक्ष और विपक्ष दोनों से इतना ही कहना चाहता हूं कि परिपाटी वह डाली जाये तो जनता के हित में हो। वह परिपाटी न डाली जाये जिससे इस देश और प्रदेश में हमारा सिर शर्म से झुके। मा0 अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था के मामले में हमारे विपक्ष के नेता मा0 राम गोविन्द चौधरी जी ने और सभी विपक्ष के नेताओं ने बहुत ही विस्तार से प्रदेश की घटनाओं के बारे में चर्चा की। मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहुंगा। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि जनपद सहारनपुर में 20 दिन में तीन घटनायें घटने का काम हुआ और खासतौर से मेरे क्षेत्र सहारनपुर देहात विधान सभा में एक ग्राम सड़क दूधली पड़ता है। उसी गांव से यह मामला शुरू होने का काम हुआ। जिसमें हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी ने 09 मई की घटना के बारे में एक पूर्व विधायक का जिक्र किया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 09 मई की घटना से पहले जहां से शुरूआत हुयी वह 20 अप्रैल की घटना सड़क दूधली से होने का काम हुआ। अगर 20 अप्रैल की घटना न घटती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाद की दोनों घटनायें भी न घटती। मैं इस विषय पर विस्तार से न जाते हुये, जो घटनायें 20 अप्रैल को हुयी, जिसकी कमी की वजह से हुयी, जिन लोगों ने उसमें शुरूआत करने की कोशिश की, उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर में इन घटनाओं के साथ साथ जिस तरह से जातीय संघर्ष शुरू होने का काम हो रहा है यह बहुत ही चिंता का विषय है।

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां के लिए एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाये। जिससे भविष्य में उसकी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और भविष्य में इस तरह की साम्प्रदायिक और जातीय हिंसा होने का काम न हो। मा0 अध्यक्ष जी चूंकि हम सभी अपने–अपने भाषणों में चुनाव से पहले कहते हैं कि किसान अन्नदाता है। जब–जब भी इस देश पर परेशानी आयी तो किसान की वजह से ही कभी यहां पर भुखमरी होने का काम नहीं हुआ। यहां का किसान अपना पेट काटकर दूसरों के जिला अनाज पैदा करने का काम करता है। इसलिए मैं किसानों के लिए यहां पर कुछ बातें रखना चाहता हूं। हमारे जनपद सहारनपुर में हर किसान के लिए सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता हैं जनपद सहारनपुर में मेन कैनाल पूर्वी यमुना नहर हथिनीकुण्ड बैराज से निकलने का काम होता है। उससे बहुत सारा एरिया सिंचित होने का काम होता है। मान्यवर, 1994 में पांच स्टेट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पांचों स्टेट में एग्रीमेंट के आधार पर पानी का बटवारा हुआ था। लेकिन 1999 में जब उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो जो पानी उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता था उसी के हिस्से में से काटकर आधार पानी उत्तराखण्ड को दे दिया गया। जबकि होना यह चाहिए था कि बाकी चारों स्टेट से भी बराबर–बराबर पानी कम करके उत्तराखण्ड को मिलना चाहिए था। मान लीजिए कि अगर 500 क्यूसिक पानी उत्तर प्रदेश के हिस्से में था तो उसमें से 250 क्यूसिक काटकर उत्तराखण्ड को देने का काम किया गया। मान्यवर, सरकार की भी मंशा है कि टेल तक पानी पहुंचे। इसलिए कम पानी होने की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसकी दोबारा से जांच कराकर जो पानी उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है और उत्तराखण्ड के हिस्से में आता है। दोनों जगह एक ही सरकार है। यह काम हो सकता है।

बाकी स्टेट्स से दोनों स्टेट के हिस्से का पानी लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड को दिया जाए जिससे कि किसानों की समुचित सिंचाई की व्यवस्था हो सके और टेल तक पानी पहुंचने का काम हो। मान्यवर, मैं किसानों और क्षेत्र के बारे में और दो–चार चीजें कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करिए।

श्री मसूद अख्तर–

ठीक है, मान्यवर, ज्यादातर पावर हाउस उत्तराखण्ड में हैं, सभी पावर हाउसेज उत्तराखण्ड में ही हैं। वहां पर पावर हाउस में सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और वह अपनी मर्जी से पानी छोड़ने का काम करते हैं। मान्यवर, इतना अनुरोध करना चाहता हू कि जितना पानी छूटे, वह एक साथ छूटे, यह न हो कि अपनी मर्जी से वह पानी छोड़ें क्योंकि इससे किसानों की सिंचाई का मुद्दा बाधित होता है। मान्यवर, जनपद सहारनपुर में 6 अप्रैल को ओलावृष्टि होने का काम हुआ, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजे का पैसा मिलने का काम नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी उनको उचित मुआवजा मिलने का काम हो। मैं स्वास्थ्य के बारे में एक बात रखना चाहता हूं, सहारनपुर में मेडिकल कालेज बना हुआ है, सैकुल हिन्द मौलाना महमदुल हसन के नाम से, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर अभी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। वहां पर न ट्रामा सेण्टर बना है, न ही वहां पर अभी तक एम0आर0आई0 और सी0टी0 स्कैन किए जाने की व्यवस्था हुई है। नही सुपर स्पेशिलिटी डा0 है, मेरा अनुरोध है कि जो बाकी 25 मेडिकल कालेज सरकार ने एलान किये हैं, उनसे पहले जो पहले से मेडिकल कालेज चल रहे हें, उनमें मूलभूत सुविधाएं दी जायें, जिससे कि सभी को उसका फायदा पहुंच सके। आखिर में मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में बाईपास रिंग रोड जो वहां पर बनाई जानी थी, बहुत सालों पहले किसानों की जमीन भी अधिगृहीत हो गई थी, लेकिन अभी तक वहां रिंग रोड व बाईपास नही बन पाया है। लगातार जाम में जिला ग्रस्त रहता है। मेरा अनुरोध है कि वहां पर बाईपास और रिंग रोड बनायी जाये। डार्क जोन हमारे जनपद में घोषित है, चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश के काफी ब्लाकों को डार्क जोन घोषित किया गया है, वहां पर सरकारी तौर पर छोटे किसानों के ट्यूबवेल नहीं लगाये जा रहे हैं। जनपद सहारनपुर गंगा और यमुना के बीच होने की वजह से वहां जल–स्तर काफी उपर है, 25 फीट पर जल स्तर है। मेरा अनुरोध है कि जनपद सहारनपुर को डार्क जोन से मुक्त किया जाए। मेरा एक और अनुरोध है कि जनपद सहारनपुर के शाकम्भरी कालोनी से जनता रोड के बीच ढमोला नदी का पुल बनाया जाना जनता के हित में बहुत जरूरी है, उससे कम से कम 100 गांव जुड़ने का काम होगा। सहारनपुर में ग्राम दतौली मुगल में नागादेव नदी का पुल भी जल्दी से जल्दी बनाने का काम हो।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया। अब माननीय सदस्य श्री वीर विक्रम सिंह जी।

*श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'–

सबसे पहले अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया। चूंकि मैं नया हूँ, पहली बार चुनकर आया हूँ। सबकी इच्छा होती है कि महामहिम राज्यपाल के चन्द भाषण उनके कानों में जायें। हम सब लोग यहां पर जीत कर आये हैं और नए सदस्य ज्यादा है। एक माननीय सदस्य यहां पर सीटी लेकर आए थे, उसकी वजह से माननीय महामहिम श्री राज्यपाल की आवाज हम लोगों के कानों तक नहीं पहुंच पायी। इसकी मैं कड़ी निन्दा करता हूँ कि आगे कभी ऐसा न हो। अगर विपक्षियों को विरोध करना था, हमारे आदर्श महात्मा गांधी जी ने भी विरोध किया था। मैं चाहता हूं कि अगर इन्हें विरोध करना था तो ये झाड़ू लेकर आते, सफाई करते, उधर भी सफाई और इधर भी सफाई करते तो इससे एहसास होता, हम लोगों को भी एहसास होता। अगर हमारी सरकार में कोई कमी होती तो वह पूरी करती। मगर इन्होंने तो सीटी बजाई और सीटी बजाने के बाद मान्यवर जब मा0 सदस्य बाहर गये तो वहां कैमरा परसन, मीडिया परसन के लोगों ने जब उनका इण्टरव्यू लिया तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे क्रिकेट के मैदान में शतक लगा कर आये हों। मान्यवर, उन्होंने यह बताया कि आप सीटी क्यों लेकर गये।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य अच्छा होगा अपने क्षेत्र की बात कहें।

श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'–

तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि महामहिम के अभिभाषण हम लोगों के कानों में नहीं पहुंच पाये, चूंकि मैं कटरा विधान सभा से पहली बार चुन कर आया हूँ, मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में एक नहीं तीन–तीन नदियां है, कटरी का क्षेत्र है और वहां पर पैदावार भी कम है। हम लोगों के क्षेत्र में जो कटरी का क्षेत्र है उसमें पैदावार केवल एक फसल होती है जो कि गेहूँ की फसल है, धान की फसल में वहां पर पानी आ जाता है और वहां पर फसल नहीं ले पाते हैं लोग, इसलिए गरीबी भी थोड़ी ज्यादा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र में समसीपुर पुल और भुण्डीघाट का पुल बनवाने का आग्रह करता हूँ और मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं शहीद ठाकुर रौशन सिंह जो के काकोरी षड़यंत्र केस में शहीद हुए थे, उनका पैतृक गांव भी मेरी विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। वह हमारे सब युवाओं के आदर्श रहे, मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करता हूँ कि उनके पैतृक गांव को पयर्टन स्थल का दर्जा प्रदान करने की कृपा करें, ताकि उनके आदर्श हम सब युवाओं के अन्दर आ सकें। मैं अपनी सरकार के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र नदियों के तट पर बसा हुआ है, वहां पर कभी नदी इस झाड़ पर आ जाती है, कभी उस झाड़ पर आ जाती है, तो जो भू–माफिया लोग हैं तो वहां पर अवैध कब्जा कर लेते हैं, जब कब्जा करते हैं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, पूर्ववर्ती सरकार में ऐसे कई केस थे जो अवैध कब्जा किये हुए थे, बाहुबली लोग कब्जा किये हुये थे और सत्ताधारी सत्ता के नशे में थे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं करीब 50 परसेण्ट ऐसे अवैध कब्जे मुक्त हो चुके हैं और सरकार के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से अवैध कब्जा वहां से सौ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परसेण्ट हटवा देगी। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अभिभाषण महामहिम श्री राज्यपाल का था वह एक परफेक्ट अभिभाषण था, सारे बिन्दु उसके अन्दर लिये गये, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के आम नागरिक के लिए बहुत ही सटीक है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत–बहुत धन्यवाद।

'**श्री रोशन लाल वर्मा–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बाोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारी सरकार को बने मात्र दो महीने हुए हैं, दो महीने में ही हमारे जितने विपक्ष के सदस्य हैं, ऐसे आरोप लगाये यह घटना हो गयी, वह घटना हो गयी और उसमें ज्यादातर घटनायें यहां पर बिल्कुल फर्जी दर्शायी गयी और जो घटना हुई भी है मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं विपक्ष के लोग उसमें सम्मिलित हैं। 2012 में जो हमारी पुरानी सरकार ने 28 मई को जो यहां पर महामहिम राज्यपाल जी ने बजट प्रस्तुत किया था, घटनायें इतनी लम्बी–चौड़ी दर्शायी गयी उस वक्त मात्र 09 महीने के अन्दर डकैती 211, लूट 2674, हत्या 4695, बलवा 5366, हमारी सरकार में अभी दो महीने में जो घटनायें दर्शायी गयी, वह सरासर गलत हैं या तो आत्महत्यायें हुई है या कहीं न कहीं हमारे जो विपक्ष के लोग है उसमें शामिल है और आपको बता देना चाहता हूँ मैं खासतौर से घटनायें इसलिए हो रही हैं कि कहीं न कहीं जो पुरानी सरकार की जंग लगी हुई है और ववह जंग बहुत जल्द ही हमारी सरकार छुटाने का काम करेगी।

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जिस दिन महामहिम जी का अभिभाषण था तो यहां पर निन्दा की गयी कि यहां पर महामहिम के ऊपर गोले फेके गये, तो नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत बढ़िया सफाई दी कि हम गोले बनाकर महामहिम जी को अपनी लिखी हुई बात पहुंचाने का काम कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज यह कहना चाहता हूं कि यह न्याय का मन्दिर है, न्याय के मन्दिर में हमे अपनी सही बात कहनी चाहिए और जो न्याय के मन्दिर में हमसे क्षेत्र के लोग आशा करते हैं कि हमने जिसको चुनकर भेजा है, वहां पर सही बात कहेंगे और असत्य बात नहीं कहेंगे। इसमें हमारी कहीं न कहीं विधायकी गरिमा पर जो ठेस आती है मैं विपक्ष के लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस न्याय के मन्दिर में हमारे सदस्यों को सही बात रखनी चाहिए और रही सीटी की बात अभी हमारे वीर विक्रम जी ने सीटी की बताई तो सीटी तो 11 मई को चाचा ने भतीजे के लिए ही बजा दी थी और इनका मैदान साफ हो गया। वह सीटी चाचा ने ऐसी बजाई कि इनको विपक्ष में बैठने का मौका मिला। माननीय चौधरी साहब आपको ध्यान होगा जब मैं उधर बैठा था और मैंने अपनी यहां पीड़ा रखी थी, 2012 में जैसे ही सरकार बदली और रिकार्ड के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर पहले दिन जब सरकार बनी उसी दिन 360 के मुकदमा कायम, लूट, डकैती, अपहरण और एक ऐसा मुकदमा हुआ, हमारे बाप–बेटे के ऊपर उसको मैं इस सदन में वह बात नहीं कहना चाहता हूँ और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला, उन्होंने मेरी इतनी ताो बात सुन ली की सी0बी0सी0आई0डी0 में हमारे पर मुकदमा कराये गये लेकिन सी0बी0सी0आई0डी0 होने के बाद मुकदमें कैसे खत्म हुए वह तो हम ही जानते हैं। हमारा इतना दोहन किया गया, सी0बी0सी0आई0डी0 ने मुकदमा तो करा दिया लेकिन मुझे एक तरीके से बर्बाद कर दिया गया। फर्जी मुकदमे लादे गये थे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने किस विपक्षी विधायक के ऊपर मुकददमा कायम कराये हैं, हमारे ऊपर कायम कराये गये थे 2012 में ही। मैं प्रमाण भी देने को तैयार हूँ कि हमारे ऊपर 14 मुकदमें लगाये गये थे। माननीय अध्यक्ष जी मेरी व्यक्तिगत बात है कि हमारी सरकार पर आरोप लगाये जा रहे हैं कि मुकदमा कायम हो रहे हैं, यह बता दें कि किसी पर मुकदमा लगा हो और जनता ने आपको इसलिए नकारा कि चौधरी साहब जो आपने नापाक गठबन्धन किया था, मुहुर्त देख लेते, मुहुर्त देखने के बाद गठबन्धन करना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता सब जान चुकी थी, जनता सब समझ गयी थी। चौधरी साहब आपने कल कुछ कहा था, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि एक दायें बैठे हैं, एक बायें बैठे है, 'एक दायें, एक बायें, नजरों से तेरी नजरें कैसे

मिलाऊ जानी, तेरी दायी आंख कानी, मेरी बायीं आंख कानी' उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता था और माननीय चौधरी साहब मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आया हूँ मैंने पिछली बार जब विपक्ष में बैठा था, मैंने कहा था कि माननीय नेता जी भी हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, हमारा तिलहर क्षेत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैने अनुरोध किया था कि हमारी तहसील मुख्यालय जाने के लिए एक मात्र रास्ता है तिलहर से निगोही जिससे सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं और 2011–12 में बाढ़ आई थी, उस पुल को बनवाने के लिए मैं इसी सदन में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय नेता जी का क्षेत्र रहा है चूंकि आपके पिताश्री वहां विधायक चुने गये थे, आपके ऊपर एहसान है वह सड़क बनवा दीजिए, वह पुल बनवा दीजिए। मैंने लगातार हाउस में यह बात रखी लेकिन हमारी एक बात नहीं मानी गई। मा0 चौधरी साहब, अब उसका आगणन शासन में दो ही महीने के अन्दर पहुंच चुका है और हम समझते है कि हमारी सरकर उस पुल को अतिशीघ्र बनवाने वाली है लेकिन 5 साल आपने वह पुल नही बनवाया। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो जब चकबन्दी आपकी सरकार ने कराई थी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपसे अनुरोध करा चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक निगोही में एक गांव चक छपौरा है। वहां चकबन्दी हुई थी तो सत्ता पक्ष के बड़े पदाधिकारी ने क्योंकि हम यहां पर उनका नाम नहीं लेना चाहते। उन्होंने चकबन्दी में गरीबों के साथ बड़े पैमाने पर शोषण करके उनकी जमीन कटवा कर अपने चक में मिलवा दी थी और जो 80 बीघा जमीन ग्राम सभा में छोड़ी गयी उस जमीन को भी अपने कब्जे में ले लिया और फर्जी पट्टे उस गांव में ऐसे लोगों के बनवाए गए जो उस जिले के रहने वाले भी नहीं हैं, बाहरी जिले के रहने वाले हैं और उस जमीन को भी कब्जा कर लिया है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन, विनती करना चाहता हूं कि उस गांव की जांच जरूर करवा ली जाए। एक नही अनेक गांवों में शोषण किया गया है। अभी समाजवादी पेंशन की बात हो रही थी कि समाजवादी पेंशन को बन्द कर दिया गया है। समाजवादी पेंशन उनकी बनवाई गई जो पुरानी पेंशनें चल रही थी उनको काटकर समाजवादी पार्टी के नाम पर पेंशनों को अन्य जो अपात्र लोग हैं उनकी पेंशन बांधी गई और जो पात्र लोग थे उनकी पेंशन कटवा दी थी।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री रोशन लाल वर्मा–

मान्यवर, अभी केवल तीन मिनट हुए हैं बोलते हुए। मान्यवर, ऐसी राशन की दुकानें चल रही थीं। अभी एक जांच कराई गई उसमें मृतक लोग जो मरे हुए लोग हैं, जो ए0पी0एल0 के कार्ड, अन्त्योदय के कार्ड, मरे हुए लोगों का उसमें नाम बढ़वाया गया। एक आदमी के दो–दो नाम से राशन कार्ड बनवाए गए। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, हमारे जिले के हैं उस पर शिकायत की गई। शिकायत पर जांच हुई, जांच के बाद एफ0आई0आर0 हुई और एफ0आई0आर0 के बाद मैं कल यहां पर सदन में मौजूद था समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने मेरे खिलाफ वहां पर धरना–प्रदर्शन किया। मैंने कहा कि ये कितना भी धरना–प्रदर्शन करें लेकिन ऐसे चाहे तो कितना भी ताकतवर हों, ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाई निश्चित तौर पर कराई जाएगी। पूरे पांच साल तक गरीबों के साथ राशन कार्ड में, अन्त्योदय कार्ड में शोषण किया गया, लूट की गई। अब वह किसी कीमत पर नही होगा। अभी कुछ सदस्य कह रहे थे कि अपराध हो रहे हैं तो अपराध कहीं न कहीं मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले के भ्रष्ट अधिकारी जिलों पर टिके हैं जिस दिन वह भ्रष्ट अधिकारी जिलों से हट जाएंगे, उसी दिन कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगी और मैं अन्त में मा0 विपक्ष के लोगों से केवल दो बातें कहना चाहता हूं कि आप लोग सहयोग करिए। सहयोग के बाद 5 साल के अन्दर 70 साल की आजादी में, हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हुए हैं, 5 साल के अन्दर कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। पूरे प्रदेश का विकास भी हो जाएगा, मुझे इसकी पूरी आशा और विश्वास है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। मा0 सदस्य सहयोग करिए, यह भी समय आएगा। मा0 अध्यक्ष जी, इनका यह रहा कि जब गांव में पंचायत होती हैं तो हमने देखा है कि कण्डा, बटिया, मेड़ की, भाई–भतीजे की अक्सर पंचायतें आती हैं और जो विपक्ष के लोग हमारे हैं। पंचायतें इस तरीके से की जाती है कि सब शाम को बैठते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आप भी गांव–देहात के रहने वाले हैं। पंचायतें कैसे होती हैं, शाम को बैठे और जिसकी तरफ ज्यादा लोग हो गए उसी के पक्ष में पंचायत हो गई इनका वो हाल है कि ''पन्नी पर पन्नी चली हुए पंच सब टंच जो ज्यादा टंची बना वहीं बना सरपंच'' इनका नारा यही होगा कहीं कुछ भी हो जाए यह सब सरकार करा रही है। भले इनके लोग कर रहे हों गुण्डागर्दी लेकिन यह सरकार करा रही है कहते हैं। माननीय अध्यक्ष, आपको बहुत–बहुत, धन्यवाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

'श्री सुभाष पासी–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा था उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। तीन–चार दिन से राज्यपाल महोदय के प्रस्ताव के ऊपर सभी सदस्यों को बोलने का मैाका मिल रहा है। हर सदस्य अपनी–अपनी बात अपने–अपने तरीके से, अपने–अपने क्षेत्र की समस्या को यहां रख रहा है। जब से यह सरकार बनी है, मैं आपका ध्यान माननीय अधिष्ठाता महोदय जी दिलाना चाहूंगा कि सरकार बनने के मात्र 3 दिन के बाद मेरे क्षेत्र की एक बहुत ही बड़ी गम्भीर समस्या थी। रामदासपुर एक गांव है उस गांव में एक बस जा रही है। उस बस पर लोग चढ़ रहे हैं। एक दीवान व्यक्ति उस पर चढ़ता है, लोग धक्का देकर उसे गिरा देते हैं। बस रिवर्स आती है और उस व्यक्ति के ऊपर से पीछे का टायर चढ़ जाता है। यहां के हमारे एक बहुत ही सम्मानित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विपक्ष के नेता जिनकी वह बस थी, लोगों ने धरना–प्रदर्शन कर दिया। आक्रोश में आकर उन लाोगों ने बस के कांच को भी तोड़ दिया, चक्का जाम कर दिया लेकिन यह कोई नेशनल हाईवे नहीं था, इण्टर्नल सड़क थी वहां पर बीच–बचाव करके ताकि उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा दिला दिया जाए। वहां पर तो आश्वासन देकर के बस को निकाल दिया गया लेकिन उसी रात में रामदासपुर गांव के 100 लोगों के ऊपर एफ0आई0आर0 कराई जाती है और दूसरे दिन वहां के दबंग नेता गांव के बड़े लोग उनके साथी 6 थाने की पुलिस, पूरा वह यादवों का गांव था उसके एक–एक घर में जाकर औरतों के साथ, बच्चों के साथ बदसलूकी की गयी और यहां तक की अल्मारी तक तोड़ने का काम उन्होंने किया। वहां पर बगल में स्कूल था उस स्कूल के आंफिस को तोड़ने का काम किया गया। ऐसा कुछ माहौल वहां पर हुआ जब इसकी जानकारी मुझे मिली, दूसरे दिन जब दोपहर को मैं क्षेत्राधिकारी को लेकर वहां पहुंचा। उस अधिकारी ने जब वहां की सारी वारदात को सुना, सुनने के बाद जब वहां के नेताओं के ऊपर कार्यवाही करने की बात आई तो माननीय अध्यक्ष जी आपको बताना चाहूंगा कि मात्र दूसरे दिन ही उस अधिकारी का वहां से ट्रान्सफर कर दिया जाता है। रात को 2 बजे के समय पूरे गांव में माताएं, बहनें जिस तरह से चिल्ला रही थी ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव में चारों तरफ से डाका पड़ रहा है, पुलिस भी उनके साथ में मिली हुई थी। इस सम्बन्ध में पत्र मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में भी दिया और आज नियम–301 में भी मैंने आपके पास दिया। चार दिन से इस समस्या को बताने के लिए मैं सदन के बीच में बात रखना चाहता था लेकिन आज यह मौका मिला। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस घटना की आप अपने स्तर से सरकार को आदेश देकर के जांच कराने का काम करेंगे। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यह कहना चाहूंगा कि बहुत सी बातें यहां हुई सरकार के विषय में, पिछली सरकार के कामों के विषय में मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी। आज तक इतना काम किसी ने नहीं किया है जितना अखिलेश जी की सरकार ने काम किया है। अध्यक्ष जी, चाहे बिजली का मामला है, चाहे एम्बुलेंस का मामला है, चाहे सड़कों का मामला है। एम्बुलेंस की सेवा माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जैसी हुई, ऐसी दूसरे किसी प्रदेश में नहीं हुई। चाहे 108, चाहे 102, गर्भवती महिलाओं के लिए भी उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की जिससे समय–समय पर महिलाएं डॉक्टर के पास जा करके अपना इलाज करा कर आएं। लैपटॉप वितरण को लेकर पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश के लोग भी नकल करने पर उतर रहे हैं।

(इस समय 2 बजकर 37 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अखिलेश जी ने जिस तरह से लैपटाप बॉटे हैं, उस तरह से दूसरे प्रदेश के लोग भी उसे अपनी योजनाओं में लागू कर रहे हैं। समाजवादी पेंशन योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पेंशन योजना थी जिसमें 55 लाख लोगों को 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से इसका लाभ मिला। सरकार ने वायदा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो 1000 रुपये प्रतिमाह लोगों को देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना को सरकार भले ही समाजवादी पेंशन योजना का नाम न देकर के किसी भी नाम से इस योजना को लागू करे ताकि गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए दो–तीन बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरी विधान सभा सैदपुर, गाजीपुर गंगा के किनारे से होकर जाता है।

गंगा–गोमती यह दोनों नदियां मेरी सैदपुर विधान सभा से लग कर जाती हैं। जब भी बाढ़ का समय आता है, हर मानसून में मेरा विधान सभा क्षेत्र हमेशा डूबा रहता है। बहुत से गांव हैंः– तैतारपुर, गौराहा, गौरी, गदनपुर, भुजारी, सिधौना, कुशही, खरौना, हथौड़ा, हथौड़ी, पटना, सैदपुर, औड़िहा, फुलवारी, चौचकपुर, दुबैठा, छपरा, मंझारिया, माझा, रामपुर। यह जो गांव मैंने आपको चिन्हित किए, इन सभी गांवों में बहुत पानी भर जाता है। नाव लेकर जाने की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी दिक्कत शौच के लिए हमारी बहनों को होती है। उनके लिए नाव की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि इस किनारे उस किनारे जा सकें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इसके ऊपर आप विशोष ध्यान दें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कानून व्यवस्था को लेकर है। मान्यवर, जनवरी महीने का मैं कुछ आंकड़ा देना चाहूंगा। फरवरी महीने में चुनाव हो रहा था। जनवरी में 16 डकैती हुई है, मार्च में 23 और अप्रैल में 33 हुई हैं। 249 जनवरी में, 421 मार्च में और 412 अप्रैल में लूट की बारदातें हुई हैं। हत्या की घटना 286 जनवरी में, 396 मार्च में 393 अप्रैल में हुई हैं। रेप की घटना पूरे प्रदेश में 244 जनवरी में, 368 मार्च में और 393 अप्रैल में हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत–सी बातें हुई। बहुत बड़ा प्रदेश है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री सुभाष पासी–

माननीय अध्यक्ष जी, मात्र एक मिनट और कहना चाहूंगा। मान्यवर, कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं और यह जरूरत भी है कि जिस तरह से माननीय अखिलेश जी ने डायल 100 शुरू किया तो लोगों में एक उत्साह हुआ। कहीं झगड़ा होता था तो डायल 100 की गाड़ी पहुंच जाती थी। आज उसी डायल 100 को लेकर के जिस तरह से पुलिस विभाग के अन्दर दुर्व्यवहार हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है,, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए यही अनुरोध करूंगा कि आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण के उपलक्ष्य में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद आपने हम जैसे नये विधायक को बोलने का मौका दिया, अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से लगातार 4 दिन से जो कार्यवाही चल रही है उसको देख रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष ने जो परसों बोला मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ काननून व्यवस्था छिनैती, डकैती, हत्या, बलात्कार नकबजनी प्रदेश जल रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रदेश तो आपके समय में जल चुका राख आपने छोड़ी थी भला आपको कुछ दिख तो रहा है जलता हुआ, कुछ प्रकाशित होते दिख तो रहा है। सूरज उगा है लालिमा चल रही है धीरे–धीरे प्रकाश आ रहा है यह सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं आपके समय की एक बात बताऊं मुख्य मंत्री जी के पिता जी ने आई जी0 को फोन पर धमकाया, पूरे हिन्दुस्तान ने नहीं पूरी दुनिया ने सुना। मुख्य मंत्री के पिता, मुख्य मंत्री तो मुखिया होता है प्रदेश का, सरकार का मुखिया होता है आप कानून व्यवस्था का हमको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाठ पढ़ा रहे हैं। आपके समय में एक पिता के सामने उसकी बेटी का, उसकी पत्नी का बलात्कार हो गया आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अभी माननीय बहुजन समाज पार्टी के सदस्य महोदय के यहां पुलिस चली गयी जैसे लगता है पहली बार उनके यहां गयी है। अरे, पुलिस देखने के अभ्यस्त है उनके पिता भी अभ्यस्त हैं वह भी अभ्यस्त हैं।

(विपक्ष के कई सदस्य द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप व्यवधान क्यों डाल रहे है आप जब बोल रहे थे तो उधर से व्यवधान नहीं हुआ, आप सुन लें आपकी बारी आयेगी, तब बोलियेगा।

श्री अजय कुमार सिंह "अजय सिंह"–

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी के विधायक के यहां से कारतूस बरामद हुआ और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ए0के0 47 बरामद करा दी गयी यह कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को।

श्री राम गोविन्द चौधरी (नेता विरोधी दल)–

माननीय अध्यक्ष जी, अति उत्साह में किसी भी माननीय बड़े नेताओं को चाहे वह किसी भी पार्टी के हो उसके प्रति सम्मानपूर्वक शब्द होना चाहिए। अतिउत्साह में कोई ऐसी बात न आवे जिससे विपक्ष को या कोई आहत हो। नसीहत तो हमको दी जा रही है माननीय नये सदस्यों से, ऐसा नहीं है जिनका नाम उन्होंने लिया तो ऐसे सब बातों को निकलवा दीजिए और आप निर्देश भी दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मुख्य मंत्री संवैधानिक संस्था है उनके पिता नहीं होते, पिता किसी व्यक्ति के होते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

तो संसदीय परिपाटी, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया जाय। यह सदन है इसमें कोई जीतता है हारता है बहुत दिन से सदन चल रहा है सरकारें बन रही हैं बिगड़ रही है कोई यह युद्ध का मैदान

थोड़े ही है कि आप हमको दोषी सिद्ध कर देंगे तो हमको सजा हो जायेगा हम आपको दोषी सिद्ध कर देंगे तो आपको सजा हो जायेगा। सजा हमको आपको तो जनता को देनी है, एकदम जनता हमकों आपको सजा देगी दूसरा कोई है नहीं। शब्दों का जो चयन है, आरोप का जो चयन है वह संसदीय तरीके से होना चाहिए। इसको कार्यवाही से निकलवा दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

जो आपत्तिजनक होगा वह निकाल दिया जायेगा।

श्री अजय कुमार सिंह "अजय सिंह"–

मान्यवर, अभी प्राकृतिक आपदा आई थी केन्द्र की सरकार ने राहत के नाम पर पैसा भेजा उत्तर प्रदेश में उस समय जिला पंचायत का चुनाव चल रहा था, प्रधानी का चुनाव चल रहा था, बीडीसी का चुनाव चल रहा था अपने चहेतों को अपात्रों को पैसा बांट दिया अध्यक्ष जी और उत्तर प्रदेश की जिस विधान सभा से मैं आता हूं उस विधान सभा में शतप्रतिशत किसान रहते हैं, मैं रहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर कुछ बोल लीजिए क्षेत्र के बारे में।

श्री अजय कुमार सिंह "अजय सिंह"–

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों के यहां चाहे शादी–विवाह हो, चाहे मरनी हो, चाहे करनी हो, फीस जमा करनी हो, उनकी सारी व्यवस्था खेती पर आधारित होती है। पता नहीं कितनी बहनों के हाथ पीले नहीं हुये, उस किसानी के पैसे से, आपदा राहत के पैसे से जिन बच्चों–बहनों के कपड़े खरीदे जाने थे, गहने खरीदे जाने थे, चूड़ी और सिन्दूर खरीदा जाना था, पता नहीं कितनी बहनों की शदियां टूट गयीं। उसका गवाह मैं हूं, और यह किसानों की बात करते हैं, यह किसान के हितैषी हैं। आदरणीय महोदय, 5 साल में लगातार आयोग ने समाजवादी पार्टी के नौजवानों की नर्सरी खोल दी। सत्र शुरू होते ही पंच साल में जिस दिन क्लास शुरू हुयी उसी दिन पता लग गया कि जाइये सेंटर पर पैसा दीजिये और नकल कराकर पास कर दिया जायेगा। आयोग क्यों बनाया इसलिये क्योंकि वह उत्तर प्रदेश में माननीय समाजवादी पार्टी के पीछे चलने वाले लोगों की नौकरी लगेगी नहीं, क्योंकि वह पढ़ेंगे नहीं और उत्तर प्रदेश में रहेंगे, कम्प्यूटर का जमाना है, इंजीनियरिंग का जमाना है, पढ़े–लिखे लोगों का जमाना है जब पढ़ेंगे नहीं, अयोग्य होंगे तो इस तरह से पास कर दिये जायेंगे तो ऐसे नौजावन इनके उपयोग की विषय वस्तु हो जायेंगे और यह नौजवानों की बात करते है और उनके उत्थान की बात करते हैं। मैं नौजवान हूं इस नाते आपसे कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार में एक महीने बाद चीनी मिल चली, मैं किसान का बेटा हूं, गन्ना बोता हूं और गन्ना बेचता हूं, वहां एक महीने बाद मिल चली और मिल के मुहाने पर जब ट्राली और ट्रैक्टर गया तो मिल वालों ने यह नहीं बताया कि क्या रेट देंगे और कब पैसा देंगे, दोनों नहीं बताया। आप सोचिये कि किसान के ऊपर क्या गुजरेगी। यह किसान की बात करते है और कहते है कि हम किसान नेता हैं। पता नहीं इसकी वजह से कितनी शादियां टूट गयीं और कितने बच्चों की फीस जमा नहीं हो पायी और कितने लड़के इंजीनियरिंग करते हुये वापस आ गये।

मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि मैं भगवान श्रीराम की उद्भव स्थली मखौरा से आता हूं, बस्ती से आता हूं और हरैया विधान सभा में वह स्थान है मखौरा धाम, जहां पर पूजा हुयी थी और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुये थे वह मखौरा धाम आज भी विकास से वंचित है। बस्ती, जो महर्षि वशिष्ठ के नाम से बनी हुयी है मैं आचार्य राम चन्द्र शुक्ल की धरती से आता हूं। एक समय था, पूरा संत कबीर नगर भी बस्ती का हिस्सा था, उत्तर में सिद्धार्थ नगर वह भी बस्ती का हिस्सा था, मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि बस्ती को वशिष्ट नगर बना दिया जाय। हमारी जो तहसील हरैया है उसमें 1535 राजस्व गांव हैं यह पूरे हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी तहसील है। मेरा आपसे आग्रह है कि हरैया को जिला बना दिया जाय, उसमें दो और ब्लाक हैं विक्रमजोत और परसानपुर को तहसील बना दिया जाय तो मुझे लगता है कि विकास की एक विजयगाथा लिखने में और अच्छा लगेगा। सुभाननगर चन्दरवा के नाम से पिछली सरकार में एक ब्लाक बन गया, सुभाननगर चन्रवा को कोई जानता है क्या, देश और समाज के उत्थान में देश की आजादी की लड़ाई में, साहित्य में, सामाजिक चिन्तन में इनका कहीं कोई योगदान है क्या। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के नाम पर आज तक वहां एक ब्लाक नहीं बन पाया, एक जिला नहीं बन पाया। संत कबीर

के नाम पर अगर जिला बन सकता है, सिद्धार्थ के नाम पर सिद्धार्थ नगर बन सकता है तो वशिष्ठ के नाम पर वशिष्ठनगर क्यों नहीं बन सकता। जो ब्लाक सुभाननगर चन्रवा बना है क्यों नहीं, वह आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के नाम पर बन सकता है। आपके माध्यम से मैं सरकार से विनती करता हूं कि उसको आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर बना दिया जाय। दूसरा मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मखौरा, अमोहा 1857 के महानायक, जिस परिवार से मैं आता हूं, महाराज जालिम सिंह, महारानी कैलाश कुंवर आजादी की लड़ाई में अगर पूरे का पूरा किसी का लगा है तो वह इसी खानदान का लगा है, वहां का किला आज भी ध्वस्त है, कोई काम नहीं हुआ, 119 लोग वहां फांसी के फंदे पर चढ़ाये गये, अटल जी ने माला वहां चढ़ाई है....

श्री अजय सिंह–

आडवाणी जी ने माला वहां चढ़ाई।

श्री अध्यक्ष–

अब क्या करना है वह बतायें।

श्री अजय कुमार सिंह "अजय सिंह"–

वहां पर इन्दिरा जी ने माला चढ़ाई है 119 लोग शहीद हुए लेकिन आज तक राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा, राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला है वह विकास से अछूता है। मेरी मांग है कि उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और पर्यटन की दृष्टि से वहां कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे समाज और देश को संदेश जाए। मान्यवर, एक और अनुरोध है कि नदी के तट पर लखौरा स्थित है जो उन्होंने बताया भगवान श्री राम की उद्भव स्थली, घाघरा और सरयू से सिर्फ 5–6 किलोमीटर लगेगा महोदय उसको जोड़ा जा सकता है। मान्यवर, 5–6 किलोमीटर सरयू–घाघरा से मनवर को जोड़ा जा सकता है, मनवर बहुत पौराणिक नदी है उसका नाम पुराणों में है। मान्यवर, आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 प्रेम सागर पटेल जी अपनी बात रखें लेकिन बोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि साढ़े चार मिनट में समाप्त हो जाए।

'श्री प्रेम सागर पटेल–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमें श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बधाई के साथ कोटि–कोटि धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं भारत नेपाल सीमा पर

स्थापित उस महाराजगंज जनपद के सिसवां विधान सभा से जीतकर आया हूं जहां 70 साल के आजाद भारत में से 60 साल तक एक ही परिवार का कब्जा रहा है। यह वही महाराजगंज है जहां से प्रो0 सिब्बल लाल सक्सेना जी लोकसभा में जाया करते थे, वह अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने लोकसभा में 1965 में भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समय में सदन में उस महाराजगंज का जिक्र किया था और कहा था कि मा0 नेहरू जी हम उस गरीब एरिया से आते हैं जहां जानवर गेहूं खाता है और उसका गोबर बाहर फेंकता है, टट्टी के रूप में बाहर निकलता है उस गेंहू को पुनः धो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके वहां के मुसहर और गरीब आंटा पीस करके खाते हैं वहां से मैं आता हूं। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इस पर आंसू बहाने का काम किया था और प्रो0 सिब्बल लाल सक्सेना गरीबी पर रोने का काम किये थे, मैं उसी सिसवां विधान सभा से जीत करके आया हूं। मान्यवर, वहां गरीबी की पराकाष्ठा है वहां की सबसे बड़ी समस्या गड़ौरा चीनी मिल है, मान्यवर, वहां जो चीनी मिल है उस चीनी मिल का मालिक समाजवादी पार्टी का एक पूर्व सांसद हैं। उसने 34 करोड़ रुपया मुसहर और गरीब भाइयों के गन्ने का मूल्य भुगतान बाकी लगाया और स्वयं लखनऊ की सड़कों पर आड़ी गाड़ी से घूम रहा है। देने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि एक निर्देश जारी हो कि उन गरीब किसान, मुसहर और वंचित समाज के लोगों का जो गन्ने का मूल्य बाकी है उस मूल्य का तुरन्त भुगतान कराया जाए। मान्यवर, उस विधान सभा क्षेत्र में एक बस का डिपो की बसों पर गरीब लोग चला करते हैं जो इंडिया–नेपाल के बार्डर से आते हैं। मा0 सदस्य 108 एम्बुलेंस की बात कर रहे थे तो उस एम्बुलेंस पर उस विधान सभा के बार्डर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जबरन उन गाड़ियों पर दूध लाद करके रोज नेपाल भिजवाने का काम करते थे। जो आज ये लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया, मा0 सदस्य ने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में ये जो अभिभाषण है इसमें कुछ नहीं है। मान्यवर, माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बेसिक शिक्षा में, जो पहले बच्चों को ड्रेस और बस्ता तो देते थे लेकिन उन वंचित समाज और गरीब के बच्चों को जूता और मोजा नहीं देते थे।

माननीय योगी जी की सरकार ने सभी गरीबों को जूता और मोजा प्राइमरी पाठशाला में देने का प्राविधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिसवा विधान सभा की एक टाउन एरिया की बात कर रहा हूँ। 1871 में वह टाउन एरिया बनी और आज तक वह टाउन एरिया ही रह गयी। वहां एक राज परिवार, जो सांसद भी थे, वह परिवार राजनीति में था, उन्होंने उस टाउन एरिया को नगर पालिका नहीं बनने दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सिसवा जो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी टाउन एरिया है, अंग्रेजों के जमाने से बनी हुई है, उसको नगर पालिका बनाने की कृपा की जाए। हम सरकार से अनुरोध किये हैं और मान्यवर, आपसे भी व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करना चाहते हैं कि सिसवा टाउन एरिया जहां गरीबी का आलम है उसको नगर पालिका बनाया जाये। मुझे सदन में ज्यादा कुछ नहीं कहना है सदन में। हम अपने विधान सभा की दो तीन बातों को ही आज यहां रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां चीली मिल की है उसमें सबसे ज्यादा गरीबों का पैसा 34 करोड़ रुपया, एक पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी का ले करके फरार है, सड़को पर ऑडी गाड़ी से घूम रहा है लेकिन पैसे नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि उस गन्ना मूल्य का जितनी कड़ाई से हो सके भुगतान सुनिश्चित करके गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाए। साथियों इसमें सबका समर्थन चाहिए। पहली मिल है उत्तर प्रदेश में जहां एक समाजवादी पार्टी का सांसद चलाता है और पैसे लेकर के फरार है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपनी विधान सभा सिसवा की बहुत सारी समस्याओं को लिख करके भी दे दिया है इसलिए मैं अब ज्यादा समय नही लूंगा क्योंकि बहुत सारे सदस्य हैं जो बोलना चाह रहे हैं और आप अभी बैठने के लिए कहेंगे इसलिए मैं श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द।

*श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हमारी पार्टी व प्रतिपक्ष के द्वारा दिये गये संशोधनों पर बल देते हुए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नये सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, इसमें मैं भी पूरा सहयोग करूंगा। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के उन सब बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, आज दो महीने की सरकार में जिस तरह से अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, चाहे वह हत्या, डकैती, लूट या अन्य अपराध हों। तकलीफ यह होती है कि सुबह अब अखबार का पन्ना पलटने की हिम्मत नहीं पड़ती है। नवरात्र में जिन बेटियों का माननीय मुख्य मंत्री जी ने पैर धोया था और परम्परा भी है कि हम बेटियों का नवरात्र में पैर धोते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बेटियों के पैर धोये, फलैश हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि इन्होंने बाल कन्याओं का पैर धोया। मान्यवर, आज हत्या, डकैती तो हो ही रही है आज ही लखनऊ में एक फ्लाई ओवर पर एक व्यक्ति को दौड़ाकर गोली मारी गयी और अपराधियों को रोक नहीं पा रहे हैं यह बहुत दुःख का विषय है। अब इसमें हल्ला–गुल्ला करने की जरूरत नहीं है केवल इंगित कर रहा हूँ कि ऐसी बेटियां जिनको हम दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किये हैं आज प्रतिदिन अखबार के किसी कोने में छप रहा है कि अबोध बेटी के साथ दुष्कर्म, दुष्कर्म के साथ–साथ उनकी लाशें पेड़ पर लटकायी गयी। इस पर गम्भीरता से अगर निर्णय नहीं लेंगे, सत्तापक्ष हो चाहे विपक्ष हो अगर निर्णय नहीं लेंगे, तो अपराध और बढ़ेगा। अगर देश में नारी का सम्मान नहीं होगा, उन अबोध बच्चियों का आज अखबार पढ़े तो दो बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। रोजाना किसी न किसी बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा है इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी कार्ययोजना बनायें, कड़ी से कड़ी योजना बनायें ऐसे अपराधों को रोकने की कोशिश करें क्योंकि यह नारी को सम्मान देने वाला देश है। मैंने शुरू में इंगित किया था कि जिन बेटियों का पैर नवरात्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने धोया है, उसको पकड़ा है उन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। इसको तो सदन में चिंता का विषय बना करके, इस पर गम्भीर चिंतन करना चाहिए। हम सब लोग तैयार हैं जो भी सहयोग चाहिए। एक माननीय मंत्री जी ने कल बयान दे दिया कि पैसा ले लेकर हत्या कराई जा रही है। यह प्रदेश के मंत्री को जानकारी है। यह कार्यवाही मैं लिए हुए हूँ कहिए तो पढ़ दूँ। इस प्रदेश में पैसा ले–ले कर हत्या कराई जा रही है और यह एक कैबिनेट मिनिस्टर का बयान है। इतनी जानकारी मंत्री को है, तो पहले मैंने थोड़ा सा इंगित किया है मान्यवर। आज मान्यवर, दो चीज होती है, एक लॉ आर्डर और पब्लिक आर्डर। लॉ आर्डर तो मान्यवर, कन्ट्रोल हो जाता है लेकिन जब पब्लिक आर्डर डिस्टर्ब होता है तो उससे सबकी क्षति होती है आज सहारनपुर की घटना का बार–बार जिक्र हो रहा है और उस जिक्र का नतीजा मान्यवर आप देखते होंगे कि एक दलित समाज को। जब हम दलित समाज का नाम लेते हैं तो आप जोड़ देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का है, हो सकता है कि इसका आधार वोट हो इसलिए बहस कर रहे हैं। उस दलित और पिछड़े गरीब बच्चों का या ऐसे परिवार के लोगों का जो चर्चा कर रहे हैं और आप सीधे जोड़ दें किसी दल से। आपने तो अभी पिछले महीने की 14 अप्रैल को दलितों के घर खिचड़ी बना कर खाये हैं और हर जगह आपने भोजन किया, भाई चारा बनाया। (किसी माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य के टोकने पर) हां है स्वीकार करता हूँ। आप किसलिए चिन्तित हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने इससे प्रदेश और देश में पूरी कोशिश की, आलोचना आप चाहे जितनी करें। जो इस देश में जाति के आधार पर, भेदभाव के आधार पर, छुआछूत के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था है उसको सही करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और नारा लगाया पूरे प्रदेश में, इसको आप स्वीकार करें

या ना करें 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय।' सभी समाज का सुख हो, सबका हित हो इस प्रदेश में। लेकिन सहारनपुर की घटना में क्या हुआ प्रदेश में ? केवल इतना था ना कि उनको परमीशन नहीं मिली, रूक गये। महाराणा प्रताप जी की शोभा–यात्रा निकली। मैं सम्मान करता हूँ महाराणा प्रताप जी का। लेकिन घूम करके यह जाकर कह देना गांव में कि चलो वहां दलितो ने महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा रोक दिया है।

लोग चले तलवार, लाठी, बल्लम, गड़ांसा, बम सब लेकर चले और मान्यवर, जाकर पता लगवा लें कि हाथ तक महिलाओं का काटा गया। इतना बड़ा दोष हो जायेगा। इतनी घृणा हो जायेगी। एक शोभा यात्रा, महाराणा प्रताप का स्वागत है, राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, मैं भी उनको नमन करता हूँ और छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा तांडव हो रहा है। अब तक तो साम्प्रदायिक दंगे होते थे। जातिय दंगे का जो उन्माद हो रहा है। (सत्ता पक्ष के किसी माननीय सदस्य के कहने पर कि यही लोग करवा रहे हैं) यह अगर हम भी करा रहे हैं तो आप उसमें वोटिंग कर दीजिये। अगर हम करा रहे हैं तो आज उसका नतीजा क्या निकला ? जहां आप पूरी तेजी के साथ हिन्दु–हिन्दु की बात करते हैं, कल भीम सेना ने फैसला ले लिया कि हम लोग बहुत दुःखी हैं। जो लोग हमारे बीच में आकर हमको भाईचारा बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज वह लोग कल ऐलान किये हैं कि अब हिन्दु धर्म हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। हम इतना दुःखी हैं कि धर्म को छोड़ देंगे। इस धर्म में रहना हमारे लिए अपमान है। आज इस तरह का फैसला लेने का माहौल क्यों बन रहा है। वहीं पर जिसको बदले की भावना से आप कहते हैं कि तांडव हो रहा है माननीय मुलऊ राम विधायक ईमानदारी से हम कह रहे हैं डी0जी0पी0 से कल वर्मा जी ने कहा कि माननीय विधायक अपने घर पर पड़े रहे तहसीलदार साहब का फोन जाता है कि आप आइये इस तरह का तनाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कोई वरिष्ठ अधिकारी कहे तो मैं आऊ नहीं तो अपने घर में पड़ा रहूँगा। आज इनके ऊपर गैंगस्टर एन0एस0ए0 लगाने की तैयारियां हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि बदले की भावना से काम नहीं हो रहा है। मैं तो साफ–साफ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को और इधर के सदस्यों को जाति संघर्ष का उन्माद रोकें। इस देश में अगर इस तरह का उन्माद पैदा होगा आप विकास की गंगा बहा दें, 24 घंटे, 48 घंटे बिजली देते रहें लेकिन सब बेकार। मान्यवर, दुनिया में कहावत है कि दो रोटी कम मिले लेकिन सकून की जिन्दगी हो। आप एक घंटा बिजली कम कर दो, दो किमी0 सड़क बनाना कम कर दो लेकिन आज सहारनपुर की घटना यह संकेत दे रही है कि हमारे घर में मां बहिने जब भोजन बनाती हैं और चावल जब पकाती हैं तो उस हांडी का, एक चावल उस बर्तन का निकालती हैं और चावल को टोंह लेती हैं तो पता चलता था कि पूरा चावल पक गया है। वह पूरे बर्तन के चावल को नहीं हिलाती हैं। आज सहारनपुर की घटना एक चावल निकालने के बाद पता चला कई–कई शंका

लग रही है, तकलीफ का विषय है कि साम्प्रदायिक दंगे तो हुए जो दुःखद थे यह जाति संघर्ष न होने पाए। पब्लिक आर्डर न बिगड़ने पाए। लॉ आर्डर को तो पुलिस कन्ट्रोल करेगी जिस दिन पब्लिक आर्डर बिगड़ता है वह दिल से बिगड़ता है, उसको आप रोक नहीं पायेंगे। इसलिए मैं इस घटना की घोर–घोर निन्दा करता हूँ। इसको हल्के में मत लें जिस तरह से सहारनपुर में नंगा नाच हुआ है एक विधायक निर्दोष को जिस तरह से एन0एस0ए0 (किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) दो मिनट आप साफ–साफ बोल दें हम सुन लें, हम बैठ जाते हैं अध्यक्ष जी की अनुमति से फिर बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें व्यवधान न डालें सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री सुखदेव राजभर–

व्यवधान डालने की आदत है डालें हमें इसमें कोई चिन्ता नहीं, जबान बन्द नहीं कर सकते हैं, सहारनपुर की घटना का मैंने इसीलिए उल्लेख किया है। तमाम हत्यायें, डकैती, बलात्कार नेता प्रतिपक्ष और नेता बहुजन समाज पार्टी यह हमारे सभी विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने उन घटनाओं का उल्लेख किया मैं उसमें विस्तृत तौर पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक दूल्हा जा रहा था अभी पन्द्रह दिन की घटना है घोड़े पर बैठ गया, वह दूल्हा दलित समाज का था, और उस दलित समाज के दूल्हे को पीटा गया और पूरी बारात को मारा गया और उनको लूटा गया, यही चलेगा इस भारत देश में, भारत जैसे पवित्र देश में, जिस समाज के बारे में हम कहते हैं तो हंसी में लेते हैं, आप यहां बैठे हैं उस समाज की बेटियां अपने पांच–पांच साल के बेटों को छोड़कर आपके दरवाजे पर झाड़ू मारती होंगी, आपका नाबदान साफ करती होंगी और आपके खेतों में चली जाती होंगी, तो उसे उम्मीद नहीं रहती होगी कि मेरा पांच साल का बेटा लौटकर मेरी गोद में आएगा या नहीं। मैं उस समाज की चिन्ता कर रहा हूँ और एक तरफ आप ढकोसला पीट रहे हैं। (किसी मा0 सदस्य के कुछ कहने पर) कहिए क्या कह रहे हैं।

'(गना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास मंत्री) श्री सुरेश राणा–

सदन को असत्य सूचना के साथ गुमराह करना नहीं चाहिए जहां आप लगातार चाहे सहारनपुर की घटना हो तमाम घटनाओं पर उन चीजों को उभारकर सदन को असत्य सूचनायें दे रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि जाति विद्वेष पैदा करने में आप ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रहे हो। (शोर) आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ पन्ने पलट लो आप पूरी तरह से अध्ययन करके अगर बोलोगे जानकारी के साथ, क्या आपको जानकारी नहीं है किन लोगों न आग लगाई ? आपको जानकारी नहीं है आपने देखा किन लोगों ने पुलिस के साथ बद्तमीजी की ? आपने देखा कि वहां जाकर किन लोगों ने भवनों में आग लगा दी, चलते लोगों के साथ बद्तमीजी की गई, मां–बहनों के साथ छेड़खानी की गयी, मां–बहनों का अपमान किया गया, आपने एक बार चर्चा नहीं की आप चर्चा करते तो अच्छा लगता..

(शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुखदेव राजभर–

उनके घरों को लूटा गया है, उनके घरों को तोड़ा गया है,

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठें। बात पूरी होनी चाहिए।

श्री सुखदेव राजभर–

मैं कह रहा हूँ यहां दो सेना है भीम सेना है, जल सेना है वायु सेना है, लेकिन भीम सेना को नहीं कह रहा हूँ..

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप राजभर जी को बोलने दें। आप लोग कृपया बैठ जाएं।

श्री सुखदेव राजभर–

जो सेनाओं का गठन आप करा रहे हैं एक–एक बच्चा सहारनपुर की घटना को जान रहा है पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हमारे कांग्रेस के सदस्य ने बोला है जो दुखद घटना घटी है इसको आप हल्का करना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यह सहारनपुर घटना की चिन्गारी...

(एक माननीय सदस्य–आप जातिवाद फैला रहे हैं।)

श्री सुखदेव राजभर–

मैं जातिवाद नहीं फैला रहा हूँ मैं तो जातिवाद का शिकार खुद हूँ। मैं जातिवाद नहीं फैला रहा हूँ सुखदेव राजभर जातिवादी नहीं है, सुखदेव राजभर जातिवाद का शिकार है। मेरे पूर्वजों ने जाति नहीं बनाया, बनाने वाला दोषी होगा..

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजभर जी आप विषय पर आइए।

श्री सुखदेव राजभर–

मैं तो कह रहा हूँ कि जातिवादी वह लोग हैं जो जातिवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। हम लोग तो जातिवाद के शिकार होने वाले लोग हैं।

(सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

सदन में सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है। एक सदस्य जब बोल रहे हों तो दूसरे सदस्य न बोलें। यहां पर भिन्न–भिन्न विचार के लोग हैं, दल हैं समूह हैं बहुत सम्भव है कि हमें लगे कि किसी की बात झूठ है, हमको लगे कि किसी की बात तीखी है पैनी है चुटीली है लेकिन अपनी बारी पर बोलना चाहिए। माननीय राजभर जी बोल रहे थे उनसे आप असहमत हो सकते हैं उनकी बात को आप असत्य मान सकते हैं लेकिन वह अपनी बात पूरी कर लें फिर जब आपका अवसर आए तो आप अपनी बात पूरी कर लें।

श्री सुखदेव राजभर–

मैं सहारनपुर की घटना की निन्दा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, अब हमारे नए सदस्यों को अवसर दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे थे। कुछ मधुर शब्दों में अपनी बात रखें।

श्री सुरेश राणा–

मैं तो हमेशाा मधुर ही बोलता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं केवल इतना कह रहा था कि बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं जिस प्रकार से आप अपनी बात रख रहे थे निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं एक जातीय विद्वेष को हवा देने का प्रयास है। मैं यह कह रहा था कि क्या एक बार इन्होंने चर्चा की कि कौन लोग हैं वह जिन्होंने मोटर साइकिलों में आग लगाई क्या एक बार चर्चा की कि कौन लोग हैं जिन्होंने बहनों के साथ छेड़छाड़ की कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस की वर्दी के साथ खिलवाड़ किया कौन लोग थे जिन्होंने घरों में घुसकर आग लगाई कौन लोग थे जिन्होंने भवनों में जाकर बदतमीजी की कौन लोग हैं जो सीधे सेना बनाने की चेतावनी दे रहे हैं। मेरा केवल इनसे यह कहना था कि जानबूझकर जातीय विद्वेष पैदा करने का काम यह लोग करते हैं इन्हें विकास की भाषा समझ नहीं आती उत्तर प्रदेश का विकास इन्हें अच्छा नहीं लगता उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से तेजी से विकास के रास्ते पर चला है उससे यह लोग घबरा गए हैं इनके हाथ–पैर फूल गए हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में विकास पसन्द सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है इसलिए इन्होंने इस प्रकार का माहौन बनाना शुरू किया है आदरणीय अध्यक्ष जी मैं केवल इतना ही कहना चाहता था। इसीलिए मैंने बीच में उठकर कहा था कि कोई वरिष्ठ सदस्य बोलता है तो वरिष्ठता की भाषा झलकनी चाहिए। वरिष्ठ सदस्य बोलता है तो ऐसा आचरण झलकना चाहिए कि नए सदस्यों को कुछ सीखने का मौका मिले आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हो आप जब भी उठते हो तो कटीली भाषा बोलते हो आप जब भी उठते हो तो विद्वेष की भाषा बोलते हो आप जब भी उठते हो तो बांटने की भाषा बोलते हो। आप जब भी उठते हो तो प्रदेश को बांटने की बात करते हो आखिर कौन सी भाषा आप बोल रहे हो मैं केवल आपसे आग्रह करना चाहता हूँ आपने हमेशा हम लोगों को दिशा दी है हमारे विपक्ष के नेता बैठे हैं हमेशा जब बोलते हैं तो तमाम लोगाों को साथ लेकर सदन की गरिमा के साथ बोलते हैं जब यह बोल रहे थे तभी मैंने आग्रह किया था कि आप अगर अच्छा सुझाव दोगे तो सदन के लिए भी अच्छा होगा और जो नए सदस्य हैं उनके लिए भी अच्छा होगा यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री रमेश चन्द्र मिश्रा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं पहली बार सदन में चुनकर आया हूँ मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और आपको प्रणाम करता हूँ और पूरे सदन को मैं प्रणाम करता हूँ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया महामहिम राज्यपाल जी द्वारा व्यक्त सरकार के संकल्प एवं प्रस्ताव को जो उन्होंने रखा मैं उसका समर्थन करता हूँ। आज सर्वत्र पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है मैं नया सदस्य बना हूँ हर व्यक्ति के मन में होता है कि मुझे भी विधान सभा में जाने का अवसर मिले यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि भारतीय

जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया और मुझे विधायक बनकर इस सदन में आने का अवसर मिला। मैं तो जानता था कि एक विधान सभा का सदस्य बनने के बाद हर व्यक्ति के अन्दर जो विधान सभा का सदस्य बन जााता है उनके आचरण उनके विचार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन चार दिन से मैं सदन में जो कार्यवाही देख रहा हूँ मुझे बड़ा अफशोस हुआ कि राज्यपाल जी जब अपना अभिभाषण दे रहे थे तो मेरे मन में भी इच्छा थी कि उनके अभिभाषण को मैं अपने कान से सुनू लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहां पर सीटी बजाकर और हल्ला गुल्ला करके उनके अभिभाषण का एक भी शब्द किसी के कान में सुनाई नहीं पड़ा हम लोगों को किताबों के माध्यम से पढ़ने का अवसर मिला। यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुझे इसकी बहुत ही पीड़ा है और मुझे इसका बहुत ही खेद है। यह लोग कानून–व्यवस्था की बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। मैं पूर्व में ब्लाक प्रमुख भी रह चुका हूँ। मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो इन लोगों ने ब्लाक प्रमुख के पदों से लेकर, जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों से लेकर एक–एक पदों पर जबरन अपने कार्यकर्ताओं को बैठाने का काम किया। यहां तक कि इन लोगों ने थाना और पुलिस को प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी बनाकर थाना और तहसील को चलाने का काम किया। कोई बेचारा व्यक्ति अगर थाने पर अपनी बात लेकर जाता था तो उसकी सुनवाई थानेदार नहीं करता था, उसकी सुनवाई कप्तान नहीं करता था, बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री करते थे। यह लोग बताते हैं कि हमारी सरकार में बिजली थी। आज जो विधायक हैं मुझे याद है कि उस समय आप ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री थे और मुझे याद है कि शाहगंज को छोड़कर पूरे प्रदेश की स्थिति यह थी कि कहीं विद्युत व्यवस्था नहीं थी। चंद जिलो को छोड़कर, चंद क्षेत्रों को छोड़कर कहीं भी बिजली नहीं मिलती थी। मैं मा0 योगी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज कोई भेदभाव नहीं किया है। न इटावा, न मैनपुरी, न फर्रूखाबाद, आज पूरे प्रदेश में 18 घण्टे से लेकर 20 घण्टे तक बिजली मिल रही है। धन्य है ऐसी सरकार और इस सरकार पर यह लोग उंगली उठाने की बात करते हैं, कानून–व्यवस्था की बात करते हैं, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। यह लोग शिक्षा की बात करते हैं।

मुझे याद है कि मा0 कल्याण सिंह के जमाने में अगर कोई बच्चा दसवीं और बारहवीं पास हुआ था तो पी0सी0एस0 और आई0ए0एस0 से अपने आप को कम नहीं समझता था। वह आज भी अपने सर्टिफिकेट को दिखाता है तो कहता है कि मैंने कल्याण सिंह के जमाने में दसवीं और बारहवीं पास किया।

इनके जमाने में स्थिति यह थी कि गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाने की बात नहीं करता था, उसके ट्यूशन की बात नहीं करता था, बल्कि गार्जियन इनकी सरकार में स्कूल में सेटिंग की बात करता था कि कैसे सेटिंग हो जाए कि हमारा बच्चा ज्यादा से ज्यादा नकल पा जाए। इनकी सरकार में यह दुर्भाग्य था कि जो बच्चा जरा सा भी पढ़ा–लिखा नहीं होता था वह घूस देकर और सेटिंग करके फर्स्ट डिवीजन आता था और जो बेचारे पढ़ने वाले बच्चे थे जिनको नकल की आवश्यकता नहीं थी वह बच्चे सेकेण्ड डिवीजन आते थे। आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। आपने नौकरियों में जाति विशेष पूछकर के, क्षेत्र पूछकर के पुलिस से लेकर पी0सी0एस0 तक की परीक्षाओं को

आपने नहीं छोड़ा और आज आप इस तरीके की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आप हमारी सरकार पर उंगली उठाते हैं। 100 नम्बर की गाड़ियां जिसकी आप बहुत बढ़ाई करते हैं, वही 100 नम्बर की गाड़ियां विधान सभा के क्षेत्र में शराब और पैसा बांटने का काम करती थी। ऐसी व्यवस्था आपने करके रखी थी। हमारी सरकार को अभी मात्र दो महीना ही हुआ है और आज वही 100 नम्बर की गाड़ियां 15 मिनट के अन्दर आती हैं और मजलूम और मजबूर लोगों की सुनवाई करने का काम करती हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में बहुत उपजाऊ जमीन है और उस उपजाऊ जमीन पर हमारे यहां नहरों की संख्या बहुत ज्यादा है। कई रजवाहा हैं, कई माइनरें हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों ने कागजों पर तो पांच साल तक नहरों और रजवाहों की सफाई की, लेकिन कहीं भी सिल्ट की सफाई नहीं हुयी। इन लोगों का नारा था कि हम टेल तक पानी पहुंचायेंगे, फ्री में पानी देंगे। फ्री में पानी क्या देंगे, पानी तो कहीं भी टेल तक आज तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने जैसाकि कहा है कि हम खेत तक पानी पहुंचायेंगे, मैं चाहूंगा कि हमारे यहां खेत तक पानी पहुंचे और साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जंगली जानवरों से बहुत ज्यादा परेशानी है। नीलगाय और जंगली सुअर से हमारे यहां खेतों की बहुत अधिक क्षति हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये भी कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इन जंगली जानवरों से मुक्ति मिले। हमारे यहां गोमती नदी गयी है, उसकी कटान का प्रभाव आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। मैं चाहूंगा कि उसमें भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे आबादी वाले क्षेत्र नदी की कटान से बच जाएं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देता हूँ और अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। धन्यवाद।

'**श्री मनोज कुमार पाण्डेय–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने कृपापूर्वक महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए संशोधन उद्बोधन पर बोलने का हमें मौका दिया। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को हमने पढ़ा, इस अभिभाषण में एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द था 'संवेदनशील सरकार'। राज्यों में जो सरकारे बने वह निश्चित रूप से संवेदनशील होनी चाहिए। अभी कल की ही घटना है, मैं रायबरेली से आ रहा था। हमने देखा कि तेलीबाग के पास एक रिक्शा वाला चार सवारी बैठाकर आ रहा था, कुछ देर में वह बेहोश हो गया उसको खून की उल्टियां होने लगी, उसके परिजन आये। परिजनों ने बताया कि उसे टी0बी0 है, हमने पूछा कि फिर क्यों रिक्शा चलाता है अगर इसे टी0बी0 है तो। परिवार के लोगाों ने कहा कि इसकी एक बूढ़ी मॉ है, पत्नी है वो भी बीमार रहती हैं, आय का कोई जरिया नहीं है, रिक्शा चलाने के अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं है। यह जानते हुए भी वह रिक्शा वाला कि उसे टी0बी0 है इतनी ज्यादा सवारियां नहीं बैठानी चाहिए, इसके बावजूद उसने ज्यादा सवारियां बैठाई क्योंकि उससे परिवार का पालन और पोषण करना है। सरकार ने तमाम योजनाओं का जिक्र किया। हमारी सरकार थी 2012 से 2017 के बीच। हम धन्यवाद देना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहते हैं अपने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने पहली बार इस देश के किसी राज्य में ई–रिक्शा देने का काम किया और यह कहा कि गरीब रिक्शेवाले की भी बात होनी चाहिए।

(सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शांत रहे। कृपया व्यवधान नहीं, अगर आप लोग व्यवधान डालेंगे तो फिर और समय लगेगा। माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं है। हमारा सवाल संवेदनशीलता पर है, जिस संवेदनशील सरकार की परिकल्पना उत्तर प्रदेश के बाइस करोड़ लोगों ने की। हमें दुख है इस बात का कि रिक्शेवालों के ऊपर इनकी नजर क्यों नहीं गयी और इस पुस्तिका में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया। जब हम संवेदनशीलता की बात करते हैं, बहस बहुत सारी हो सकती हैं, भाषण भी बहुत सारे हो सकते हैं, आरोप भी बहुत सारे लगाये जा सकते हैं और यह कहकर इस बात को काटा भी जा सकता है कि यह विपक्ष के विधायक हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे साथी, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री राजभर जी जो विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने कहा है इस बात को कि जब समाचार.पत्र पढ़ने को मिलता है तो लगता है कि यह क्या हो रहा है। कभी पांच साल की बच्ची के साथ चार लोगों ने बलात्कार किया, कभी एक छोटी बच्ची को कार में लेकर गये और चार–पांच लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। यह आरोप हम सरकार पर नहीं लगा रहे हैं, आज सवाल यह है कि यह प्रवृत्ति क्यों इतनी तेजी से बढ़ी है। इस प्रवृत्ति पर कहीं न कहीं सरकार को अंकुश लगाना पड़ेगा। पक्ष विपक्ष को मिलकर अंकुश लगाना होगा, यह कहीं न कही संवेदनशीलता से ही तो जुड़ा हुआ है। जब समाचार.पत्र पढ़ते हैं, एक व्यापारी जब दिन भर व्यापार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, शाम को जब वह बिक्री करके लौट रहा है तो उसकी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, लूट लिया जाता है। सवाल यह है कि आरोप लगे कि किसके कम आंकड़े हैं, किसके ज्यादा आंकड़े हैं अपराध के और अपराध पर चर्चा करेंगे तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अपराध तो होते रहे लेकिन आज दो महीने में जिस तरह से अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ी है कहीं न कहीं सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना होगा।

मान्यवर, इस किताब में केवल यह लिख देने से कि हम यह–यह योजनाएं संचालित करने के लिए सोच रहे हैं। आज हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने जब समाजवादी पेंशन देने का फैसला लिया और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने यह स्वीकार किया कि गरीब लोगों को इससे अच्छी पेंशन आज तक देश के किसी राज्य में नहीं मिली। हम पूछना चाहते है कि यह मामला मा0 सर्वोच्च न्यायालय में गया लोगों ने इस पर एस0एल0पी0 दाखिल किया। हमें दुख है कि ये समाजवादी योजनाएं इस किताब में पढ़ने को क्यों नहीं मिली ? मा0 अध्यक्ष जी, हम इस संवेदनशील सरकार से आग्रह करना चाहते है कि समाजवादी पेंशन योजना को इसमें शामिल किया जाये और इसी के साथ मा0 अध्यक्ष जी हम अपनी जिस विधान सभा से होकर आते हैं ऊंचाहार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि वहां पर गंगा नदी है और गंगा नदी के किनारे लगभग 63 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है उसमें कम से कम 25 राजकीय नलकूप हमारी सरकार ने लगवाए हैं। लेकिन

कम है मा0 अध्यक्ष जी। मा0 अध्यक्ष जी, हम वर्तमान सरकार से भी आग्रह और अनुरोध करेंगे कि सिंचाई की व्यवस्था को देखते हुए राजकीय नलकूप की व्यवस्था की जाए। मा0 अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इस आदरणीय सदन में सभी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के अनेक मा0 वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे विधायकों के बहुत बड़े वर्ग को अपनने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। कभी–कभी बीच में नोकझोंक भी हुई है। हम एक सूचना देना चाहते है कल भी दी थी कि[४] जो मा0 सदस्य बोल नहीं पाये वह अपना कथन अधिकतम 200 शब्दों में समस्यामूलक के रूप में हमारे सचिवालय को जमा कर देंगे वह हमारी कार्यवाही का भाग होगा। मा0 मुख्यमंत्री जी।

[†]मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)–

मा0 अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मा0 नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन ससमाज पार्टी, नेता कांग्रेस पार्टी समेंत कुल 74 मा0 सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव इस मा0 सदन में रखें। यह सभी सुझााव अत्यंत महत्वपूर्ण थे। सदन की परम्परा के अनुसार किसी भी वर्ष में सत्र की शुरूआत श्री राज्यपाल जी, के अभिभाषण से होती है। श्री राज्यपाल जी, के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से जहां मा0 सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त होता है वहीं अनेक सदस्यों को भी अपने सुझाव को भी रखने का अवसर प्राप्त होता है और मुझे अच्छा लगा कि चार दिनों से लगातार धन्यवाद प्रस्ताव पर इस मा0 सदन में चर्चा हुई। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों और परम्पराओं की शुरुआत उत्तर प्रदेश की इस सदन के माध्यम से एक बार पुनः प्रारम्भ होती हुई दिखाई देती है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नये सदस्यों को बोलने में प्राथमिकता दी है। और हमारे बहुत सारे नये सदस्यों ने भी धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचारों को रखा अपनी समस्याओं को रखा। समाज की ज्वलंत समस्याओं पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। एक अच्छी शुरूआत है और स्वस्थ लोकतंत्र तो वही है जहां पर हम सहमति और असहमति के बीच में एक समन्वय स्थापित कर सकें। क्योंकि लोकतंत्र में हम अपनी बात को जबरन किसी पर थोप नहीं सकते। स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना आपसी सहमति से आपसी समन्वय से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ सकती है और मुझे लगता है कि उसका सर्वोच्च मंत्र विधयिका होती है। इस विधायिका ने उस स्वस्थ परम्परा को एक बार पुनः पुनर्जीवित किया है। मैं पीठ के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री राज्यपाल जो अभिभाषण होता है वह सरकार का एक विजन डाक्यूमेंट होता है। सरकार ने क्या किया है और सरकार आगे क्या करने जा रही है। विजन डाक्यूमेंट महत्वपूर्ण होता है। सरकार की चल रही योजनाओं और भावी योजनाओं का एक जीवंत दस्तावेज होता है।

वह अलग विषय है कि हमारे माननीय विपक्ष के सदस्यों ने यहां पर श्री राज्यपाल जी द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया था उस दिन उसमें कोई बहुत रूचि नहीं ली। और उस दिन का जो दृश्य था, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि सदस्य इस

[†] (कृपया लिखित भाषण के लिये देखिये आगे नत्थी 'क' पृष्ठ संख्या 159-194 पर)

[*] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन में सीटी बजा रहे थे। महोदय, मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैं सबसे आगे की पंक्ति में ही था। तो सीटी अब तक बजाते हुए मैंने दो ही प्रकार के लोगों को देखा है एक तो ट्रैफिक पुलिस को लेकिन उनकी एक निर्धारित यूनिफार्म है और दूसरों के लिए हमने एंटी रोमियों स्क्वायड गठित कर दिया है। लेकिन इस सदन में सीटी की गूंज बहुत अजीब सी लगी और मुझे लगता है कि सदन ने स्वयं उसका संज्ञान भी लिया है। अध्यक्ष जी, हम लोगों ने 19 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथग्रहण किया था और आज ठीक दो महीने इस सरकार को हो गये हैं। और दो महीने के साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश के इस सदन में आकर श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर उनके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए उसका जवाब भी दे रहे हैं। सरकार ने जब कार्य प्रारम्भ किया है हम लोगों के सामने, प्रदेश के सामने जो स्थितियां है जो समस्यायें है जो चुनौतियां हैं। हम सबने उसको स्वीकार किया है और एक चुनौती के रूप में हम उसको ले भी रहे हैं। हम सबके सामने यह स्पष्ट है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की है लेकिन यह सरकार किसी जाति, किसी मत या किसी सम्प्रदाय या किसी मजहब का प्रतिनिधित्व नहीं करती। बल्कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी के उस उद्घोष को जो उन्होंने हमें मंत्र रूप में दिया है 'सबका साथ सबका विकास' उस भाव का प्रतिनिधित्व करती हुयी दिखायी दे रही है। जिन लोगों ने 5–5 वर्षों तक 10–10 वर्षों तक प्रदेश में लगातार शासन किया है वह लोग आज हमसे दो महीने के कार्यकाल का पूरा लेखा–जोखा एक साथ पूछना चाहते हैं कि आपने सौ वर्षों में क्या कर दिया है। अरे, अभी तो हमें दो महीने हुए हैं। और बात–बात पर वाकआउट करना, मैं मानता हूँ प्रदेश के अन्दर कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं लेकिन अक्सर होता है कि जब किसी चीज को मरना होता है तो तेजी के साथ सांस लेता है। अध्यक्ष जी हम तय कर चुके हैं कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। (सदस्यों ने मेजें थपथपाई) अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नही होगी। बहुत सख्ती के साथ हम निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से और यह तय है कि अगर किसी ने किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी व्यापारी का उत्पीड़न किया तो फिर उसको अपने भविष्य के बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। बहुत हो चुका है, क्योंकि आदतें कुछ खराब हो चुकी हैं 12–15 वर्षों की बातें आसानी से छूटने वाली नहीं हैं, उन्हें छूटने में कुछ समय लग रहा है, इसलिए वह कहीं न कहीं हरकतें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं सदन के माध्यम से इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार ने अगर प्रदेश में एक सर्वांगीण विकास और सुशासन की बात कही है तो सर्वांगीण विकास और सुशासन एक भय–रहित समाज के माध्यम से स्थापित होगा और यह सरकार करके रहेगी, यह हमारा विश्वास है। (मेजें थपथपाई गयी) अध्यक्ष जी, इन दो महीनों में इस सरकार ने कुछ कार्य प्रारम्भ करने के प्रयास किए है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन मुद्दों का उल्लेख भी किया गया है। दो महीने का कार्यकाल है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हां, ये दो महीने का कार्यकाल हमारे नेता प्रतिपक्ष और उनके सहयोगी दूसरे बहुजन समाज पार्टी के सरकार के 15 वर्ष के कार्यकाल पर भारी पड़ता हुआ दिखायी पड़ता है, अगर आप उसका निष्पक्ष विवेचन करें तो। हमने प्रयास किया है। इन 15 वर्षों में यहां का किसान बदहाल हुआ है।

अध्यक्ष जी, जब मैं उत्तर प्रदेश के बारे में सोचता हूँ, प्रकृति और परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है, उत्तर प्रदेश पर, गंगा जी एक हजार किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अन्दर बहती हैं, यमुना जी उत्तर प्रदेश में बहती हैं, सरयू जी उत्तर प्रदेश में बहती हैं, राप्ती उत्तर प्रदेश में है, गण्डक हमारी सीमा से होकर निकलती है। ऐसी अनेक नदियां, इतनी उर्वरा भूमि और तब भी यहां का किसान आत्महत्या करे ? कहीं न कहीं सरकारों की नीति पर खोट था। कहीं न कहीं हमारी योजनाओं की कमी थी। (मेजें थपथपाई गयी) मान्यवर, किसानों के बारे में सोचता बहुत था और इसीलिए हमारी पार्टी ने, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, पहली बार उन्होंने यह बात स्पष्ट कहा कि सरकार का पहला फैसला किसानों के बारे में होना चाहिए, किसानों के बारे में सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए। हम लोग बैठे अपनी मंत्री परिषद के साथ, हम लोगों ने विचार किया। किसान प्रतिदिन आता था हम लोगों के पास कि साहब, हम पर इतना कर्जा है, हम पर इतना कर्जा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी किसानों ने आत्महत्याएं करनी प्रारम्भ की, इन 12–15 वर्षों में, क्योंकि किसान के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था और हम लोगों ने यह आवश्यक समझा कि किसानों के हित के लिए आवश्यक है कि उसके फसली ऋण को माफ किया जाए और इस सरकार ने निर्णय लिया, एक साथ 86 लाख किसान उससे लाभान्वित हुआ है, 01 लाख की ऋण की सीमा को हम लोगों ने, इस सरकार ने माफ किया है लेकिन इस सरकार ने यह भी तय किया है कि फसली ऋण का बोझ जो सरकार पर आयेगा, प्रदेश सरकार पर आयेगा, यह हम प्रदेश की जनता पर नहीं पड़ने देंगे, बल्कि अपने खर्चों से उस कमी को पूरा करेंगे। यह बोझ प्रदेश की जनता पर नहीं आयेगा, हम को अतिरिक्त टैक्स नहीं लगायेंगे लेकिन हां, किसान के हित में हमने यह कदम उठाया है। आगे भी किसान के हित के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेगे, यह सरकार किसानों के हित के लिए उस प्रकार का कदम उठायेगी और उठाये हैं सरकार ने। यहां पर पिपरमिण्ट की कोई पालिसी नहीं थी, किसानों से सीधे उनकी उपज को खरीदा नहीं जाता था, किसान चिल्लाता रहता था, उसके यहां कोई क्रय केन्द्र स्थापित नहीं होते थे।

हमारी मंत्रिपरिषद् ने निर्णय लिया हम किसानों से उसकी फसल का क्रय सीधे करेंगे। बताया गया कि यहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हम लोगों ने कहा सिस्टम तो हम तय करेंगे, सिस्टम तय करने का काम सरकार का है, सरकार चुनी ही इस बात के लिए जाती है कि वह सिस्टम तैयार करे और वह हम लोगों ने तय किया। 01 अप्रैल से प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने गेहूं क्रय केन्द्र प्रारम्भ करवाये और गेहूं क्रय केन्द्र पूरे प्रदेश के अन्दर 5027 क्रय केन्द्र पूरे प्रदेश के अन्दर स्थापित करवाये, हम लोगों ने और पूरे प्रदेश के अन्दर पहली बार किसान को समर्थन मूल्य से कुछ ज्यादा पैसा मिलना प्रारम्भ हुआ। बहुत सारे लोग आये मेरे पास, उन लोगों ने कहा साहब यहां तो आढ़तियों से और दलालों से खरीदा जाता है, आप इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। हमने कहा नहीं, पहले क्या होता था, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज क्या होना है, हमें किसान को ध्यान में रखकर के अपनी योजना तैयार करनी है और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं 1,625.00 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य है, 10 रुपये हम उसमें अतिरिक्त लदाई–ढुलाई का देंगे यानी 1,635.00 रुपये और वह पैसा भी एक सप्ताह के अन्दर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किसान के खाते में सीधे जाना चाहिए और अध्यक्ष जी मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक इस प्रदेश की सरकार 18 लाख 50 हजार

मीट्रिक टन गेहूं का क्रय कर चुकी है और अभी 15 जून तक यह क्रय लगातार किसानों से होगा, जबकि पिछले वर्ष पूरे सीजन में केवल 07 लाख 20 हजार टन आढ़तियों के माध्यम से खरीदा गया था।

हम लोग अब तक किसानों को 03 हजार करोड़ रुपये का भुगतान उनके खातों में सीधे करवा चुके है। किसानों के लिए यह योजनायें तैयार की गयी और इसीलिए किसान हमारी प्राथमिकता में है। किसान की कोई जाति नहीं है, उसमें सभी लोग हैं, हर जाति, हर वर्ग, हर मत, हर मजहब के लोग हैं और उसके बाद भी हम पर साम्प्रदाायिकता का लेविल आप लगाये हैं, मुझे इस पर अफसोस होता है। हमने किसान कहा और किसान के हित में ये कार्य हुआ। गन्ने की स्थिति, गन्ना किसान, उत्तर प्रदेश देश के अन्दर सर्वाधिक गन्ना उत्पादन का केन्द्र माना जाता था। यहां पर चीनी मिलें बेची गयी, औने–पौने दामों पर बेची गयी, वह चीनी मिलें प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का आधार थी। गन्ना किसानों के हितों को चीनी मिल मालिकों के सामने रौंद दिया जाता था, इस सरकार ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार गठित हुई मंत्रिपरिषद् बैठा और यह तय हुआ कि नहीं, किसी भी स्थिति में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान होना ही चाहिए और बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोगों ने गन्ना किसानों के 21,570 करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग करवा चुके हैं। जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से ज्यादा है और यह लगातार चलेगा। मुझे लगता है कि इधर हम लोग 15 जून के अन्दर–अन्दर प्रयास कर रहे हैं कि जो बकाया है, लगभग 03 हजार करोड़ रुपये का बकाया रह गया है, इसका भुगतान भी अविलम्ब हो, इस बात के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पहली बार प्रदेश में आलू किसानों के लिए एक पैकेज लेकर के यह सरकार आई। आलू किसानों के बारे में कुछ किया जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। हम लोगों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया, किसान एक रुपये में अपना आलू फेंक रहा था, उसको लागत भी नहीं मिल पा रही थी, प्रदेश सरकार ने तय किया कि अगर आलू का उचित दाम किसान को नहीं मिल पा रहा है, तो हम उससे खरीदेंगे, 01 लाख मीट्रिक टन खरीदने का निर्णय लिया, आलू का दाम बढ़ा, किसान ने हमें दिया, हमने 13 हजार मीट्रिक टन उसके बाद भी खरीदा है, लेकिन किसान को राहत देने के लिये जहां भी जो योजना बन सकती है, सरकार उसमें कभी पीछे नहीं हटेगी। मुझे लगता है कि श्री राज्यपाल जी भी अपने अभिभाषण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कहा है और आज जब इस पर सदन की भावनाओं को जानने के बाद जवाब देने का आपने मुझे अवसर दिया है मैं फिर इसके लिये कह सकता हूं कि यह सरकार इसके लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम किसान के हित के साथ किसी प्रकार का समझौता किसी भी स्तर पर नहीं होने देंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। महोदय प्रदेश में एक वी0आई0पी0 संस्कृति थी और वह संस्कृति कैसी थी 5 जिलों में बिजली मिलेगी, बाकी 70 जिले अंधेरे में रहेंगे। प्रातःकाल कुछ यहां बहस भी हो रही थी, मुझे लगता है जब लोग कुछ बोलते हैं तो उनको अपना पिछला अतीत भी देख लेना चाहिये। लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या किया, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग जब आये तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग भेद भाव किसी के साथ नहीं करेंगे। भारत के संविधान पर जिसका विश्वास होगा भारत की परम्परा को जो मानेगा, उत्तर प्रदेश में कानून के राज्य को स्थापित करने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिये प्रदेश के सर्वांगीण विकास और प्रदेश के सुशासन में जो भी

सहयोग करेगा हम उस सबको साथ लेकर चलेंगे और सबका साथ, सबका विकास की सद्भावना को पुष्ट करेंगे लेकिन उस वी0आई0पी0 संस्कृति को समाप्त करेंगे। हम लोग आये पहले दिन मंत्रिमण्डल में बैठे, मेरे सहयोगी मेरे साथ बैठे हम लोगों ने कहा कि यह काम होना चाहिये कि प्रदेश के अन्दर बिजली मिले तो सबको मिले नहीं तो सबकी जगह वी0आई0पी0 संस्कृति समाप्त हो जाये। जैसे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि लाल बत्ती समाप्त करो, प्रदेश के सभी मंत्रियों ने अपनी बत्तियां उतार कर रख दी। प्रदेश में हूटर संस्कृति को भी हम समाप्त कर रहे हैं और करेंगे। बिजली के मामले में भी हम लोगों ने किया लेकिन मैं बोलना चाहता हूं अपने प्रतिपक्ष में बैठे साथियों से कि उन्होंने विरासत में इतनी जर्जर व्यवस्था हम लोगों को दी है कि हम लोगों को किसी प्रकार से इसको सम्भालने के लिये उस पर किसी प्रकार से ले जाने का हम प्रयास कर पा रहे हैं लेकिन इन दो महीने में कार्य किया है। पावर फार आल पर हम लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। 75 के 75 जिला मुख्यालयों में 24 घण्टे बिजली, माननीय राम गोविन्द जी आप सदैव लखनऊ में नहीं रहते हैं और आप जमीन से जुड़े हैं, आप भी जब प्रदेश से बाहर जाते रहे होंगे तो आपको भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही होंगी लेकिन आज जब आप बाहर जाते रहे होंगे तो आपको भी दिक्कते झेलनी पड़ रही होंगी लेकिन आज जब आप बाहर जायेंगे हर जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे बिजली आपको मिलेगी, हर तहसील मुख्यालयों में 20 घण्टे बिजली मिलेगी और हर ग्रामीण क्षेत्र में 17–18 घण्टे बिजली की आपूर्ति मिलेगी, ट्रान्सफार्मर जलने पर भी हमने व्यवस्था दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रान्सफार्मर जलेगा 48 घण्टे के अन्दर बदलो और शहरी क्षेत्र में ट्रान्सफार्मर खराब होता है तो 24 घण्टे में उसको बदलने की व्यवस्था होनी चाहिये। हमने कहां भेद.भाव किया, हमने तो सबके लिये कहा पूरे प्रदेश के लिये कि यह सरकार पूरे प्रदेश की सरकार है, प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनी जरूर है लेकिन भेद.भाव किसी के साथ नहीं फिर सबका साथ सबके विकास की सद्भावना को हमने आगे बढ़ाया। हमने आगे बढ़ाया। हमने तो नहीं कहा केवल कुछ चुने हुये जिलों में बिजली रहनी चाहिये, सबको मिलना चाहिये और मैं यह देखने के लिये दो तीन दिन मैं स्वयं रात्रि में यात्रा किया इससे पहले जब मुझे हवाई जहाज से यात्रा करना पड़ता था तो मैं देख लेता था कि जहां से अंधेरा शुरू होता था तो मैं सोच लेता था कि उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गयी है लेकिन अध्यक्ष जी मैं इस बात को बहुत गर्व से कह सकता हूं कि मैंने सत्र प्रारम्भ होने के तीन दिन पहले लगातार यात्रा की है और तीन दिन अंधेरे में रात्रि में हेलीकाप्टर से यात्रा की है और मुझे बताते हुये प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में रात्रि में मुझे बिजली जलती हुई दिखाई दी है। एहसास करिये आप लोग हमें सच्चाई का एहसास होना चाहिये और हम लोग करेंगे, हम लोगों ने यह भी व्यवस्था दी है कि हम लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले हर परिवार को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिलवाइये, कनेक्शन लगवाइये, मीटर लगवाइये और उसके बाद जो कम से कम विद्युत का बिल होता है वह भुगतान वे करेंगे तो हम ग्रामीण क्षेत्र में अक्टूबर, 2018 से 24 घंटे बिजली देना प्रारम्भ कर देंगे, बशर्ते लाइन लॉस कम होना चाहिये। जहां भी 15 प्रतिशत से नीचे लाइन लॉस आयेगा हम लोग वहां 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति करेंगे। हमने कब कहा इस बात को और अगर यह पहले से होता तो फिर मुझे लगता है कि आप वहां नहीं होते, आप यहां होते लेकिन कहीं न कहीं नीयत में खोट थी। विभाजन की एक मानसिकता थी। हम किस रूप में इस पूरे प्रदेश

को ले जाने का प्रयास कर रहे थे। अगर मैं उन सबको बोलना प्रारम्भ करूंगा तो बहुत वैसी स्थिति पैदा होगी लेकिन मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता है कि सरकार कार्य कर रही हैं।

हमारे सभी सहयोगी पूरी मजबूती के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोगों ने कहा है कि प्रदेश के अन्दर जितने भी विकास के कार्य होंगे, जितनी भी योजनायें बनेंगी, उसको ई–टेण्डरिंग के माध्यम से करेंगे। प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है, उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं महोदय, अभी हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अन्दर खनन पर रोक लगाई थी और खनन पर रोक के बाद प्रदेश के डेवलपमेण्ट के कार्यों पर असर पड़ रहा था। हमारे बड़े बडे प्रोजेक्ट रुक गये थे। केन्द्र सरकार के जितने भी नेशनल हाई–वे के प्रोजेक्ट थे उन पर प्रभाव पड़ रहा था। गड्ढामुक्त सड़कों के हमारे अभियान पर कहीं न कहीं से विराम लग रहा था। हम लोगों ने न्यायालय से अनुरोध किया। न्यायालय ने कहा कि अपने प्रस्ताव के साथ आप लोग आइये। हम लोगों ने ई–टेण्डरिंग की बात उनके सामने रखी। हम लोगों ने कहा कि हमें इस समय तो तात्कालिक रूप से मौरंग चाहिये, बालू चाहिये, गिट्टी चाहिये। हमें तत्काल ई टेण्डरिंग के माध्यम से इसकी अनुमति दें और आने वाले समय में हम इसको सैटेलाइट मैपिंग से जोडेंगे जिससे कहीं भी कोई किसी प्रकार की कमी न हो, कहीं चोरी की सम्भावना ही न हो। आश्चर्य होगा, इस प्रदेश के अन्दर प्रदेश को जितना राजस्व प्राप्त नहीं होता था उससे ज्यादा सम्पत्ति अकेले मंत्री कमा लेता था। प्रदेश का खजाना खाली लेकिन खनन मंत्री की सम्पत्ति अकेले मंत्री कमा लेता था। प्रदेश का खजाना खाली लेकिन खनन मंत्री की सम्पत्ति उससे ज्यादा और जब ई टेण्डरिंग हम लोगों ने शुरू की जो परिणाम आ रहे हैं तो मा0 राम गोविन्द जी मुझे आपको बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि जो इस समय ई टेण्डरिंग के वह आ रहे हैं उससे राजस्व का 7 से 10 गुना राजस्व की वृद्धि होने वाली है और जब हम सेटेलाइट मैपिंग से जोड़ेंगे यह और तेज होगा, और ज्यादा होने वाला है। हमारे प्रदेश के अन्दर एक मानसिकता बन चुकी थी। एक तो महापुरूषों को जातीय दायरों में बांटने की जो परम्परा है, बहुत खराब है। महापुरुष तो महापुरुष है, आप उसको किसी जाति के दायरे में क्यों कैद कर दे रहे हैं, आप उनके महत्व को कम कर रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं। हर मामले में कोई भी जाता था सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये छुट्टी घोषित करती थी। हम लोगों ने कहा कि नहीं, छुट्टी घोषित नहीं करेंगे। जो छुट्टियां हैं उनको भी रद्द करेंगे। उस महापुरुष के नाम पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे और इससे भी हमें लाभ हो रहा है। महोदय उत्तर प्रदेश की कुल जी0डी0पी0 है लगभग 12 साढ़े 12 लाख करोड की। यानी एक महीने में अगर आप देखेंगे तो एक लाख करोड़ अगर हम कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें तो प्रदेश की इनकम एक लाख बढ़ती है, अगर हम एक महीने ईमानदारी से कार्य करेंगे तो 15 छुट्टियां हम लोगों ने निरस्त की हैं यानी 50 हजार करोड़ रुपये के राज॰ का लाभ हम लोग प्रदेश को देने जा रहे हैं इन छुट्टियों को निरस्त करने के साथ ही और प्रदेश के अन्दर उन महापुरुषों के साथ–साथ हम लोगों ने कहा कि देश के जितने भी क्रान्तिकारी थे, जितने भी वे महापुरुष थे, जो आज भी गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। इतिहास में जानबूझकर के महाराज सुहेलदेव का ही नाम आया। झलकारी बाई का नाम आया, लाखन पासी का नाम आया। ऐसे तमाम महापुरूष हैं प्रदेश के अन्दर जिस जिले में आप जायेंगे उन महापुरूषों के बारे में पाठ्क्रम में कुछ

भी नहीं है कोई संगठन कार्यक्रम मना लेगा तो ठीक, कोई जाति विशेष कभी मना लेगी तो ठीक। अगर महाराज सुहेलदेव के बारे में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर नहीं बोलते तो संभवतः लोग भूल गये होते ये कम से कम उनका नाम लेकर के कार्यक्रम तो लेते हैं। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन विद्यालयों के पाठ्क्रम में इन महापुरूषों का नाम न हो। हम लोगों ने कहा कि हम लोग इन महापुरूषों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनायेंगे। (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि महापुरूष तो महापुरूष होता है। उस महापुरूष को हम आने वाली पीढ़ी के सामने रखेंगे। उनके गौरवशाली इतिहास को रखेंगे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आने वाली पीढी के सामने आदर्श के रूप में रखेंगे और वह कार्य प्रारम्भ हो रहा है। हमने छुट्टियां निरस्त की और मैं आभारी हूं प्रदेश की जनता का कि उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया कि हां ये छुट्टियां निरस्त हो ही जानी चाहिये और उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर अन्य प्रदेशों की सरकारों ने भी इसका अनुशरण करना प्रारम्भ कर दिया कि छुट्टियां अब निरस्त होनी ही चाहिये। नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं होता था। स्कूल जाइये पूछिये क्योंकि छुट्टी है तो वह कहता था साहब इतवार है। आज तो इतवार नहीं है मंगलवार है। कहता है साहब छुट्टी है। इसलिये हमने समझ लिये कि इतवार है।

क्या देना चाहते हैं आने वाली पीढी को हम? कौन सा आदर्श उनके सामने रखना चाहते हैं ? आप लोगों ने हमें प्रदेश को गड्ढायुक्त दिया है, गड्ढायुक्त सड़के दी है। यदि आप लोगों ने कार्य किया होता तो प्रदेश के अन्दर एक लाख किलोमीटर से अधिक सडकें गड्ढायुक्त नहीं होती लेकिन यह सरकार कह रही है कि हम इन्हें गड्ढामुक्त करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)। गड्ढामुक्त सडकें उत्तर प्रदेश के अंदर होंगी और यह बरसात से पहले होगी। हम लोग लगे हैं और पूरी मजबूती के साथ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर दिव्यांगों की बात आयी थी, मैंने कल भी सदन में कहा था। हमारे माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा था कि दिव्यांगों के बारे में सरकार क्या करने जा रही है और इसमें भी ओम प्रकाश राजभर हमारे माननीय मंत्री जी ने ही इस बात को कहा कि दिव्यांगों के बारे में कुछ होना चाहिये तो सरकार ने निर्णय लिया, मंत्रि परिषद् ने निर्णय लिया कि दिव्यांगों की पेंशन जो 300 रुपये है उसको हम बढ़ाकर 500 रुपये करने जा रहे हैं। 500 रुपये पेंशन हो गयी है और प्रदेश के 9 लाख दिव्यांग उससे लाभान्वित होने वाले हैं। इसके अलावा हम उनके लिये जगह–जगह सी0आर0सी खोलने जा रहे हैं, कम्बाइन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टर खोलने जा रहे हैं। एलइनको कानपुर की तर्ज पर और भी केन्द्र हम प्रदेश के अन्दर खोलेंगे। उनको हम ऐसी व्यवस्था देंगे जिसके लिये माननीय सदस्यों ने यहां सदन में चिंता व्यक्त की है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उनका नाम ही दिव्यांग रखा है। आप देखेंगे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा भौतिकविद् है हांकिन्स यानि वह अष्टवक्र का ही एक नया रूप है लेकिन ब्रह्माण्ड के रहस्य के बारे में उनकी जो थ्योरी है, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। यह प्रतिभा हर दिव्यांग के अंदर छिपी हुई है। इसलिये आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उन्हें दिव्यांग कहा है (मेजों की थपथपाहट) और उसका सम्मान हो यह आवश्यक है और सरकार इसके बारे में पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महोदय मुझे अफसोस होता है इस बात को सुन कर और देखकर कि लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्सेस थी, सेन्ट्रल गर्वमेंटस एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहती थी। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिये 150

लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स जिसको आप कार्डियेक वैन भी कहते हैं उत्तर प्रदेश को देनी चाही, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमें नहीं चाहिये। यानि एक इतने बड़े महापुरूष थे कि भारत सरकार फ्री में दे रही है लेकिन लेना ही नहीं चाहते। हमारी सरकार आई हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने पहल की और इन दो महीने में हम प्रदेश को 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्सेस उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनमें सबमें मानीटर, सबमें वेंटीलेटर लगे हुये हैं। हर जनपद को हम ऐसी दो–दो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्सेस दे चुके हैं 100 और हम लोगों ने डिमाण्ड की है, वह भी हमें अतिशीघ्र मिलने वाली है। यह कार्य भी इस दौरान हम लोगों ने किया है।

महोदय, मैंने आपके साामने शुरूआात में यह कहा ही, अभी वह बहुत प्रभावी होगा। चुनाव के दौरान हम हम लोग जहां–कहीं जाते थे तो हम लोगों के पास एक बात आती थी, शिकायत। किसी परिवार में बैठते थे तो उस परिवार की कोई बेटी, कोई बहन इस बात की शिकायत करती थी कि इन बच्चियों को स्कूल भेजना बड़ा दूभर हो गया है। जो बातें वह लोग करते थे उसको देखकर सिर शर्म से झुकता था कि प्रदेश में कैसी स्थिति है, क्या स्थितियां हैं। हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होने देंगे। प्रदेश में हर बेटी, हर बहन की सुरक्षा होगी। प्रदेश के अन्दर हम कहीं भी अराजकता को फैलने नहीं देंगे। 21 मार्च को इस सरकार के आने के साथ ही हम लोगों ने फैसला किया कि हम एण्टी रोमियों स्क्वायड गठित करेंगे। हमने एण्टी रोमियों स्क्वायड का कार्य प्रारम्भ किया। हम लोगों ने 1,74,437 मामले पूरे प्रदेश के अन्दर पकड़े। विद्यालयों के बाहर, बाजारों में, पार्कों में, बस स्टेशनों के बाहर, रेलवे स्टेशनों के बाहर, मॉल के बाहर और इस मामले में हम लोगों ने इस बात को कहा कि जो पकड़े जा रहे हैं, प्रारंभिक रूप से इनके खिलाफ एकदम कार्यवाही करने के बजाए इनके अभिभावकों को इनको सौंपो। इनकी फोटो लेकर तैयार रखो, अगर यह बार–बार अपनी आदतों से बााज नहीं आता है तक इसके चालान की तैयारी करो। इस क्रम में प्रदेश के अन्दर 6,38,990 ऐसी हम लोगों ने अलग–अलग स्पॉट पर चेकिंग की। इसमें 509 अभियोग पंजीकृत किए गए, जो इस प्रकार के कुकृत्यों को करने के लिए हैबिचुअल हो चुके थे, आदी हो चुके थे। 1061 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की और बाकी शेष अन्य लोगों को भविष्य में इस प्रकार का अपराध न करें, इस बात के लिए सख्त हिदायत के साथ इनको छोड़ा गया है।

किस समाज में हम लोग जी रहे हैं, कैसा समाज हम देना चाहते हैं। एण्टी रोमियों स्क्वायड जब गठित किया गया तो कहा गया कि इसका नाम रोमियो क्यों रख दिया है। मैं ताज्जुब कर रहा था कि रोमियों के नाम पर भी अब लोगों को परेशानी है लेकिन अगर प्रदेश के हित में है, प्रदेश की बहन–बेटियों को सुरक्षित करने के लिए अगर इस प्रकार के नाम का भी उपयोग करना पड़े, तो मुझे लगता है कि संकोच नहीं करना चाहिए, हमें सुरक्षा का वातावरण देना ही चाहिए। यह सुरक्षा प्रदेश के अन्दर मिलनी ही चाहिए और इस सुरक्षा को देने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अध्यक्ष जी, प्रदेश के अन्दर एन0जी0टी0 और बहुत बार प्रदेश के अधिकारियों को बुलाकर के कठघरे में खड़ा करती है। एन0जी0टी0 के दो ही प्रकार के मामलों में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विभिन्न निकायों को और प्रदेश के अधिकारियों को कठघरे में खड़ा करती थी। उनमें से एक स्लॉटर हाउसेस के मामले और दूसरा जो सारे सीवरेज और ड्रेनेज हम सीधे नदियों में उड़ेलते हैं। इन्हीं मामलों को लेकर एन0जी0टी0 के साथ–साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे लगता है कि फरवरी 2017 में प्रदेश सरकार को अवैध बूचड़खानों के मुद्दे को लेकर

एक निर्देश भी जारी किया था लेकिन कभी कार्यवाही नहीं हो पायी। ऐसा लगता था कि जैसे अवैध बूचड़खाना और इल्लीगल स्लॉटर हाउसेस जो संचालित करते थे यह सरकार से ऊपर हैं, किसी कानून से ऊपर हैं। हम लोगों ने कहा ऐसा नहीं होगा, प्रदेश में अगर कानून का राज होगा तो सबके लिए समान होगा। एन0जी0टी0 और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, उस गाइडलाइन को प्रत्येक दशा में फॉलो किया जाना चाहिए और प्रदेश के अन्दर हम लोगाों ने उसे लागू किया है। हम लोगों ने इस बात को कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर कोई आदेश नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और एन0जी0टी0 की गाइडलाइन को आप फॉलो करिए। उन्होंने जो मानक तय किए है उसका आप पालन करिए और उसका जो पालन नहीं करेगा उसको हम प्रदेश के अन्दर नहीं चलने देंगे, बन्द करेंगे। हम लोगों ने पूरी सख्ती के साथ उसको रोकने का कार्य भी किया है। इसमें कार्यवाही हुई है। मेरे पास स्लॉटर हाउस को संचालित करने वाले लोग भी आए थे। मैंने कहा मुझे एक बात तो बताइए, प्रदेश सरकार के किसी आदेश को तो मुझे बताइए। क्या हम आपने किसी न्यायिक बाडी के द्वारा दिये गये आदेश को प्रदेश में लागू न करें, क्या हम प्रदेश में एक अराजकता की स्थिति पैदा करने दें ? हर कार्रवाई के दो पक्ष होंगे उसका सही पक्ष भी होगा, उसका बुरा पक्ष भी होगा उसका समर्थन करने वाले भी होंगे उसका विरोध करने वाले भी होंगे लेकिन हम प्रदेश के अन्दर इस प्रकार की इजाजत नहीं दे सकते कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोई आदेश दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है और माननीय न्यायालय के आदेश का पालन प्रदेश की मशीनरी न करा पाये। क्या इतना कमजोर हो चुकी है मशीनरी, क्या शासन इतना कमजोर हो चुका है, क्या प्रशासन इतना कमजोर हो चुका है कि हम उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई न कर सकें और यह कार्रवाई यहां पर की गयी है और पूरी सख्ती के साथ हम लोगों ने इसको मजबूती के साथ रोकने का कार्य किया है।

महोदय, एक और बात की शिकायत आती थी बार–बार इस बारे में प्रदेश अक्सर बदनाम होता था और अक्सर आपने मथुरा की जवाहर बाग की घटना को, मुझे लगता है कि पूरे देश के अन्दर प्रदेश की कितनी भद्द पिटी थी। जवाहर बाग की घटना, प्रदेश की जमीन पर कोई अपराधी कब्जा कर ले, सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो जाय, सत्ता मौन बनी रहे, बहुत खराब स्थिति है। अराजकता, जंगल राज की पराकाष्ठा प्रदर्शित करता है। हम लोगों ने कहा कि हम यह नहीं स्वीकार करेंगे। एन्टी भू–माफिया टास्क फोर्स प्रदेश के अन्दर गठित हो रहा है और एन्टी भू–माफिया टास्क फोर्स को इस बात का निर्देश स्पष्ट दे दिया गया है कि दो महीने के अन्दर ऐसी सभी भूमियों को चिन्हित करो प्रदेश के अन्दर जो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जिस पर किसी माफिया ने किसी दबंग सत्ता के संरक्षण में राजनीतिक संरक्षण में, कोई भी हो अगर उसमें कब्जा किया है उसको चिन्हित करो फिर दो महीने के बाद अगर वह छोड़ता नहीं है तो उस पर कार्रवाई करने की तैयारी भी हो। पूरी मजबूती के साथ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। यह जो उछल–कूद हो रही है न अभी कुछ क्षेत्रों में यह सब वही तिलमिलाहट है। मछली को जब पानी से निकाल कर फेको तो तड़फती है यह तड़फन वही है जो कहीं–कहीं आपको दिखाई दे रही होगी वह बहुत जल्दी शांत हो जायेगी और हमेशा के लिए शांत होगी, यह हमेशा के लिए शांत होगी। इसलिए एन्टी भू–माफिया टास्क फोर्स प्रदेश के अन्दर गठित हो रहा है। लेकिन साथ–साथ यह भी हिदायत दे दी गयी है गांवों में आबादी की जमीन किसी के नाम पर नहीं होती है अगर कोई गरीब, कोई

दलित, कोई कमजोर वहां पर पहले से मकान और झोपड़ी बनाकर रह रहा है तो उस जमीन को उसके नाम से पट्टा करिये और उसका कब्जा भी उसे दिलाने का काम करिये। (मेजों की थपथपाहट) प्रदेश में सुशासन स्थापित हो यह तब जब अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति इसका एहसास कर सके।

अध्यक्ष जी, प्रदेश के अन्दर किसानों की बदहाली का एक कारण भी है किसानों के पास नई तकनीक नहीं है। परम्परागत तकनीक है, मैं देखाकर ताज्जुब करता हूँ हमारे यहां का किसान, अभी भी हमारे यहां उत्तर प्रदेश के अन्दर 4 विश्वविद्यालय हैं प्रदेश के दो हैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय वह तकनीक दे पाने में कहीं न कहीं विफल रहे है या जागरूकता का अभाव रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र यहां पर पहले से चल रहे थे भारत सरकार के निर्देशन में लेकिन विश्वविद्यालय का ऐसा शिकंजा था उस पर कि वह कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहे थे। हम लोग बैठे, हम लोगों ने कहा किसान को नई तकनीक नहीं मिलेगी, नया बीज नहीं मिलेगा वह कैसे कर पायेगा ? हमें देनी पड़ेगी उसको आधुनिक तकनीक और इससे हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जितने भी कृषि विज्ञान केन्द्र प्रदेश के अन्दर संचालित हो रहे हैं विश्वविद्यालयों के अधीन एक विश्वविद्यालय उन्हें उनकी वित्तीय ताकत दें, फाइनेशियल पावर कृषि विज्ञान केन्द्रों को ट्रांसफर करे, और फिर उनकी मानीटरिंग करके उनसे लें कि वह अपने ठोस रोडमैप के साथ सामने आयें और बतायें कि उन्होंने किसानों के हित के लिए क्या किया है। साथ–साथ 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का भी निर्णय प्रदेश की सरकार ने लिया है, भारत सरकार इसमें पूरा पैसा दे रही है। हम लोगों ने जमीन का आवंटन उनके लिए कर दिया है। हम किसान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ेगे। सस्ती लोकप्रियता के लिये हर साल क्या होता है हम लोग हर साल गन्ने का दाम बढ़ाते हैं। कमर टूटे किसान की या चीनी मिल मालिक की, अंततः नुकसान प्रदेश की जनता को ही होना है। अगर जो किसान एक एकड़ में 200 क्विंटल गन्ना की बजाय 400 क्विंटल गन्ना पैदा करेगा तो उसको 200 क्विंटल का अतिरिक्त लाभ है न। हम उसको तकनीक क्यों नहीं देते हैं इसलिए एक तकनीक हम लोग देंगे और स्वायल टेस्टिंग की लैब हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। हर किसान को हम बतायेंगे कि आपके खेत में किस तत्व की आवश्यकता है और किसान उसके अनुरूप अपनी खेती में उस प्रकार के तत्वों को डालेगा। नहीं तो क्या स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। एक बड़ा भू–भाग प्रदेश का ऐसा हो गया है जो डार्क जोन हो रहा है। बुन्देलखण्ड एक ही फसल ले पाता है पानी नहीं है। सरफेस वाटर का उपयोग करने की हम लोगों ने कोशिश ही बन्द कर दी और ग्राउन्ड वाटर लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर बैंक में पैसा न हो और हम बैंक में पैसा लेने के लिये जायेंगे तो क्या बैंक हमें पैसा देगा। नहीं और वही स्थिति है ग्राउन्ड वाटर का दोहन किस सीमा तक। आखिर उसकी एक सीमा होगी। हम लोगों ने बुन्देलखण्ड को पहले चरण में इसके लिए लिया है, केन और बेतवा को जोड़ने जा रहे हैं। केन–बेतवा की योजना को जोड़कर सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड को आने वाले दो वर्ष के दौरान हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि वहां पेयजल के साथ–साथ सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो। लेकिन साथ ही साथ प्रकृति के द्वारा जो अमृत जल के रूप में प्राप्त होता है, उसका भी संचयन हो सके, इसके लिए हम लोग खेत तालाब योजना के साथ–साथ चेक डैम आदि के माध्यम से वहां की व्यवस्था को सुधारने का कार्य करेंगे और डार्क जोन जो हो चुके हैं मध्य और पश्चिम यू0पी0 में, बहुत खराब स्थिति है अगर

हम समय रहते इसको रोकेंगे नहीं, तो यह पूरा क्षेत्र रेगिस्तान हो जायेगा। रेगिस्तान बनने से रोकना होगा हमें। पिछले दिनों मैं आगरा गया, मुझे बहुत दुख हुआ देखकर। यमुना जी में जल ही नहीं है सूखी पड़ी है, गंगा जी की वही स्थिति है। गंगा–यमुना हमारी पहचान हैं क्या दुर्गति कर दी है हमने। मैं पूरे सदन से अनुरोध करूँगा कि हम लोग इसमें अपने–अपने क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ करें, मनरेगा के माध्यम से, खेत तालाब योजना के माध्यम से, सरकार इसमें सहयोग करेगी यह काम जन सहयोग से होना चाहिए। हर काम के लिए सरकार के भरोसे रहने की जो आदत हो चुकी है, इस आदत से उबरना पड़ेगा। समाज को स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। यह पहल अगर हो जायेगी तो सचमुच जिस सुशासन की बात आप कर रहे हैं तो वह सुशासन स्थापित हो जायेगा और उस सुशासन को स्थापित करने के लिए मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा। आप सबका भी हम लोग सहयोग चाहेंगे। क्योंकि गंगा मरेगी तो पूरा प्रदेश मरेगा, पूरा देश मरेगा। यमुना मरेगी तो पूरा देश मरेगा, पूरी संस्कृति मरेगी। हम अपनी नहीं संस्कृति को नष्ट करके क्या तय करना चाहते हैं। बड़ी खराब स्थिति है जहां देखों हर शहर में गन्दे नाले को नदी में डाल दिया गया है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कहते हैं कि एस0टी0पी0 लगायेंगे। एस0टी0पी0 का जो रनिंग खर्चा होगा वह कहां से आयेगा ? मैंने अपने नगर विकास मंत्री को स्पेशल भेजा था गोवा देखने के लिए, बंगलोर, नागपुर यह लोग गये है और एक नई तकनीक के साथ आ रहे हैं। हम लोग इसको करेंगे और नदी संस्कृति को बचायेंगे। 2019 में उत्तर प्रदेश को एक सौभाग्य प्राप्त होने वाला है और अर्द्धकुम्भ का आयोजन प्रयाग में होने वाला है और उस अवसर पर हम लोगों की तैयारियां अभी से प्रारम्भ हो चुकी हैं। लेकिन हम लोग तब तक प्रयास करेंगे कि गंगा जी की एक अविरल धारा प्रयागराज होते हुए आगे बढ़ सके और वह स्थिति हम लोग तैयार करेंगे। उसके लिए व्यापक स्तर पर हम लोगों को खेत–तालाब योजना के साथ रेनवाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपने आपको तैयार करना होगा। हम शहरी क्षेत्र में तो इस बात को अनिवार्य करने जा रहे हैं कि मकान का नक्शा इस शर्त के साथ पास होना चाहिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग की क्या व्यवस्था उसमें की गई है। हर सरकारी विभाग में इस बात को लागू किया जायेगा लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग छोटी–छोटी चीजों को तैयार करेंगे। इस प्रकार से बड़ा कार्य हो सकता है आने वाली पीढ़ी को हम बहुत कुछ दे सकते है केवल दो, तीन, चार वर्ष के अन्दर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो डार्क जोन है ये सब अपनी नई किस्मत के साथ सामने आ जायेंगे और उसको बदलने के लिए मुझे लगता है कि एक बार पूरे सदन को आगे बढ़ना चाहिए, प्रत्येक सदस्य को आगे आने की आवश्यकता है और हम लोगों ने एक प्रयास प्रारम्भ किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है और जिसमें मैं मा0 सदन का सहयोग भी चाहूंगा, हम लोगों ने 15 मई को गंगा जी के किनारे 1685 गांव हैं, इन 1685 गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। हम लोग 31 दिसम्बर तक प्रदेश के 30 जनपदों को खुले में शौच से मुक्त करेंगे और हम लोगों ने तय किया है कि गांधी जी की जयन्ती पर, यद्यपि 2019 में गांधी जी की जयन्ती के डेढ़ सौ वर्ष होने जा रहे हैं यह एक अद्भुत अवसर होगा हम सबके सामने लेकिन 2018 से 2019 के बीच 02 अक्टूबर, 2018 को हम लोग प्रयास करें कि उत्तर प्रदेश को, यह एक बड़ा प्रदेश है 22 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है कि पूरा यूरोप समा जाए उत्तर प्रदेश के अन्दर, उत्तर प्रदेश को हम खुले में शौच से मुक्त करें और इसमें मैं आपसे सहयोग

चाहूंगा। जनसहयोग चाहिए, सरकार सहयोग करेगी, सरकार पैसा अपने स्तर पर देगी, भारत सरकार भी पर्याप्त पैसा दे रही है लेकिन जन सहयोग और जनसहभागिता हो सके तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। केवल शौचालय बनाना ही नहीं लोग उसका उपयोग भी करें नहीं तो आदत क्या हो जाती है लोगों की, अक्सर हम स्वतन्त्रता कहां देखते हैं हमारे एक केन्द्रीय मंत्री जी इस बात को बताने लग गये कि हमारा एक किसान अमेरिका चला गया, वहां जाकर उसने सब कुछ देखा, उससे पूछा गया कि भाई आप अमेरिका गये हैं वहां आपने क्या देखा और क्या सीखा, उसने कहा बाकी तो सब ठीक है लेकिन जो लोग कहते थे कि अमेरिका में बड़ी स्वतन्त्रता है, अमेरिका में बड़ी खुशहाली है लेकिन कौन सी खुशहाली और कौन सी स्वतन्त्रता, हमें पेशाब लगी लेकिन सड़क के किनारे कर नहीं सकते। यहां तो यह है कि व्यक्ति की जहां मर्जी आये, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनकी मर्जी आयेगी तो वह विधान सभा भवन में करने लग जायेंगे। क्योंकि उसने स्वतन्त्रता का अर्थ कहां मान लिया है, सड़क पर खड़े होकर चलते–चलते यह सब करना। मा0 अध्यक्ष जी, जो यह स्वतन्त्रता का गलत अर्थ ले लिया गया है मुझे लगता है कि उसको तो रोकना पड़ेगा। कहीं न कहीं उस स्वतन्त्रता के वास्तविक अर्थ को बताना पड़ेगा और यह आवश्यक है कि प्रदेश को हम खुले में शौच से मुक्त करें और लोग शौचालयों का उपयोग करना प्रारम्भ कर दें। बहुत सारी बीमारी हैं, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी है, इस बीमारी के पीछे एक कारण है गन्दगी। मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय उत्तर प्रदेश के 38 जिले इससे प्रभावित हैं लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो 07 जिले है वह सर्वाधिक प्रभावित हैं। बिहार का एक बड़ा तबका, वेस्ट बंगाल का है, उड़ीसा है, असम है, आन्ध्र प्रदेश है, जो इस बीमारी से पीड़ित है। 1977–78 में यह बीमारी गोरखपुर में आती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी (बैठे हुए)–

1985–86 में।

श्री योगी आदित्यनाथ–

नहीं, 1977–78 में ये बीमारी आई और जब 1977–78 में यह बीमारी आई तो इसका नाम रख दिया नव की बीमारी, उसके बाद यह होता था कि बच्चे आते थे और मरते थे। मै आपको बताऊँ इसमें मरने वाले 95 फीसदी बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय और दलित परिवारों के थे। लेकिन कभी किसी ने इस मुद्दे को उठाया नहीं, न कभी विधान सभा में उठा, न कभी लोक सभा में उठा। मैं 1998 में सांसद बना, मुझे एक कार्यकर्ता ने फोन किया कि मेडिकल कालेज में बहुत सारे लोग भर्ती हैं। तो मेडिकल कालेज में उन्हें देखने के लिए चला गया, जब मैं बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में देखने के लिए गया तो आप आश्चर्य करेंगे कि मेडिकल कालेज में एक–एक बेड पर चार–चार बच्चे थे, वहां लाइट नहीं थी, भयंकर बदबू थी। किसी प्रकार से नाक को बन्द नहीं कर पा रहा था, नाक को कितनी देर तक बन्द किया जा सकता है आखिर सांस तो लेना ही है तो मैं दूसरे रास्ते से भागना चाहता था लेकिन वहां पर पानी लगा हुआ था। मैंने कहा कि यह अन्दर पानी कहां से आ रहा है, तो पता चला कि शौचालय है। मैंने कहा कि शौचालय में आधा फुट पानी क्यों ? तो मुझे वहां का स्वीपर कहता है कि साहब पिछले 10–12 वर्षों से शौचालय में पानी भरा है तो मैंने कहा कि पानी में

लोग जाते हैं क्या ? तो उसने का कि इसका उपयोग ही नहीं होता है। मैंने प्रिंसिपल से मिलने का प्रयास किया, प्रिंसिपल मुझे मिला नहीं, दूसरी तरफ चला गया, मैं वही भागा, मैंने रोका। उसने कहा कि आप कार्यालय में आईये, मैं कार्यालय में आ रहा हूँ। मैं कार्यालय में गया, थोड़ी देर में प्रिंसिपल पहुंचते हैं और मुझे एक सूची बनाकर दे देते हैं, कहते है कि देखिये हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास गद्दे नहीं हैं, हमारे पास बेडशीट नहीं है, हमारे पास ये–ये समान नहीं है। उन्होंने कहा कि सामान उपलब्ध करवा देंगे तो हम कोई व्यवस्था देंगे। इसके बाद मैं गया, उस समय मा0 कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। मैंने उनसे सम्पर्क किया, मैंने उनसे मांग की कि आप केवल दवा दे दीजिए, क्योंकि दवा नहीं है और वहां पर सब गरीब मरीज हैं। तो उन्होंने दवा दी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1998 से लगातार इन्सेफलाइटिस के मरीजो को मुफ्त में उपचार की व्यवस्था बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में है। सभी सरकारों ने इसको कमोवेश आगे बढ़ाया है। लेकिन एक सप्ताह के अन्दर प्रिंसिपल ने जो मुझे सूची दी, मैं गया मांग कर लाया, उनको बेड, गद्दे वगैरह उपलब्ध करवाया, उपलब्ध करवाने के बाद मैंने उनसे कहा कि कुछ कार्य प्रारम्भ करो। खैर, बहुत सारे लोग होते हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं तो वही स्थिति वहां पर भी थी। संसद में मैं मुद्दे को उठाने के लिए गया। मैंने जीरो ऑवर में नोटिस दी। तो सत्तापक्ष का होने के नाते तो मैं उठा नहीं सकता था, कैसे उठाऊँ ? हमारे संसदीय कार्यमंत्री हमारे पास आये और कहा कि कैसे उठा देंगे सरकार के खिलाफ ? मैंने कहा कि मुझे तो उठाना है, कहा कि अरे कैसे होगा ? मैंने कहा कि देखो मुझे उठाना है, मुझे केवल एक मिनट का समय चाहिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मुद्दा उठाना है, लोग मर रहे हैं उसके बाद उन्होंने मुझे समय दिलाया, एक मिनट का ही समय मिला। लेकिन जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने लक्षण बताना शुरू किया तो एक–एक सांसद खड़े होने लग गये और उसी समय 25–30 सांसद खड़े हो गये कि साहब यह बीमारी तो हमारे यहां भी है, हमारे यहा भी है। उत्तर प्रदेश से, बिहार से वेस्ट बंगाल से और फिर यह क्रम चालू हुआ। आज इन्सेफ्लाइटिस के उपचार की व्यवस्था गोरखपुर में है और पूरे देश के अन्दर अकेले बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज है जिसमें वायरॉलोजी सेण्टर है जहां पर इन्सेफ्लाइटिस का एक अलग वार्ड है, एपेडमिक वार्ड है, उपचार की व्यवस्था है। लेकिन एक निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूँ पिछले 20–22 वर्षों में हम लोगों ने जो देखा है, यह वास्तव में बीमारी नहीं है, इसका उपचार कम, इसका बचाव महत्वपूर्ण है और बचाव के लिए आवश्यक है स्वच्छता। क्योंकि जे0ई0 का तो हम लोगों ने वैक्सीनेशन करा दिया है और मैं आपसे चाहूँगा कि जो 38 जिले हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस बारे में सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क कर लेंगे, 25 मई से हम स्पेशल वैक्सीनेशन का कैम्पेन प्रारम्भ करने वाले हैं। जनपद कुशीनगर में 25 तारीख को मैं स्वयं जाऊँगा इस वैक्सीनेशन के कैम्पेन में। जापानी इन्सेफ्लाइटिस का वैक्सीनेशन विधि से होगा। बाकी अन्य जनपदों के लिए मैं उनसे इस बात का आग्रह करूँगा कि सभी माननीय विधायकों को भी इसमें शामिल करें। सभी प्रकार के जनप्रतिनिधियों को, मैं इस बात को कहूंगा कि विकास की सभी योजनाओं में बिना भेदभाव के सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए, उनको बैठकों में बुलाया जाना चाहिए, उनको उसके साथ शामिल आप करवा देंगे तो विकास की योजना और तेजी के साथ आगे बढ़ सकती है। 25 तारीख को मैं स्वयं

कुशीनगर में इसका शुभारम्भ भी करूँगा। जापानी इन्सेफ्लाइटिस को हम वैक्सीन से नियंत्रित करेंगे। इससे खतरनाक एक नया वायरस हो चुका है एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस, इसका कोई उपचार नहीं है, इसका उपचार केवल है स्वच्छता। खुले में शौच से मुक्ति और शुद्ध पेयजल। आपको जो भी निधि मिल रही है, हैण्ड पम्प मिल रहे है, मैं अनुरोध करूंगा इन्सेफ्लाइटिस से विषाणु जनित बीमारियां जितनी भी हैं इन वैक्टर बाउन्ड डिसीज से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर शुद्ध पेयजल के लिये हैण्डपम्प लगवाने में आप सहयोग करें और प्रयास करें कि योजना ऐसी बनवाने में योगदान दें जो जिला योजना बनेगी प्रभारी मंत्री जायेंगे आप लोगों को जाना चाहिए। देखिये विकास योजनाओं में हमे राजनीति नहीं करनी चाहिए। निःसंकोच अपनी योजना बतानी चाहिए। मैं सभी से कहूंगा, माननीय मंत्रियों से भी कहूंगा कि जनहित में जो आवश्यक हो, उसमें हमको यह नहीं देखना चाहिए कि वह फला पार्टी का है, फलां पार्टी का है। हम विकास की योजना का लाभ जनता को ध्यान में रखकर बनायें। (मेजों की थपथपाहट) जनता को ध्यान में रखकर बनायेंगे तो प्रदेश की 22 करोड़ जनता के साथ हमने अपने आप को जोड़ पायेंगे और उस दृष्टि से हम लोग प्लान तैयार करें। ग्राउन्ड वॉटर का उपयोग कब तक आप करेंगे ? सरफेस वाटर की प्लानिंग कैसे बन सकती है, शुद्ध पेयजल हम उसके माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप चाहेंगे तो यह योजना वहीं पर समाप्त नहीं होती है केवल यहीं तक नहीं हैं। इसके साथ एक नई बीमारी उत्तर प्रदेश के अन्दर होने जा रही है और वह आर्सेनिक और फलोराइड से।

आप बलिया से लेकर लखीमपुर खीरी तक चले आइये आर्सेनिक प्रभावित पूरा क्षेत्र है। आगरा से लेकर कानपुर से आगरा होते हुए मथुरा चले जाइये पूरा क्षेत्र फलोराइड से प्रभावित है। आखिर कहां। अगर आप सरफेस वाटर का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर कैंसर और तमाम प्रकार के लिवर कैंसर से सम्बन्धित, किडनी फैल्योर से सम्बन्धित यह जितनी बीमारियां है यह लगातार एक महामारी का रूप लेती जायेंगी। हमे इसको नियंत्रित करना होगा। योजना बनाते समय इस बात को ध्यान में रखें कि इनको प्राथमिकता हम दें। वहां पर हम पैसा लगायें और स्वच्छता अभियान के साथ हम अधिक से अधिक अपने ओ0डी0एफ0 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी लोग सहभागी बन जायेंगे तो एक बहुत बड़ा कार्य हम प्रदेश के हित में कर सकते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी को हम बहुत अच्छा माहौल देने में सफल हो सकते हैं और इस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस मामले में अगर सहयोग कर सकेंगे तो एक अच्छी शुरूआत होगी। मान्यवर, हम लोगों ने प्रदेश में परिवहन निगम में भी एक व्यवस्था लागू की है और हमारे परिवहन मंत्री ने विशेष रूप से इस पर रूचि ली है। डग्गामार बसें, यानि बिना परमिट की चलती है इससे प्रदेश को तो राजस्व का लॉस होता ही है लेकिन वह पब्लिक को भी रौंदते हुए चलती है। यह सब बन्द होना चाहिए और रोका गया। सत्य के साथ रोका गया। परिवहन विभाग का राजस्व भी बढ़ा है लेकिन हम सबके सामने एक चैलेंज है कि हम लोग प्रदेश के अन्दर कैसे हर गांव के अन्दर बस की सेवा दे सकें। बस की बेहतर सेवा हम कैसे उपलब्ध करा सकें इस दष्टि से भी हम लोगों ने कार्य प्रदेश के अन्दर प्रारम्भ किया है और एक अच्छा प्रयास इसमें हुआ है। अभी अच्छी सेवा भी हो। ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी सेवा हो। इसके अलावा हम लोगों ने 27 ऐसी उच्च कोटि की नवीन बसेस को प्रारम्भ किया है और उसको आने वाले समय में प्रदेश के अन्दर 38 से 40 हजार ऐसी नई बस सेवा हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी प्रारम्भ करने

जा रहे हैं जिससे प्रदेश की जनता को आवागमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। (मेजों की थपथपाहट) महोदय, मैं इस देश के प्रदेश के भाविष्य के बारे में, प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूलों में बच्चों की यूनीफार्म को आप देखिये क्या यूनीफार्म है। राम गोविन्द जी, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। यानि आपने उन बच्चों की मानसिकता को पहले ही होमगार्ड बनाने की रख दी है। कैसी यूनीफार्म है ? दया आती है कि गरीब के बच्चे के साथ इस तरह का न्याय। हम लोगों ने यूनीफार्म बदलने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट) पब्लिक स्कूल और कान्वेन्ट स्कूलो की तरह ही वहां का बच्चा भी उस प्रतिस्पर्धा के साथ शामिल हो सकेगा। हम उसको जूता भी देंगे, यूनीफार्म भी देंगे, बुक्स भी देंगे, बैग भी देंगे और हम लाोगों ने प्रयास किया है कि 15 जुलाई के अन्दर–अन्दर यह सब चीजें उन बच्चों को प्राप्त हो जायं। (मेजों की थपथपाहट) अक्टूबर, नवम्बर तक मिलता है। इसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आती है। हम लोगों ने कह दिया है कि अगर उन बच्चों के हिस्से में किसी ने डकैती डालने का काम किया तो उसी दिन बुक कर देंगे हम उनको। (मेजों की थपथपाहट) नहीं चलने देंगे अब और उसको हम देने जा रहे हैं यूनीफार्म, जो अच्छी यूनीफार्म होगी। दो–दो यूनीफार्म देंगे और आने वाले समय में पाठ्यक्रम भी बदलने जा रहे हैं।

नये पाठ्यक्रम के साथ, इस वर्ष कठिन है लेकिन आने वाले समय में नये पाठ्यक्रम के साथ, हमारे यहां का बच्चा भी तो किसी प्रतिस्पर्धा के योग्य अपने को तेयार कर सके, बता सके, यह चीजें बनाने का प्रयास हो रहा है, प्राथमिक का हो, माध्यमिक का हो, उच्च का हो, आमूल चूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश का ब्रेन, इसका लोहा दुनिया मानती है लेकि आज यहां का बच्चा कहीं जाता है तो हीन भावना से ग्रसित होता है वह चुप बैठा रहता है, जाने में संकोच करता है, उत्तर प्रदेश का बताने में संकोच करता है यह सरकार ऐसा माहौल बनायेगी उत्तर प्रदेश का एक–एक बालक, एक–एक नौजवान अपने को कह सके कि हम उत्तर प्रदेश के वासी है।

(मेजें थपथपाई गयी)

हम शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। शिक्षा को उसके आत्मनिर्भरता के साथ उसके स्वावलम्बन के साथ जोड़ेंगे, व्यवसायिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम लोग एक नया कार्य करने जा रहे हैं। हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है हमारा लोक कल्याण संकल्प इस बात को कहता है कि हम पांच साल में सत्तर लाख नौजवनों को नौकरी और रोजगार देंगे। हमारा व्यवसायिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को हमने इस रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। हम आने वाले समय में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और प्रदेश के अन्दर हम उन बच्चों को आत्मनिर्भर और स्वावलम्बन का जीवन देने के लिये आगे बढ़ायेंगे। मान्यवर, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने हम लोगों के ऊपर बहुत सारी ऐसी कृपायें की है जिनको हम लोगों को झेलना पड़ रहा है और आबकारी नीति भी उसमें से एक है पहली सरकार है जो जाने के पहले दो साल आगे का ठेका देकर जा रही है। दो साल का आगे का ठेका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे से दुकानों को हटाओ तो उन महापुरूषों ने क्या काम कर दिया, उन सबको बस्तियों में खोल दिया, जगह–जगह तोड–फोड हुई, पूछा भई क्या है यह सब अचानक क्यों तोड फोड हो रही है, कहा पिछली सरकार ने निर्णय लिया था, अरे सरकार हम हैं आज, हमें कोई पूछ नहीं रहा है, कहा यह निर्णय सब पहले ही हो चुके हैं। मैं ताज्जुब करता हूं

हम लोग तय कर चुके हैं हाईवे पर ही नहीं, स्टेट हाइवे पर भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी और आने वाले समय में हम लोग नई आबकारी नीति के साथ हम आयेंगे। प्रदेश को राजस्व की हानि भी नहीं होगी, हमारे आबकारी मंत्री जी उसके लिये पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। आबकारी मंत्री हमारे उसका सेवन करते नहीं हैं (हंसी) क्योंकि दो भाग है इसके, एक आबकारी है दूसरा मद्यनिषेध है, तो दूसरे का पालन करते हैं लेकिन पहले के लिये नीति बनाते हैं हम लोग राजस्व में भी बढ़ोत्तरी करेंगे लेकिन यह भी हम अभी तय करने जा रहे हैं किसी भी बस्ती में किसी भी शिक्षण संस्थान के आस पास किसी भी धर्मस्थल के पांच सौ मीटर के दायरे में और किसी भी धर्मस्थल के आस.पास हम शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे (मेजें थपथपाई गयी) लेकिन राजस्व की हानि भी रोकेंगे और कुछ तरीके भी हम निकाल चुके हैं और तरीके मुझे लगता है आप लोगो को भी बतायेंगे बहुत जल्दी। हम लोगों ने रैपिड रेल परियोजना प्रदेश के अन्दर भी हो। पहले चरण में दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिये, एक बहुत बड़ी याजना है, 32 हजार करोड़ रुपये इसमें पूजीनिवेश होने वाला है और दिल्ली से मेरठ की दूरी मात्र एक घंटे में पूरी की जा सकती है। इसके लिये प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति और शेयर देने का निर्णय लिया है। उस पर भी कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है। साथ ही साथ प्रदेश के अन्दर मेट्रो लखनऊ में तो मेट्रो का उद्घाटन हो गया है लेकिन अभी चली नहीं है। (हंसी) हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी है, एक दिन कैंसर का पेशेन्ट मेरे पास आया, उसने कहा कहीं कोई उपचार नहीं हो रहा, मुझे याद आया एक कैंसर इंस्टीट्यूट का लखनऊ में भी तो उद्घाटन हुआ था।

मैंने कहा कि एक कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन लखनऊ में भी तो हुआ था। तो मैंने टंडन जी को फोन किया कि इनको भर्ती करवाइये इनका क्या मामला है। टंडन जी भागे.भागे कैंसर इंस्टीट्यूट में देखने गये कि क्या हैं। पता लगा कि वहां पर कुछ हैं ही नहीं। यानी बेड भी नहीं है तो उन्होंने कहा कि उद्घाटन में क्या लगा था तो उन्होंने कहा कि साहब उद्घाटन में के0जी0एम0यू0 से बेड लाये गये थे दिखाने के लिये ऐसे ही ट्रामा सेन्टर का भी है। ढांचे खड़े कर दिये गये हैं कुछ भी नहीं है और ढांचे की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो बात बहुत आगे बढ जायेगी। इसलिये इसको वहीं पर रोक रहे हैं लेकिन हम लोग मेट्रो नई तरह से ला रहे हैं। कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर यह सभी शहर हम लोग मेट्रो के साथ जोडने का काम करेंगे हम सिटी के अन्दर बहुत अचछी सेवा देने जा रहे हैं उसके लिये कुछ जगह उनका डी0पी0आर0 बन चुका है कुछ जगह डी0पीआर0 बनने की कार्यवाही चल रही है और इस प्रक्रिया को आगे बढाकर हम लोग कार्य करेंगे। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब हमारे नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे थे कि अयोध्या में मंदिर इसलिये नहीं बना क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं। मैं तो चाहूंगा कि प्रस्ताव आप ही रख दीजिये। स्वाभाविक रूप से आप प्रस्ताव रख देंगे तो हम आपका विरोध कहां कर पायेंगे लेकिन हमने इतना जरूर किया है कि अयोध्या को नगर निगम बना दिया है। अयोध्या के नाम पर हमारे नगर विकास मंत्री जी ने प्रस्ताव दिया और अयोध्या नगर निगम होगा उसका नये सिरे से विकास होगा पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा का भी हम विकास करने जा रहे हैं। एक धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। आधुनियम म्यूजियम वहां देने जा रहे हैं। भगवान राम से जुडी हुई उनकी पूरी लीला को उकेरकर वहां पर रखेंगे आधुनिक तरीके से अयोध्या के अन्दर हम लोग

जगह चिन्हित कर चुके हैं। 25 एकड़ क्षेत्रफल में वहां पर पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके साथ ही मुझे लगता है कि आप मथुरा के बारे में तो विरोध नहीं ही करेंगे। मथुरा, वृदावन भी भगवान कृष्ण की लीला भूमि और उनकी जन्म भूमि को भी हम लोगों ने नगर निगम के साथ जोड़कर करने जा रहे हैं। पूरे परिक्रमा मार्ग को भी हम आधुनिकता के साथ जोड रहे हैं। क्योंकि यह हमारी पहचान है उस पहचान को हम जोड़ने का कार्य करेंगे काशी में भी हम लोग करने जा रहे हैं काशी में भी पंचकोसी परिक्रमा को और अन्य विकास की योजनाओं को जोड़ने का कार्य करने जा रहे हैं भगवान राम के वन गमन का मार्ग सीतामढ़ी से भगवान राम माता सीता को लेकर जिस मार्ग से आये थे उस मार्ग को बनाने का कार्य बौद्ध परिपथ को जोड़ने के साथ साथ अन्य उन सभी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को जो अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाते हैं उन सभी के विकास के लिये एक कार्य योजना के साथ हम लोग आगे आ रहे हैं तो बुन्देलखण्ड का विकास हम सबकी चिन्ता का विषय सदैव से रहा है देखकर मुझे अफशोस होता है बुन्देलखण्ड का किसान साल में एक फसल लेता है और उसकी भी जो तकनीक है उसको देखते हुये उत्पादन की क्षमता उसकी बहुत अच्छी नहीं है। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग तिरवा से उरई होते हुये झांसी और झांसी से चित्रकूट.इलाहाबाद इस सबको एक्सप्रेस वे के साथ जोडकर एक बहुत बडा लैण्ड बैंक बनायेंगे और एक औद्योगिक वातावरण हम बुन्देलखण्ड का बदलेंगे एक नया औद्योगिक क्षेत्र वहां स्थापित करेंगे वहां का पलायन रुकेगा लोगों के सामने रोजगार उपलब्ध होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को मजबूती के साथ आपकी चिन्ता रही होगी लेकिन हम लोग इस कार्य को भी करेंगे कुछ छोडेंगे नहीं लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उन भ्रष्टाचारियों को भी एक्सपोज करने जा रहे हैं। बलिया को हम लोग जोडेंगे आपका सहयोग भी लेंगे। हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को अयोध्या से भी जोडेंगे और काशी से भी जोडेंगे। एक अच्छी योजना के साथ जा रहे हैं और दोनों ओर हम लोग चाहेंगे कि विकास का एक औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो उसको भी हम लोग इस रूप में लेने जा रहे हैं।

महोदय, मैं पहले ही अर्द्धकुम्भ के बारे में बोल चुका हूं नमामि गंगे के बारे में मैंने इस बात को कहा है कि एक नयी औद्योगिक नीति के साथ हम लोग प्रदेश के अन्दर आ रहे हैं प्रदेश के अन्दर अब तक वातावरण नहीं था। लोग डरते थे कि पता नहीं क्या हो जायेगा, लोग भयभीत होते थे और वातावरण ही ऐसा बना दिया था। आप आश्चर्य करेंगे लोग कहते थे कि कैसे होगा उत्तर प्रदेश के अन्दर। प्रदेश के अन्दर डेढ़ लाख पुलिस कर्मियों की जगह खाली है और प्रदेश सरकार की भर्ती की गलत परम्परा को देखते हुये गलत नीति को देखते हुये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगायी थी। हम लोग जब गृह मंत्रालय का रिव्यू कर रहे थे तो हम लोगों ने पूछा कि आखिर यह सब कैसे होगा। मैंने मंगा, मैंने कहा कि मुझे बताओ कि पिछली सरकार की भर्ती की कमियां क्या थी। खैर, नौकरशाही तो नौकरशाही है। हमनें कहा कि आखिर रिटेन क्यों समाप्त कर दिया। मैंने कहा कि मेरे सामने अपना एफिडेविट तैयार करो और इसमें रिटेन जोड़ो कि हम लिखित परीक्षा करवायेंगे फिर इस आधार पर हम लोग मेरिट तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को भर्ती प्रक्रिया की अनुमति दे दी। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) इस वर्ष हम लोग कुल 32 हजार जिसमें 30 हजार पुलिस कांस्टेबल की और 02 हजार सब इंस्पेक्टर की भर्ती करेंगे और लगातार पांच वर्ष तक

हम करेंगे। हम लोग पांच वर्ष के अन्दर एक लाख पचास हजार पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 86 भरेंगे और 86 में 56 एक जाति विशेष का भर देंगे। (सदन में हंसी) यह नहीं हो सकता। एकदम पारदर्शी होगा। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इस सरकार का है और यह सरकार उसके प्रति जवाबदेह है। यह सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है इसलिये हम किसी के साथ जाति, मत, पंथ, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते और आने वाले समय में यह कार्य होगा और पारदर्शी तरीके से होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करने देंगे, कहीं भी नहीं होने देंगे।

प्रदेश के प्रत्येक नौजवान को आगे बढ़ने का अधिकार है और उसके हम को मारने का मौका हम किसी को नहीं देंगे और यह निर्णय हम लोग कर चुके हैं। प्रदेश सरकार पुलिस में डेढ़ लाख भर्तियां करेगी। अन्य तमाम विभागों में भी भर्तियां प्रारम्भ होगी। आज तो विधान सभा की भर्ती पर भी कोर्ट ने कुछ कहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं इन सबको देखेन की आवश्यकता है। प्रदेश का माहौल इतना खराब कर दिया था कि लोग बोलते थे कि अरे उत्तर प्रदेश जायेंगे नहीं। मा0 अध्यक्ष जी, मुझे बताते हुये प्रसन्नता है कि आज अनेक उद्योगपतियों ने सम्पर्क किया है, वह प्रदेश में पूंजी निवेश के लिये आना चाहते हैं। हर क्षेत्र में आना चाहते हैं, टेक्सटाईल के क्षेत्र में आना चाहते हैं, इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में आना चाहते हैं, मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं। हम लोगों की एक नयी औद्योगिक नीति आने वाली है सिंगल विन्डो सिस्टम हम लोग इसमें लेकर आ रहे हैं और हम इस बात के लिये विश्वास व्यक्त करते हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट को अपनी औद्योगिक नीति के साथ जोड़कर के प्रदेश के अन्दर एक नया माहौल देने जा रहे हैं। एन0एच0एम0 के अन्तर्गत केन्द्र की योजनाओं को हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने लिया ही नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने तय किया है कि 2022 तक इस देश के अन्दर हर परिवार, हर व्यक्ति के सिर पर छत होनी चाहिये, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है और प्रदेश सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं था, कुछ भी नही। आप सोचिये कि एक गरीब को अगर छत मिल जाये तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हम लोगों ने तय किया है कि इस वर्ष और मुझे लगता है कि इस महीने के ही अन्त में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में लगभग पौने छह लाख लोगों के लिये आवास की एक नयी योजना के साथ आ रहे हैं और शहरी क्षेत्र के लिये भी हम आवास की एक नयी योजना के साथ आने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हम प्रदेश के लोगों को आवास देंगे और हमारा प्रयास होगा कि हम लोग 2019 के अन्त तक प्रदेश के अन्दर हर परिवार को आवास देने का प्रयास करेंगे, लेकिन बी0पी0एल0 सर्वे बहुत खराब है, क्योंकि उसमें पात्रता का ध्यान ही नहीं रखा गया।

वर्ष 2002 में बी0पी0एल0 सर्वे हुआ और 2002 के बाद यह सर्वे वर्ष 2007 में होना चाहिये था, 2012 में होना चाहिये था, जो नहीं हो पाया। इसलिये बी0पी0एल0 सर्वे न होने के नाते वास्तव में कौन पात्र है, कौन गरीब है, इसको तय कर पाना एक बडा चैलेन्ज है, लेकिन हम लोगों ने एक सर्वे प्रारम्भ किया है। हमारे मित्र बोल रहे थे कि उनकी समाजवादी पेंशन योजना है। अगर हम जांच करवा देंगे तो क्या हो जायेगा, बड़ी वैसी स्थिति आपके सामने आ जायेगी और मैं इस बात को कहूंगा कि मुर्दो को दबे ही रहने दीजिये। अगर वह दबा ही रहे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अगर वह खुल जायेगा तो बहुत सारे चेहरे एक्सपोज हो जायेंगे। एक एक परिवार में पांच–पांच लोगां को

समाजवादी पेंशन मिल रही है। यह कौन सा न्याय है भाई। आप उस गरीब को दीजिये जिसके लिये डा0 लोहिया कहते थे अंतिम पायदान पर खड़े हुये उस व्यक्ति को। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी ने जिस अन्त्योदय की बात की है उस व्यक्ति को मिलता तो सरकार उसका अनुसरण करती। पात्रता का ध्यान नहीं रखा गया है। आपकी गलती नहीं है, आपने संगठन को सौंप दिया कि भई वह तय कर लें। उनको जो लगा उसने वह बना करके भेज दिया और फिर जो होता था, वह तो हर व्यक्ति जान रहा है कि कैसे और कहां पर और किस रूप में कार्य होता था। हम लोगों ने सत्ताइस लाख लोगों को वर्ष 2019 तक आवास देने की योजना बनायी है और इस योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है। अमृत योजना के अन्तर्गत, यहां पर ग्रामीण क्षेत्र से हमारे विधायक भी हैं और शहरी क्षेत्र से भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे विधायक हैं उनको विधायक निधि के साथ–साथ अन्य निधियां भी मिल जाती है, लेकिन शहरी क्षेत्र के विधायक अक्सर यह कहते थे कि देखिये हमारे यहां तो मुख्य योजना पेय जल की है और सीवेज की है। सीवरेज में आप क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के 61 शहरों को केन्द्र सरकार ने अमृत योजना के अन्तर्गत लिया है और स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के ही 13 नगर आ गये हैं।

अभी केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री सम्मानीय श्री वैंकैया नायडू जी आये थे उत्तर प्रदेश में एक बैठक हमारी उनके साथ हुई थी और एक ठोस योजना के साथ उन्होंने कार्य की योजना को आगे बढाने के लिये कहा है। हम लोग उसको यहां तेजी के साथ आगे बढा रहे हैं। नगर विकास मंत्रालय उस पर तेजी के साथ कार्य कर रहा है। शहरी क्षेत्र में एक नया माहौल हम लोग देंगे और यहां पर तेजी से कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है। महोदय बहुत बार होता है कि हम लोग अगर लखनऊ से इलाहाबाद जाना चाहेंगे तो हमारे पास कोई इस प्रकार स्थिति नहीं कि हम तत्काल पहुंच सकें, या तो बाई रोड जाइये या फिर ट्रेन का इंतजार कीजिये उसमें बहुत समय लगता है। रीजनल कनेक्टिविटी की बात आई, हम लोग एक ज्वाइंट वेंचर बनाने जा रहे है पवन हंस भारत सरकार का एक उपक्रम है और उन्होंने इस संबंध में हमको एक प्रस्ताव दिया है। हम लोग प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों को आपस में वायु सेवा के साथ जोड़ने के लिए। लखनऊ को वाराणसी से जोड़ने के लिए, लखनऊ को इलाहाबाद से जोड़ने के लिए। लखनऊ को गोरखपुर से जोड़ने के लिए, लखनऊ को मुरादाबाद या लखनऊ से आगरा को जोड़ने के लिए क्यों न कार्य इसमें हो। हर सिटी को अपने आप से जोड़ेगे एक दूसरे के साथ जोड़ेगे। इस पर हम कार्य प्रारम्भ करने जा रहे है, एक नई ज्वाइंट वेंचर हम लोगों को बनने जा रहा है और इस पर हम लोग कार्य करेंगे। एक नई योजना के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाने जा रहे है। तो यहां पर हमारे मित्र कह रहे थे कि संवेदनशीलता। अच्छा लगा मुझे मनोज जी की बात पर जब उन्होंने संवेदनशील शब्द का उपयोग किया। भई, आज के दिन पर किसी समाजवादी के मुंह से संवेदनशील शब्द निकले तो यह तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन संवेदनशीलता सही मायने में रहती आप में तो ठीक था, हम लोगों की सरकार ने किया है, हम लोग एक नई फेरी नीति के साथ आ रहे है। यह फेरी नीति ठेला, खोमचा, रेहड़ी और सड़क पर सब्जी बेंचने वाले के व्यवस्थित पुनर्वास की दृष्टि से है। अब उसको कोई उजाड़ नहीं पायेगा, हम उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे है और उसका व्यवस्थित पुनर्वास करने जा रहे है। क्या यह गरीबो के लिए लिया गया निर्णय नहीं है, आप क्या चाहते है कि रिक्शा वाला हमेशा

रिक्शा ही चलाता रहे, क्या उसको ई–रिक्शा नही मिलना चाहिये और प्रधानमंत्री जी ने काशी से इसकी शुरूआत की है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने–अपने शहरों में रिक्शा की परम्परागत प्रथा को समाप्त करके ई–रिक्शा को अपने–अपने यहां स्थापित करने को आगे बढ़े।

आपका भी मैं सहयोग चाहूंगा। आप भी चलें। उसको आगे बढ़ाएं सरकार उसमें सब्सिडी देगी। जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि अगर कहीं कोई कमजोर है, तो हम जो मजबूत है उसके साथ उसको आगे बढ़ाकर के उसको सपोर्ट कराएं। सेस और फंड से कुछ सहायेाग करवाने में योगदान दें। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर दो चार रिक्शा पांच रिक्शा दान कराने की भी कला को, आप अपने चुनाव में तो चंदा भी ले लेते है किसी गरीब के लिए क्यों नही ले लेते है ? किसी गरीब को भी देने के लिए आपको लेना चाहिए। इसको आप करिए। अगर यह कर सकेंगे तो बड़ा पुण्य होगा। पता नही पुण्य और पाप में आपका विश्वास है कि नही है लेकिन मैं तो विश्वास करता हूं (मेजों की थपथपाहट)। अगर यह कर सकेगे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि ई–रिक्शा उसका विकल्प हो सकता है और अगर यह कार्य हो सके तो यह एक अच्छा कार्य होगा। महोदय, लोक कल्याण के लिए जो सपर्पित है हमारी सरकार, इस सरकार ने अपनी योजनाओं को श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के माध्यम से सदन में रखा है। बहुत सारी चीजें इस सदन में आई है। मैं पिछले तीन दिनों से देख रहा हूं कि हर मुद्दे पर वांक आउट। वैसे एक बात के लिए मैं आपका आभारी हूं लोकतंत्र सहमति और असहमति के बीच में समन्वय है और हमें यह करना चाहिए। केवल सबका स्वर एक ही होगा तो कौन सा वाद ? विरोध का भी स्वर होना चाहिए। लेकिन, तार्किक होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। आपने जो बिगड़ी हुई व्यवस्था हमें दी है उसको सुधारने में कुछ तो समय लगेगा। और, हमारी कांग्रेस के नेता तो ऐसे नए जोश के साथ आए है, अगर आप लोगों का यह नया स्वरूप नहीं होता न तो आप 'अपना दल' से नीचे नही जाते (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों की तरफ से मेजों की थपथपाहट)। एक राष्ट्रीय पार्टी का चौथे नंबर पर चले जाना, उससे भी पीछे पांचवें नंबर पर चले जाना और मुझे लगता है कि अगली बार आपको राजभर जी से भी नीचे जाना है। तथ्यों पर होना चाहिए विरोध। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपनी अंतरआत्मा पर विश्वास करके बोलिए क्या बिजली में सुधार हुआ है कि नहीं पहले की तुलना में ? बाद में बता देना मुझे आप। अलग से बता देना मुझे और क्या पहले की तुलना लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस करते है कि नहीं करते है। और, हर व्यक्ति इस बात को कर रहा है। कुछ घटनाएं घटित हुई है। दुखद है और हम शक्ति के साथ ऐसे कृत्यों को रोकेंगे। शक्ति के साथ, जितनी शक्ति हो सकती है मैं इस बात को कहे देता हूं लेकिन यह जो चीजें आई है मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक अपराधीकरण किसने किया है ? कौन इस अपराधीकरण के लिए जिम्मेदार है ? इन अपराधियों को राजनीतिकरण भी किसने किया है ? कौन इनको लेकर के घुमता है ? प्रशासन का जातिकरण किसने किया है ? यह जो अभिशाप उत्तर प्रदेश के अंदर लगा हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) इसको सफाई करने में कुछ तो समय लगेगा ही। और, इसीलिए मै इस बात को कह सकता हू हर अपराधी इस बात को जान चुका है, जैसे मरीज को मालूम था कि कंचन मृग बनकर के उसकी क्या दुर्गति होने वाली है ? रावण भी जानता था कि राम और लक्ष्मण का अपहरण करके मैं किस दुर्गति को प्राप्त होने वाला हूँ। और,

उत्तर प्रदेश का हर माफिया और अपराधी इस बात को महसूस कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनकी क्या दुर्गति होने वाली है। उन पर क्या गुजरने वाली है यह भी तय है और वह जिस भाषा में समझेंगे हम उन्हें उस भाषा में समझाएंगे (मेजों की थपथपाहट)। इसमें कोई समझौता नहीं होगा।

हमने प्रशासन को खुली छूट दी है। कानून का राज स्थापित करने के लिए जो भी आड़े आता है उसके साथ सख्ती के साथ निपटो। उसके बाद जवाबदेही तय होगी। यहां पर न कोई अपना है न कोई कराया है। और मेरे बारे में तो हर व्यक्ति जानता ही है। किसी प्रकार से कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। और यह तय है। हम लोग इस बात को तय कर चुके है। यह चीज हम लोग प्रवेश के अंदर किसी भी स्थिति में नहीं होने देंगे। लेकिन बहत सारी चीजें यहां पर आयी। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा, बहुजन समाज पार्टी के नेता वर्मा जी ने भी कहा। अजय कुमार जी ने भी कहा। आप जब अजय कुमार के नाम पर बोलते है तो अच्छा बोलते है जब लल्लू के नाम पर बोलते तो बड़ा वह लगता है। (हंसी)। गड़बड़ वहीं से शुरू हो जाता है। अध्यक्ष जी बहुत सारी चीजें यहां पर आयी और मुझे देखकर यह लगा कि वास्तव में नयी टेक्नोलाजी को बेरोजगारी से कैसे जोड़ा जा रहा है। अगर हम नई टेक्नोलाजी लेकर आ रहे है तो इसको बेजरोजगारी से कैसे जोड़ा जा रहा है। वह तो नये सृजन का एक नया माध्यम है। एक अच्छी स्थिति पैदा करेगा। असके अलावा यह कहना कि हम लोग केवल मुद्दे उठा देते है गाय का गंगा का। क्या यह मुद्दे उठाने गलत है। क्या गंगा माता की अविरलता, निर्मलता के लिए हमें कुछ करना नही चाहिए। क्या पहली बार कार्य नहीं हुआ कि देश का कोई प्रधानमंत्री गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का पैसा उसके लिए रिजर्व रखकर उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। हम सबको तो आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभारी होना चाहिए कि उन्होने गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए कार्य आगे बढ़ाया है। हमें इस बात के लिए आभारी होना चाहिए। क्योंकि गंगा हमारी मां है। गाय हमारी माता है। आज प्रातः मेरे पास शिया धर्मगुरू कल्बे जव्वाद जी आये थे। और उन्होंने इस बात को कहा कि गौ हत्या और गौ तस्करी तो रूकनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों का भी समर्थन इस बारे में मिल जाता तो प्रदेश में यह पूरी तरह रूकना ही चाहिए। सख्ती के साथ रूकनी चाहिए। और आपसे तो मैं उम्मीद इसलिए करता हूं क्योंकि आप यदुवंशी है तो आप इस पर और संवेदनशील होंगे। यह मैं जरूर विश्वास कर सकता हूं। यह होना चाहिए। और मैं यह भी कहूंगा कि मातृशक्ति का सशस्तीकरण केवल वोट बैंक बनाने से नही होता है तीन तलाक की कुपृथा को भी रोकने पर होगा। प्रत्येक को इसके लिए आगे आना चाहिए। जहां शोषण हो, जहां अन्याय हो, जहां अत्याचार हो अगर आप सही मांग में डा0 लोहिया की विरासत का प्रतिनिधित्व करते है तो हर समाजवादी को इस कुपृथा का विरोध करना चाहिए। क्योंकि जो गलत है वह गलत है। हम लोगों को गलत को सही नहीं बोलना चाहिए। सत्य को सत्य बोलने का साहस होना चाहिए। और वही राजनेता हो सकता है और वही नेता होने हकदार भी होता है। यह कौन सा तरीका है कि हम हर जगह वोटबैंक तलाशें। प्रतिदिन जनता दर्शन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में लगता है। अगर मीटिंग से मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं एक घण्टे का समय देने का प्रयास करता हूं। 25–30 मुस्लिम महिलायें इस बात को लेकर आती है। क्या है, कहां हम जा रहे है। क्या

उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या उनको अत्याचार का शिकार इसी प्रकार से बने रहना चाहिए। हम कौन सा समाज देना चाहते है। आने वाली पीढ़ी के सामने हम किस प्रकार की स्थिति रखना चाहते हैं। और कब तक हम जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर समाज को हम बांटते रहेंगे। अन्याय और अत्याचार कही भी हो हमें उसके खिलाफ बोलने में संकोच कतई नहीं करना चाहिए। मैं इस बारे में आप सबसे आग्रह करूंगा। गाय और गंगा के बारे में भी आपने अपनी बात कही। खाद और बीज के बारे में कही। मुझे लगता है कि केन्द्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद ही खाद और बीज की सुलभता हो पायी है। उससे पहले लाठी और डण्डा पड़ते थे यहां भी और उसके शासन में तो खैर होता ही था या सब।

श्री पारस नाथ यादव–

वह अब उधर बैठे है।

श्री योगी आदित्य नाथ–

सामने आप दिखायी दे रहे हैं तो इधर ही तो बोलूंगा, न (हंसी) मेरे सामने आप है, मैं मौर्या जी की बात नही कर रहा हूं, मैं लल्लू जी की बात कर रहा हूं। केन्द्र में 10 वर्षो तक उनकी सरकार थी। हां, अजय कुमार जी की। महोदय, यह सारी चीजें है और मुझे लगता है कि हिन्दु धर्म के बारे में भी बहुत सारी बातें और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में भी बहुत सारी बातें यहां रखी। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि हिन्दु धर्म ही है जो 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया' की बात करता है। (सदस्यों ने मेजें थपथपाई) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही मात्र ऐसा संगठन दुनिया का है जो सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेता है लेकिन देश और दुनिया के अन्दर अपनी मातृ भूमि के लिए, अपनी संस्कृति और अपनी परम्परा के लिए अपने प्रचारकों, अपने स्वयं सेवकों के माध्यम से निःस्वार्थ भाव से काम कर रहा है और आज ही नही, आपने कहा कि स्वतंत्रता आन्दोलन में, स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास को उठाकर आप देखेंगे तो बहुत कुछ मिल जायेगा, बहुत कुछ मिल जायेगा और इसलिए मैं आपसे इस बारे मे कहूंगा, डा0 श्याम प्रसाद मुखर्जी किसने दिए ? आज वेस्ट बगाल आपके पास बचा हुआ है, यह किसकी देन है ? आज कश्मीर में आपका आवागमन इस रूप में है, किसकी देन है ? अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और डा0 श्याम प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो बंगाल भी और अन्य तमाम क्षेत्र पंजाब भी यह पाकिस्तान के कब्जे में होते। जिस निःस्वार्थ भाव के साथ देश के अन्दर राष्ट्रीयता की भावनाओं के साथ–साथ मातृ भूमि के प्रति क्या सम्मान का भाव होना चाहिए, देशभक्ति की भावना क्या होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, जब यहां पर कार्यक्रम में मुझे बन्दे मातरम् सुनने को मिला और बहुत सस्वर। (मेजे थपथपाई गई) इस राष्ट्र गीत को हम साम्प्रदायिकता में कैद करके रखेंगे ? जिस गीत ने देश की आजादी के लिए हजारों क्रांन्तिकारियों को फांसी के फंदे पर झूलने में और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया था, उस गीत को हम अपने राजनीतिक स्वार्थो के लिए संकीर्णता के दायरे में कैद करके रख देंगे ? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नही होता तो इस देश के अन्दर विद्यालयों में और तमाम संस्थाओं में बन्दे मातरम् गीत और अन्य तमाम राष्ट्रीय गीत गाने की परम्परा ही लोग भूल गये होते। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का कोई सहयोग नहीं, तब भी 54 हजार से अधिक शिक्षण संस्थाओं का संचालन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कर रहा है। 01 लाख से अधिक सेवा के प्रकल्पों का कार्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कर रहा है। जब आपका

नागालैण्ड उग्रवाद से ग्रसित था, तब वहां पर सेवा के कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक गए। इसलिए नहीं कि उन्हें चुनाव लड़ना है, इसलिए गए क्योंकि वह भारत का हिस्सा है और उस हिस्से को भारत के साथ जोड़ करके रखना है। तब भी हम उसे कठघरे में खड़ा करेंगे ? यानी जिस संगठन को इन सब चीजों से कोई बात नहीं, मैं कहता हूं आप राम जन्म भूमि की बात करना शुरू कर दीजिए, आप गो हत्या को पूर्ण प्रतिबन्ध करने की बात करना शुरू कर दीजिए, आप इस देश के अन्दर भारत की राष्ट्रीयता से जुड़े हुए उन मुद्दों को स्वीकार करन प्रारम्भ कर दीजिए, आपको भी उसी प्रकार का भाव, सम्मान राष्ट्रीय स्वयं संघ से प्राप्त होगा, जैसा भारतीय जनता पार्टी को आर्शीवाद प्राप्त होता है। आप आइये न आगे, हम तो चाहेंगे कि सभी लोगों को इस बारे में बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। (मेजे थपथपाई गई) सब लोग करेंगे बहुत अच्छा होगा। क्यों हम, जिन संगठनों को इससे कोई लेना–देना नहीं, राजनीति से कोई लेना–देना नहीं, हमारे कार्यो में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, उनका नाम क्यों हम बार–बार ले लेते है ? और गलत तरीके से लेना गलत है, यह बुरी बात है और मुझे लगता है कि उसको कहीं न कहीं रोकना होगा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कही भी दलितों को मन्दिरों में जाने पर प्रतिबन्ध नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। यह पहली सरकार होगी, अगर कहीं होगा तो मैं जाकर स्वयं उनका प्रवेश मन्दिर में करवाऊंगा।

(मेजे थपथपाई गई)।

हमें संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, हमें रामायण बाल्मीकि जी ने दी है। इस देश के अन्दर ''जाति पाति पूछे नही कोई, हरि को भजे सा हरि का होई'' यह भाव भी ऋषि रामानन्द जी ने दिया है और उन्ही के शिष्य थे सन्त रविदास। कैसे हम कह देते है, इन छोटी–छोटी बातों को हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्यों कह देते है, उत्तर प्रदेश के अन्दर तो कही यह भाव नहीं है, लेकिन क्या किसी को आप यह अनुमति दे सकते है कि वह जाति विशेष में पैदा होकर के तोड़–फोड़ करे, कानून की धज्जियां उड़ाये, यह अनुमति नही दी जा सकती है, किसी को नही दी जा सकती है और मै इस बात का विरोध करूंगा। कुछ मुद्दो को जहां पर समाज में वैमनस्यता बढ़ती हो, हमारे वक्तव्यों से उत्तेजना बढ़ती हो, हम सब को उसको थोड़ा बैलेन्स करना होता है। हम लोगों ने दखिये लाईव टेलीकास्ट इसलिए करवाया है कि आप लोगों का एक्सपोजर हो सके लोगों के सामने, आपकी जनता आपको देख सके, जान सके कि हमारा प्रतिनिधि हमारी बातों को मंच पर रख रहा है कि नहीं रख रहा है, किस रूप में रख रहा है, इस रूप में हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है, मैसेज बाहर खराब होता है, आम पब्लिक जनता के बारे में एक विश्वसनीयता का संकट है हम राजनेताओं के बारे में और विश्वसनीयता के संकट के दौर से हमें उबरना होगा और इसलिए हम लोग चाहेंगे कि लाईब टेलीकास्ट लगातार चलती रही, बनी रहे और अच्छा है, मुझे लगता है कि थोड़ा–बहुत विरोध तो होना ही चाहिए, लेकिन हर बात के लिए, एक ही मुद्दे के लिए बार–बार आप जायेंगे, कोई मुद्दा थोड़े है। आपने एक बार अपनी बात रख दी मजबूत है, जब बार–बार आप कहेंगे एक ही मुद्दे को तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो इसका आदी हो चुका है और अन्त में लोग यह भी कहने लगते है कि एक झूठ को सौ बार बोल देंगे तो सच थोड़े हो सकता है। कानून व्यवस्था में आपका वाक्–आऊट पहले दिन ठीक था, लेकिन हर घण्टे आप वाक्–आऊट करेंगे तो लोग बोलेंगे कि लगता है

कोई बीमारी है, तो उसको बीमारी मत बनने दीजिए, मजबूती के साथ अपनी बातों को रखिये सरकार स्वीकार करेगी, सरकार स्वागत करेगी, आपकी सही बातों को, लेकिन जब हम बात–बात पर वाक्–आऊट करने लग जायेंगे, एक ही मुद्दे को बार–बार उठायेंगे, सदन की कार्यवाही को भंग करेंगे, अन्य तरीके से हम प्रभावित करेंगे, इसका मतलब यह है कि कुछ ही लोग पूरे सदन के सदस्यों के हक को मार देंगे, यह चीजें न हो, अच्छा होगा और मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति प्रदेश के अन्दर नही है। हम प्रदेश के अन्दर इस स्थिति को बदल देंगे, कही कोई इस प्रकार की स्थिति जातीय विद्वेष की स्थिति पैदा की गयी हो पूर्ववर्ती लोगों ने सरकारों ने हमें विरासत में इस प्रकार की स्थिति दी है, हम उसको बदलेंगे, आये ही हम इसीलिए है, जनता ने हमें चुनकर भेजा ही इस बात को लेकर के है। मुझे मेरी पार्टी ने इसलिए नहीं भेजा है कि मै यहां पर किसी उसको लेकर के यहां पर आकर के किसी मुद्दे को यानी मेरे लिए ये पद कोई आभूषण नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं, कोई आभूषण नही है, मेरे लिए दायित्व है, एक कर्तव्य है, कभी मैं इस बात को लेकर के नही इस बात को किया हूं यह जो प्रतिष्ठा है यह मेरे लिए परीक्षा भी है और उस परीक्षा को देने के लिए मैं उतरा हूं, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने विश्वास किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विश्वास किया है, इस बात को लेकर के हम लोग उस परीक्षा में खरे उतर सके, पूरी मजबूती के साथ लगेंगे, बिना लाग–लपेट के अपनी बात को कहेंगे। प्रदेश के हित में जो होगा उसको मजबूती के साथ रखेंगे और इसलिए मैं चाहूंगा कि श्री राज्यपाल जी के इस अभिभाषण पर में 75 वां सदस्य हूं बोलने वाला, 74 सदस्यों ने बोला है, अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने सभी नए सदस्यों को मौका दिया है और सभी लोगों ने बहुत अच्छी–अच्छी बाते कही है, मै पूरे सदन में चारों दिन रह नही पाया, लेकिन मैने प्रोसीडिंग भी मंगा कर के देखी है, मुझे वक्त मिलता था, मैं टेलीवीजन पर भी जो यहां से लाईव टेलीकास्ट हो रहा था, उसको भी मैं देख रहा था और मैने इस बात को महसूस किया बहुत अच्छे लोग आये है चुनकर के, नए सदस्यों में एक तमन्ना है, कार्य करने का एक जज्बा है एक नए तरीके से भी आगे बढ़ना चाहते है, कुछ करके दिखाना चाहते है, उनकी ऊर्जा का लाभ अगर हम ले सके, महामहिम राज्यपाल महोदय ने यही सब तो हम लोगों को अभिभाषण के माध्यम से कहा है, यही उनका आह्वान है और उसमें मैं चाहूंगा कि सम्वेत सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया है मुझे लगता है कि धन्यवाद ज्ञापित करने की इस परम्परा का हम अपना निर्वहन करे उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें और एक स्वस्थ्य लोकतांत्रिक परम्परा का केन्द्र हमारी विधान सभा बने मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोगों को पहल करनी होगी, एक प्रयास करना होगा। देखिये मैं सरकार की तरफ से इस बात के लिए आवस्त कर सकता हूं कि सरकार किसी राजनीतिक पूर्वागृह के तहत कार्य नही करेगी कोई भेद–भाव नहीं करेगी लेकिन हां कानून का राज प्रदेश में हो, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी और समाज के हर तबके की आवाज सुनी जा सके, उसकी आवाज को कोई दबाने न पाये, यह काम सरकार का है, सरकार इसको देखेगी। किसी के साथ अन्याय नही होने देगी। लोकतंत्र, सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की मिलकर, जब दोनों पायदान साथ–साथ चलेंगे तब लोकतंत्र चल पायेगा और स्वस्थ्य लोकतंत्र की परम्परा का आधार उत्तर प्रदेश बने, यह जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है और राज्यपाल महोदय इन्हीं सब बातों को लेकर हम सबके सामने इस बात को रखना चाहते है। मुझे लगता है

कि यह बहुत लम्बी संख्या है 75 सदस्यों की, हमारे सम्मानित श्री राम गोविन्द चौधरी जी है, बहुजन समाज पार्टी के नेता, श्री लालजी वर्मा जी है, हमारे कांग्रेस के नेता श्री अजय कुमार जी है।

श्री अध्यक्ष–

श्री अजय कुमार जी कहना है कि इन्हें लल्लू बुलाया जाये।

श्री अजय कुमार लल्लू–

मान्यवर, मुझे गर्व है कि मेरे मां–बाप ने मेरा नाम लल्लू रखा।

श्री योगी आदित्यनाथ–

बहुत अच्छी बात है। लल्लू जी मेरे पड़ोसी भी है। लल्लू जी और भी बहुत से लोगों ने अपनी बातों को यहां पर रखा है। अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर हम लोगों को और पूरे सदन को बहुत धैर्य के साथ संचालित करने और यह विश्वास प्रदान किया है कि प्रदेश में लोकतंत्र की जड़े बहुत मजबूत है, आपने बहुत कुशलता के साथ यहां संचालन किया है। आपकी विद्वता की चर्चा तो होती थी, एक लेखक की चर्चा होती थी लेकिन आप एक कुशल प्रशासक के रूप में भी, संचालन करने में बड़े सिद्धहस्त है। जो भी हम लोगों ने यहां पर इस दौरान देखा है मैं तो केवल यहीं कहूंगा कि यह सरकार विपरीत परिस्थितियों में प्रदेश की जनता ने परिवर्तन की वाहक के रूप में चुनी है। श्री राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इसी बात को घटित करता हुआ दिखाई दे रहा है और सदन की जो परम्परा है उसके अनुसार हम लोगों को महामहिम राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। यह अपील मैं आप सबसे करूंगा। बहुत–बहुत धन्यवाद।

ख05.20, भारत का संविधान के अनुच्छेद 175 (2) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल के अभिभाषण के पृ0 3 के प्रस्तर 2 की दूसरी पंक्ति में अंकित दिनांक 31–12–2016 के स्थान पर 31–03–2016 पढ़ा जाने के संबंध में प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, कल हमने एक प्रस्ताव आपकी अनुमति से रखा था कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पेज–3 पर एक टंकण की त्रुटि के कारण 31–12–2016 लिख गया जबकि यह 31–03–2016 होना चाहिए था और किसानों से पहले लघु एवं सीमान्त किसान होना चाहिए था। मान्यवर, इस सम्बन्ध में महामहिम श्री राज्यपाल जी का एक संदेश भी आपको प्राप्त हो गया है। आर्टिकल 175 (2) के तहत जो संविधान में व्यवस्था है उसके तहत भी आपके पास मिल गया था और मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करने की अनुमति दें, जहां तक कानूनी राय का सवाल है हमने एडवोकेट जनरल से भी उस सम्बन्ध में राय प्राप्त कर ली है। उनकी भी राय इसके पक्ष में है। मान्यवर, मेरा सिर्फ यही कहना है कि संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

मुझे माननीय श्री राज्यपाल जी का संदेश प्राप्त हुआ है कि मैं विधान सभा को पढ़कर सुनाऊं। दिनांक 15–05–2017 को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के आहूत

किए गए समवेत उपवेशन में मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 3 पर किसानों की कर्जमाफी के विषयगत प्रस्तर में टंकण की त्रुटिवश दिनांक 31–03–2016 के स्थान पर दिनांक 31–12–2016 टंकित हो गया था इसके अतिरिक्त ''किसानों'' से पूर्व शब्द समूह ''लघु एवं सीमान्त '' टंकित होने से छूट गया था। मेरे उपरोक्त अभिभाषण मे पारित हुई उक्त त्रुटि को निवारित करने हेतु मैं राज्य मंत्रि परिषद् के परामर्श/अनुमोदन के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अन्तर्गत राज्य विधान सभा के विचारार्थ अपना संदेश प्रेषित करता हूं। मूल संदेश है कि ''अभिभाषण के पृष्ठ 3 के प्रस्तर 2 की दूसरी पंक्ति में 31–12–2016 की तरीख छपी हुई है, उसको दिनांक 31–03–2016 पढ़ा जाए। साथ ही शब्द ''किसानों'' से पहले ''लघु एवं सीमान्त'' शब्द जोड़ दिए जाने पर विचार किया जाए।''

प्रश्न यह है कि अभिभाषण के पृष्ठ 3 के प्रस्तर 2 की दूसरी पंक्ति में 31–12–2016 तारीख छपी हुई है, उसको दिनांक 31–03–2016 पढ़ा जाए। साथ ही शब्द किसानों से पहले लघु एवं सीमान्त'' शब्द जोड़ दिए जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता सदन का जो आज प्रवचन हुआ तो प्रवचन सभी लोगों ने बड़ा मन से सुना और हम तो विशेष रूप से सुन रहे थे। काहे कि इसमें जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से मै चैनलों पर समाचार देखता हूं।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, इसके ऊपर कोई चर्चा नही हो सकती। एक–आध स्पष्टीकरण हो तो हो सकता है लेकिन यहां कोई भाषण थोड़े ही हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल, आप स्पष्टीकरण पूछिए।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, पहले तो मैं पक्ष और विपक्ष के जितने मा0 सम्मानित सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए है। मैं सबको अपनी तरफ से बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं और इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि नेता सदन ही नही हमको भी बड़ी प्रसन्नता होगी। चाहे जिस भी दल के जो नए मा0 सदस्य आए है, कुछ अभी नए है तो उनको तो ऐसा लगेगा ही। लगभग 70–71 लोगों ने अपने अच्छे विचार विधान सभा में रखने का काम किया। श्रीमन्, जो मैं कह रहा था कि प्रवचन हुआ। प्रवचन शब्द मैंने इसलिए कहा कि जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं चैनलों में जो समाचार आते है, उनको छोड़ करके मैं इस समय साधू संतो का प्रवचन ही सुन रहा हूं। प्रवचन वाले ये माननीय सदन पीठाधीश्वर भी है पहले भी मैंने कहा थाा। प्रवचन देने में आप भी माहिर

है और इस देश के प्रधानमंत्री भी प्रवचन देने में माहिर है और इसी प्रवचन की देन है कि हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश मुख्यतः धर्मभीरू प्रदेश है। इस प्रदेश की जनता धर्म में विश्वास करती है। चाहे जिस भी धर्म के हों यहां राम जन्मे है, कृष्ण जन्मे है। गंगा है, जमुना है, सरयू है। आपने सरयू का नाम नहीं लिया है।

(सत्ता पक्ष की ओर से लिया है, लिया है के शब्द कहे जाने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपने स्पष्टीकरण के लिए समय दिया है या भाषण के लिए दिया है। स्पष्टीकरण पूछ लें मान्यवर।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

दो तीन बातें माननीय सदन ने ऐसी रख दी, उस पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। नेता सदन जी का प्रवचन हो रहा था माननीय अध्यक्ष जी एक भी विपक्ष का आदमी चूं तक नही कसा एक भी आदमी ने चूं तक नही किया और मै स्वयं लोगों को मना करता था। यह संसदीय परिपाटी है। नेता सदन भी हमें समझा रहे थे और बहुत सारे नये सदस्य भी समझा रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप विषय पर आइए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

कुछ माननीय सदस्यों ने जो नये सदस्य है उनको इस बात पर बहुत दुख लगा है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दिन पता नही क्या हुआ ? इनको बड़ा दुख हुआ।

(आप नहीं थे वहां, के शब्द सुनाई दिए)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अब फिर क्यों बोल रहे है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया व्यवधान न डाले। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप हमारी ओर देखें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अगर लोकतंत्रीय संसदीय परम्परा के लिए माननीय नेता सदन ने यह बात कही है तो उसको सुनिये। आप ही के दल के लोग, आप ही के सहयोगी दल के लोग तो उसका खण्डन कर रहे है। ये नये माननीय सदस्य चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों। नहीं होना चाहिए राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध। लेकिन कुछ परम्पराएं बन जाती है ये सदन संविधान, नियमावली, परम्पराएं और माननीय अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार चलता है चाहे लोकसभा की कार्यवाही हो या विधान सभा की कार्यवाही हो उसके अनुसार चलती है।

(सत्तापक्ष की तरफ से सीटी कौन सी परम्परा में है के शब्द सुनाई दिए)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप हमारे मित्र है, मै एक बार कह चुका हूं कि विपक्ष के लोगों ने कहीं टोका–टोकी नहीं की आप कहें तो हम बोले ही नहीं।

श्री अध्यक्ष–

टोका–टोकी नहीं होना चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हम नही बोल सकते क्या, हमने तो ये बोल ही दिया है, क्योंकि भाषण के पारंगत तो आप लोग हो। मुझे खुशी है माननीय अध्यक्ष जी, कि माननीय नेता सदन ने जितनी बातें बतायी। सरकार की उपलब्धि उसके लिए मुझे प्रसन्नता है कि माननीय अखिलेश यादव की सरकार जिन योजनाओं को लायी थी, जिनको लांच करने जा रही थी, तब तक चुनाव आचार संहिता लागू हो गई उसी का इन्होंने वाचन किया उसी को पढ़ा इसलिए मै इनको बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं और जो दहाड़ करके भाषण मैंने सुना। आप संत भी है तीन रूप में हम आपको देखते है एक संत, एक योगी और एक नेता सदन के रूप में। आपका जो भाषण हुआ वह नेता सदन का नहीं हुआ, वह संत और योगी का हुआ। हम भी जानते है कि 2 महीने में कोई सरकार कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकती।

(बीच में टोका–टाकी होने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप ढंग देख लीजिए और चलाइये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था। नेता सदन जी कैसे चला लेंगे और कैसे इनको मना लेंगे जो आपकी विचारधारा के है ही नहीं, जो केवल टिकट लेकर के जीतने के लिए आपके दल में आए आप की बात उनको असर कभी नही कर सकती। कभी नहीं कर सकती है।

इसलिए विचारधारा के आधार पर जो सरकार बनती है वही सरकार स्थायी होती है। कितना भी बहुमत हो जाए वह मायने नहीं रखता है। बहुत–से बहुमत हम लोगों ने देखे है। सन् 1971 में इस देश में सभी विरोधी पाटियों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ महागठबंधन बनाया और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दो–तिहाई बहुमत से केन्द्र में सरकार बना ली, नेता सदन सन् 74, 75 आते–आते उनका दम बिगड़ गया और 75 आते–आते देश में उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। जनता पार्टी के शासन काल में पूर्ण बहुमत केन्द्र में तथा इसी सदन में आया था। इसी सदन में आपसे अधिक बहुमत आया था और दो साल में, ढाई साल में , तीन साल में चरमरा कर गिर गया। 80 में भी बहुत बड़ा बहुमत आया। बहुमत पर मत अकड़ाइए। क्या हमको प्रदेश के लिए करना है, आपने दो–तीन बातें ऐसी कही जिस पर बहस चले तो दो–तीन घण्टे तो हमको भी चाहिए। अब आपके संविधान पर आते है, आपको जल्दी हो तो प्रश्न उपस्थित कर दें। मुझे क्यों नहीं देना है भाषण। आपने एक सवाल छेड़ा नेता सदन जी, आपका मैं सम्मान करता हूं, हमारी बात को सुन लीजिए, आपने एक सवाल छेड़ा कि राजनीति का अपराधीकरण किसने इस प्रदेश में किया। बहुत अच्छा आपने सवाल छेड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 1991 के उपचुनाव में माननीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दिया था, तहसील दार सिंह। माननीय नेता सदन जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में उत्तर प्रदेश की संसदीय परम्पराओं के इतिहास में जिसको आप दूसरे पक्ष में

लोग, हम तो नही कहते, ये लोग जिसको अपराधी कहते है, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सरकार में शामिल करने की व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, कब से शुरू हुई ? 1996 से जब आपने सरकार बनायी थी।

(कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा टोका–टाकी करने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

चलिए, माफ करिए, अब इसमें इतना मत कर दीजिए की धरती फट जाए।

(हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक बात तो है अभिनय में आपका कोई जवाब नही है। कल तो हमने अमिताभ बच्चन को ही कहा था लेकिन आज तो अगर पूरी फिल्म इंडस्ट्री आ जाए तो आप के आगे हाथ जोड़ कर चली जाएगी, आपके आगे इस्तीफा दे कर चली जायेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, इनकी ये हठ, और इनकी नाकारी, नाकारियों पर भी हठ, हठ पर भी कई बार सामने पर्दा डाल देते है।

(श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा पेपर दिखाने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह क्या है?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जो अभी आपने पास कराया। जैसे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर पहले दिन चर्चा थी उसी दिन मैंने इस सवाल को उठाया था कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण नियम, विरुद्ध एवं संविधान के विरुद्ध हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, परम्परा यही रही है कि नेता विरोधी दल अभी तक स्पष्टीकरण मांग लेते थे और उसके लिए अभी 15 मिनट हो गए है और स्पष्टीकरण मांग ले इसमें कौन–सी बात है। अगर भाषण का ही है। तो दोबारा मौका मिलेगा उस पर भाषण दे दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इन्हें छटपटाहट पैदा हो गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए विपक्ष कोई दुश्मन नहीं है और चाहे इधर के हो, चाहे उधर के हो जो नए सदस्यगण चुनकर आए है, वे जान लें कि सन् 1954 से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध और बहिष्कार होता रहा है। टोका–टाकी नहीं करिये, पहले सुनिये। 1954 से कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक। अभी पिछली बार अंतिम घड़ी में महामहिम राज्यपाल जी यहां पर अभिभाषण देने आये थे तो माननीय जो श्रममंत्री है वर्तमान में, उनका भाषण और उस समय भारती जनता पार्टी के जो नेता थे माननीय हुकुम सिंह जी उनका भी दोनों लोगों का भाषण मेरे पास है उसमें भी अध्यक्ष जी महामहिम राज्यपाल को एक शब्द भी पढ़ने नही दिया गया थोड़ा बहुत पढ़कर चले गये और जब आपका भाषण शुरू हुआ

तो माननीय नेता, तत्कालीन नेता विरोधीदल बहुजन समाज पार्टी के जो इस समय माननीय श्रम मंत्री जी बड़े भाजपा के अलम्बरदार बने हुए है, इन्होंने कहा था आपसे कि राज्यपाल जब अभिभाषण पढ़े ही नहीं तो आप क्यों पढ़ रहे है। मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं नये माननीय सदस्य कई दिन से इस बात पर निन्दा करते है तो यह करते है तो वह करते है और उसी पर माननीय नेता सदन जी का आ गया सीटी। सीटी दो ही आदमी बजाता है एक ट्रैफिक पुलिस वाला और एक क्या कहा आपने ! मुझे प्रसन्नता है कि वही जो मैने पहले दिन कहा था और मैं सही कह रहा हूं राम गोविन्द चौधरी संसदीय परम्पराओं के पालन करने के तरीके को जानते है और माननीय अध्यक्ष जी, मैं कभी वेल में भी नहीं गया हूं मैं स्वयं इसका विरोधी रहा हूं एक आधबार नेताओं के धक्का–धुक्की करने पर भले चला गया हूं। मैं चाहता हूं कि विधान सभा चले, मैं मंत्री रहते हुए माननीय सदन चलने को कहता था संसदीय कार्य मंत्री जी है, मैं कहता था मंत्री रहते कि विधान सभा चले बढ़िया वाद विवाद हो। अच्छे नेता सदन आये है मुझे तो इतनी प्रसन्नता है और आश्चर्य भी है कि इस कुर्सी पर आते ही माननीय नेता सदन को रोमियों के विषय में अच्छी जानकारी कैसे हो गयी।

श्री अध्यक्ष–

आपके पास क्या कोई तीसरा भी वर्ग है सीटी बजाने वाला दो के अलावा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आखिर मैं, रोमियों की जानकारी आपको कैसे हुई, कौन था रोमियों ? यह मैं पहले दिन ही कहा था पुनः अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि दुविधा में दोनों गये माया मिली न राम दोनों में विनय न रहिमन राम। ऐसा न हो अध्यक्ष जी कि हम लोगों की जो आस्था का केन्द्र है गोरखपीठ इसमें भी कमी आ जाए और जहां आये है इसमें भी कमी हो जाय तो कही के न रह जायें। इसीलिए पहले भी मैंने कहा था कि हम लोग छात्र जीवन से बाबा गोरखनाथ के पीठ पर प्रसाद चढ़ाने जाते थे।

विधायी एवं न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री (डा0 नीलकण्ठ तिवारी)–

मान्यवर, पीठ के बारे में न बोला जाय यह आस्था का विषय है।

श्री अध्यक्ष–

यह अंश हम देख लेंगे निकाल देंगे। माननीय राम गोविन्द जी कनक्लूड करिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अगर उसमें माननीय सदस्य को उस बात में कुछ लगे तो निकाल दीजिएगा।

डा0 नीलकण्ठ तिवारी–

मान्यवर, इनको वह शब्द वापस लेना पड़ेग्रा।

श्री अध्यक्ष–

मैं देख लूंगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या बात करते है, हम पीठ के समर्थन वाले लोग है आप गये होंगे कि नही गये होगे बाबा गोरखनाथ तो कभी गये भी नहीं होगे। हम लोग तो कम से कम 8 बार, 10

बार, 20 बार, 25 बार, 100 बार, 200 बार गये है गोरखपुर आते थे तो हर शनिवार को जाते थे हम लोग हिन्दु है भैय्या तुम्हारे जैसे गैर हिन्दु नही है।

(हंसी)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सही कह रहा हूं। हिन्दू कौन है। हिन्दु वह है जो इस धरती पर शुरू से रहा हो। पिछड़े, दलित, वनवासी, आदिवासी यह सब हिन्दू हैं, भले ही आप इन्हें हिन्दू नहीं मानते हैं, किसी को छांटते हैं, किसी को छोड़ देते हैं। तो अब यह बतायें कि रोमियो की जानकारी बाबा को कैसे हुयी। यह हम लोगों को पता ही नही चला। एंटी रोमियो स्क्वायड। एक तरफ हमको पढ़ाया गया है प्रभु। मां–बेटे का प्रेम, भाई–बहन का प्रेम, पति–पत्नी का प्रेम और प्रेमिका और प्रेमी का प्रेम।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

थोड़ा समय और लेंगे। आप नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री इन दोनों को रोमियो की पहचान कैसे आई कि एंटी रोमियो स्क्वायड बना दिया। यह तो संत है बचपन में घर से आये और संत हो गये। ठीक है यह तो हमारे हिन्दु धर्म की परम्परा है। आज योगी संत लेकिन जिनको कोई पूछा ही नही,

श्री अध्यक्ष–

क्या आपके पास कोई प्रस्ताव है इस तरह का ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैनें सत्ता पक्ष के लोगों से उस दिन ही कह दिया था कि इनके दुख के प्रस्ताव पर कोई जुगाड़ बनाये। बहरहाल अध्यक्ष जी, यह केवल प्रवचन और भाषण से प्रदेश का विकास नही होगा। सारे लोगों ने कहा कि दो महीने में हम क्या कर लेंगे। सही बात है कि दो महीने में आप क्या कर लेंगे, कोई सरकार दो महीने में क्या कर लेगी। लेकिन यह बात तो सबकों सोचना पड़ेगा, जब हम वहां थे तो उस समय यह बात क्यों नही सोची गयी। नेता सदन हम लोग जाते हैं लखनऊ से फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, आज राजनीति कहां से कहां तक चल गयी है और यह कहां तक जायेगी इस पर जब चर्चा होगी, कई बार यह बात आई है। एक नेता एक पार्टी का दूसरे नेता दूसरी पार्टी को गाली गलौज, बेईमान, चोर, डकैत कहते–कहते यह स्थिति ला दिया है कि हमको आपको जब वोट मांगने जाना पड़ता है तो दांत चिहार कर पैर पकड़कर वोट मांग रहे है, यह स्थिति राजनेताओं की आ गयी। क्यो आ गयी, कोई सोचा दस पर। इसलिये आ गयी कि जो आप कह रहे थे कि जांच करायेंगे तो पता चलेगा और जब हम वहां आयेंगे और आपकी जांच करायेंगे तो आपको पता चलेगा। यही सब राजनीतिक विद्वेष की भावना है कि यह परिस्थिति आज इस प्रदेश में आई हुयी है। लिखा है नारा कि 'न गुंडागर्दी, न भ्रष्टाचार–अबकी आयेगी भाजपा सरकार' इसीलिये मै कह रहा हूं कि

'न चोरी न छिनैती न बलात्कार न डकैती की सरकार
सत्ता छोड़ो और आने दो पुनः सपा की सरकार'।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इनका प्रस्ताव हम रखेंगे।

मा0 चौधरी साहब, अब आप।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

कुछ नही, कुछ नहीं मा0 अध्यक्ष जी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मा0 नेता सदन को जब भी कोई पूरब का मुख्यमंत्री होता है हम लोग देखे है इस सदन में, जब भी कोई हुआ है चाहे राम नरेश यादव जी रहे हो, चाहे वीर बहादुर सिंह जी रहे हो, चाहे वी0पी0सिंह रहे हो, चाहे श्रीपति मिश्र रहे हों, चाहे कमलापति त्रिपाठी जी रहे हों और त्रिभुवन सिंह को तो मा0 नेता सदन गोरखपुर में हराकर मुख्यमंत्री से भगा दिया। भा0ज0पा0 पूरब के मुख्यमंत्रियों को सहन नही कर पाती।

श्री अध्यक्ष–

तो धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन कर रहे है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

कौन ?

श्री अध्यक्ष–

आप।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अरे धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन कर देंगे तो काहे को यहां बैठेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, ये बात नेता सदन आपको स्वीकारना चाहिए, किसकी देन है, किसकी देन नही है मुख्यमंत्री इस प्रदेश के आप है कि कानून–व्यवस्था आपके रहते जितनी बिगड़ी है, केवल छाती ठोंकने से ठीक थोड़े हो जायेगी। गुंडा, चोर चाहे जिसको पकड़िये, जहां जाइये चाहे जिसको गिरफ्तार कीजिए, कोई रोकता है क्या आपको, क्या किसी अपराधी को छोड़ने के लिए किसी को फोन गया है क्या। नही जायेगा फोन, आप कानून–व्यवस्था को दुरूस्त करें लेकिन इधर दो महीने में मै सही आपसे कहता हूं कि कानून–व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, उसको सुधारने की जरूरत है। हम कोई आपके विरोधी थोड़े है हम आपके पक्षधर है। सरकार तो परमानेंट होती है, पार्टियां आती है चली जाती है, इसलिए नेता सदन जी मुझे आप पर विश्वास है ई–रिक्शा की बात अभी मा0 नेता सदन ने कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ई–रिक्शा दिया अरे साहब प्रधानमंत्री जी ने लोन पर दिया तथा अखिलेश यादव ने ई–रिक्शा फ्री में दिया अरे साहब यह उत्तर प्रदेश की जनता है क्या उसको बताये, कैसे आपको लगा दिया हमको समझ में ही नही आता है। मैं सही बता रहा हूं और सही बताऊं नेता सदन जी अगर आप 5, कालीदास मार्ग में रात को उठकर धीरे से पिछली सरकार की योजनाओं को ठीक से देख लेंगे तो आप सोचेंगे कि मा0 अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के विकास का खाका कैसे बेहतरीन खींचा था।

श्री अध्यक्ष–

अब आपके प्रस्ताव पर मतदान करायें ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप कह रहे हैं कि जांच करायेंगे, हम जानते हैं आप लोग तो देवलोक से आये है और विश्वकर्मा जी आकर सारा निर्माण करेंगे, विश्वकर्मा जी को आप लोग ले आयेंगे। जिसको जांच कराने की बात होती है उसे अधिकारी कर्मचारी ही तो बनाते है, कोई मुख्यमंत्री जी थोड़े ही ईट, गिट्टी एवं बालू देकर सड़क बनाते है क्या कोई मंत्री जा करके कही सफाई करता है नाले की क्या। जो हमारे और आपके परिवार के लोग है, आई0ए0एस हों, आई0पी0एस0 हो, इंजीनियर हों, डांक्टर हों, कर्मचारी हों, वही तो काम करते है। आपने उनको भी बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है, चोर है, सरकार चोर, अधिकारी चोर, कर्मचारी चोर केवल देवलोक से आये है आप ईमानदार लोग।

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा सा संक्षेप कर दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इस तरह से लोगों की भावनाओं को आहत करके कोई आदमी सरकार नहीं चला सकता नेता सदन जी। सम्मान है अधिकारियों का जो बेईमान है, भ्रष्ट है उसको अभी जेल भेज दीजिए। न सभी पार्टियां बेईमान होती है, न सभी नेता बेईमान होते है न सभी कर्मचारी बेईमान होते हैं कुछ लोग बेईमान होते हैं और कुछ लोग ईमानदार होते है। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जैसे मैने उस दिन भी कहा था कि यह सरकार दो महीने से हर स्तर पर फेल हो चुकी है। चाहे कानून की व्यवस्था हो, चाहे विकास की बात हो, विकास तो दो महीने में कुछ होगा नहीं, इसे तो हम लोग भी जान रहे है कानून–व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, अब मतदान करा लिया जाए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, क्या आपकी यही आज्ञा है जैसा आप कहे हमें स्वीकार है। मान्यवर, आज मा0 नेता सदन बोले है कम से कम दो घंटा।

श्री अध्यक्ष–

दो घण्टा नही बोले है, आप भी बहुतबोल लिये है। (श्री अजय कुमार लल्लू के खड़े होने पर) माननीय अजय कुमार जी बैठ जाईये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव रख दूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

एक मिनट रुकिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, पहले मा0 नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव पर मतदान हो जाए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जो आपने ई–रिक्शे की बात कही तो प्रधानमंत्री जी ने ई–रिक्शा दिया अनुदान पर, जो बनारस में शुरूआत की, आपको पता है न, आपने खुद अभी–अभी कहा, उसमें लाभार्थी को धनराशि देनी थी। माननीय नेता सदन जी जो देश के खजाने का मालिक हो वह रिक्शे वाले को अनुदान पर रिक्शा दे, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो वो फ्री में ई–रिक्शा दे। अखिलेश यादव जी ने फ्री में ई–रिक्शा देने का काम किया,अखिलेश यादव से कोई तुलना करने वाला है क्या ? आप तो आये ही है, अभी जो आपने मेट्रो चलाने की बात कही है, अगर अखिलेश यादव ने लखनऊ में मैट्रो की योजना नहीं लाये होते, ठीक है उद्घाटन हुआ अभी नहीं चली, कमेंट करने वाली बात है। बनारस में, गाजियाबाद में मेट्रो चलाने की योजना उसी समय तैयार हो गयी थी। बनारस, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर के लिए हो गया था, गोरखपुर के लिए नहीं हुआ था यह बात सही है। आपने उसमें गोरखपुर भी जोड़ दिया आपको बहुत–बहुत बधाई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय नेता सदन जिस तरह से बढ़िया प्रवचन किया है, (सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर) उस तरह से सरकार भी काम करेगी और संसदीय परम्पराओं का अनुपालन भी आपकी पार्टी के लोग करेंगे।

श्री विक्रम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रवचन शब्द ठीक नही है इसको कार्यवाही से निकलवा दीजिए। मा0 मुख्यमंत्री जी सदन में प्रवचन नहीं देते है।

श्री अध्यक्ष–

मैं देख लूंगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

नेता सदन जी, आपने तो देख ही लिया। सत्तापक्ष की और विपक्ष की लोकतांत्रिक व्यवस्था। आपने बोला उस समय, ईमानदारी से बताईये कि कोई एक आदमी विपक्ष का चूं करने का काम किया। अब उधर देख लीजिए। आपके मन में ललक है, कष्ट भी है कि हम प्रदेश के विकास की गति को कैसे आगे ले जांय, हम कानून–व्यवस्था की स्थिति को कैसे ठीक करें, कण्ट्रोल करे ? हम लोग आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे कानून–व्यवस्था को ठीक करने में, प्रदेश को आगे ले चलने में लेकिन छल, प्रपंच और बढ़िया भाषण बढ़िया बोली बढ़िया भोजन, बढ़िया विचार से ही केवल प्रदेश का काम चलने वाला नहीं है। अब तो इस प्रदेश में कोई कहने वाला ही नही है कि हमारी सरकार नहीं रही है, कांग्रेस की रही, हमारी भी सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही है, भा0ज0पा0 की सरकारें कई–कई बार यहां रही है, केन्द्र में भी आ गयी है। तो अब कौन कहेगा कि हम तीस मार खां है, सबके काम, सबके सामने है और जितनी बात आपने कही है वह सब हमारी सरकार की है। (श्री सतीश महाना जी के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर) अब आप इधर थे तो ऐसे ही बराबर खड़े होते थे ? जो नये सदस्य आये है उन्हें मैं क्या बताऊं ?

श्री अध्यक्ष–

आप नये सदस्यों को आर्शीवाद दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

नये सदस्यों के भविष्य उज्जवल होने की मेरी कामना है हम सब लोगों की, और उनका बढ़िया विचार इस सदन में आया है, लेकिन ये लोग उनको बढ़िया विचार से लैस होने देंगे तब न। जिस राज्यपाल के अभिभाषण के दिन की बात हो रही है राज्यपाल तो राज्यपाल। आप जो सदन के सर्वोच्च है, आपके सम्मान और आपका अधिकार इस सदन मे सर्वोच्च है जब आप सदन में आते है तो आपके कक्ष एवं पीठ के उस बीच में बैठ कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अध्यक्ष को भी इस आसन पर नही आने दिया है। नये सदस्य इस बात को जानिये। तीन दिन यहा सदन नहीं चलने दिया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग जो परिचर्चा करते है कि अरे हम तो सुसंस्कृत है, हमारे जैसा कोई सभ्य सुशील है ही नही इस धरती पर। उनकी यह दशा रही है। आपको नहीं आने दिया है इस सभागार में मेरा फिर इशारा सत्तापक्ष की ओर है और उनके लोग माननीय नये सदस्यों को ये जानकारी नही थी इसलिए निन्दा करते है। (सत्तापक्ष से टोकने पर) आपके नेता बोल रहे थे तो बड़ा ध्यान से सुन रहे थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, हम माननीय योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि जो अबकी एक विशेष पुरस्कार यहां पर प्रदेश में इन्ट्रोड्यूज किया जा रहा है और अभिनय के क्षेत्र में माननीय राम गोविन्द चौधरी जी का नाम हम प्रस्तावित करते है। (सत्ता पक्ष से हंसी) इनको विशेष एक बहुत बड़े विशेष अभिनय का पुरस्कार इनको दे दिया जाय। यह अपने ड्रामें में पूरी तरीके से कामयाब है मान्यवर।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

वह पुरस्कार हमको याद है कि हमको भी आपको भी यहां से मिल चुका है। आपको मिला है? शायद मिला है आपको और यह सदन की कृपा है, उस आसन की कृपा है और इस कुर्सी की कृपा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

वह पुरस्कार इसलिये मिला कि इतने सफलतापूर्वक 25 साल बेहतरीन संसदीय परम्पराओं को आप जैसे लोगों से सीखा लेकिन आज हमें दुःख हो रहा है कि यह जितने नये लोग है यह आपका अभिनय सीखने आये है या संसदीय परम्परा सीखने आये है। अभिनय मत करिये आप।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यही तो सिखा रहा हूं। पुरस्कार तो आपको और हमको दोनों को मिल चुका है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमको अनुमति दे। इनके पास कोई तथ्य नही है, तर्क नही है।

श्री अध्यक्ष–

पहले उनके प्रस्ताव पर मतदान होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, व्यवस्था वही है इसीलिये तो हम रुके हुए है। नही तो अब तक रख देते हम।

श्री अध्यक्ष–

तो रुके रहिये थोड़ी देर।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

नेता सदन सुनना चाहते है मान्यवर। यही मै भी दिखलाना चाहता हूं नये सदस्यों को कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय पुराने नेता लोग है उनका आचरण इस सदन में और सदन के बाहर कैसा रहा है, वह भी देख रहे है। (सत्ता पक्ष से शोर) देख रहे है मान्यवर, मै दो तीन बार कह चुका हूं कि जब नेता सदन बोल रहे थे तो विपक्ष के कोई सदस्य ने टोका–टाकी नहीं किया और आप जो दोनों वरिष्ठ है, टोकने में माहिर है। माननीय अध्यक्ष जी, जितना भी नेता सदन ने जो अपनी बात कही है, जो प्रवचन किया है यहां मैं उनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आगे उस पर अमल भी हो।

(सपा के सदस्यों के कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

राम गोविन्द जी, आपके लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इन्ही शब्दों के साथ, यही आपका मन है ना। माननीय अध्यक्ष जी, जो नेता सदन जी ने कहा। आपने स्वच्छ पानी की भी बात कही, तो हर विधायक को चूंकि आज सदन उठ रहा है तो घोषणा कर दीजिये कि हर विधायक को 500–500 हैंड पम्प हम देगें (मेजों की थपथपाहट) और यह परम्परा भी रही है, यह पहला सदन है, निर्वाचन के बाद यह पहली बैठक है। हम जानते है कि अभी बजट आपका पास नहीं हुआ है। यह बजट सेशन में कहना चाहिए लेकिन अभी जो पैसा है जो हम लोगों ने लेखानुदान में पास कर दिया है। 20–20 किलोमीटर हर विधान सभा के विधायकों को सड़क।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

सड़क तौल कर देंगे क्या ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

20 किलोमीटर सड़क और पांच सौ हैण्डपाइप यह हम कहना नहीं चाहते थे लेकिन यह सारे माननीय सदस्यों का मन है। इतना हो जाए, फिर सदन बैठेगा तो हम लोग तो मांगने ही वाले है और आप देने ही वाले है। इन्ही शब्दों के साथ तमाम मेरे संशोधन के पस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो अपना बहुमूल्य विचार दिया है उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और विपक्ष के लोगों ने जो मेरे संशोधन पर बल दिया है उनको मै विशेषतौर से धन्यवाद देता हूं। माननीय नेता सदन आप निकलवाकर

देख लीजिएगा जितना मेरे प्रस्ताव का समर्थन हुआ है उतना जो सत्तापक्ष के जो साथी है जो प्रस्तावक और समर्थक लोग है उनका उतना समर्थन नही हुआ है। जितने माननीय सदस्य बोले है कोई उनके पक्ष में, हम बल देकर कहते है कि उनके पक्ष में नहीं बोला है हमारे पक्ष में जितने माननीय सदस्य बोले है कि हम संशोधन पर बल दे रहे है उतना उनके पर बल नहीं दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ अगला जो बहुत जल्दी सत्र आवे, जल्दी बजट सत्र हो, पक्ष विपक्ष का विभेद समाप्त हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह सदन का संचालन हो, चाहे कोई पक्ष का बोले, चाहे कोई विपक्ष का बोले टोकाटाकी न हो, नहीं तो हम लोग तो समाजवादी है ही, अच्छे से सदन चले, अध्यक्ष जी, आप विद्वान है, लेखक है, पत्रकार है आप जिस आसन पर बैठे है इस बार तो आपने कमाल कर दिया मेरी मांग थी हमेशा की, वह चाहे हमारे विपक्ष में ही क्यों न जाए, कि बहुमत की तरफ से दो, अल्पमत की तरफ से एक हम कहते–कहते थक गए नही हो पाया लेकिन आपने उसको कर दिया कल हमको भी उधर जाना है (हंसी) मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद् देता हूं। प्रमुख सचिव के सचिवालय के जितने रक्षक लोग है विधान सभा के जितने कर्मचारी है, जो मार्शल है, क्योंकि मार्शल लोग तो उस दिन हम लोगों की बात राज्यपाल जी तक जाने ही नहीं दिए, इन सबको धन्यवाद् देता हूं और अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में माननीय नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किए गए संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किए है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन के प्रस्ताव भी जो उपस्थित किए हुए माने गए है वह अस्वीकृत समझे गए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मै आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 15 मई, 2017 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद् प्रकट करता है। मान्यवर, डा0 अरुण कुमार जी ने धन्यवाद् का प्रस्ताव रखा था और माननीय श्री पंकज सिंह जी ने इसका समर्थन किया था। मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि आप प्रश्न उपस्थित करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 15 मई, 2017 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दिनांक 15 मई, 2017 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय मा0 सदस्यों द्वारा पीठ पर कागज के गोले फेके जाने, शोर मचाने एवं श्री राज्यपाल के ऊपर प्रहार करके संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति विषयक दिनांक 16 मई, 2017 को श्री पंकज सिंह द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर सुरक्षित निर्णय की घोषणा

श्री अध्यक्ष–

अब मैं दिनांक 16 मई, 2017 को इसी आदरणीय सदन में नियम 300 के अन्तर्गत उठाई गई एक सूचना के सम्बन्ध में अपने आरक्षित निर्णय की घोषणा करता हूं।

मैने एक निर्णय आरक्षित किया था नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना माननीय श्री पंकज सिंह सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मई 2017 को विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी गई थी कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय अनेक माननीय सदस्यों ने पीठ पर कागज के गोले फेंके एवं माननीय श्री राज्यपपाल के ऊपर प्रहार किया। श्री सिंह द्वारा कहा गया कि इस प्रकार माननीय श्री राज्यपाल का अपमान करते हुए संवैधानिक व्यवस्था को चोट पहुंचाई गई। यह माननीय सदस्यों द्वारा संविधान के अन्तर्गत ली गई शपथ का उल्लंघन भी है। श्री सिंह द्वारा अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था का अनुरोध किया गया है।

सूचना में माननीय श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय हुए व्यवधान का वर्णन किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इससे उनकी एवं अन्य बहुत से नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों की भावनाएं आहत हुई उन्होंने कहा कि माननीय श्री राज्यपाल इस सदन के एक अंग है उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। वह सर्वथा आपत्तिजनक है।

माननीय, नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि माननीय सदस्य अपनी समस्याएं लिखित रूप से माननीय श्री राज्यपाल तक पहुंचाना चाह रहे थे अतः इसमें माननीय श्री राज्यपाल का कोई अपमान नहीं हुआ है और न ही सदन का कोई अपमान हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के विधान मण्डल दल के नेता श्री लाल जी वर्मा द्वारा अभिकथित किया गया कि प्रश्नगत सूचना नियम 300 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है क्योंकि इस प्राविधान के अन्तर्गत सदन के कार्य को विनियमित करने के सम्बंध में अथवा संविधान की व्यवस्था के सम्बंध में ही प्रश्न उठाया जा सकता है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि माननीय श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय जो भी घटित हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसी परम्परा बननी चाहिए जिससे बाहर गलत संदेश न जाय एवं विधायकों के बारे में अच्छी राय बने। उन्होंने अध्यक्ष पीठ से आग्रह किया कि विरोध की मर्यादा अवश्य तय होनी चाहिए।

सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विनिश्चय अपेक्षित है कि प्रश्नगत सूचना नियम 300 के अन्तर्गत पोषणीय है या नहीं। इस सम्बंध में नियम–300(1) सुसंगत है जो कि निम्नवत् है:–

औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।''

उपर्युक्त प्राविधान के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि औचित्य का प्रश्न संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के निर्वचन या प्रवर्तन के विषय में भी उठाया जा सकता है जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता हो। मा0 श्री राज्यपाल सामान्य निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में एक साथ समवेत् दोनों सदनों में भारत का संविधान अनुच्छेद–176(1) के अन्तर्गत अभिभाषण करते हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि नियम 300 के अन्तर्गत अभिभाषण के समय कारित व्यवधान के विषय में प्रश्न उठाया जाना संविधान सम्मत नहीं है।

यद्यपि तकनीकी रूप से माननीय श्री राज्यपाल द्वारा समवेत् सदनों में दिए गए अभिभाषण को सदन की कार्यवाही का अंग नहीं माना जाता परन्तु चूंकि अनुच्छेद–176 के अन्तर्गत माननीय श्री राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में अभिभाषण करते है अतः नियम 300 के अन्तर्गत इस विषय में उठाये गये प्रश्न का संज्ञान लिया जाना परम्परा के विपरीत नहीं माना जा सकता।

इस सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय संसद के समवेत् दोनों सदनों में बाधा उत्पन्न करने के सम्बंध में दी गई कतिपय व्यवस्थाओं के दृष्टांत सुसंगत हैं। दिनांक 12 फरवरी, 1968 को माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर दो सदस्यों ने बाधा उत्पन्न की। लोकसभा ने इस संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके माध्यम से दोनों सदस्यों के आचरण को गलत ठहराते हुये उनके अमर्यादित आचरण हेतु उन्हें फटकार लगाई गयी। इसी प्रकार दिनांक 23 मार्च, 1971 को मा0 राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर बाधा उत्पन्न करने एवं उनके प्रति निरादर प्रकट करने के संबंध में कार्रवाई करने हेतु एक समिति गठित की गयी। समिति की यह संस्तुति थी कि सदस्य के आचरण की निंदा की जानी चाहिए। पुनः दिनांक 13 मार्च, 1972 को मा0 राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान लगातार व्यवधान डालने के मामले को लोकसभा के मा0 अध्यक्ष द्वारा एक समिति के विचारार्थ प्रेषित किया गया था। समिति के प्रतिवेदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर सदस्यों के आचरण के बारे में तथा व्यवस्था, गरिमा और शालीनता बनाए रखने के संबंध में दिशा–निर्देश दिये गये थे।

दिनांक 26 फरवरी, 1966 को राजस्थान के राज्यपाल ने सदन में उनके अभिभाषण पर बार–बार व्यवधान उत्पन्न करने के लिए राजस्थान विधान सभा के कुछ सदस्यों को सदन से निष्कासित कर दिया। इसके विरुद्ध व्यथित सदस्यगण ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारणा व्यक्त की गई कि याचिकाकर्ताओं को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इस कारणवश निकाला गया था कि वह अभिभाषण करने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा कर सकें एवं अन्य सदस्यगण उन्हें सुन सके।

उपर्युक्त दृष्टांतों से यह स्पष्ट है कि माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल के समवेत सदनों के समक्ष अभिभाषण के दौरान किए गए व्यवधान का संज्ञान लिया जाता रहा है तथा इस संबंध में कार्यवाही भी की जाती रही है। यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इसको उपयुक्त ठहराया गया है। अतः नियम 300 के अन्तर्गत प्रश्नगत सूचना के संदर्भ में व्यवस्था दिया जाना सर्वथा उपयुक्त एवं संविधान सम्मत है।

माननीय राज्यपाल का प्रथम सत्र के आरम्भ पर अभिभाषण संविधान में वर्णित संसदीय प्रक्रिया की योजना का एक अंग है। इसको पृथक रुप से नहीं देखा जा

सकता। अभिभाषण में व्यवधान उत्पन्न करना अथवा अमर्यादित आचरण करना संसदीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धान्तो एवं परम्पराओं के विरुद्ध है। माननीय राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद–168 के अन्तर्गत विधान मंडल के एक अंग है। अतः उनकी गरिमा को आघात पहुंचाना सदन की गरिमा को प्रभावित करता है। यह अविवादित है कि दिनांक 15 मई, 2017 को माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के समय इस सभा में उनके ऊपर कागज के गोले फेंके गये, सीटियां बजाई गई एवं घोर व्यवधान उत्पन्न किया गया। माननीय राज्यपाल के समक्ष इस प्रकार का आचरण सर्वथा अमर्यादित, अशोभनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक चिंता का विषय भी है कि भारत की आजादी के लगभग सत्तर वर्ष पश्चात् भी इस प्रकार की घटनाये हमारे संसदीय परिवेश में हो रही है। हमारे देश या प्रदेश में संसदीय लोकतंत्र की प्रगति में बाधा बनती है तथा आने वाले समय के लिए गलत परम्परायें भी निर्मित करती है। विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचकगण कदापि ऐसी अपेक्षा नही करते है कि उनका आचरण सदन में अशोभनीय एवं अमर्यादित हो कयोंकि वह अपनी विधान सभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व भी करता है। ऐसा आचरण जन आकांक्षाओं के अनुरूप भी नही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विधान सभा का निर्वाचित सदस्य भारत का संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुसार निम्न वर्णित शपथ लेता हैः–

''मैं, जो विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रृद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रृद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।''

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में घोर व्यवधान उत्पन्न करना एवं अमर्यादित आचरण करने को संविधान के प्रति श्रृद्धा अथवा निष्ठा नही माना जा सकता। इसी प्रकार इस कृत्य को सदन के सदस्य के रूप में कर्तव्यों का श्रृद्धापूर्वक निर्वहन भी माना जाना संभव नही है। तद्नुसार ऐसे कृत्य सदस्य के रूप में ली गई शपथ का भी सम्यक अनुपालन नही है। संविधान सम्मत भी नही है।

उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा में बड़ी संख्या में प्रथम बार निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे है। उनके लिये दिनांक 15 मई, 2017 की घटना अनुकरणीय नही है। उत्तर प्रदेश विधान सभा का गौरवशाली इतिहास रहा है। अध्यक्ष के रूप में मेरा यह संवैधानिक दायित्व है कि मैं इस सदन के कार्य–कलापों को गरिमापूर्ण ढंग से संचालित करूं एवं ऐसी परम्परायें स्थापित करने का प्रयास करूं जो भविष्य में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। अतः मेरा यह सुनिश्चित मत है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन के कतिपय माननीय सदस्यों का आचरण सर्वथा अमर्यादित, अशोभनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण था। यह आचरण सदन एवं माननीय राज्यपाल की गरिमा के विपरीत था। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नही होगी एवं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को सभी माननीय सदस्यगण शालीनता से सुनेंगे तथा उसमें वर्णित बिन्दुओं पर चर्चा करेंगे।

माननीय श्री राज्यपाल के दो संदेश पहले आये थे। अगर आप कहें तो उन पूरे संदेश को कार्यवाही का भाग मान लिया जाये। पूरा पढ़ने के स्थान पर संक्षेप में मैं इसका उल्लेख कर दूं। श्री राज्यपाल के जो दो संदेश थे उसमें यह कहा गया था कि

विधान सभा अध्यक्ष के नवनिर्वाचन के पहले ही निवर्तमान विधान सभा अध्यक्ष, उस समय माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, ने नेता विरोधी दल को मान्यता दे दी थी। इसी विषय पर श्री राज्यपाल जी का संदेश यहां पर आर्टिकल 175 (2) के अधीन आया था। उस समय जब संदेश आया था माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी जी की जैसी मान्यता थी उस पत्रावली पर हमने तद्नुसार हस्ताक्षर कर दिये थे। अगर आप सहमत हो तो मैंने यह निश्चय कर लिया है और यह विचार आया है कि भविष्य के लिए नेता प्रतिपक्ष की मान्यता का प्रकरण नवनिर्वाचित अध्यक्ष के सम्मुख ही रखा जायेगा। यदि आप सहमत हों तो यह विषय समाप्त किया जाये।

'श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, यहां की हमेशा परम्परा रही है और इसके पहले जितनी बार भी इस तरह के अवसर आये है चूंकि हमारी शपथ का एक सीरियल भी बना है। उस सीरियल में नेता विरोधी दल का नाम भी अंकित है। अगर पहले मान्यता नही होगी तो उस सीरियल के अनुसार शपथ कैसे होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इसका कोई औचित्य नही बनता है और जो परम्परा रही है उसका अनुपालन किये जाने में कोई अनुचित बात नही है। इसलिये इसको संज्ञान में लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

नेता विराधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ जो परम्परायें है इस सदन की चाहे, इस पीठ की, चाहे माननीय अध्यक्षगण की उसको तो कम से कम बरकरार रहना चाहिये। इसमें कोई अन्यथा उपबन्ध या निर्देश नही होना चाहिये। यह पुरानी परम्परायें है और उसको चालू रहना चाहिये। उसको दूसरे रूप में नही लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राज्यपाल जी का जो संदेश यहां आया था। उसके संदेश का मुख्य भाग यह था कि इस पर आदरणीय सदन विचार करे और उस संदेश के अनुसार भविष्य में नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा ही मान्यता के प्रकरणों पर विचार होगा, इस पर सदन की सहमति है क्या ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसको सदन रिजेक्ट करे क्योंकि यह परम्परा रही है। हमारी जो नियमावली है उसके अनुसार शपथ का एक सीरियल बना है कि कौन पहले शपथ लेगा। उसमें सीरियल नेता विरोधी दल का है। मान्यवर, अगर यह पहले से तय नही होगा चुनाव के बाद तय होगा तो फिर शपथ कैसे होगी। उस परम्परा को, उस नियमावली को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते है। मेरा यह मानना है कि उस संदेश पर विचार करने का औचित्य ही नही बनता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारत का संविधान–175 (2) के अन्तर्गत प्राप्त श्री राज्यपाल का संदेश जिसमें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता प्रकरण नव निर्वाचित अध्यक्ष के सम्मुख ही रखा जाए को विधान सभा की नियम समिति को संदर्भित किया जाना

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने आर्टिकल 175(2) में जो संदेश भेजा है मैं समझता हूं कि सदन पहले बना है और नियमावली उसके बाद में बनी है और नियमावली का हम सम्मान करते है, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी ने आर्टिकल 175(2) के तहत अपने जिस अधिकार का प्रयोग करते हुए, यह संदेश भेजा है इसमें कुछ भी गलत नही है कि जो आने वाले अध्यक्ष है वही इसका निराकरण करेंगे। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में उचित है। अगर चाहे तो सदन के सामने रखकर इस पर सदन की राय ले लें।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, राय तो जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की आ गई है, वहीं राय सदन की होगी। बहुमत आपका है तो सदन की भी वही राय होगी। यह परम्परा हमारी रही है और इसमें इसी तरह से चलता रहा है। पहले भी मान्यता दी गई है कोई भी अध्यक्ष रहा हो। माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी रहे हों, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी रहे हों, माननीय श्री सुखदेव राजभर जी रहे हों या उनके पहले भी जो माननीय अध्यक्ष रहे हों। उन्होंने हमेशा नेता विरोधी दल की मान्यता दे रखी है और शपथ का अपना सीरियल हम उसी अनुसार बनाते रहे है। इतने वर्षों की जो परम्परा चल रही है उसको आज बदले जाने का औचित्य कहां से बनता है बाकी जो आपका मत होगा उसके अनुसार बहुमत हो जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह बिल्कुल सही है कि यह परंपरा रही है मान्यवर लेकिन जब ऐसी परस्थिति में सदन के जो अध्यक्ष है वह किन्ही कारणों से चुनाव न जीत पाये हों तो उस परिस्थिति में क्या नैतिक अधिकार उनको बनता है ? मान्यवर क्या उनको इस प्रकार की मान्यता दिये जाने का अधिकार बना है? मान्यवर अगर कोई परंपरा पहले से रही है तो उस परंपरा को दुरूस्त भी किया जा सकता है। उस परंपरा को संशोधित भी किया जा सकता है और मान्यवर नई परंपरा डाली भी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि यह प्रश्न गंभीर है और इसलिए इसको बहुमत से निर्णीत करना उचित नहीं होगा। मैं इस प्रकरण पर सम्यक् विचार की दृष्टि से, मैं नियम समिति को संदर्भित करता हूं। सदन अपनी प्रक्रिया का स्वयं स्वामी है और वह नियम समिति में जाएगा वहां मा0 सदस्य लंबे समय तक विचार करेंगे और आवश्यक होगा तो वह विधि विशेषज्ञों की राय लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरा सबमिशन यह है कि नियम समिति में जाने से पहले, इसे लीगल राय लेने के बाद ही नियम समिति में भेजें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, विनिश्चय पर अगर संसदीय कार्यमंत्री जी आपत्ति करेंगे तो उचित नहीं होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मैने लीगल राय की बात पहले कही थी।

श्री अध्यक्ष–

लीगल राय की आपकी बात ठीक है। वह नियम समिति विधि विशेषज्ञ को भी आमंत्रित कर सकते है। नियम समिति इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों की समिति होती है और वह आवश्यक समझेगी तो विधि विशेषज्ञों की भी राय हो जाएगी।

अब मैं नियम 51 की सूचनाओं को लेता हूं।

ख06रू23, नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

आज दिनांक 19–05–2017 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 62 सूचनायें प्राप्त हुई।

श्री अध्यक्ष–

पहली श्री रामफेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के बाढ़ग्रस्त एवं आपदाग्रस्त ग्रामों में सोलर लाईट की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी श्री श्यामधनी राही की जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड उस्का बाजार में ट्यूबवेल लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी रानी पक्षालिका सिंह की जनपद आगरा के बाह विधान सभा क्षेत्र में सी0एच0सी0 तथा पी0एच0सी0 में मूलभूत सुविधायें व स्टाफ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी श्री नितिन अग्रवाल की जनपद हरदोई में ग्राम उमरन (बजेहर) में दिनांक 3–5–2017 को दलितों पर गोली चलाये जाने एवं अत्याचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवी श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवा के सी0एस0टी0एन0 मार्ग को तत्काल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं श्री तसलीम अहमद की समाज कल्याण निदेशालय में कार्यरत संयुक्त निदेशक श्री आर0 के0 सिंह द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, सातवीं श्रीमती सुनीता सिंह की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमुनियां में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू की जनपद बलराम के वि0ख0 पचपेड़वा में बौध परिचय से भगवानपुर खादर रोड की मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं श्री संजय गर्ग की पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित ढमोला नदी पर व्याप्त अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं श्री संजय सिंह गंगवार की जनपद पीलीभीत के नगर क्षेत्र में खकरा नदी की जमीन पर भू–माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं श्री राजकुमार अग्रवाल की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में यू0पी0एस0टी0सी0 की बन्द पड़ी कताई मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं श्री महेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद सीतापुर के बिसवां स्थित ग्राम पंचायत कमलापुर महोली को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड निहारन एवं नागल में भूजल स्तर नीचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौदहवीं श्री राम नरेश रावत की जनपद रायबरेली की तहसील महाराजगंज के अन्तर्गत मूंगताल ड्रेन की खुदाई/सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं श्री अवस्थी बाला प्रसाद

की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा धौरहरा में मण्डी समिति द्वारा निर्मित क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र में पुल का निर्माण हो जाने के उपरान्त सड़क का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं श्री राजीव कुमार की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में तटबन्ध का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठ्ठारहवीं श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया' की प्रदेश की अर्धनिर्मित सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं श्री रफीक अंसारी की जनपद मेरठ के निर्वाचन क्षेत्र सं0 48 में राजकीय कन्या इण्टर कालेज हापुड़ रोड मेरठ को दो पालियों में प्रारम्भ कराने एवं स्टाफ की कमी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं कुंवर माधवेन्द्र सिंह की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर स्थित शारदा नहर खण्ड बरवन रजवाहा में टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं श्रीमती जय देवी की जनपद उन्नाव के ब्लाक मियागंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय दरिहठ में सहायक अध्यापिका कु0 प्रतिभा का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर खास अन्तर्गत लालगंज रजबहा से भदारी माइनर तक सर्विस रोड को पक्का कर बाई–पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की महिला विभाग में सहायक अधीक्षक संवर्ग के पदों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर को बहराइच से जोड़ने के लिये किये गये पुल के निर्माण के उपरान्त सड़क का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर के जे0के0 कैंसर संस्थान द्वारा मरीजों के ईलाज में की जा रही लापरवाही के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सुश्री अदिति सिंह की जनपद रायबरेली के कतिपय सम्पर्क मार्गों के पुनर्निर्माण हेतु बजट आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के कतिपय सम्पर्क मार्गों के पुनर्निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, अठाइसवीं श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद इलाहाबाद के कतिपय ग्रामों की चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नतीसवीं डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल की गोरखपुर के टी0वी हास्पिटल में चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ के वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं श्री अक्षयवर लाल गौंड की डायल 100 में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा आम जनता का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के कांच उद्योग कर्मियों को अवस्थापना सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव में व्याप्त जाम की समस्या के निराकरण हेतु बाई पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैतीसवीं श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में पेयजल संकट के निवारण हेतु ओवर हेड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में पेयजल संकट निवारण हेतु नलकूप एवं पानी की टंकी सोलर लाईट से लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, पैतीसवीं श्री बृज भूषण राजपूत की बुन्देलखण्ड में व्याप्त विद्युत संकट का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं श्री उमाशंकर सिंह की भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना के अन्तर्गत

जनपद बलिया के ग्राम सिसवार कला व टीका देवरी में कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैतीसवीं श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत ग्राम कोतवाली तथा अकबराबाद में व्याप्त विद्युत संकट को सुधारने हेतु फीडर बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं श्री रामचन्द्र यादव की पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण बारवा प्लान योजनान्तर्गत मानक के विपरीत किये जा रहे कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भईया' की जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के कतिपय क्षेत्रों में कटान की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं श्री लालजी वर्मा की जिला अम्बेडकर नगर में खनन में लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तलीसवीं डा0 हरगोविन्द भार्गव की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में सरायन नदी व कोनी घाट राज्य योजना के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं श्री सुखदेव राजभर की जिला अम्बेडकर नगर में महामाया राजकीय मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेतालीसवीं श्री रामअचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के वि0स0 क्षेत्र अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम वेवाना से उस्मापुर तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं श्री असलम चौधरी की जनपद हापुड़ में अनियमित रूप से गृहकर की वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं श्री रोशनलाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम चक सफोरा में चकबन्दी में छूटी जमीन पर दंबगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं श्री जटाशंकर त्रिपाठी की विधान सभा क्षेत्र खड्डा के कतिपय मार्गों को गड्ढामुक्त किये जो के सम्बन्ध में है, सैतालीसवीं श्री बिजेन्द्र सिंह की जनपद गौतमबुद्ध नगर स्थित जहांगीरपुर की चीनी मिल को शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में है, अडतालीसवीं श्री रवि सोनकर की जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र महादेवा में कलवारी पाऊ में तहसील की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं डा0 संगीता बलवंत की जनपद गाजीपुर के चिकित्सालयों में डाक्टरों एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में है, पचासवीं श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार स्थित 3 किमी0 मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं श्री संजय प्रताप जायसवाल की प्रदेश के बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में तहसीलों के किये गये अनियमित परिसीमन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीरपनवीं श्री उपेन्द्र सिंह की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर स्थित रारी नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं श्री संगम लाल गुप्ता की जनपद प्रतापगढ़ की सदर विधान सभा क्षेत्र की नगर पालिका परिषद बेलहा का सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज अन्तर्गत सई नदी पर ग्राम सिंहनी व लढवत के बीच पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं श्री शैलेन्द्र यादव ललई की उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा मार्च, 2014 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 46 के अनुक्रम में नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर में बेहट रोड पर स्थित शाकम्भरी कालोनी से जनता रोड ग्राम खुर्द अड्डे तक ढमोला नदी पर पुल का निर्माण में कराये जाने के सम्बन्ध है,

अट्ठावनवीं श्री पवन कुमार की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में व्याप्त विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र लालगंज के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं डा0 नीरज बोरा की लखनऊ के प्रियदर्शनी कालोनी की खस्ताहाल सड़क एवं पार्कों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं श्री राजकुमार यादव की जनपद लखनऊ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत इन्दिरा नगर कालोनी में व्याप्त गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा बासठवीं श्री जन्मेजय सिंह की उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा अपर निजी सचिव, उ0प्र0 सचिवालय परीक्षा, 2010 में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में। सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 की सभी 62 सूचनायें स्वीकृत हुयीं।

जनपद प्रतापगढ़ के टाउन एरिया लालगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग 231 पर अधूरे ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र 2017 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अधीन श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' मा0 सदस्य, विधान सभा..

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्द्वारा दिनांक 16–05–2017 को यह सूचना दी गयी है कि "जनपद प्रतापगढ़ में टाउन एरिया लालगंज अझारा, लखनऊ रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग–23 पर स्थित है। लालगंज तहसील मुख्यालय होने के साथ ही यहाँ पर तीन डिग्री कालेज, राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज सहित कई इण्टर कालेज एवं कई अन्य शिक्षण संस्थायें स्थित हैं, यहाँ पर दीवानी न्यायालय, पुलिस स्टेशन, स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा सहित कई अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें, डाकघर, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशाप, वितरण केन्द्र, वन विभाग का कार्यालय होने के साथ कई अन्य राजकीय विभागों के कार्यालय भी स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ पर प्रायः दुर्घटनायें होती रहती हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रान्तीय राजमार्ग पर स्थित होने एवं प्रायः दुर्घटना होने के कारण लालगंज अझारा (जनपद प्रतापगढ़) में "ट्रामा सेन्टर" स्वीकृति किया गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज अझारा, प्रतापगढ़ इस राष्ट्रीय राजमार्ग–231 के मध्य में स्थित है। ट्रामा सेन्टर का निर्माण कार्य लगभग 60ः हो चुका है किन्तु अभी तक ट्रामा

सेन्टर का निर्माण कार्य अधूरा है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर घायल का समुचित उपचार समय से नहीं हो पाता है क्योंकि मेडिकल कालेज इलाहाबाद की दूरी यहाँ से लगभग 100 किमी0 है। दुर्घटना होने पर जब तक घायल व्यक्ति को इलाहाबाद ले जाय तब तक समय से समुचित इलाज न होने के कारण घायल व्यक्ति का निधन हो जाता है। अतः जनहित के दृष्टिकोण से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण इस "ट्रामा सेन्टर" का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है ताकि दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति का समय रहते उपचार हो सके और उसका जीवन बचाया जा सके। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण एवं ट्रामा सेन्टर का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण लोगों मे चिन्ता एवं आक्रोश व्याप्त है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करती हूँ।"

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ के सामु0 स्वा0 केन्द्र, लालगंज अझारा में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–3137/पांच–6–15–1(बजट)/14टी0सी0, दिनांक 21–12–15 के द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया तथा कार्यदायी संस्था के द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन पर रु0 161.93 लाख की लागत को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के द्वारा अनुमोदनोपरान्त प्रथम किस्त के रूप में शासनादेश दिनांक 16–02–2016 के द्वारा रु0 80.96 लाख अवमुक्त किया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ एवं कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रु0 80.96 लाख कार्यदायी संस्था को माह मार्च, 2016 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा हस्तगत कराया गया। चिन्हित भूमि पर स्थित पॉवर विद्युत पोल्स आदि माह जुलाई, 2016 में हटाने के पश्चात कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य माह अगस्त, 2016 में प्रारम्भ किया गया। निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नवत् है–

मुख्य भवन–कुर्सी तल के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में 50 प्रतिशत में छत शटरिंग का कार्य प्रगति पर एवं 50 प्रतिशत भाग में चुनाई का कार्य लिंटल स्तर तक प्रगति पर है।

व्यय धनराशि– रु0 40.59 लाख।

औसत भौतिक प्रगति–29 प्रतिशत।

कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को निर्माण कार्य का विस्तृत आगणन एवं त्वरित गति से निर्माण कार्य कराकर 75 प्रतिशत व्यय का उपयोगिता प्रमाण.पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु महानिदेशालय के पत्र दिनांक 17–05–2017 के द्वारा एवं दिनांक 12–05–2017 को महानिदेशालय स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भी निर्देश दिये गये हैं।

प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रु0 80.96 लाख के सापेक्ष 75 प्रतिशत से अधिक की धनराशि व्यय होने के उपरान्त द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर तदनुसार अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सन्दर्भगत कार्य माह दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण कराये जाने हेतु महानिदेशालय के उपरोक्त पत्र दिनांक

17–05–2017 के द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है जिसका शासन स्तर से भी अनुश्रवण किया जा रहा है।

जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में विद्युत के जर्जर खम्भों व तारों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री–(श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से मुख्य रूप से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री उमाशंकर सिंह–

मान्यवर, मेरा एक स्पष्टीकरण है। मान्यवर, जो सूचना आयी है आप इसको दिखवा लीजियेगा इन्होंने प्रश्न संख्या 22 में लिखा है कि दो वर्षों में यहाँ कभी आग नहीं लगी है और जो सूचना दी है कि सुचारु रूप से कार्य हो रहा है।

मान्यवर, अभी 15 अप्रैल को जो नगर पालिका क्षेत्र रसड़ा दिया हूँ उसमें जो आग लगी है उसमें चार गाय मरी है लगभग 14–15 बकरियां मरी हैं। 4–6 लोग जो जले थे वह अभी भी अस्पताल में है। जवाब में आ गया है कि नहीं, अभी तक इस तरह से आग नहीं लगी है। इसलिए यह हमने निमय 51 में दिया था कि यह तार इतने जर्जर हैं कि उसमें अभी विगत 14–15 अप्रैल को आग लग गयी थी। दूसरे हमने ध्यान आकृष्ट कराया था कि मा0 मंत्री जी इसको बदलवा दीजिये। तो विभाग का जवाब आ गया कि यह तार सुचारू रूप से चल रहे हैं इसमें कभी आग नहीं लगी।

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकांत शर्मा)–

इसको दिखवा लेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह–

जी ठीक है, मान्यवर।

(वक्तव्य मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[विधान सभा रसड़ा के कुछ ग्राम जैसे नरांव, कंचनपुर, संवरूपुर, औंदी, सहाबलपुर, बैजलपुर, चिन्तामनीपुर, जाम, महतवार, सोनापाली, तियरा, तिवारीपुर उचेड़ा, संवरा (बीच गांव) एवं नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नं0 1 मेरू राय का पुरा में वर्षों पूर्व लगे पोल एवं तार वर्तमान में बिल्कुल जर्जर अवस्था में हैं तथा अक्सर उनके टूटने/गिरने से जान–माल की हानि हो रही है तथा गर्मी के मौसम में लगातार इन ग्रामों में तारों के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

टूटने से आगजनी की घटना कारित हो रही है, जिससे यहाँ के निवासियों में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि आजमगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत विधान सभा रसड़ा के ग्रामों नरांव कंचनपुर, संवरूपुर, औंदी, सहाबलपुर, बैजलपुर, चिन्तामनीपुर, जाम, महतवार, सोनापाली, तियरा, तिवारीपुर उचेड़ा, संवरा (बीच गांव) एवं नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नं0 1 मेरू राय का पुरा में जर्जर तारों 08 स्पैन (1240 मीटर कन्डक्टर) एवं अति जर्जर 05 अदद पोलों को ओ0 एण्ड एम0 मद से बदल दिया गया है, जिसके कारण विगत दो वर्षों में कोई भी विद्युत दुर्घटना घटित नहीं हुई है। इन क्षेत्रों में माह मार्च से वर्तमान तक 18.00 घण्टे की औसत विद्युत आपूर्ति हुई थी।

जर्जर पोलों एवं तारों को बदले जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रों में सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। सर्वे के उपरन्त जो भी कमियां पायी जायेंगी, उनकी आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि की उपलब्धता के आधार पर बिजनेस प्लान 2017–18 के अन्तर्गत कार्य सम्पादित करने की कार्यवाही की जायेगी।,

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के तहसील मार्टिनगंज के ग्राम महुजा नेवादा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)–

मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 में श्री सुखदेव राजभर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा ....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मेरा इसमें स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण क्या है अनुरोध कर रहा हूँ। यह जनहित में सी0एच0सी0 प्रारम्भ हुयी। इसमें तमाम घोटाला हुआ। एम0डी0 से लेकर एक्सिएन, जे0ई0 सब सस्पेंड हो गये। सी0एम0ओ0 भी सस्पेन्ड हो गया। अन्त में शासन ने एक निर्णय लिया कि कार्यदायी संस्था

निर्माण विभाग से पैसा लिया जाये। मैं इतना अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का निर्णय हुआ है और दिसम्बर तक इस अस्पताल को पूरा कराने के लिए आपने वक्तव्य दिया है तो जिससे रिकवर करना हे तो मैं चाहूँगा कि जरूर निर्माण निगम से इसकी वसूली करायें और जनहित में जल्दी इसको बनवा दें।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह–

जो आपने अभी कहा उसके लिए अभी 18–05–2017 के पहले भी 12–05–2017 को इसके सन्दर्भ में स्वयं मैंने मीटिंग ली थी और वहां से जो यू0पी0आर0नि0नि0लि0 के जो एम0डी0 हैं उनको भी बुलाया था। और चूंकि इसमें पहले

भी निर्णय लिया गया कि उन्हीं से पैसा लेना है। उसके सन्दर्भ में पूरी बातचीज हो चुकी है और जो आप कह रहे हैं उसको सुनिश्चित कर देंगे।

(वक्तव्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह–

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अधीन दिनांक 16–05–2017 को यह सूचना दी गयी है कि "जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज, तहसील मार्टिनगंज के ग्राम महुजा नेवादा में कई वर्षों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में करोड़ों रुपये लागत लगाकर अधूरा पड़ा है। लोकहित में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित रहा है जो आज भी अधूरा पड़ा है। क्षेत्रीय जनता में इस विषय को लेकर भारी आक्रोष व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता काफी आन्दोलित हैं। किसी भी क्षण अप्रिय घटना घट सकती है। क्षेत्रीय जनता अस्पताल को पूरा कराने हेतु कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा चुकी है मगर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। क्षेत्रीय जनता काफी दुखी एवं आन्दोलित है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के तत्कालिक विषय पर शासन वक्तव्य की मांग करता हूँ ताकि तत्समय अधूरा कार्य पूरा कराया जाये"

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मार्टिनगंज, जनपद आजमगढ़ के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश सं0 1900/पांच–6–2007–एसएनडी–30/07टी0सी0, दिनांक 21–08–2007 के द्वारा लागत रु0 163.36 लाख अनुमोदित करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु0 114.35 लाख अवमुक्त किया गया तथा कार्यदायी संस्था का चयन शासनादेश सं0–1581/पांच–6–2007–एसएनडी–26/07, दिनांक 16–11–2007 के द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को नामित किया गया तथा आई0पी0एच0एस0 मानक के आधार पर वित्त व्यय समिति के अनुमोदन के उपरान्त शासनादेश सं0–159/पांच–6–08–4(40)/2001, दिनांक 07–02–2008 के द्वारा लागत रु0 302.94 लाख अनुमोदित किया गया। स्वीकृत मानक लागत रु0 302.94 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु0 126.68 लाख तथा वर्ष 2008–09 में रु0 176.26 लाख उपलब्ध करा दी गयी। पूर्व में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.03.2008 एवं दिनांक 20–03–2009 के प्रस्तर–7 में यह व्यवस्था थी कि बजट में कतिपय योजनाओं के लिए सम्मिलित की गयी एक मुश्त व्यवस्था के समकक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए तत्काल कार्यवाही आरम्भ की जाये ताकि वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने में कोई विलम्ब न होने पाये। जिन योजनाओं के लिए पूर्व में एकमुश्त बजट प्राविधान से धनराशि उ0प्र0 बजट मैनुएल के पैरा–94 में दिये गये प्राविधानें के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी है उन योजनाओं के लिए भी प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति की सीमा तक प्रशासकीय विभाग वित्तीय स्वीकृति जारी कर सकते हैं। इस प्रकार धनराशि नियत किस्तों में निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं लागू थी।

निर्माण इकाई द्वारा निर्माण कार्य माह जुलाई, 2008 में प्रारम्भ किया गया। निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नवत् है–

1–मुख्य भवन–फिनिशिंग स्तर।

2–चिकित्सा अधिकारी आवास 04 नग– फिनिशिंग स्तर।

3–श्रेणी–2 आवास 06 नग – फिनिशिंग स्तर।

4–श्रेणी–1 आवास 06 नग – फिनिशिंग स्तर।

5–ओ0एच0टी0 –पूर्ण।

6–व्यय धनराशि–रु0 266.68 लाख।

7–औसत भौतिक प्रगति–82 प्रतिशत।

दिनांक 26–06–2012 को तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निर्माण एजेन्सियों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गयी तथा सामु0स्वा0 केन्द्रों के 32 नगर सामु0 स्वा0 केन्द्र के निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति न पाये जाने के कारण प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को निर्देश दिये गये कि सबसे खराब जनपद वाले 02 इकाई प्रभारी/परियोजना प्रबन्धक को निलम्बित किया जाये तथा तत्क्रम में आजमगढ़ में तैनात इकाई प्रभारी श्री जी0एस0 दीक्षित को निलम्बित किया गया तदोपरान्त जैसाकि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 ने अवगत कराया है कि सम्बन्धित इकाई के सम्पूर्ण कार्य जांच की परिधि में आ गये एवं इस कारण से प्रगति बाधित हुई। उसके उपरान्त उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के निर्माण कार्यों की समीक्षा तत्कालीन प्रमुख सचिव द्वारा दिनांक 20–09–2016 को की गयी तथा जनपद गाजीपुर, आजमगढ़, चन्दौली, सोनभद्र, मिर्जापुर के निर्माण कार्यों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इन जनपदों के उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में की जाये तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22–07–2016 को की गयी। उक्त बैठक में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के द्वारा प्रतिभाग किया गया था। प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के द्वारा उक्त समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धकों द्वारा धनराशि का व्ययवर्तन किया गया है। अतः उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम अपने संसाधनों से अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के द्वारा आश्वासन दिया गया कि धनराशि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के द्वारा वहन किया जायेगा किन्तु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के द्वारा धनराशि अभी तक अवमुक्त नहीं की गयी है, जिसके कारण से निर्माण कार्य बाधित है। इस सन्दर्भ में महानिदेशालय के द्वारा पत्र सं0–191/17फ/नि0नि0अ0/2017–18, दिनांक 24–04–2017 के द्वारा जनपद आजमगढ़ के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनः अनुरोध किया गया है। जनपद में तैनात अवर अभियन्ता एवं तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ का स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के निर्माण कार्यों की समीक्षा अधीक्षण अभियन्ता, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 12–05–2017 को की गयी तथा निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 अपने स्रोत से धनराशि वहन कर कार्यों को पूर्ण कराये।

परियोजना पर तैनात इकाई प्रभारी श्री जी0एस0 दीक्षित एवं लेखाकार को उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। दिनांक 18–05–2017

को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 ने निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण कर हस्तगत किये जाने का आश्वासन दिया है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्थापना समबन्धी कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने हेतु ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू की जा रही है तथा ।रु0 10. 00 करोड़ तक की लागत वाले निर्माण कार्यों की धनराशि दो किस्तों में अवमुक्त किये जाने का प्राविधान किया गया है। निर्माण कार्यों की द्वितीय किस्त की धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी, जब प्रथम किस्त की धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग कर लिया जायेगा, व्यय की गयी धनराशि के अनुरूप भौतिक प्रगति प्राप्त की जायेगी, निर्माण कार्य के गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराये जाने का नियन्त्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा और निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रत्येक भवन के फोटोग्राफ्स शासन को उपलब्ध करा दिये जायेगें।

इस प्रकार उक्त व्यवस्थायें लागू करने पर निर्माण कार्यों में पारदर्शिता के साथ–साथ समयद्धता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित रहेगा।,

जनपद लखनऊ में पक्का पुल से आई0आई0एम0 रोड तक बन्धा बाई पास निर्माण में आ रहे अवरोध को दूर किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 16–05–2017 को मा0 सदन में..

...

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 16–05–2017 को मा0 सदन में निम्नवत् सूचना दी गयी है–

[ख]"गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने पर राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज, खदरा आदि क्षेत्रों में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। बाढ़ व जलभराव से प्रतिवर्ष डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू आदि बीमारियां महामारी का रूप ग्रहण कर लेती हैं जिससे जनता त्रस्त है। अब तक सैकड़ों लोग इन बीमारियों की चपेट में आकर अकाल–काल–कलवित हो चुके हैं। लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में पक्का पुल से आई0आई0एम0 रोड तक गोमती किनारे बन्धा बाई पास निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास लम्बे समय से है जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकारण को इस कार्य हेतु जमीनों का अधिग्रहण कर सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित किया जाना था, जमीन अधिग्रहीत न होने के कारण बन्धा बाईपास निर्माण की योजना अधर में लटकी हुई है तथा आने वाली वर्षा ऋतु में एक बार फिर बीमारी अपना पैर पसारने को तैयार हो रही है। ऐसी स्थिति में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए सीतापुर रोड पर वाहनों के भारी दबाव को कम करने तथा यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से भी इस बाईपास का तत्काल बनाया जाना आवश्यक है।

अतः नियम 51 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य की मांग करता हूँ।

2–मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत मा0 सदन में दी गयी सूचना के सम्बन्ध में सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग द्वारा खदरा से हरदोई–सीतापुर बाईपास रोड के मध्य प्रस्तावित किये गये बन्धे के समरेखन में ग्राम घैला, बरावन कला, लोहरामऊ, दाउदनगर व कुलवागाढ़ा की भूमियां सम्मिलित हैं। ग्राम घैला की भूमि का अधिग्रहण प्रबन्धनगर आवासीय योजना भाग 1 के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में किया गया है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/16 व धारा 6/16 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 13–09–07 एवं 25–08–08 को किया गया। उक्त ग्राम के क्षेत्रफल 442.855 हे0 भूमि का अभिनिर्णय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) द्वारा दिनांक 23–08–2010 को घोषित किया गया, जिसके अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी भ0अ0 द्वारा प्रतिकर की दर रु0 1018406.75 प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गयी है। प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि हितबद्ध कास्तकारों में प्रतिकर वितरण हेतु अपर जिलाधिकारी भू0अ0 को विभिन्न तिथियों में प्रेषित की जा चुकी है।

प्रबन्धनगर आवासीय योजना भाग 1 व 2 के अन्तर्गत ग्राम घैला, अल्लूनगर डिगुरिया, ककौली के प्रतिकर की धनराशि रु0 203.40 करोड़ अपर जिलाधिकारी भू0अ0, लखनऊ को विभिन्न तिथियों में प्रेषित की जा चुकी है, किन्तु प्रबन्धनगर आवासीय योजना भाग 1 व 2 के हितबद्ध कास्तकारों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गयी हैं, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22–09–2008 को स्थगनादेश पारित किया गया है, जिसके कारण बन्धे के समरेखन में आने वाले अन्य ग्राम बरावन कला, लोहरामऊ, दाउदनगर व कुलवागाढ़ा की भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं हो सकी। ग्राम घैला के अन्तर्गत बन्धे के निर्माण हेतु धनराशि रु0 5.00 करोड़ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

इसी बीच प्रबन्धनगर आवासीय योजना भाग 1 व 2 के हितबद्ध कास्तकारों से लगातार समझौता वार्ता की गयी है, परन्तु अभी तक हितबद्ध कास्तकारों के साथ सहमति नहीं बन पायी है, जिसके कारण प्राधिकरण की अधिग्रहीत भूमि पर योजना संचालित न हो पाने के कारण बन्धे के निर्माण में विलम्ब हो रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होना चाहें।,

प्रदेश के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित चेक डैमों में हुये घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लघु सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मा0 विधायक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत अपने पत्र दिनांक ....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया गया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[रू]16–05–2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित चेकडैमों के निर्माण मे की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि तत्तकालीन प्राविधिक शिक्षा मंत्री, श्री शिवाकान्त ओझा के शिकायती पत्र, जिसमें प्रतापगढ़ में 46 करोड़ व इलाहाबाद मण्डल में 200 करोड़ के चेकडैमों के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई को आदेश दिये जाने के सम्बन्ध में आदेशित किया था। प्रमुख सचिव, द्वारा टी0ए0सी0 जांच के आदेश प्रदान किये गये थे, किन्तु हजारों करोड़ की जांच प्रक्रिया में शामिल तत्कालीन प्रमुख सचिव को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। उक्त घटना से प्रतीत होता है कि हजारों करोड़ के इस घोटाले की जांच की लीपा–पोती हो गयी है।

उक्त के दृष्टिगत प्रकरण में सिंचाई विभाग को टी0ए0सी0 से पुनः जांच कराये जाने एवं निर्मित सभी चेकडैमों की सार्थकता एवं भौतिक सत्यापन कराये जाने हेतु सदन में वक्तव्य की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मंत्री को प्रेषित श्री शिवाकान्त ओझा के शिकायती–पत्र दिनांक 11–11–2016 के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में शासन के पत्र दिनांक 08–01–2015 द्वारा लघु सिंचाई मण्डल, इलाहाबाद के अन्तर्गत प्रतापगढ़ जिले के विकासखण्ड, सण्डवा चन्द्रिका में निर्माणाधीन 22 चेकडैमों के घटिया निर्माण सहित मण्डल के अन्य जिलों में वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 में निर्मित व निर्माणाधीन चेकडैमों के टेण्डर कार्य, निर्माण कार्य व भुगतान कार्य के अन्तर्गत स्थलवार (सिंचाई विभाग की) टी0ए0सी0 से जांच करायी गयी। मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 18–05–2017 के साथ संलग्न टिप्पणी में उल्लिखित है कि उक्त कार्य हेतु लघु सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़ में वर्ष 2013–14 व 2014–15 में विभिन्न योजनाओं में चेकडैम निर्माण में धनराशि रु0 61.11 करोड़ मात्र का आवंटन हुआ, जिसके सापेक्ष रु0 47.51 करोड़ का व्यय हुआ। उक्त धनराशि में से ही जनपद प्रतापगढ़ में चेकडैम निर्माण की विभिन्न योजना में मात्र धनराशि रु0 38.47 करोड़ का आवंटन उक्त वर्ष में हुआ, जिसके सापेक्ष धनराशि रु0 31. 76 करोड़ व्यय हुआ। सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–8 के पत्र दिनांक 05–02–2015 द्वारा अनन्तिम जांच आख्या तथा दिनांक 28–03–2016 द्वारा अनन्तिम जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी। प्रश्नगत जांच में कतिपय बिन्दुओं पर शासन के पत्र दिनांक 18–04–2016 द्वारा स्थिति स्पष्ट कराते हुए प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी का

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उल्लेख किये जाने तथा निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितताओं के सापेक्ष शासकीय क्षति का आंकलन करते हुये जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश टी0ए0सी0 को दिये गये थे। टी0ए0सी0 के पत्र दिनांक 21/27–10–2016 द्वारा पूरक आख्या उपलब्ध करायी गयी।

उक्त के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 06–01–2017 द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग 8 के पत्र दिनांक 05–02–2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनन्तिम जांच आख्या दिनांक 23–01–2015 तथा पत्र दिनांक 29–02–2016 व 21–10–2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्याओं के आधार पर शासकीय क्षति की गणना कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु अपनी संस्तुति सहित आख्या/औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश मुख्य अभियन्ता को दिये
गये थे। मुख्य अभियन्ता के पत्र दिनांक 10–03–2017, 15–03–2017 व 07–04–2017 द्वारा अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

टी0एस0सी0 की अनन्तिम जांच आख्या के आधार पर मुख्य अभियन्ता द्वारा अन्तर्ग्रस्त सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं के विरूद्ध जांच अधिकारी नियुक्त कर आरोपित किया जा चुका है। टी0ए0सी0 की अन्तिम जांच आख्या का परिशीलन शासन स्तर पर किया गया है। कतिपय चेकडैमों में आर0सी0आर0 ज्वाइंट की चौड़ाई मानक से अधिक होना, ज्वाइन्ट का प्रापर तरीके से न भरा जाना, वर्कमैनशिप की कमियां, प्रापर स्लोप मैन्टेन किये बिना कार्य कराया जाना, कार्य स्वीकृत डिजाइन/ आगणन के अनुरूप न होना, अघोमानक कार्य होना तथा कुछ चेकडैमों में बिना कार्य कराये ही एडवांस में भुगतान करना जैसी गम्भीर अनियमिततायें पायी गयी है। इसके लिए 22 अवर अभियन्ता, 03 सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता दोषी पाये गये हैं। इस प्रकार सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए जांच अधिकारी नामित किया जाना प्रक्रियाधीन है। प्रकरण में जांच 04 माह के अन्दर पूर्ण करा ली जायेगी।,

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत मानधाता के ग्राम सभा पूरे तोरई के पास बकुलाही नदी पर प्रस्तावित चेकडैम का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0के0 वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लघु सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 16–05–2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त स्थल पर नदी लगभग.....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य मा0 संसदीय कार्यमंत्री द्वारा दिया गया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[30 वर्ष अप्राकृतिक कटाव हो जाने से नदी के लगभग 20 किमी0 के लूप में वर्षा के पानी का प्रवाह न होने की वजह से भू–गर्भ जल निरन्तर नीचे गिरता जा रहा है, जिससे लगभग 25 ग्राम सभाओं में ग्रामीणों द्वारा अधिष्ठापित हैण्डपम्प पानी देना बन्द कर दिये हैं और निजी बोरिंग पम्पिंगसेट पानी देना बन्द कर दिये हैं, जिससे गम्भीर पेयजल संकट व किसानों की जीवकोत्पार्जन का संकट पैदा हो गया है। उपरोक्त चेकडैम के निर्माण से सम्बन्धित प्राक्कलन 79 लाख रुपये जिला योजना व मनरेगा से वित्तीय वर्ष 2013–14 में बना था, किन्तु उदासीनता व इच्छा शक्ति के अभाव में चेकडैम का निर्माण नहीं हो सका। मेरे द्वारा 16वीं विधान सभा में याचिका संख्या–6/9(1)68मा0स0 2014 को प्रस्तुत की गयी थी एवं कई बार विभागीय बैठक कराने के बावजूद उपरोक्त चेकडैम जनहित में निर्मित न हो पाने से जनमानस में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर भयहरणनाथ धाम के पास बकुलाही नदी पर चेकडैम निर्माण के सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत चेकडैम निर्माण हेतु राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्रस्ताव इस शर्त के साथ तैयार किया गया था कि गैस अथार्टी आफ इण्डिया लि0 (गेल) की पाइप लाइन हटने/सुरक्षित होने एवं गेल की स्वीकृति के पश्चात् ही कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 18–10–2016 के आधार पर मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान चेकडैम निर्माण स्थल को तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया तथा स्थल पर चेकडैम निर्माण कराया जाना साध्य न होगा।

इस सम्बन्ध में विधान सभा के प्रथम सत्र, 2016 के तीसरे मंगलवार हेतु निर्धारित श्री आर0 के0 वर्मा, मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर तत्कालीन मंत्री, लघु सिंचाई द्वारा पूर्व में भी मा0 सदन को दिया जा चुका है।,

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शालगंज के गौरवाल में स्वीकृत 400/200/132 के0 वी0 ए0 का विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि विधान सभा क्षेत्र शाहगंज जनपद जौनपुर.....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य मा0 संसदीय कार्यमंत्री द्वारा दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[के अन्तर्गत शाहगंज के गौरवाह में स्वीकृत 400/200/132 के0 वी0 सब. स्टेशन जिसके टेण्डर की समस्त सभी औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं, का निर्माण कार्य कब तक शुरू कराया जायेगा तथा 33/11 सब.स्टेशन सबरहद व 33/11 सब.स्टेशन बूढ़ूपुर व 33/11 सब.स्टेशन पट्टी नरेन्द्रपुर के निर्माणाधीन कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा। यह लोक महत्व एवं जनहित का विषय है। इन कार्यों का शीघ्र पूर्ण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

आख्या–

विधान सभा क्षेत्र शाहगंज जनपद जौनपुर के अन्तर्गत शाह गंज के गौरवाह में स्वीकृत 400/220/132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा चुका है। उक्त उपकेन्द्र के निर्माण से सम्बन्धित भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में जनहित याचिका (संख्या–44585 ऑफ 2016) दायर है जिसके शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त वाद का निस्तारण होने के उपरान्त 400/220/132 के0वी0 उपकेन्द्र जनपद जौनपुर का निर्माण अविलम्ब प्रारम्भ करवा दिया जायेगा। 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों के निर्माण की अद्यावधिक स्थिति निम्नवत् है–

1–33/11 के0वी0 उपकेन्द्र सबरहद, जौनपुर का कन्ट्रोल रूम प्लिंथ लेवल तक तैयार है। शेष कार्य प्रगति पर है। 33 के0वी0 लाईन का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। इस उपकेन्द्र के पूर्ण होने की लक्षित तिथि 31–10–2017 है।

2–33/11 के0वी0 बूढ़ूपुर, जौनपुर का कन्ट्रोल रूम छत लेवल तक तैयार है। शेष कार्य प्रगति पर है। 33 के0वी0 लाईन का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण करा दिया गया है। इस उपकेन्द्र के पूर्ण होने की लक्षित तिथि 31–10–2017 है।

3–33/11 के0वी0 उपकेन्द्र पट्टी नरेन्द्रपुर, जौनपुर के कन्ट्रोल रूम का कार्य पूर्ण है। 33 के0वी0 लाईन का कार्य पूर्ण है। उपकेन्द्र के निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण है। इस उपकेन्द्र के पूर्ण होने की लक्षित तिथि 31–07–2017 है।,

जनपद कुशीनगर के हाटा परिक्षेत्र में नहरों की सफाई व टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

मान्यवर, जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र में.....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री द्वारा दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री धर्मपाल सिंह–

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[ ]किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। नहरों में घास उगी है। कहीं–कहीं कूड़ा फेंका जा रहा है। बेलवा, विशुनपुरा, चम्पा पुल, खैरटवा, धरमपुर आदि माइनरों में पिछले डेढ़ दशक से कभी पानी ही नहीं आया। सिंहपुर हेड से निकले देवरिया रजवाहा तथा उससे निकले बिशुनपुर माइनर, पट्टन माइनर, बैतालपुर रजवाहा से निकले सुकरौली रजवाहा तथा उससे निकले तितला, गनेशपुर, पिड़रा आदि माइनर में समय से पानी नहीं आता, सफाई नहीं होती। असमय पानी छोड़ देने तथा नहरों की दुर्दशा के चलते फसलें जलमग्न हो जाती हैं तथा किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। यही हाल पिपरा रजवाहा व चम्पापुर, बेलवा, सूर्यचक माइनरों का है। गौरी बाजार रजवाहा के ककवल, रतनपुर और पड़री माइनर तथा हाटा रजवाहा के खैरटवा, धरमपुर, रामपुर पवटवा व पीपरा शीतल माइनर भी बदहाल हैं। कमोवेश सही स्थिति द्वारिका रजवाहा के भुजौली माइनर, पटनी रजवाहा, खोठा रजवाहा के चिलुवां व बेलवां माइनर तथा बनकटा हेड वाले असना माइनर की है। नहरों की दुर्दशा से किसानों में हाहाकार है।

अतः नियम 51 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य की मांग करता हूँ।

केवल वक्तव्य–

हाटा परिक्षेत्र में पड़ने वाली सभी नहरों में 1424 रबी फसली (वर्ष 2016–17) में टेल तक पानी पहुँचाया जा चुका है। नहरों में उगी घास तथा फेंके गये कूड़े को पानी चलाने से पहले साफ करवाने का प्रस्ताव है। बेलवा, विशुनपुरा, चम्पा पुल, खैरटवा, धरमपुर नहरों में पिछले डेढ़ दशक में सन्तोषजनक रूप से पानी उपलब्ध कराया गया है। सिंहपुर हेड से निकले देवरिया रजवाहा तथा उससे
निकले विशुनपुर माइनर, पट्टन माइनर, बैतालपुर रजवाहा से निकले सुकरौली रजवाहा तथा उससे निकले तितला, गनुशपुर, पिड़रा आदि माइनर में रोस्टर के अनुसार पानी उपलब्ध कराया गया है। नहरों के आन्तरिक सेक्शन के सुधार कार्य गत वर्ष रबी 1424 फसली में कराया गया है। सभी नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाया गया है। फसलों के जलमग्न होने तथा किसानों के नुकसान का कथन स्वीकार नहीं है। पिपरा रजवाहा व चम्पापुर, बेलवा, सूर्यचक माइनरों की स्थिति संतोषजनक है और पानी पहुँच रहा है। गौरी बाजार रजवाहा के ककवल, रतनुपर और पड़री माइनर तथा हाटा रजवाहा के खैरटवा, धरमपुर, रामपुर पवटवा व पीपरा शीतल माइनर में रोस्टर के अनुसार किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया है। नहरों की स्थिति संतोषजनक है। द्वारिका रजवाहा के भुजौली माइनर, पटनी रजवाहा, खोठा रजवाहा के चिलुवां व बेलवा माइनर तथा बनकटा हेड वाले असना माइनर की स्थिति संतोषजनक है। सभी नहरों की स्थिति संतोषजनक है। रोस्टर के अनुसार किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने हेतु विभाग सजग एवं प्रयत्नशील है। माइनरों में पानी पहुँचाने की सूचना संलग्न[†] है।,

सदन को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[†] (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 195-200 पर)।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

मद संख्या–29

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 29 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया।)

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
दिनांक 19 मई, 2017

नत्थी 'क'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ सं0 106 पर।)

मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में आज दिनांक 19 मई, 2017 को समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सके तथा जिन्होंने अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं वे संलग्न हैं।

श्री नरेश सैनी–

महोदय,

मा0 श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मेरा निम्नलिखित संशोधन कार्यवाही में जोड़ने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

1–शाकुम्भरी सिद्ध पीठ को ट्रस्ट बनाते हुए उसे धार्मिक पर्यटक स्थल घोषित किया जाय।

2–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में स्पोर्ट कालेज वर्ष 2007 में बना है, किन्तु अधूरा पड़ा है, को पूर्ण कराया जाय।

3–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में पेयजल की समस्या को देखते हुए सभी क्षेत्र पानी की टंकी से जलापूर्ति करायी जाय।

4–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में जहानपुर में अभिनव इण्टर कालेज बना है, उसमें पूरा स्टाफ अभी तक नहीं तैनात किये गये हैं, में स्टाफ तैनात किया जाय।

5–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर नदियों का क्षेत्र है, इसमें गंगेरू नदी, मस्करा, चाचा राव इत्यादि पर पुल बनाया जाय।

6–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर एक पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ अक्सर आग लगने को दृष्टिगत रखते हुये बेहट तहसील में फायर बिग्रेड स्थापित कराया जाय।

7–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में स्थापित पानी की टंकियों में जेनरेटर की व्यवस्था करायी जाय।

8–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में शाकम्भरी शुगर फैक्ट्री, टोडरपुर 4 साल से बन्द पड़ी है, को चालू की जाय।

9–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े वन क्षेत्र में अवैध पेड़ों की कटान को रोके जाने तथा नये वृक्षारोपण कराया जाय।

10–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर में यमुना नदी में भारी मात्रा में चल रहे अवैध खनन को रोका जाय, तथा

11–बेहट विधान सभा क्षेत्र, जनपद सहारनपुर डार्क जोन घोषित हैं, किन्तु कुछ क्षेत्र जो कि यमुना नदी से सटे हुए हैं तथा जहां जलस्तर बहुत ऊपर है, में बिजली का कनेक्शन किसानों को दिया जाय।

श्री गोरखनाथ बाबा,

महोदय, निवेदन है कि मुझे विधानसभा सत्र के दौरान बोलने का अवसर नहीं मिला पर मैं महामहित राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन व भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ व अपनी विधानसभा की समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूँ व इस पर सरकार का विशेष ध्यान केन्द्रित कराना चाहता हूँ।

1–खुले जानवर व नीलगायों से किसानों को हो रही समस्याओं पर विशेष चिन्ता।

2–पोस्टमार्टम की समयावधि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक करके कठोरता से अनुपालन व सभी जनपदों में वातानुकूलित शव गृह की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

सादर।

श्री राजीव कुमार तरारा–

माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय,

उ0प्र0 विधान सभा, लखनऊ।

महोदय,

मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। जो पूर्णतः न्याय संगत है जिसमें गांव गरीब किसान, दलित शोषित वंचित, पिछड़ों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, दिब्यांग जनों का ध्यान रखकर न्याय किया गया है।

क्षेत्र की समस्यायें–

1–मेरे क्षेत्र से होकर पतित पावनी गांग मैया होकर बहती हैं जिसके किनारे बसे तिगरी धाम को ब्रजघाट की तर्ज पर विकसित कराना आवश्यक है। जहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

2–डिंगरा बिजली घर बनकर तैयार है परन्तु काफी समय से चालू नहीं हो पाया है। बाधा दूर कर चालू कराने की कृपा करें।

3–शेरपुर से चकन वाला तक अवशेष तटबन्ध निर्माण कराया जाना आवश्यक है लम्बाई 9 किमी0।

4–गजरौला जो नेशनल हाइवे 24 पर स्थित है, दुर्घटनायें होती रहती हैं वहाँ ट्रामा सेन्टर का निर्माण एवं गजरौला व धनौरा के सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मशीन भेजने की कृपा करें।

5–उत्तर प्रदेश में दो बच्चों का कानून लाया जाये।

माननीय अध्यक्ष जी मेरे उपरोक्त निवेदनों को स्वीकार कर कार्य कराने का आदेश देने की कृपा करें।

डा0 संगीता बलवन्त–

गाजीपुर सदर की कुछ समस्यायें–

1–करण्डा ब्लाक के अन्तर्गत नहर में चोचकपुर से वयेपुर तक पानी नहीं जाता है केवल कुचौरा तक आता है, आगे नहीं जा पाता है अतः नहर का पुनरोद्धार करके पानी अधिक छोड़ा जाय ताकि पानी वयेपुर तक जाये।

2–जमुआव से सेनापुर तक बन्धा है लेकिन टूट गया है इस पर मरम्मत की जरूरत है।

3–चोचकपुर–धानापुर गंगा नदी में पीपा का पुल की आवश्यकता है क्योंकि 4 किलोमीटर की दूरी को क्षेत्रवासियों को 40 किलोमीटर चलकर तय करना पड़ता है।

4–ब्लाक सदर में कौआ ताल ड्रेन जो गांव और शहर को जोड़ता है बरसात के दिनों में पानी ठीक से न बहने के कारण गांव में पानी लग जाता है जिससे बीमारी फैलने की आशंका रहती है और आवागमन बाधित रहता है। अतः इस ड्रेन का पक्किकरण हो।

5–रेउसा रेलवे क्रासिंग से रेउसा गांव तक की सड़क पर चार वर्षों से गिट्टी डालकर छोड़ा गया है, पिच का काम नहीं हो सका है। लोकहित में इसे शीघ्र बनवाया जाय।

6–जिला चिकित्सालय में डाक्टर, कर्मचारी और दवा की कमी है जिससे मरीज को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इलाज हेतु बाहर जाना पड़ता है। इन कमियों को दूर किया जाय।

श्री आजाद अरिमर्दन–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ अपने को महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सन्दर्भ में नेता प्रतिपक्ष मा0 श्री रामगोबिन्द चौधरी और बहुजन समाज पार्टी श्री लालजी वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव भाषण से सम्बद्ध करता हूँ साथ ही श्री राज्यपाल का भाषण असत्य दस्तावेज मात्र है। अध्यक्ष

महोदय जी मैं आजमगढ़ जनपद के विधान सभा लालगंज का विधायक हूँ मेरा विधान सभा क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है सदन में जो विद्युत आपूर्ति के सन्दर्भ में शहर–24, टाउन एरिया–22, गांव में 20 घन्टे बिजली आती है तो वक्तव्य आया है उसके बारे में कहना चाहता हूँ यह बातें असत्य हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 6 से 8 घन्टे बिजली आती है। ट्रांसफार्मर जो जलने के बाद 48 घन्टें में बदले जाने की बात थी वो भी 10 या 15 दिन में आ पाता है। मेरे क्षेत्र ग्राम फेरी जो चुनाव के दौरान रोड नहीं तो वोट नहीं नारा बैलऊ से फेरी, जमुआ से फेरी, महुरा से फेरी की रोड जर्जर एवं गढ्ढे से भी भरी पड़ी है, शासन से मांग करता हूँ कि इसकी यथाशीघ्र मरम्मत कराई जाये साथ ही साथ भीरा से लालगंज, बेला से रोहुआ, पसिका से सेन्दुरी तक सड़कें जर्जर एवं गड्ढों से भरी पड़ी हैं जिससे आये दिन अप्रिय घटना घटती रहती है। इन सड़कों का जनहित में मरम्मत कराना अति आवश्यक है। मेरी विधान सभा में कृषि पर आधारित लोग रहते हैं लेकिन खेद का विषय यह है कि नील गायों के प्रकोप से हमारी अधिकांश फसलें नष्ट हो जाती हैं। सरकार से अनुरोध है कि नील गायों पर नियंत्रण करने की व्यवस्था करने की कृपा करें। सरकार द्वारा अवैध बूचड़खाने बन्द करने के नाम पर समाज में भाई चारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसे रोकने का प्रयास किया जाये। मेरे विधान सभा में एक भी राजकीय बालिका विद्यालय नहीं है। एक लड़कियों के लिए बी0ए0/बी0एस0ए0 पढ़ने के लिए राजकीय बालिका महाविद्यालय खोला जाये। मेरे विधान सभा में माँ पल्लमेश्वरी धाम है जहां हर वर्ष हजारों लोग मेले में आते हैं लेकिन मेले का मन्दिर एवं तालाब सुन्दरीकरण एवं पेयजल/आश्रम की व्यवस्था की जाये।

श्रीमती नीलम करवरिया–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, अभिभाषण पर अपने विचार रखने का अवसर दिया मैं आपके प्रति कोटि–कोटि आभारी हूँ। सदन की गौरवमयी परम्परा रही है जिसमें प्रदेश की अनेक समस्याओं को सामने रखने का अवसर मिलता है। शासन और सत्ता उसका निराकरण करते हैं, सदन की कार्यवाही के प्रथम दिन में ही विपक्ष ने विरोध का जो घटिया तरीका इस्तेमाल किया कागज के गोले फेकना, सीटी बजाना, महामहिम के पद की गरिमा न समझते हुए इस सदन की गरिमा को तार–तार किया है। विपक्ष को भविष्य में इस तरह के आचरण से बचना होगा अन्यथा अनुशासन का दण्ड झेलने के लिए तैयार रहना होगा। हमारे जैसे लोग जो पहली बार चुनकर आये हैं इन वरिष्ठ विधायकों के आचरण से क्या सीख लेंगे जो अभद्र कार्यवाही में सम्मिलित हैं सत्ता पक्ष मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस शालीनता, शिष्टता, ईमानदारी और कर्मठता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। उसके लिए मा0 मुख्यमंत्री जी उनके सहयोगी मंत्री और सत्तया के विधायक बहुत–बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। विपक्ष का ताण्डव सिर्फ प्रदेश ही नहीं अपितु पूरा देश सदन की कार्यवाही को देख रहा था और सारा देश जहां एक ओर मा0 मुख्यमंत्री महोदय सत्ता पक्ष के विधायकों की जोरदार तारीफ कर रहे थे ठीक वहीं विपक्ष के गलत आचरण की घोर निन्दा कर रहे थे। हम मा0 मुख्यमंत्री जी के ताकतवर नेतृत्व में एक सम्पन्न सुखी और सुरक्षित प्रदेश की रचना करना चाहते हैं जिसमें प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित रह सके। मैं सदन को विश्वास दिलाती हूँ कि महान जनसंत नेत मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा और समर्पित निष्ठा से प्रदेश की भलाई के लिए काम करूँगी। साथ ही सत्ता पक्ष का हर एक प्रतिनिधि ऐसा ही व्यवहार करेगा ऐसा मुझे विश्वास है।

मैं मा0 अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र मेजा में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया है। मूलभूत सुविधाओं जैसे–बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य शिक्षा आदि से क्षेत्र की जनता वंचित रही है। इलाहाबाद जनपद में मेजा विधान सभा सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है और अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से मेजा विधान सभा क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाओं की मांग करती हूँ। प्रदेश के विकास के लिए हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। मैं मा0 राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देती हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह–

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे कार्यवाही में शामिल करने का निर्णय किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी मैं मा0 राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसा स्थान दिया गया है कि प्रदेश का पूर्ण विकास होगा गरीबों का भला होगा। मा0 अध्यक्ष जी मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जीत कर आया हूँ मेरे क्षेत्र के 104 ग्राम पंचायत नक्सल ग्राम चयनित हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मुझे जानमाल सुरक्षा की दृष्टि से एक अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जाय। चूंकि मेरा पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है जहां कई बड़ी घटनाएं हुई हैं और उक्त क्षेत्र अति महत्वपूर्ण जंगली क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्र है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 172 किमी0 लम्बाई में है आने जाने में व कार्यक्रम से लौटते वक्त रात हो जाती है ऐसी स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से काफी गम्भीर विषय है। मुझे एक सुरक्षा गार्ड प्राप्त है एक और सुरक्षा गार्ड दिया जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में एक सड़क पिछले साल प्रधान मंत्री सड़क योजना में बनी थी जो एक वर्ष में खराब हो गयी। आने–जाने लायक नहीं है जिसकी जांच करायी जाय व दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाय। सड़क का नाम सिन्धौरा वाया जय हिन्दी पहाड़ी मार्ग लम्बाई 16 किमी0।

अन्त में मैं मा0 राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती नीलिमा कटियार–

माननीय, लोकतन्त्र में कोई राजनीतिक दल जब जन मन का आशीर्वाद विश्वास लेकर शासन, प्रशासन से जुड़े और संवेदनशीलता के साथ कठोर निर्णय लेने वाले रास्ते पर चल पड़े तो कोई संशय उस सरकार पर नहीं बचता कि वह सरकार लोक लुभावने रास्ते पर न चलकर लोक हितकारी मार्ग पर चलेगी जिन लोक कल्याणकारी नीतियों पर चलने के लिए सरकार संकल्पित है प्रतिबद्धित है। मेरी विधान सभा की गम्भीर समस्यायें हैं जो मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूँ।

सरकार ने सुलभ और समुचित स्वास्थ्य की दिशा में कम दिनों में कई जनउपयोगी निर्णय लिये हैं। ब्लाक स्तर पर जेनरिक दवाखाने खोलने का निर्णय लिया जा चुका है इसी क्रम में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कानपुर की कार्डियोलॉजी की ओर ले जाना चाहती हूँ। कानपुर सहित निकटवर्ती अनेक जिलों का दबाव ब्तकपवसवहल पर रहता है। ब्तकपंब सम्बन्धी त्वरित सुविधा ब्तकपवसवहल को विस्तार देकर दूर की जा सकती है। विषय की गम्भीरता को देखते हुए प्रस्तावित योजना के शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

महानगरों के सीमावर्ती नव विकसित क्षेत्र बदहाल प्दतिंजतनजनतम का दंश भोगते हैं मेरी विधान सभा इसी प्रकार की है जल भराव, जल निकासी, सीवर समस्या का समाधान क्षेत्र की आवश्यकता है।

जी0टी0 रोड शहर के बीच में हो जाने के कारण भीषण जाम की समस्या से कानपुर शहर त्रस्त है। लम्बे समय से रिंग रोड की मांग लम्बित है आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर समस्या की ओर लाना चाहती हूँ।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल–

महोदय, मैं महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलना चाहता था, परन्तु समय न मिल पाने के कारण आपके निर्देशानुसार लिखित रूप से अभिभाषण का समर्थन करता हूँ।

महोदय 3 और 4 मई के प्रवोधन कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने व सभी वरिष्ठ सदस्यों ने चाहें सत्तापक्ष के रहे हों अथवा प्रतिपक्ष एक अभिभावक के रूप में हम सब नये सदस्यों का मार्ग दर्शन तथा सदन में आचरण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी की इससे मेरे मन में वरिष्ठ जनों के प्रति मन में श्रद्धा एवं आदर का भाव मजबूत हुआ।

परन्तु दिनांक 15 मई को महामहिम राज्यापल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल के मा0 सदस्यों द्वारा किये गये अशोभनीय आचरण ने हम सबको व्यथित एवं हतप्रभ कर दिया।

महोदय, जहां तक प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का प्रश्न है निश्चित रूप से मा0 योगी आदित्य नाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार संकल्प पत्र में घोषित सभी संकल्पों चाहें गढ्ढा मुक्त हो, चाहे लघु एवं सीमान्त कृषकों के ऋण माफी का संकल्प हो प्रभावी कार्यवाही कर रही है।

महोदय मैं अभिभाषण का समर्थन करते हुए अनुरोध करना चाहता हूँ कि तुलसीपुर विधान सभा में स्थित हरिहरगंज–बरदौलिया में जो बलरामपुर एवं श्रावस्ती जनपद को जोड़ता है तथा बरदौलिया– तुलसीपुर मार्ग जो श्रद्धेय शक्ति पीठ देवीपाटन को जाता है, चौड़ीकरण एवं उच्चीकृत कराया जाये तथा हरैंया सतधरना विकास खण्ड के ठाकुरजोन में पूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण द्वारा निर्मित विद्युत उपकेन्द्र को संचालित कराया जाये जिससे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था में सुधार हो सके।

श्री अनुराग सिंह–

अध्यक्ष जी मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में बोल रहा हूँ। महोदय योगी जी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चुनार क्षेत्र में किसानों की कई सौ बीघा खेतों में आग से खाद्यान्न जल के राख हो गये। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं नहीं जानता लेकिन मिरजापुर में पहली बार मात्र 13 दिनों के अन्दर उनका मुआवजा योगी जी की सरकार ने उपलब्ध कराया। वहीं पिछले साल सपा सरकार ने बाढ़ राहत का पैसा वितरण नहीं कर पाया किसानों को, वो पैसा वापस चला गया।

माननीय अध्यक्ष जी मेरे कुछ सुझाव भी हैं सरकार के लिये पूर्वांचल काफी पिछड़ा हुआ है। इस कारण बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। मिरजापुर, सोनभद्र लगी पहाड़िया ;पदक म्दमतहलद्ध के लिये बहुत उपयुक्त हैं। ये पहाड़िया बांदा, झांसी,

ललितपुर तक जाती हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्रा में यह पहले ही शुरू किया है। और सफल भी है। इससे प्रदेश विद्युत संकट से भी उबरेगा।

ऐतिहासिक चुनार के किले में चन्द्रकान्ता पर आधारित स्पहीज ंदक ौवनदक आरम्भ करने से बनारस से ज्वनतपेज का आकर्षण बढ़ेगा।

चुनार चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिये जाना जाता है। उसके प्रोत्साहन के लिये भी सरकार को विचार करना चाहिये।

श्री केसर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे महामहिम राज्यापल के अभिभाषण के पक्ष में अपनी बात कहने का मौका मिला इसके लिए मैं आपको ह्रदय से धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में महामहिम का विरोध करने वालों की चिन्ता न कर सरकार की मंशा का एक–एक शब्द पढ़ा। विरोधी विरोध करते–करते थक गये। पुनः कुर्सी पकड़ ली और भाषण समाप्त होने का इन्तजार करने लगे।

मान्यवर, महामहिम ने इस उम्र में भी एक एतिहासिक कार्य कर विरोध करने वालों को थका दिया। इसी से समझ में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी युवा व तपस्वी पुरूष हैं। इनकी काम करने की कला एक विभाग की समीक्षा कर मण्डलों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। सरकार सस्ते गल्ले की दुकानों पर, जो गरीबों का राशन है, उसका वितरण सही से हो, इसकी व्यवस्था की गयी है। यानी तहसीलों में सरकार बदलने के साथ ही थानों में कार्य कराने वालों के पिछले 15 सालों से चेहरे बदलते थे, लेकिन जनता का शोषण ऐसे ही होता रहा है।

पहली बार श्री योगी जी की सरकार में थानों व तहसीलों में व्यापक रूप से बदलाव दिखाई पड़ रहा है। खुले आम घूस की बात नहीं हो रही है। अपने विधायकों को भी अपने–अपने क्षेत्रों में लोगों की सही ढंग से सेवा करने का मौका मिले, जिससे मा0 विधायकों का मनोबल बढ़ेगा तथा गरीब जनता को कोई परेशानी नहीं होगी।

श्री देवेन्द्र निम–

मान्यवर, मैं विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहार, जिला सहारनपुर से चुनकर पहली बार आया हूँ परन्तु मुझे किसी कारण वश सदन में बोलने का मौका नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं अपना वक्तव्य लिख कर दे रहा हूँ जिसे स्वीकार करने का कष्ट करें।

यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 15 मई, 2017 को दिया है। कृतज्ञापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित करते हुए जो सरकार की नीतियों का उल्लेख किया है, उसकी मैं पूरी तरह समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ, प्रस्ताव पर चर्चा की शुरूआत हमने की थी और अब हम इसका समापन करने जा रहे हैं इस चर्चा में नेता सदन से लेकर नेता प्रतिपक्ष नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस, नेता लोकदल एवं करीब

90 लोगों ने अपने विचार बड़ी गम्भीरता से रखे हमने उन सबको सुना है। बहुत सारे विपक्ष के मित्रों ने आलोचना के लिए आलोचना की और बहुत से विपक्ष के मित्रों ने सकारात्मक सुझाव भी दिये।

मा0 मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बहुत सी चीजों का उल्लेख किया है। मान्यवर, हमारी सरकार के विचारों पर, हमारे कार्यों को रखने का प्रयास किया है। पूरी तरह से निश्चय के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरा दृढ़ मनःस्थिति के साथ अपने कार्यक्रम को लागू करने पर हम तैयार है। हमने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करना चाहते हैं। वादा निभाना हमारी नीयत है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सदन में खड़े होने से पहले भाग जाते हैं। यह बात भी आई थी कि हम विधान सभा, विधान मण्डल के सदस्य इसकी गरिमा को बनाये रखने का पूरा निष्ठा के साथ मुझे यह कहते हुए कष्ट होता है और सम्भवतः लोक तान्त्रिक परम्परा के भीतर जितने भी देश संसदीय लोकतन्त्र के हैं वहाँ पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में शायद जितने विपक्ष के लोगों ने जो किया क्या यह उत्तरशती के साथ मजाक नहीं है ?

श्रीमती संगीता यादव–

1–(।) चौरी–चौरा विधान सभा एक क्रान्तिकारी ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थान की असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भूमिका रही। दुःख इस बात का है कि आज तक यहाँ के आन्दोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन नहीं मिल रही है। इसकी जांच करायी जाये।

(ठ) यहाँ शहीद स्मारक है जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। उसका सौन्दर्यीकरण कराया जाय।

2–चौरी–चौरा विधान सभा के सरदार नगर ब्लाक में सुगर मिल वर्षों से बन्द है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 80 हजार परिवार सम्बन्धित हैं इसे पुनः प्रारम्भ कराने का वादा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माननीय प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया। इसे आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ।

3–चौरी–चौरा क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन अच्छा है। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी कि चौरी–चौरा में लघु उद्योग की स्थापना की जाय ताकि वहाँ महिलाओं को रोजगार मिले।

श्री बृजेश सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निम्नलिखित प्रस्तावों को महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में शामिल किया जाय।

1–मेरा विधान सभा क्षेत्र जो कि देवबन्द के नाम से जाना जाता है ऐतिहासिक दृष्टि एवं तथ्यों के आधार पर उसका नम "देववृन्द" किया जाये।

2–देववन्द नगर में पौराणिक शक्ति पीठ श्री त्रिपुर मां बाला सुन्दरी के मन्दिर एवं प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्था "दारूल उलूम" स्थित होने के कारण इसको पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाये।

3–मेरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जड़ौदा पांडा के निकट के 15 गांवों के किसानों की सिंचाई की समस्या है। वहाँ के किसान को राजबहा नल्हेड़ा को समानान्तर देवबन्द शाखा के चैनल से गंग नहर से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करें।

4–ऐतिहासिक एवं विश्व विख्यात कस्बा होने के बावजूद भी तक रोडवेज बस स्टैण्ड की स्थापना नहीं हुई है। अतः रोडवेज बस स्टैण्ड की स्थापना की जाये।

5–देवबन्द के राजकीय डिग्री कालेज में शीघ्र विज्ञान संकाय की कक्षायें प्रारम्भ की जायें।

मैं इन प्रस्तावों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री राहुल प्रकाश–

महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमें महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिये जिसके लिये कोटि–कोटि धन्यवाद, पवित्र सदन में प्रथम दिन महामहिम के अभिभाषण के समय विपक्ष का व्यवहार अति निन्दनीय एवं सोचनीय रहा। मैं महामहिम के अभिभाषण के पक्ष में जिन माननीय सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया मैं उस पर बल देता हूँ। साथ ही साथ उ0प्र0 में मा0 योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है निश्चित तौर पर सबका साथ, सबका विकास पर आधारित है। सिंचाई हेतु मेरे विधान सभा में गर्मी के समय में भी पहली बार टेल तक पानी पहुँचा तथा सड़कों को गड्ढामुक्त करने का कार्य तेजी चल रहा है तथा बिजली समस्या निवारण हेतु ट्रान्सफार्मर समयानुसार सूचना पर बदले जा रहे हैं। थानों में दलालों का अड्डा बन गया था। आज वह व्यवस्था बन्द होने से जनता सुशासन का राज महसूस कर रही है। अधिकारियों के जनता के प्रति भाव व्यवहार में भी पूर्व की सरकार की अपेक्षा बदलाव हुआ है।

1–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हलिया को उच्चीकृत, आधुनिकीकरण व बेड़ों की संख्या बढ़ायी जाये।

2–वि0ख0 हलिया को तहसील बनाया जाये।

3–मेरे विधान सभा में वन भूमि पर दलित, आदिवासी, वनवासी जहाँ घर मकान बनाकर 30–40 वर्षों से रह रहे हैं उन्हें वनाधिकार अधिनियम के तहत मालिकाना हक दिया जाये।

4–एन0एच0–7 मुख्य मार्ग लालगंज से हलिया बाया देवरी मनिगढ़ा मार्ग 49 किमी0 चौड़ीकरण बन्द कार्य को चालू कराया जाये तथा कुछ नये सड़कों का निर्माण कराया जाये।

5–अति पिछड़ा व पहाड़ी क्षेत्र हलिया व लालगंज में पेयजल हेतु ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया जाये।

6–जनपद में चिकित्सकों की संख्या कम है चिकित्सक की व्यवस्था करें जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन ठीक से हो सके।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल–

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुये निवेदन करता हूँ। बलिया जनपद का भूजल आर्सेनिक युक्त हो गया है, यादवपुर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की टीम ने 2005–2006 में सर्वे किया जिसमें पानी मे आर्सेनिक की भारी मात्रा पायी थी जो जीवन के लिए खतरनाक है, यदि पानी में 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर आर्सेनिक हो तो जीवन के लिए खतरनाक है पर आज 1000 से 1200 माइक्रोग्राम प्रति लीटर हो गया है। अतः निवेदन है कि गंगा नदी

से सरफेस वाटर स्कीम से बलिया वासियों को शुद्ध पेय जल देने की योजना देने की कृपा करें।

बलिया में स्वास्थ्य सेवा की बहुत कमी है बलिया को एक मेडिकल कालेज दिया जाये।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

1–जर्दी डोमरा बांध–2007 में बाढ़ से 27 व्यक्तियों की मुत्यु हुई, अतएव उक्त बन्धे को पिच कराने की व्यवस्था की जाये।

2–मुजुरी विधान सभा पनियरा में विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत है निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की संस्तुति प्रदान करें।

3–परतावल बाजार नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त करने हेतु सभी प्रक्रिया पूर्ण है। अस्तु नगर पंचायत घोषित करने की कृपा करें।

4–पनियरा बाजार को नगर पंचायत घोषित कराने की संस्तुति देने की कृपा करें।

5–पनियरा विधान सभा के अन्तर्गत मध्यभाग में तहसील घोषित करने की संस्तुति प्रदान करें।

6–परतावल बाजार में ओवर हेड टैंक विगत 2 वर्षों से बन रहा है अभी तक चालू नहीं हो पाया है चालू कराया जाये।

नोटः उपरोक्त कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

श्री पलटूराम–

महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र 294 बलरामपुर सदर में निम्न समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

1–गोण्डा–बलरामपुर मार्ग तथा उतरौला बलरामपुर मार्ग का निर्माण कार्य पी0डब्लू0डी0 विभाग द्वारा अधूरा कार्य छोड़ दिया गया है अविलम्ब पूरा कराया जाये।

2–बजाज सुगर फैक्ट्री इटई मैदा द्वारा गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं दिया जा रहा है।

बकाया भुगतान अविलम्ब दिलाया जाये।

3–राप्ती नदी के कटान स्थल को तत्काल बन्धे की मरम्मत करायी जाये।

4–विद्युत के जर्रूर तार व ट्रान्सफार्मर को ठीक कराया जाये।

5–बाइपास निर्माण कराया जाये।

6–खाद्यान्न वितरण सुदृढ़ कराया जाये।

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह जादौन–

महोदय, मैं महामहिम के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। सर्वसमाज (शहरी ग्रामीण) के हितों को ध्यान में रखकर मेरी सरकार ने योजनाएं बनायी हैं। किसानों, व्यापारियों, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा क्षेत्र, कृषि, सिंचाई, चिकित्सा, उद्योग, सड़क तथा नगर

विकास आदि विभागों द्वारा समाज के हर वर्ग को समुचित लाभ पहुँचाने और प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है। मान्यवर, मेरी विधान सभा कालपी में कई स्थान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं जैसे व्यास जी का जन्मस्थल, लक्ष्मीबाई का किला तथा यमुना घाट, सूर्य मन्दिर जो भारत में दूसरे स्थान पर है। पाराशर ऋषि का मन्दिर, रोपड़ गुरू का स्थान, लंका मीनार, वनखण्डी देवी का मन्दिर आदि स्थान हिन्दू जन का केन्द्र बने हुए हैं। चौरासी गुम्मद जो पुरातत्व विभाग के पास है। मैं कालपी नगरी के उक्त सभी स्थलों जो ऐतिहासिक हैं पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग करता हूँ। बुन्देलखण्ड के प्रवेश द्वार पर स्थित कालपी विधानसभा बहुत ही पिछड़ी है। कालपी से मंगरौल मार्ग में एक जोंधर नाला में रपटा के स्थान पर पुल निर्माण की भी मांग है। पुल के न होने से चार माह बरसात में 14 किमी0 का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। कालपी का हाथ कागज उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार की मदद की आवश्यकता है। कागज उद्योगों तथा नगर का गंदा पानी यमुना नदी में न जाये इसलिए कामन ट्रीटमेन्ट प्लांट लगवाया जाये। कालपी का किला घाट तथा किला सुरक्षित रहे इसके लिए भी सरकार की मदद की आवश्यकता है। महेवा विकास खण्ड में यमुना नदी में सरैनी में पुल का निर्माण पिछले कई सालों से कछुए की चाल से हो रहा है। कार्य शीघ्र पूरा हो। सभी प्रमुख धर्म स्थलों को हाइवे से जोड़ा जाये। नगर कदौरा बस स्टैण्ड पर जल भराव को रोकने हेतु नाला का निर्माण कराया जाये। अन्त में मैं नेता प्रतिपक्ष की असंसदीय कार्य प्रणाली से सहमत नहीं हूँ। समूचे विपक्ष ने माननीय के अभिभाषण में सदन की मर्यादा को ध्यान में नहीं रखा है।

धन्यवाद।

श्री जवाहर लाल राजपूत–

महोदय, मैं बुन्देलखण्ड के झांसी जनपद के गरौठा विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ। महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर योगी जी सरकार के पक्ष में समर्थन करते हुये संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सरकार ने पहली ही बैठक में किसानों की कर्जे माफी योजना में लघु व सीमांत किसानों के कर्जे माफ कर दिये। बुन्देलखण्ड में किसानों के पास जमीन तो अधिक मात्रा में है, लेकिन प्रदेश के अन्य भागों की अपेक्षा बहुत कम उपजाऊ है सिंचाई के साधन भी बहुत कम हैं। ऐसे में बुन्देलखण्ड में बृहद किसानों के कर्जे माफ होने चाहिये। विगत 10–12 वर्षों से सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि व बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी हैं। वर्ष 2014–15 व 15–16 में अभी बृहद किसानों को 27,000 व लघु को 36,000 तक का मुआवजा दिया गया। किन्तु अभी हजारों की संख्या में किसान उक्त मुआवजे से वंचित हैं। समाजवादी पार्टी शासन काल में गरौठा के पूर्व विधायक श्री दीप नारायण सिंह यादव द्वारा बालू का अवैध खनन और भूमियों, मकानों पर कब्जा कर अकूत सम्पत्ति अर्जित की गयी जिसकी सी0बी0आई0 जांच कराया जाना नितान्त आवश्यक है। नहरों की टेल तक और खेतों तक पानी पहुँचे जिसके लिये सिल्ट/शिवाल घास की सफाई आवश्यक है। प्रदेश में तीन हार्स पावर विद्युत कनेक्शन पर रोक है जिसे हटाकर बुन्देलखण्ड में किसानों को उक्त कनेक्शन दिये जायें। गुरूसराय नगर में पीने के पानी का संकट है जहाँ पर टंकिया बनाकर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाये। बुन्देलखण्ड पैकेज से वर्ष 2008–09 में व 2009–10 में सूखे के समय विद्युत कनेक्शन सस्ते दर पर दिये गये थे किन्तु अभी हजारों किसान वंचित हैं, उन्हें कनेक्शन दिया जाये। गरौठा क्षेत्र में धसान नदी पर 2 लिफ्ट कैनाल

बनायी जाये जिससे किसानों की सिंचाई हो सके। बुन्देलखण्ड प्रान्त तो नहीं बना किन्तु बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड बनाने की योजना मा0 योगी साहब ने की है, तो इसे बनाया जाये।

श्री विपिन कुमार डेविड–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में अपना समर्थन देने के साथ अपनी विधान सभा क्षेत्र के विकास हेतु निम्नलिखित भविष्य में कार्यों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा–

1–पिछड़ा जिला एवं दो नेशनल हाइवे पर स्थित होने के कारण दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र है। अतः मेरे एटा शहर में एक ट्रामा सेन्टर की स्थापना की जाये।

2–ईशन–नदी को वर्षा ऋतु के अलावा निरन्तर पानी मिलने के लिये हजारा नहर से पानी देने की व्यवस्था की जाये।

3–सलीट ब्लाक में सेवाकला से नाजिरपुर के बीच क्षेत्र में गाय की संख्या ज्यादा है इससे किसानों की फसल बरबाद होती है। अतः एक गौशाला का इस क्षेत्र में निर्माण होना चाहिये।

4–एक कृषि आधारित उद्योग लगाने का सरकार प्रयास करे।

5–एटा शहर में एक सार्वजनिक पार्क और उसमें बच्चों, महिलाओं के लिये मनोरंजन का केन्द्र बनाया जाये।

6–एटा से आगरा जाने वाली रोड को 4 लेन (फोर लेन) किया जाये।

धन्यवाद।

श्री अक्षयवर लाल गौंड–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में विधान सभा 282 बलहा जनपद बहराइच में निम्नलिखित कार्य कराये जायें।

1–मिहींपुरवा में नगर पंचायत बनाया जाये।

2–मिहींपुरवा में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना।

3–वलहा विधान सभा टेक्निकल विद्यालय।

4–बालिका महाविद्यालय।

5–शीत गृह का निर्माण।

6–उच्च स्तरीय चिकित्सालय की स्थापना।

7–डायल 100 गाड़ियों को थानों से सम्बद्ध किया जाये।

श्री किशन लाल राजपूत–

मा0 अध्यक्ष जी, की अनुमति से उनको मेरा बहुत–बहुत धन्यवाद तथा सदन में उपस्थित सभी सम्मानितों को मेरा प्रणाम, अब अपनी बात को लिखित में कह रहा हूँ। कृपया स्वीकार करें।

1–दिनांक 15 मई को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष विपक्ष के द्वारा जो शोरगुल आदि सदन में हुआ मैं उससे बहुत आहत हूँ। कृपया इसमें कुछ संशोधन अवश्य हो।

2–जहाँ तक विकास का मुद्दा है, विकास एक सतत् प्रक्रिया है। व्यवस्था को सही करने में समय लगता है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की मैं ह्रदय से प्रशंसा करता हूँ।

3–जनपद पीलीभीत की 128 बरखेड़ा विधान सभा का अधिकांश जंगली वन के किनारे वसा हुआ है। पिछली सरकार में जंगल को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, जंगली जानवरों, शेर आदि के द्वारा आये दिन किसी न किसी कृषक को जंगली जानवरों के द्वारा मार कर खा लिया जाता है, यह समस्या इस लिये जटिल समस्या है। कृपया इसका कोई कारगर उपाय होना चाहिये। ऐसी मेरे क्षेत्र की जनता की मांग है।

4–जनपद पीलीभीत में 1951 से आज तक कक्षा 12 तक की शिक्षा तो है लेकिन आज आगे की शिक्षा कृषि का अभाव है, इस जनपद में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना अवश्य कराने की कृपा करें।

मा0 अध्यक्ष जी को धन्यवाद।

श्री विपिन सिंह–

मैं आभारी हूँ कि जो आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है। हमारी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' की बात कर रही है। मैं आपका ध्यान क्षेत्र की समस्याओं की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

1–महोदय, रामगढ़ ताल का पानी तरकुलानी रेगुलेटर तक नहीं पहुँच पाता है। बीच–बीच में सिल्ट भरा होने के कारण नाला खुदाई होना अति आवश्यक है।

2–महोदय, मेरी विधान सभा का क्षेत्र राप्ती नदी के बायें 40 किमी0 और दाहिने तरफ
25 किमी0 है। नदी का विभिन्न कटान स्थल है। 1998 में बन्धा टूट जाने के कारण शहर का दक्षिणी भाग पानी से डूब गया था वर्तमान समय में राप्ती नदी जोत बंगही गांव के पास भौवापार बेला बन्धे पर कटान कर रही है। बन्धे से नदी की दूरी 40–50 मीटर रह गयी है और मलौनी बांध की लम्बाई 30 किमी0 है। राप्ती नदी से ग्राम डुहिया का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है जो बन्धे से सटा हुआ है।

3–लोहिया ग्राम जंगल अखलास और हरदिया ब्लाक पिपरौली, गोरखपुर में सी0सी0 रोड का कार्य हुआ था जो मानक के अनुरूप न होने के कारण एक वर्ष के अन्दर ही ध्वस्त हो गया। जिसकी जांच जनहित में करायी जाये।

4–मैं ऊर्जा मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि बिजली में ऐतिहासिक सुधार हुआ है।

अन्त में राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री सतीश चन्द्र शर्मा–

महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर समर्थन हेतु समय दिये जाने हेतु आपका धन्यवाद करता हूँ।

उत्तर प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाने हेतु लोक मंगलकारी योजनाओं के संचालन हेतु आपको धन्यवाद करता हूँ।

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद जिला बाराबंकी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बन्धे का निर्माण सहित बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों के पुनर्वास की योजना के साथ घाघरा नदी पर पुल, रारी नदी सोवांसा पर पुल, गोमती नदी पर पुल सिल्हौरा घाट पर सदेवां स्थित कल्याणी नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना आवश्यक है तथा दो दर्जन ट्यूबवेल लगवाना भी आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1 पालीटेक्निक स्कूल, 1 आई0टी0आई0, 3 बालिका इण्टर कालेज व रामसनेही घाट तहसील मुख्यालय को टाउन एरिया घोषित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें। मा0 अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दर्जनों सम्पर्क मार्गों की जांच कराकर डामरीकृत कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक 19–05–2017

श्री कैलाश नाथ सोनकर–

आदरणीय महोदय जी, निम्न बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ–

1–किसी जाति धर्म के गरीब लोग हैं जो सरकारी जमीन पर जाने–अनजाने बसे हुए हैं। आज उनको सरकारी जमीन से विस्थापित करने का कार्य किया जा रहा है जिनके पास बसने के लिए न जमीन हैं और न सिर छुपाने के लिए मकान है। मैं जानना चाहता हूँ कि विस्थापित हुए लोग कहाँ अपना निवास बनायेंगे। क्या सरकार इस पर विचार कर पुनः गरीबों को बसाने का कार्य करेगी या उसी जमीन का सीमांकन कराकर गरीबों को सुरक्षित करेगी, यदि हां, तो कब तक।

2–मैं विधान सभा क्षेत्र 373 जखनियां, गाजीपुर से निर्वाचित हुआ हूँ। आजादी के बाद पहली बार भासपा–भाजपा गठबन्धन ने जीत दर्ज किया है। जखनियां विधान सभा क्षेत्र पूरे पूर्वांचल में सबसे पिछड़ा विधान सभा क्षेत्र है। इस विधान सभा की समस्त सड़के जर्जर एवं गड्ढा युक्त हैं। कृपया मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्त जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़कों के जनहित में शीघ्र निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर आदेश पारित करने की कृपा करें।

श्री रामानन्द बौद्ध–

आदरणीय महोदय जी, निम्न बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ–

1–पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत आरक्षण से 18 प्रतिशत अति पिछड़ी जाति (जिन जातियों को सरकारी नौकरियों में उनका हिस्सा नहीं मिला) के नाम से अलग किया जाये।

2–अनुसूचित जाति/जनजाति के 23 प्रतिशत आरक्षण से 15 प्रतिशत अति दलित (जिन जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है) अलग किया जाये।

पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत आरक्षण में 18 प्रतिशत अति पिछड़ी जाति के नाम से आरक्षण अलग किया जाये। वर्ष 2001 में सामाजिक न्याय समिति बनी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर 03 अक्टूबर, 2013 को हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति में जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उन्हें न दिया जाये जिन्हें नहीं मिला है। उन्हें दिया जाये पूर्व की सरकारों ने हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर आदेश पारित करने की कृपा करें।

श्री प्रभात कुमार वर्मा–

विषय : महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0 प्र0 कभी देश का अग्रणी प्रदेश हुआ करता था विगत कुछ वर्षों में काफी पिछड़ गया है। पुनः उ0 प्र0 को अग्रिम पंक्ति में लाना वा सबका साथ, सबका विकास ही हमारा संकल्प है।

मेरी सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 के माध्यम से जनता द्वारा किये गये वादे के अनुरूप किसानों का फसली ऋण माफ किया 86 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला। बिजली के क्षेत्र में 24 घंटा बिजली देने की बात की है।

गेहूँ क्रय केन्द्र खोलकर किसानों का गेहूँ खरीदा जा रहा है।

ऐंटी भू–माफिया टास्कफोर्स/ई–टेण्डर की पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। वी0पी0एल0 कार्ड धारकों का पुनर सर्वे बहुत ही अच्छा कार्य है।

अन्त में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ।

दिनांक 19–5–2017

श्री त्रिवेणी राम,

आदरणीय महोदय जी,

निम्न बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं–

1–विमुक्ति जाति के नाम से उ0 प्र0 में जाति प्रमाण–पत्र जारी होता है लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है जबकि विमुक्ति जाति अनुसूचित जन जाति की उपजाति है जिसको हाईकोर्ट ने भी शिक्षा में आरक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) मानकर विमुक्ति जाति (डीटी) को आरक्षण देने का आदेश दिया है। डीटी को

एसटी में मानकर शिक्षा में आरक्षण दिया जा रहा है तो क्यों न डीटी (विमुक्ति जाति) को अनुसूचित जनजाति में ही सूची बद्ध कर दिया जाये।

2–विमुक्ति का जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विकास की सभी सुविधायें दी जायेंगी जो योजनायें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उन्हें उन योजनाओं का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है और कब तक दिया जायेगा ?

3–विमुक्ति जाति में कौन–कौन सी जातियां हैं उनको कौन–कौन सी योजनाओं का लाभ मिल सकता है ?

4–उ0 प्र0 के गाजीपुर जनपद में 235 महाविद्यालय हैं, राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय खोलने के लिए 105 महाविद्यालय का मानक रखा गया है गाजीपुर में मानक के अनुरूप विश्वविद्यालय खोलने की कृपा करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर आदेश पारित करने की कृपा करें।

श्री लाल बहादुर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रथम बार कौशाम्बी के मंझनपुर विधान सभा क्षेत्र से विधान सभा में आया हूं। मेरा सोचना था कि विपक्ष तर्क के साथ अपना पक्ष रखता होगा लेकिन यहां जो सुनने देखने को मिला। ऊंची आवाज में बोलकर अपनी झूठी बात को सदन में रखना प्रतिपक्ष की सोच होगी। एक बड़ी सोची–समझी साजिश थी युवाओं को मानसिक गुलाम बनाने की। लेकिन युवाओं ने बढ़–चढ़ कर मोदी जी व योगी जी का साथ दिया।

हमारे किसी प्रतिपक्ष के साथी ने कहा कि टेण्डर नहीं पड़ रहे है। महोदय जी सरकार बनते ही वर्तमान सरकार ने ई–टेण्डरिंग की प्रणाली स्थापित कर माफियाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। महोदय जी, जिन्हें नमक में दाल खाने की आदत पड़ गयी थी वो कैसे टेण्डर डालते।

महोदय जी, मुझे कुछ दिन फौज की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां पर आग लगने पर आग बुझाने के लिए चेतावनी हेतु लम्बी सीटी बजायी जाती है किन्तु सदन में तो आग लगाने जैसा लम्बी सीटीयां बजायी गयीं और गोले फेंकने का काम।

पिछली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के योगदान के लिए अकबर इलाहाबादी की दो लाईने उपयुक्त बैठती हैं–''इनको क्या काम है मुरव्वत से, अपने रूख से यह मुह न मोड़ेंगे। जान शायद फरिस्ते छोड़ भी दें, डाक्टर फीस को न छोड़ेंगे।''

महोदय जी, किसानों के हित की बात करने वाले 32 लाख टन गेहूं के क्रय का लक्ष्य तो बनाते हैं किन्तु वह अपने लक्ष्य का 5 प्रतिशत भी जानबूझ कर पूरा न कर बिचौलियों एवं व्यापारियों को लाभ पहुंचाते हैं।

कानून व्यवस्था के नाम पर तेज–तर्रार व ईमानदार अधिकारियों की हत्या करायी गयी। ''खिलाने वाले ही खा गये सरहद के निवाले। फिर किस मुन्सिफे दरबार में गुनहगारों की हाजिरजवाबी हो।''

प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने सत्य ही कहा था कि शासक को दार्शनिक या सन्त होना चाहिए। आईये हम सब लोग इस सन्त के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश

नहीं वरन सर्वोत्तम प्रदेश बनाकर दुनिया के मानचित्र में अपना स्थान सुनहरे अक्षरों में चिन्हित करवायें।

धन्यवाद।

श्री दिनेश चौधरी–

आदरणीय महोदय, विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, हम आपके प्रति कोटि–कोटि आभारी हैं।

सदन की गौरवमयी परम्परा रही है, जिसमें प्रदेश की अनेक समस्याओं को सामने रखने का अवसर मिलता है, शासन और सत्ता उसका निराकरण करते हैं।

सदन की कार्यवाही के प्रथम दिन में ही विपक्ष ने विरोध का जो घटिया तरीका इस्तेमाल किया, कागज के गोले फेंकना, सीटी बजाना महामहिम के पद की गरिमा ना समझते हुए, इस सदन की गरिमा को तार–तार किया है। विपक्ष को भविष्य में इस तरह के आचरण से बचना होगा अन्यथा अनुशासक का दण्ड झेलने के लिए तैयार रहना होगा। हमारे जैसे लोग पहली बार चुनकर आये हैं, इन वरिष्ठ विधायकों के आचरण से क्या सीख लेंगे जो अभद्र कार्यवाही में सम्मिलित हैं।

सत्ता पक्ष, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस शालीनता, शिष्टता, ईमानदारी और कर्मठता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाहन कर रहे हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, उनके सहयोगी मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक बहुत–बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

विपक्ष का ताण्डव सिर्फ प्रदेश ही नहीं अपितु पूरा देश सदन की कार्यवाही को देख रहा था और सारा देश जहां एक ओर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सत्तापक्ष के विधायकों की जोरदार तारीफ कर रहा था ठीक वहीं विपक्ष के गलत आचरण की घोर निन्दा कर रहा था।

हम माननीय मुख्यमंत्री के ताकतवर नेतृत्व में एक सम्पन्न सुखी और सुरक्षित प्रदेश की रचना करना चाहते हैं, जिसमें प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित रह सके। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि महान जनसन्त नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा और समर्पित निष्ठा से प्रदेश की भलाई के लिए काम करूंगा, साथ ही सत्तापक्ष का हर एक प्रतिनिधि ऐसा करेगा इसका मुझे विश्वास है।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र केराकत की बहुत उपेक्षा हुई,

मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से क्षेत्र की जनता वंचित रही है। जनपद में केराकत विधान सभा सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है और अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से केराकत विधान सभा क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाओं की मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी,

1–केराकत में मुंशफ कोर्ट।

2–मुफ्तीगंज में नहर 8 साल से खुदी है। उक्त का निर्माण।

3–छात्र–छात्राओं के लिए स्टेडियम।

4–सरकारी बसें और बस अड्डा का निर्माण।

5–कई गांव ऐसे हैं जब से देश आजाद हुआ है बिजली का खम्भा नहीं लगा है।

6–बहन–बेटियों छात्राओं के लिए महिला महाविद्यालय कराये जाने की मांग।

7–स्वास्थ्य सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक भी अधीक्षक नहीं आते।

8–समाजवादी पेंशन योजना में 50ः अपात्र लोग पेंशन पा रहे हैं।

श्री सुभाष त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी काफी दिनों बाद जहां सदन में उपस्थित हैं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सुनने की उत्सुकता रही। वहीं यह भी विश्वास था कि जनता द्वारा बुरी तरह नकारे जाने के बाद विपक्ष का व्यवहार शायद शालीन रहेगा। परन्तु जिस तरह से विपक्ष द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कागज का गोला फेंककर/सीटी बजाकर किया गया। यह कृत्य सदन की गरिमा को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि विपक्ष भी अपनी हरकतों से जनता की निगाहों में गिर गया आश्चर्य तो तब और हुआ जब विपक्ष के नेता ने कागज के गोलों को फेंकने पर कुतर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि सदस्य महोदय को कागज देना चाहते थे। मैं इस घटना की निन्दा करता हूं।

मान्यवर, अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद समाज में समरसता आई है तथा लोगों में भाईचारा और मजबूत हुआ है। जातिवादी व साम्प्रदायिक राजनीति करके सभी को बांटने वाले विपक्षी दलों को शायद समाज की समरसता व एकता रास नहीं आ रही है।

केन्द्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद लोग राजनीति व राजनीतिज्ञों के प्रति आस्था व विश्वास बढ़ा है। भाजपा की प्रचण्ड बहुमत की सरकार बनने के पीछे देश के लोग प्रधान मन्त्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी के लगभग 3 वर्षों के काम पर जनता ने अपनी मुहर लगाकर उनके प्रति विश्वास को और अधिक मजबूती प्रदान की है।

मान्यवर अध्यक्ष जी, प्रदेश में विकास की गति रूक गयी थी तथा भ्रष्टाचार व लूट–खसोट चरम पर था। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है।

जिले में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों के प्रातः 9 बजे दफ्तर में बैठ जाने से जनता उनसे मुलाकात कर पा रही है तथा समस्याओं का समाधान हो रहा है। सरकार ने तहसील दिवस को समाधान दिवस के रूप में एक साथ अनेक कार्य होने से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। गांवों को भी 18 घण्टे, तहसील केन्द्रों पर 20 घण्टे व जिला केन्द्रों पर 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराना सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।

एक लाख तक किसानों का फसली ऋण माफ कर सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। सभी घरों में बिजली पहुंचाना व जिसे 2018 तक सभी जनपदों को खुले में

शौच से मुक्त कराने का सरकार का एक ऐतिहासिक कार्य होगा। सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने से विकास की गति और तेज होगी।

मान्यवर, सरकार ने जिस तरह प्रदेश में जनता के हित को ध्यान में रखकर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कार्य शुरू हुआ है इससे प्रदेश में चहुंमुखी विकास के साथ लोगों में खुशहाली आयेगी।

मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

डा0 विमलेश पासवान–

धन्यवाद/अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। पुनः मैं अपने निर्वाचित विधान सभा, बांसगांव, गोरखपुर के 3 लाख 80 हजार, 3,80,000 भाग्यविधाता मतदाताओं की तरफ से आभार धन्यवाद आपके समक्ष प्रकट करता हूं।

मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं निर्वाचित होकर सदन पहुंचा हूं विधान सभा बांसगांव, गोरखपुर जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में किसी उद्योग का हो, हमारे क्षेत्र में एक भी छोटा–बड़ा उद्योग का न होना, शिक्षा के क्षेत्र में किसी उच्च शिक्षा के महाविद्यालय, उच्च चिकित्सकीय संस्थान, पैरा मेडिकल कालेज, राजकीय इन्जिनियरिंग कालेज, क्रीड़ा हेतु कोई मिनी स्टेडियम, रेल लाइन, बिजली, जर्जर सड़कें, शुद्ध पेयजल मान्यवर, हमारे वि0 स0 क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का जहां के युवा रोजगार के अवसर में विश्व के तमाम देशों में अपने रोजगारपरक ऊर्जा, मेहनत के दम पर कार्य कर रहे हैं, चाहे बैंकाक, सिंगापुर, अरब, दुबई, थाईलैंड, अमेरिका, यूरोप इत्यादि देशों में बसे हैं।

हमारी सरकार का मूल मंत्र ''सबका साथ सबका विकास'' के साथ बिना किसी राग–द्वेष के अपने अर्हिनिष प्रयासों से दिन–रात कार्य कर रही है। हम 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सौभाग्य का विषय है कि एक कर्मयोगी संन्यासी सारे भौतिक सुखों को त्यागकर सिर्फ और सिर्फ जनकल्याण के लिए 24 घण्टे कार्य करने वाले योगी आदित्यनाथ जी के रूप में मुख्यमंत्री मिले, सामाजिक समरसता के प्रतीक गोरक्षपीठ पीठाधीश्वर ने वर्ष 1989 में सामाजिक समरसता की नई मिशाल कायम की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव लड़ने की व्यवस्था में मेरे पिता स्व0 श्री ओम प्रकाश पासवान जो कि एक किसान गरीब दलित परिवार में जन्मे, उन्हें सामान्य सीट मानीराम विधान सभा से चुनाव लड़ा कर विधायक बनने का सौभाग्य दिया बल्कि समाज में समान्तर व्यवस्था और ऊंच–नीच का भेद भाव खत्म करने का संदेश दिया। दलित मलिन बस्तियों में सहभोज के माध्यम से पीठ ने सबको साथ लेकर समाज में संदेश दिया।

मान्यवर, समाज के अन्तिम से अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारे सरकार की सारी विकास परख योजनायें पहुंचे यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

महामहिम के अभिभाषण को सुनने की जिज्ञासा को हम जैसे पहली बार नवनिर्वाचित 238 सदस्यों को ठेस पहुंचाने का कार्य किया विपक्षी दलों के सदस्यों ने महामहिम के अभिभाषण के दौरान हम लोग उनका भाषण सुन नहीं पाये विपक्षी दल के सदस्यों ने शोर–शराबे और सीटी बजाकर व्यवधान उत्पन्न किया और महामहिम की गरिमा को भी ठेस पहुंचाया।

महामहिम के भाषण को पढ़ने के उपरान्त उनके भाषण में लोगों की मूल समस्याओं को लेकर चाहे भोजन की समस्या हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, आवास की हो, स्वच्छता की समस्या का हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या का हो, चाहे युवाओं को स्वावलम्बी बनाने का हो और उनके लिए रोजगार सृजित कराना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का महामहिम ने संदर्भ लिया और समाज के हर क्षेत्र, वर्ग में कोई न कोई अच्छी व कारगर बढ़िया योजना बनाकर लाये हैं और शायद इसीलिए विपक्ष को इससे दिक्कतें हो रही हैं कि अगर यह योजनायें जमीन पर आ जायेंगी प्रभावी और व्यवहारिक ढंग से तो इनका क्या होगा ?

बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में 18 से 24 घण्टे बिजली दे रहे हैं हमारी सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में सभी गड्ढायुक्त सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए संकल्पित है। गोरखपुर में मोदी सरकार की दूरगामी विकास नीति का शिलान्यास हो चुका है यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री योगी जी के नेतृत्व में ।ण्ण्ण्डण्ण फर्टिलाइजर फैक्ट्री का सृजन होगा हमारे विधान सभा क्षेत्र से होकर नेशनल हाई–वे छः29 को फोरलेन कर दिया गया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि मा0 मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में रेल लाइन भी स्वीकृति हो गयी हमारे क्षेत्रीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी मोदी सरकार से प्रभावी ढंग से पैरवी कर अनेको–अनेक योजनायें ला चुके हैं।

महामहिम के अभिभाषण में चि0 स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 मेडिकल कालेज, 5 ।ण्ण्ण्डण्ण की स्थापना से प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रान्ति आयेगी।

हमारे सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय की भी प्रशंसा करना चाहूंगा जो 24 घण्टे स्वास्थ्य अस्पतालों में बिजली आपूर्ति देने के लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक उपचार केन्द्रों, जिला अस्पतालों में बिजली देकर हम चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था को बुनियादी तौर पर मजबूत करेंगे।

महामहिम ने अपने अभिभाषण में सभी उन मुख्य बिन्दुओं का संज्ञान लिया है जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेगा। अध्यक्ष महोदय हमारे क्षेत्र विधान सभा बांसगांव में आप का संज्ञान रहे जहां वह सारी विकास परक संसाधन सृजित हो जिसका वह हकदार है, राप्ती नदी के तट पर बसा हमारे क्षेत्र के विकास खण्ड कौड़ीराम के कुश्वासी क्षेत्र में बन्धे और पुल का बनवाया जाना अति जन आवश्यक है।

दिनांक 15 मई को विधान सभा में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

डा0 वीरेन्द्र यादव–

सादरपूर्वक अवगत कराना है कि आदरणीय विधान सभा अध्यक्ष ने सदन में अवगत कराया था कि ये विधान सभा का भाग होगा। अतः इसको सम्मिलित करने का कष्ट करें।

1–हमारे क्षेत्र में 33/11 के तीन पावर हाउस, जंगीपुर टाउन, बौरी, गोबिनापुर के कार्यवाही में सम्मिलित करते हुए इसको कराने का कष्ट करें।

2–गाजीपुर, बलिया को जोड़ने वाले मार्ग पर निर्मित पुल कठवामोड़ पुल जो काफी जर्जर है उसको भारी वाहनों के लिए चालू कराने का कष्ट करें।

3–जंगीपुर–लावा मार्ग पूरी तरह से टूट गया है उसमें काफी गड्ढा हो गया है उसको भी कराने का कष्ट करें।

4–जंगीपुर–सुभासरपुर मार्ग भी काफी जर्जर और गड्ढा हो गया है उसको कराने का कष्ट करें।

5–चौरही से निजामपुर मार्ग जर्जर है।

6–कडसर से अबिसहन मार्ग में काफी गड्ढा हो गया है।

7–गाजीपुर घाट से सरंया मार्ग जर्जर एवं गड्ढा युक्त है।

8–गाजीपुर जनपद मुख्यालय पर सदर हास्पिटल की काफी जर्जर व्यवस्था है उसमें डा0 की कमी, ण्ब्ण्न्ण्ए ल्च्ल्क्ण् की जर्जर व्यवस्था को सुधारने की कृपा करें।

9–मलाना से ढढनी मार्ग की दशा भी जर्जर है।

10–जनपद के ब्लाक करण्डा में कटान से कई गांव समाहित हो गये हैं जो निम्न गांव हैं–धरम्मपुर, सोकनी, बदहरीया, पुरैना, वयेपुर आदि गांव गंगा में समाहित हो गये हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

11–जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद तहसील के गांव शेरपुर गांव के सेमरा, शिवराम का पुरा में गांव गंगा में समाहित हो गया है और वहां के लोग विस्थापित होकर आज भी प्राइमरी विद्यालय में रहते हैं।

अतः आप से निवेदन है कि इस पर कार्यवाही करने की कृपा करें।

12–कालूपुर से युवराजपुर तक जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और काफी जर्जर है इसको कराने की कृपा करें।

13–बवार्ड से सुहवल तक जर्जर है। इसको गड्ढायुक्त है।

14–अविसहन से महादर तक रोड जर्जर है।

15–कैथवलिया से कदियापुर होते हुए मदारपुर होते हुए मानपुर तक रोड काफी जर्जर हो गया है।

अतः आप से निवेदनपूर्वक करते हुए इसको करने की कृपा करें।

श्री सन्त प्रसाद–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आप के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रदेश गांवों का प्रदेश है किसानों का प्रदेश है 70 से 75ः लोगों की जिविका का मुख्य साधन खेती है अब तक जितनी भी सरकारें आयीं किसी ने भी किसानों की चिन्ता नहीं की जिसके कारण सूखा पड़ने, बाढ़ आने एवं ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की क्षति होने से किसान आत्म हत्या करने को मजबूर हो जाते थे लेकिन मा0 अध्यक्ष जी यह उ0 प्र0 की मा0 योगी जी के नेतृत्व की पहली सरकार है जिसने किसानों की चिन्ता की और किसानों द्वारा कृषि के लिए लिए गये ऋण में से 1 लाख रुपया माफ करने का कार्य किया।

विपक्ष के साथी कुछ कहते हैं कि हमारी सरकार ने भी किसानों के लिए कार्य किया। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी मुजफ्फरनगर की घटना आपको याद होगी जहां किसानों के बच्चे अपने टेन्टों में दूध के लिए अम्मा–अम्मा चिल्ला रहे थे वहीं पिछली सरकार

सैफई में सैफई महोत्सव मना रही थी छम्मा–छम्मा कर रही थी। ओलावृष्टि एवं सूखा से प्रभावित किसानों को उनके राहत के लिए सूखा राहत एवं ओलावृष्टि से हुई क्षति के लिए सबको राहत नहीं दे पायी। यही किसानों की सरकार थी। गेहूं क्रय नहीं होता था, धान क्रय नहीं होता था। हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में 5027 क्रय केन्द्र खोले। 1 लाख 50 हजार मि0 टन गेहूं अब तक खरीदा तथा 1 लाख मिट्रिक टन आलू भी खरीदा।

गांवों को 18 घण्टे, तहसील मुख्यालय को 20 घण्टे एवं शहरों को 24 घण्टे बिजली देने का कार्य किया।

बहनों की सुरक्षा के लिए एण्टी रोमियो फोर्स का गठन किया वह भी अपना कार्य कर रही है।

पिछली सरकारों में थाना, तहसील अधिकारी नहीं सपा के कार्यकर्ता करते थे जो अपराधी थे अथवा जिनका इतिहास अपराधिक था। जवाहर बाग की घटना लोगों को हिला देती है। एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ। भाजपा की मा0 राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह की सरकार प्रदेश में थी विद्यार्थी ने पढ़ना प्रारम्भ किया। लेकिन सपा, बसपा की सरकार ने उसे समाप्त किया।

हर नागरिक को जीने का अधिकार है हमारी सरकार की मंशा है सबकी सुरक्षा सबका साथ सबका विकास, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों को रोजगार, किसानों को साधन मुहैया करायेंगे किसान खुशहाल होगा। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास उस पर कायम है।

धन्यवाद।

श्री जटा शंकर त्रिपाठी–

आदरणीय महोदय, जटा शंकर की ओर से चरण स्पर्श। आपके लम्बी उम्र एवं स्वस्थ्य होने की पूर्ण कामना भगवान से करता हूं।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सन्दर्भ में मुझे कुछ बोलने का अवसर मिलने की अपेक्षा/प्रतिक्षा में 22.05.17 के सन्दर्भ में मैंने सूचित किया था, सुबह आज सदन में उपस्थित में तय हुआ कि 22.05.17 को सदन का कार्य स्थगन है। फिर भी आप की कृपा हम नये सदस्यों के ऊपर संरक्षण प्राप्त हुआ है और आपने जो कृपा प्रदान किया है उसके लिए आपका आभार, सधन्यवाद।

नये सदस्य को प्रथम कार्यवाही में जो कुछ सीखने को मिला और भारतीय गणराज्य के व उ0 प्र0 के सम्मानित मतदाता जनता को इस गौरव में हमें जो दिया है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। यहां हम यह भी बता देना चाहते हैं कि इस महान लोकतान्त्रिक प्रणाली के हिस्सा बनने में जिन लोगों का अपार स्नेह मिला उनको भी हम सदन के माध्यम से आभार व धन्यवाद देना चाहेंगे।

श्रीमान्, हम यहां संलग्न (नत्थी क, नत्थी ख, नत्थी ग, नत्थी घ) के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और यहां यह भी श्रीमान् जी के माध्यम से सदन को बताना चाहेंगे कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान जो कुछ सीखने को मिला उसके लिए नेता प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद देते हुए यह कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ध्यान देंगे।

(आप) जो सुने, वो सुलग जायें,

बात जो जवां तले हैं।
न बोलू तो कलेजा फुके,
बोल दू तो जवा जले।

आप बताये श्रीमान् हम करे तो क्या करें ?

पर उपदेश कुशल बहुतेरे।

हम 14 साल के बनवास के बाद उ0 प्र0 में हमारी पार्टी की सरकार आयी है। 14 साल के बनवास के बाद भगवान राम जब अयोध्या में लौटे थे तो रामराज्य स्थापित हुआ था। यहां महाराजा योगी जी के नेतृत्व में उ0 प्र0 में स्वराज्य (सुशासन का) स्थापित होगा।

माननीय देश के प्रधानमंत्री की 90 से अधिक परियोजनायें उ0 प्र0 में क्रमशः स्थायित्व विकास की ओर पुर्नजन्म ले रही 50 दिन के इस कार्यकाल में प्रदेश में ग्लोबलाइजेशन ध्रुवीकरण को ध्यान में रखकर मानव विकास सूचकांक को उ0 प्र0 को भारत देश के अन्य राज्यों से ऊपर उठाने, ग्लोबलवार्मिंग, ळण्क्ण्च्ण ग्रोथ को बढ़ावा देने के साथ–साथ मुसहर जाति, वनटागिंया, जनजाति, दलित, महादलित के साथ ऊपर उठाने का जो क्रियानीति, रणनीति, नीति, नियोजन के साथ सबका साथ सबका विकास को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।

ठवग छवण 1 परिशिष्ट–1

नत्थी क, नत्थी ख, नत्थी ग, नत्थी घ — महोदय, कृपया आपका संरक्षण कृपा प्रार्थना सहित आप कार्यवाही का भाग बनाने का संरक्षण प्रदान करें।

आप उपरोक्त (नत्थी में) में विभागवार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव सहित प्रदेश के एवं क्षेत्र के विकास, सुशासन, स्वराज्य, ळक्च ग्रोथ, स्थायित्व, इको डेवलपमेण्ट, इन्फ्रास्टक्चर में युवा, महिला, महिला किसान, बच्चे एवं बच्चियां, दिव्यांग, खिलाड़ी, व्यापारी, कुशल, अकुशल कार्मिक, वकील, अध्यापक, मछुआरा एवं वृद्ध जनों सहित मुसहर, राजभर एवं रेता उस पार (बाढ़ प्रभावित क्षेत्र) भूमण्डलीयकरण, व्यापार, कृषि नीति आदि विषयों पर माननीय राज्यपाल महोदय सहित सम्मानित आदरणीय सदस्यों सहित विकास एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए, एक बार पुनः आपका ह्रदय के साथ आभार सधन्यवाद।

श्री शीतला प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वास्तव में अभिभाषण सरकार की नीतियों का एक दस्तावेज है इसमें सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो योजनायें बनाई गयी हैं उसका उल्लेख होता है। हमारी सरकार ने गरीब किसानों, दिव्यांगजनों, अल्पसंख्यकों तथा प्रदेश के विकास के लिए जो खाका खींचा है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने लोक कल्याण संकल्प–पत्र के माध्यम से जनता से जो वादा किया था उसके अनुरूप किसानों द्वारा एक लाख रुपये

तक के फसली ऋण को माफ कर किसानों से किये गये अपने वादे की पूर्ति की है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सहित उनके समस्त मंत्रिमण्डल को बधाई देता हूं। इससे प्रदेश के 86 लाख किसान लाभान्वित होंगे। उ0 प्र0 कभी देश का सबसे अग्रणी प्रदेश हुआ करता था किन्तु कई वर्षों से यह विकास की दौड़ में पीछे रह गया। उ0 प्र0 को पुनः विकास की दौड़ में आगे बढ़ाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का संकल्प लिया है और हमारा यह संकल्प इस प्रदेश को शीघ्र ही विकास की दौड़ में अग्रणी प्रदेशों में शामिल कर पूरा होगा। इसके लिए हमारी पूरी सरकार ईमानदारी के साथ प्रयत्नशील है। हमारी सरकार ने इसके लिए बिजली की चोरी रोककर और बिजली का उत्पादन बढ़ाकर जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों में 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे बिजली देने की घोषणा की है। खराब ट्रान्सफारमर्स को शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे के अन्दर बदलवाने की घोषणा की है। हमारी सरकार ने खेती के नये तौर–तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे दुकानदारों के हितों में लाइसेंस देने की घोषणा की है जिससे छोटे दुकानदारों तथा पटरी दुकानदारों को बहुत लाभ होगा। भूमि पर अवैध कब्जे को हटवाने के लिए एंटी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन कर सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। सरकार ने नौजवानों को राज्य/प्रवर अधीनस्थ (प्रारम्भिक) परीक्षा में सी–सैट से प्रभावित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देते हुए 02 अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाना सरकार के नौजवानों के प्रति संवेदनशील होना दर्शाता है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी सहित पूरी सरकार बधाई की पात्र है। हमारी सरकार ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिए 300 कामधेनु डेयरी इकाइयों एवं 1500 मिनी कामधेनु इकाइयों की स्थानों तथा 2500 माइक्रो कामधेनु डेयरी इकाइयों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। किसानों को उन्नतशील बीज एवं तकनीक उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जनपदों में गेहूं एवं सब्जी, धान तथा बायो तकनीक से बासमती धान आदि की पैदावार बढ़ाने के लिए अनुसंधान सेंटर खोले जाने पर हमारी सरकार विचार कर रही है। प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये भुगतान जल्द से जल्द किये जाने तथा चीनी मिल मालिकों पर भुगतान न करने पर कड़ी सजा देना का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी सहित पूरी सरकार बधाई की पात्र है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों पर स्वच्छ भारत मिशन चलाने पर भी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। दिव्यांगजन लोगों को पेंशन की धनराशि 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किये जाने पर मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। अल्पसंख्यकों को कक्षा 9 एवं 10 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिये जाने तथा कक्षा 11 तथा उसके ऊपर के छात्र तथा छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वालों को छात्रवृत्ति दिये जाने पर भी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं पूरी सरकार गरीबों, किसानों, आम लोगों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजनों, छोटे व्यापारियों सहित सभी वर्गों के लोगों का विकास कर तथा कानून व्यवस्था को सुचारुरूप से लागू कर

प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करेगी। बहुत–बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह–

महोदय, वाराणसी जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण भूत भावन भगवान शंकर के जटा से निकली पतित पावन मां गंगा जी के गोद में बसी नगरी है और वहीं के विधान सभा 387 रोहनियां से चुनकर पहली बार सदन में आया हूं। अध्यक्ष जी, चुने जाने के बाद सदन मे आकर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो दृश्य देखा निन्दनीय है विपक्ष ने जो दृश्य पैदा किया समझ में नहीं आता है कि वे बिना सुने किसी बात का विरोध क्यों किया ? अगर किसी बात पर आप सहमत नहीं हैं यह हो भी सकता है। लेकिन बिना सुने, बिना पढ़े, बिना समझे किसी बात का केवल महामहिम को देखकर विरोध और वह भी कागज का गोला महामहिम को लक्ष्य कर उनके ऊपर फेंकना लगातार सीटी बजाकर व्यवधान पैदा करना हल्ला करना, अशोभनीय निन्दनीय है मैं इसकी निन्दा करता हूं। सदन में सीटी बजा देना जिसकी कल्पना सदन में नहीं थी।

महोदय, मेरा क्षेत्र अर्धनगरीय है तेजी से शहर बढ़ रहा है। जिसके कारण सड़क, नाला, बिजली, स्वास्थ्य की परेशानी बढ़ रही है। महोदय, पिछली सरकार में कोई विकास का कार्य न होने से बहुत बड़ी समस्या है लगभग 25 गांव में कालोनियां बन रही हैं। जहां पर नाला और सड़क बनवाने की अधिक आवश्यकता है।

महोदय, गंगाजी के किनारे काफी क्षेत्र पड़ता है वर्षा ऋतु में बाढ़ की बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र के लोगों को झेलनी पड़ती है। इसलिए मान्यवर गंगाजी के किनारे ग्राम पंचायत टिकरी से सामने घाट तक तटबन्ध बनाने की आवश्यकता है ताकि बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सके।

महोदय, हमारे क्षेत्र में चुनाव के समय पिछली सरकार ने मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु कुछ सड़कें बनवाने के लिए स्वीकृत कर उस पर 10ः धन मुहैया किया शेष धनराशि सरकार को स्वीकृत करना शेष है। यद्यपि यह कार्य चुनाव को दृष्टि रखते हुए किये गये थे जिस पर जनता ने ध्यान न देकर इन्हें ठुकराया हराया। इन सड़कों के रुके हुए शेष धन स्वीकृत कर इन्हें बनवाने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारे क्षेत्र में हाईटेक सिटी बनाने हेतु बहुत बड़े किसानों की भूमि ली गयी थी वह सिटी बन नहीं पाई। इसलिए किसानों की भूमि वापस की जाना चाहिए और यह योजना समाप्त की जानी चाहिए।

महोदय, हमारे क्षेत्र में गत सरकार ने मोहन सराय में ट्रान्सपोर्ट नगर बनवाने हेतु किसानों की भूमि ली थी जिस पर काफी विवाद हो रहा है। महोदय, इस समस्या का उचित समाधान निकालने की आवश्यकता है।

महोदय, क्षेत्र के वरूणा नदी पर भतसार और हरहुआ के बीच में एक पुल बनवाने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र के लोगों को वाराणसी शहर में आने–जाने हेतु सुविधा हो सके।

अतः महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

चौधरी उदयभान सिंह–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल महोदय जी, के अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि श्री राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान जिस तरह का अशोभनीय व्यवहार विपक्ष द्वारा किया गया वह सदन की गरिमा के अनुरूप कतई नहीं था। मैं अपने सह विधायकगण को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा की कार्यवाही पर जनता की नजर है, वह सब देख रही है। इसलिए मेरी सदन से यह अपेक्षा है कि सदन में ऐसा विरोध करना चाहिए जो तार्किक एवं शोभनीय हो।

मान्यवर, मैं भारत के ऐतिहासिक शहर आगरा के ऐतिहासिक फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। फतेहपुर सीकरी स्मारक भारत में ताजमहल के बाद देखा जाने वाला दूसरा पर्यटन स्थल है। महोदय, मैं आपको इस क्षेत्र से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं, जहां अकबर महान नंगे पांव सूफी सन्त शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर अपने लिए औलाद मांगने आया था एवं सूफी सन्त सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से औलाद भी नसीब हुई जिसके बाद उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। पूरे भारतवर्ष में अपने राज्य को फैलाया परन्तु पानी की विकराल समस्या के कारण उसे यहां से जाना पड़ा और आगरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाना पड़ा। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया है कि सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी पेयजल की समस्या जस की तस है।

आदरणीय महोदय पेयजल समस्या के समाधान हेतु सुझाव–

1–बारिश के दिनों में गिरने वाला पानी अब तक पठारी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में जाता है और शहर में पूर्व से एकत्रित गन्दे पानी में मिल जाता है। इस बारिश के पानी का संचय करने की आवश्यकता है जिसे फतेहपुर सीकरी स्थित शाहकुली बावली में संचित किया जा सकता है जिससे पानी का जल स्तर बढ़ेगा।

2–अछनेरा ब्लाक अन्तर्गत महाकवि सूरदास की जन्म स्थली कीठम झील है जिसका पानी मीठा, शुद्ध एवं निर्मल है। पूर्व में मथुरा रिफाईनरी हेतु इसी झील द्वारा पानी की आपूर्ति होती थी। वर्तमान में गोकुल बैराज बन जाने के बाद रिफाईनरी हेतु पानी की आपूर्ति गोकुल बैराज से की जा रही है तथा कीठम झील के पानी द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र को पानी की आपूर्ति की जा सकती है। अतः मेरा सुझाव है कि जल विशेषज्ञों की टीम बनाकर इस पानी का उपयोग जनता हेतु हो सके।

3–फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित लगभग 35 बड़े पोखर एवं तालाब हैं जिन पर अतिक्रमण हो जाने के कारण उनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः उनको अतिक्रमण मुक्त कराकर उनकी चहारदीवारी एवं सौन्दर्यीकरण किया जाये। साथ ही सभी पोखरों के आधुनिकीकरण हेतु वर्तमान वर्ष में 10 करोड़ रु0 की मांग करता हूं।

आदरणीय महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण–

फतेहपुर सीकरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगरा शहर से लगभग 40 किमी0 दूर है। यहां पर स्वास्थ्य केन्द्र के अलावा कोई और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण मरीजों

को आगरा रेफर किया जाता है जो कि अत्यधिक जोखिम भरा है। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को निर्बाध विद्युत सप्लाई उपलब्ध नहीं हो पाती है जिस कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए फतेहपुर सीकरी स्वास्थ्य केन्द्र पर वैकल्पिक ऊर्जा/रिनुएवल ऊर्जा की भी व्यवस्था हो जाये तो अति उत्तम रहेगा। अतः फतेहपुर सीकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण (50 शैय्या युक्त अत्याधुनिक स्वास्थ्य केन्द्र) करने का कष्ट करें।

आदरणीय महोदय फतेहपुर सीकरी ब्लाक में कन्या महाविद्यालय–

फतेहपुर सीकरी में बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु एक राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि आगरा से 40 कि0मी0 की दूरी होने के कारण बालिकायें माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई चाहते हुए भी नहीं कर पाती हैं।

आदरणीय महोदय हथकरघा उद्योग (दरी उद्योग) हेतु सुझाव–

फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में हथकरघा उद्योग (दरी) भी एक प्रमुख जीविकोपार्जन का साधन है। यहां की बनाई हुई दरियां देश–विदेश में निर्यात की जा रही हैं परन्तु यह सारा काम बिचौलियों के माध्यम से होता है और बुनकरों को पूरा लाभ नहीं मिला पाता है, क्योंकि उद्योग में महिलाओं का योगदान ज्यादा है।

अतः ऐसी व्यवस्था एवं योजना बनाई जाये जिससे बुनकरों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं स्वावलम्बी बनाया जा सके साथ ही हाथ करघा हब बनाने की सफलतम कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

आदरणीय महोदय किरावली स्थित स्टेडियम के सम्बन्ध में–

फतेहपुर सीकरी विधान सभा के अन्तर्गत किरावली में एक स्टेडियम पूर्व से ही स्वीकृत है एवं समय–समय पर इसके निर्माण सम्बन्धी योजनायें भी बनती रही हैं परन्तु स्टेडियम का निर्माण वर्तमान तक शुरू नहीं हो सका है। अतः किरावली स्थित स्टेडियम का निर्माण शीघ्र शुरू कराने का कष्ट करें। साथ ही मांग करता हूं कि किरावली स्टेडियम के नाम पर पूर्व में सरकारी धन की जांच हो।

आदरणीय महोदय फतेहपुर सीकरी बस स्टेशन का उच्चीकरण हेतु–

फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है परन्तु यहां स्थित राज्य परिवहन निगम द्वारा संचालित बस स्टेशन पर सुविधाओं का घोर अभाव है जिससे देशी–विदेशी पर्यटकों पर गलत प्रभाव पड़ता है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त बस स्टेशन का उच्चीकरण करने का कष्ट करें।

अतः आदरणीय महोदय से आग्रह एवं सुझाव है कि श्री राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में उक्त सभी समस्याओं को भी सम्मिलित करने का कष्ट करें, ताकि समस्याओं का समाधान हो सके।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि थाना फतेहपुर सीकरी आज कस्बे से घिर गया है चारों ओर आबादी है उसे राजमार्ग आगरा–जयपुर रोड पर आधुनिक आकर्षक सुविधायुक्त भवन बनाकर स्थानान्तरित किये जाने पर विचार करना चाहिए।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में शीतलकुण्ड और बनखण्डी आध्यात्मिक भाव से जुड़े स्थल हैं जिनका सौन्दर्यीकरण करके पर्यटन युक्त बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाये।

मान्यवर, मैं अनुग्रहीत होऊंगा यदि फतेहपुर सीकरी ब्लाक को फतेहपुर ''सीकरी विकास प्राधिकरण'' बनाकर विकास की आधुनिकता से जोड़ने की कार्यवाही करेंगे।

इसी के साथ ताल वाले बाबा साबरा, हसेला, कचोरा, नागर आदि जैसे पोखरों का आधुनिकीकरण कराने का कष्ट करें।

श्री शीतल पाण्डेय–

महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ प्रमुख समस्यायें छूट गयीं थीं जिसको मैं लिखित रूप में दे रहा हूं जो निम्न है, कृपया इसको संलग्न करने की कृपा करें।

विकास खण्ड सहजनवा के कुछ प्रमुख कार्य–

1–ग्राम पंचायत देवरिया मक्कू कोहार के घर से मेन पिच रोड तक इण्टरलाकिंग दूरी 300 मी0।

2–ग्राम देवरिया में आनन्द राय के घर से मेन पिच तक इण्टरलाकिंग दूरी 150 मी0।

3–ग्राम देवरिया में के0डी0 राय के खेत से छब्बू हरिजन के घर तक पिच रोड/इण्टरलाकिंग दूरी 500 मी0।

4–ग्राम पंचायत रामनगर सूरस में बिन्दू मिश्रा के घर से खोरपार पिच तक पिच रोड एवं दो आर0सी0सी0 पुलिया दूरी 1 किमी0।

5–ग्राम देवरिया में केशवलाल के घर से प्रमोद राय प्रधान के घर तक इण्टरलाकिंग दूरी 300 मी0।

6–कसहरा बाजार से हास्पिटल होते हुए शनिचरा सीवान तक खडन्जा/पिच एवं 2 अदद आर0सी0सी0 पुलिया दूरी 2 किमी0।

7–ग्राम परमेश्वरपुर से भैसहिया चौराहे तक आर0सी0सी0 एवं इण्टरलाकिंग।

8–रघुनाथपुर पिच रोड से श्रीकांत के घर तक इण्टरलाकिंग अथवा सी0सी0 रोड।

9–ग्राम पंचायत भीमापार से बसिया रोड तक पिच का मरम्मत।

10–ग्राम भीटी फोरलेन से बसिया होते हुए पटखौली बखिरा मार्ग तक मरम्मत दूरी
10 कि0मी0।

11–नारंग पट्टी सोनबरसा मार्ग से गनौरा होते हुए माट तक पिच रोड दूरी 5 किमी0।

12–गनौरा घाट पर चोरमा नाला पुल निर्माण कार्य।

13–भगौरा बखिरा मार्ग से टिकरिया तक पिच मरम्मत।

14–बखिरा मार्ग से नहर चौराहे तक सुरगहना तक पिच मरम्मत।

15–हरपुर बुदहट चौराहे से चौरसिया चौराहे तक पिच रोड मरम्मत कार्य।

16–पाली चौराहे से माड़र होते हुए भक्सा तक रोड मरम्मत।

17—मगहर कटसारा मार्ग से दरघाट तक पिच रोड एवं एक अदद पुलिया।

18—बखिरा मुख्य मार्ग से जोगिया इण्टर कालेज, भैसला मुख्य मार्ग तक।

19—बांसपार से जैतपुर तक सड़क मरम्मत।

20—नेटुआ डेरा से गड़रा तक पिच रोड मरम्मत।

21—टेकवार चौराहे से कूड़ा भरत तक मरम्मत।

22—पिपरौली ब्लाक से ग्राम बनौरा तक पिच मरम्मत।

23—घघसरा बाजार के दोनों तरफ नाला निर्माण।

24—सहजनवां बखिरा मार्ग से डुमरी स्कूल के बगल से बिजहुआ तक सड़क मरम्मत।

25—नेवास सम्पर्क मार्ग से मोहनाग तक पिच रोड व एक अदद पुलिया।

26—ग्राम सभा नेवास में बड़की बाग में एक अदद आर0सी0सी0 पुलिया।

27—ग्राम गोविन्दपुर हरिजन बस्ती होते हुए डुमरी तक सड़क निर्माण व एक अदद पुलिया।

28—मगहर कसहरा मार्ग से बटखौलिया होते हुए दरघाट तक मरम्मत।

29—बखिरा पम्प कैनाल से घघसरा बाजार तक नहरी पटरी पर सड़क निर्माण।

30—घघसरा बाजार से पुलिस चौकी होते हुए हड़ही तक सड़क निर्माण।

31—हरपुर बुदहट चौराहे से कुछडेहरी गोरेडीह मार्ग का पिच मरम्मत।

32—ग्राम नेवास में पंचम चाय की दुकान से प्राथमिक विद्यालय होते हुए चौथी तेली के घर तक सड़क निर्माण व दो अदद पुलिया।

33—ग्राम देवरिया में मेन पोखरे की निकासी हेतु दो अदद पुलिया निर्माण।

34—बुदहट माइनर से सेमरी होते हुए गोरेडीह तक सड़क निर्माण।

35—ग्राम पंचायत महदेईया से मदुई तक सड़क निर्माण।

36—ईटार पिच होते हुए घनश्याम पाण्डेय के घर तक तीन डांड पुलिया तक सड़क निर्माण।

37—चिलौना गांव से ककुआपार गांव तक सड़क निर्माण।

38—पाली ब्लाक मुख्यालय से तेलौरा सिसई सम्पर्क मार्ग दो अदद पुलिया।

39—सहजनवा बखिरा मार्ग से दोहरिया कला से माधवपार राजेश सैंथवार के घर तक सड़क निर्माण।

40—कररिया से बेलौरा सुरगहना मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण।

41—नरौली से माधवपुर हरिजन बस्ती तक पिच रोड।

42—ग्राम सभा नचनी हूबलाल के घर से राजकुमार के घर तक पिच रोड।

43—बिसदेव के खेत से मनोज धोबी के घर होते हुए रामनरायन के घर तक सड़क निर्माण।

44—ग्राम पंचायत देवरिया में सुर्जभान कहार के घर से गिरिजाशंकर राय के घर तक इण्टरलाकिंग अथवा सी0सी0 रोड दूरी 300 मी0।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

श्री राज्यपाल के प्रस्ताव के पक्ष में अधिकारियों से हमारे क्षेत्र की निम्न समस्यायें छूट गयी हैं, कृपया निम्नलिखित जोड़ दिया जाये–

1–तहसील धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम खमरिया पंडित में पहले से प्रस्तावित 33/11 के लिए विद्युत केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में।

2–तहसील धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ, वि0 ख0 ईसानगर में 40 किमी0 दूर से विद्युत आपूर्ति होने के कारण 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में।

3–तहसील धौरहरा में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में।

4–तहसील धौरहरा में खेल स्टेडियम खोले जाने के सम्बन्ध में।

5–तहसील धौरहरा में खमरिया पंडिया व ईसानगर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

6–तहसील धौरहरा विधान सभा में क्षतिग्रस्त सभी सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

7–तहसील धौरहरा में मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

8–तहसील धौरहरा में गन्ना विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

9–तहसील धौरहरा में प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों को तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।

10–तहसील धौरहरा में किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य व मण्डी समिति बनाई जाने के सम्बन्ध में।

11–तहसील धौरहरा में तीनों ब्लाकों ईसानगर, धौरहरा, रमियावेहड़ में पीने के पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड है। अतः पेयजल हेतु इण्डिया मार्का–प व ओवरहेड टैंक से पानी सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में।

12–तहसील धौरहरा में ग्राम औझापुरवा, कैराती पुरवा, बेलागढ़ी को पक्की सड़कों से जोड़ा जाये व यहां सरकारी अस्पताल खोला जाये। प्रतापपुर में सरकारी अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में।

13–तहसील धौरहरा में बाढ़ग्रस्त लोगों का पुनर्वास हेतु जमीन दी जाये तथा क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

14–तहसील धौरहरा में तटबन्धों पर पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

15–तहसील धौरहरा में सुजईकुण्डा धौरहरा मार्ग पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

16–तहसील धौरहरा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक गरीब व्यक्ति को राशनकार्ड बनाकर उनको गल्ला दिये जाने के सम्बन्ध में।

17–तहसील धौरहरा में विधवा, दिव्यांगों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में।

18—तहसील धौरहरा में दिव्यांगों को ट्राई साईकिल दिये जाने के सम्बन्ध में।

19—तहसील धौरहरा के ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घण्टे बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में।

20—तहसील धौरहरा के सरसवां से महराजनगर तक रोड मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

21—तहसील धौरहरा में सरैंया से सिंगावर तक रोड की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

22—तहसील धौरहरा में रमियाबेहड़ से परौरी तक रोड मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

23—तहसील धौरहरा के ग्राम अकठी से परौरी तक पक्की रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

24—तहसील धौरहरा के ग्राम सेमरिया में हनुमानगढ़ी धौरहरा में रामवटी में ऐतिहासिक पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

25—तहसील धौरहरा में गन्ना समिति ऐरा के कर्मचारी की भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में।

26—तहसील धौरहरा में ग्राम खमरिया, ईसानगर को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

27—तहसील धौरहरा में रेहुआ चौराहे से धौरहरा वाया बस्तीपुर रोड का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

28—तहसील धौरहरा के ग्राम खमरिया पंडित को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में।

29—तहसील धौरहरा के ग्राम खमरिया से ईसानगर तक चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

30—तहसील धौरहरा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

31—तहसील धौरहरा में राजकीय महिला महाविद्यालय खोला जाये, अल्पसंख्यकों को भी विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

32—तहसील धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम सरैंया से सिंगावर होते हुए हसनपुर कटौली मार्ग के सम्बन्ध में।

33—ग्राम रंजीतगंज रोड से कुमेहना कोनिया होते हुए नैसावाल से धौरहरा मार्ग के सम्बन्ध में।

34—ग्राम हुलासपुरवा, रूद्रपुर हटवा, नारीवेहड़, सौरयागांव के नदी द्वारा भीषण कटान के सम्बन्ध में।

35—वि0ख0 ईसानगर में ग्राम बेततुआ से ग्राम मूड़ी तुलसीराम के खेत के पास से ईसानगर मार्ग तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

36—ग्राम समैसा सैदापुर तिराहे से चौरा होते हुए सुर्जनपुर मिदनिया जगदीशपुर वि0ख0 ईसानगर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

37—धौरहरा तहसील के अन्तर्गत वि0 ख0 धौरहरा के ग्राम खरवहियां मार्ग से तेलियनपुरवा तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में।

38—मण्डी परिषद् सड़क धौरहरा तहसील के अन्तर्गत ग्राम सिंगावर से ग्राम जेठरा तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में।

39—धौरहरा तहसील के अन्तर्गत तहसील धौरहरा मुख्यालय से लखनऊ के लिए बस चलाये जाने के सम्बन्ध में।

40—धौरहरा तहसील के अन्तर्गत कटौली दुर्गापुर पडरी मार्ग से पोखरा ग्राम होते हुए लौकाही मल्लपुर मार्ग तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

41—वि0 ख0 ईसानगर के अन्तर्गत 40 किमी0 के एरिया वाले थाने में फायर बिग्रेड स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में।

42—तहसील धौरहरा मुख्यालय पर पोस्टमार्टम हाउस बनाये जाने के सम्बन्ध में।

43—वि0ख0 ईसानगर के अन्तर्गत ईसानगर प्राथमिक स्वा0 केन्द्र को सामुदायिक स्वा0 केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।

44—तहसील धौरहरा के अन्तर्गत प्रति 10 किमी0 पर पशु चिकित्सालय बनाये जाने के सम्बन्ध में।

45—तहसील धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम खखहिया में पुलिस चौकी पर पुलिस तैनात करने के सम्बन्ध में।

46—धौरहरा तहसील के अन्तर्गत 250 आबादी से ऊपर वाले गांव व मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

47—तहसील धौरहरा के अन्तर्गत धौरहरा, खमरिया, रमियावेहड़, ईसानगर, सरजूनगर, दुर्गापुर/पड़री में अस्पतालों में डाक्टर व स्टाफ भेजने के सम्बन्ध में।

48—तहसील धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम कैरातीपुरवा, ओझापुरवा, वेलागढ़ी नदी के पार हैं, पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में।

49—वि0ख0 ईसानगर के अन्तर्गत लखनऊ से वाया लखीमपुर, ईसानगर, दुर्गापुर पड़री तक रोडवेज बस चलाये जाने के सम्बन्ध में।

50—वि0ख0 ईसानगर के अन्तर्गत सिंगवार रोड से ग्राम नकहिया, सरपतहा तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

51—वि0ख0 ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम ईसानगर बाजार होते हुए थाने के सामने से चिंतापुरवा होते हुए वीरसिंहपुर होकर कटौली रोड तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

52—धौरहरा तहसील के अन्तर्गत वि0 ख0 ईसानगर के खमरिया ईसानगर, पोंगवापुर रोड से ग्राम सिरसी तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में।

53—वि0ख0 रमियावेहड़ के अन्तर्गत ग्राम हौकना से रानीपुरवा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

54—वि0ख0 रमियावेहड़ के अन्तर्गत बन्धा रोड दुलही से दुलही का मजरा टाण्डा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

55–वि0 ख0 धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम हसनापुर रोड से टापरपुरवा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

56–वि0 ख0 ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बदालीपुर से चन्द्रसाखुर्द तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

57–वि0 ख0 धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम सरजूनगर से पुल पर होते हुए हरसिंहपुर लहवड़ी मार्ग तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

58–वि0 ख0 धौरहरा के अन्तर्गत सिसैया धौरहरा मार्ग से छोटकी सिसैया (लोधन सिसैया) तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

59–वि0 ख0 ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम खमरिया पंडित में राजकीय कन्या इण्टर कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में।

60–वि0 ख0 धौरहरा के अन्तर्गत महराजनगर अन्दर से पैकरमा प्रसाद वर्मा के मकान से केशवापुर कलां रोड तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

61–वि0 ख0 ईसानगर के अन्तर्गत ईसानगर मुड़ी मार्ग से खमरिया कलां होते हुए भंगहा मस्जिद पास से ग्राम त्रिकोलिया मार्ग तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में।

62–वि0 ख0 धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम परौरी रोड से गुलरीपुरवा होते हुए ग्राम परसा तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में।

63–वि0 ख0 ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम गूढ़ से बहराइचपुरवा होते हुए ग्राम कैरातीपुरवा से बेलागढ़ी तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में।

64–वि0 ख0 धौरहरा के अन्तर्गत बहराइच रोड से ग्राम स्वर्गलोक मजरा रामलोक तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में।

65–वि0 ख0 ईसानगर के अन्तर्गत ईसानगर रोड से विनीत अवस्थी के खेत के पास से रामशंकर के खेत होते हुए बेल्तुआ रोड तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में।

66–वि0 ख0 धौरहरा के अन्तर्गत सिसैया रोड से बोझिया ग्राम मजरा अदलीसपुर तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में।

67–वि0 ख0 रामियाबेहड़ के अन्तर्गत टहारा मार्ग से सुखनीपुरवा होते हुए कफारा मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

श्री योगेश धामा–

15 मई को महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, महामहिम जी के अभिभाषण में उ0 प्र0 को पुनः विकसित, भय और भ्रष्टाचार मुक्त करने का जिक्र करते हुए सबका साथ सबका विकास के संकल्प से प्रदेश की जनता में आशा की एक नयी किरण जगी है परन्तु जिस तरह का आचरण विपक्ष द्वारा इस सदन में हो रहा है। उससे सदन की परम्परा, संस्कृति और सदन की मर्यादा एवं गरिमा को निश्चित रूप से ठेस पहुंची है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में बागपत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं यह वह क्षेत्र है जो किसान मसीहा स्व0 चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रहा है। परन्तु

कुछ राजनैतिक दलों ने पिछले 40 वर्षों से चौ0 चरण सिंह के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने का काम किया है जिसके कारण देश की राजधानी के सबसे निकट का यह हिस्सा आज भी विकास की बाट जोह रहा है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जनपद सृजित होने के 20 वर्षों बाद भी बागपत जिला मुख्यालय में एक बस अड्डा तक नहीं है।

इसके अलावा मैं अपने पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले 40 वर्षों से बागपत के विकास न होने का एक कारण बागपत से गुजरने वाले दिल्ली यमुनोत्री राज्य राजमार्ग की दयनीय स्थिति का होना रहा है। परन्तु महामहिम राज्यपाल द्वारा अपनें अभिभाषण में सदन को अवगत कराया है कि सरकार द्वारा 29 राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बित एन0ओ0सी0 जारी कर दी गयी है। जिनमें दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग भी शामिल है।

मा0 अध्यक्ष महोदय इसके अलावा पश्चिमी उ0 प्र0 में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना के विषय पर भी इस सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय पाने के लिए लगभग 700 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है जो कि स्वयं में एक बहुत बड़ी विडम्बना है। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हमारी सरकार का चुनावी मुद्दा भी रहा है। मा0 अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर अतिशीघ्र प्रभावी कार्यवाही की जाये।

मा0 अध्यक्ष महोदय, चूंकि बागपत क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। इसके बावजूद भी पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उपेक्षित किये जाने के कारण इस क्षेत्र की नहरों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। पूर्व यमुना नहर, बागपत जिसका टेल बाग है। उससे सम्बन्धित राजवाहों व माइनरों में सिल्ट जमा हुई है। बर्म बढ़ हुये हैं ज्यादातर रेग्यूलेटर कार्य नहीं कर रहे हैं एवं पानी भी बहुत ही अल्प मात्रा में आता है। इसके अलावा सामान्तर योजना के तहत सन् 2000 में मेरे जनपद के चौगामा क्षेत्र के लिए एक नहर विकसित की गयी थी। जिसमें आज तक कभी भी रबी की फसल के लिए पानी नहीं आया है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि अगर आज सरकार इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार नहीं करती तो आने वाले कल में यह युवाओं के भविष्य के लिए अत्यन्त घातक साबित होता यहां पर मैं खासकर पश्चिम उ0 प्र0 की बात करना चाहता हूं। जहां पर पिछली सरकारों द्वारा पोषित अपराधियों के रसूक, उनको मिलने वाली मीडिया कवरेज व अन्य कई कारणों से युवाओं ने अपना आदर्श मानकर अपराध की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। महामहिम महोदय के अभिभाषण से यह साफ प्रतीत होता है कि यह सरकार ऐसे अपराधियों से इतनी शक्ति से निपटेगी कि पश्चिम उ0प्र0 में उपजी क्राइम कल्चर की इस संस्कृति पर अंकुश लग सके।

मा0 अध्यक्ष महोदय, बताना चाहूंगा कि बागपत जनपद में दो कोआपरेटिव चीनी मिलें हैं। जिनकी पेराई क्षमता 25,000 क्वंटल प्रति दिन की है। जबकि दोनों ही चीनी मिलों के क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 75 से 80 हजार क्वंटल गन्ने का उत्पादन होता है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले पेराई सत्र से पहले ही इन दोनों चीनी मिलों की क्षमता वृद्धि पर प्रभावी कार्यवाही की जाये।

महोदय, इसके अतिरिक्त मैं अपने जनपद में बहने वाली कृष्णा नदी के बारे में भी सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि यह नदी पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षाओं के कारण इतनी दयनीय स्थिति में जा चुकी है कि आज यह नदी जनपद में बीमारियों का कारण बन चुकी है। अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से पुनः विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त सभी मुद्दों का संज्ञान लेते हुए अतिशीघ्र प्रभावी कार्यवाही की जाये। इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर एक बार फिर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं।

धन्यवाद।

श्री राजेश कुमार मिश्रा 'पप्पू भरतौल'–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

1–परमपूज्य महाराज मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से आयी है तब से प्रदेश की जनता अमन चैन की नींद सो रही है। गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, कालाबाजारी जड़ से खत्म कर दी गयी है। जनता मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का भरपूर समर्थन करती है।

2–नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष का मैं विरोध करता हूं, विपक्ष ने मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर शोर मचाया व सीटी बजायी यह कृत विपक्ष का ठीक नहीं था, मैं विपक्ष का निन्दा के साथ विरोध करता हूं।

3–मा0 अध्यक्ष महोदय मेरा विधान सभा क्षेत्र 123, विथरी चैनपुर बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में कन्या विद्यालय खुलना बहुत जरूरी है।

4–ब्लाक आलमपुर जाफराबाद के गांव देवचरा में कन्या डिग्री कालेज खुलना बहुत जरूरी है।

5–ब्लाक मंझगवां के विशारतगंज नगर पंचायत में कन्या इण्टर कालेज खुलना है।

6–ब्लाक क्यारा के श्री गोपाला सिद्ध मंदिर (बरकलीगंज) में कन्या इण्टर कालेज खुलना जरूरी है।

7–ब्लाक बिथरी चैनपुर के ग्राम केसरपुर में भी कन्या इण्टर कालेज खुलना जरूरी है।

8–जेलों में सजा प्राप्त बन्दी 30–30 साल की सजा काट चुके हैं। जिनका चलना, फिरना, उठना, बैठना नहीं हो पाता है, उनको रिहा करने की कृपा करें।

9–तहसील में तहसील पुलिस या थाना पुलिस की व्यवस्था की जाये जिससे सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जा सके।

10–बरेली में एक बाई–पास की जरूरत है जो की मेरे विधान सभा क्षेत्र से होकर एन0एच0–24 के ग्राम सुन्दरपुर से ग्राम बुखारा–फरीदपुर मार्ग पर जा कर मिलेगा जो कि बदायूं, एटा, मथुरा, बुलन्दशहर, आगरा आदि शहरों को जोड़ेगा। तभी बरेली शहर के अन्दर बाहरी वाहनों के आने–जाने पर रोक रहेगी। भारी वाहनों की वजह से कई व्यक्तियों व स्कूली बच्चों तथा महिलाओं की एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो चुकी है।

11–मेरी विधान सभा में विद्युत की आपूर्ति बाधित रहती है साथ ही कई जगह जर्जर तार, ट्रांसफारमर बदलना बहुत भी जरूरी है।

12–मा0 ठिरिया निजावत खां में विद्युत निगम से बिजली घर का निर्माण हुआ मगर इसे शुरू नहीं किया गया। इसे सुचारुरूप से चालू कराने की कृपा करें।

13–बरेली में एक ट्रामा सेन्टर खुलना भी बहुत जरूरी है।

14–बरेली में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होना भी बहुत जरूरी है।

मैं राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए और मा0 सदन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे मा0 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बोलने का अवसर प्रदान किया।

जय हिन्द जय भारत।

श्री संगम लाल गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, 15 मई को महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि एक लम्बे अर्से के बाद उ0 प्र0 जैसा बड़ा राज्य जो भय, भूख और भ्रष्टाचार से बुरी तरह से पीड़ित था उसे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किये गये उल्लेख की जब तक समाज के अन्तिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं आयेगी तब तक विकास का सपना अधूरा रहेगा तथा लोगों के अधूरे मन और उ0 प्र0 के प्रति टूट रहे मनोबल रूपी अंधेरे में जैसे सूरज की किरण बिखेरने का काम किया है।

महामहिम जी के अभिभाषण में उ0 प्र0 को पुनः अग्रिम पंक्ति में लाने का जिक्र करते हुए ''सब का साथ–सब का विकास'' के संकल्प की बात ने प्रदेश को एक उम्मीदों की राह दिखाने का काम किया है प्रदेश में अब तक बेपटरी हो चुकी प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारी, कर्मचारियों का समय से कार्यालयों में उपस्थित न होने पर जनता दर–दर की ठोकरे खाती थी पर महामहिम द्वारा धीरे–धीरे सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था हो जाने के जिक्र को लेकर आम जनमानस में प्रशासनिक जवाबदेही के प्रति जगी आशा के लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

महामहिम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक अपने कार्यालयों में जनता की समस्याओं को सुनने और उसके निराकरण की प्रभावी व्यवस्था के लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, कर्जों के बोझ से लदे किसान भाईयों के एक लाख तक के फसली ऋण को माफ करने के साथ ही महामहिम द्वारा पूरे प्रदेश में एक समरूपता स्थापित करते हुए बिना किसी भेदभाव के जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे, तहसील में 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बात भी निश्चित रूप से धन्यवाद ज्ञापित करने योग्य है और सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश में अमन चैन व कानून का राज स्थापित करने के संकल्प के साथ ही गुण्डे माफियाओं से पिस रही जनता को निजात दिलाने के लिए सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जों को हटवाने के लिए एन्टी भू–माफियाओं टास्क फोर्स के गठन का निर्णय भी निश्चित रूप से धन्यवाद के लिए मजबूर करता है।

मा0 अध्यक्ष जी, गुण्डे माफियाओं व बाहुबलियों द्वारा मनमाने तरीके से सूची बनाकर गरीबों के राशन को डाका डालने व उनके जीवन उपयोगी पेंशन योजनाओं पर कुण्डली मारे बैठे लोगों पर लगाम लगाने के लिए पूरी पारदर्शिता से पात्र व्यक्तियों का चयन कर उन्हें उनके हक का राशन दिलाने पेंशन व्यवस्था करने की पहल के साथ ही वृद्धावस्था पेंशन व दिव्यांग पेंशन की धनराशि बढ़ाने की पहल भी निश्चित रूप से एक अत्यन्त सराहनीय कदम है। जिसके लिए मैं महामहिम के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अन्त में मैं गड्ढों और तालाबों की शक्ल में फंसी विकास की रफ्तार को गति देने के लिए 15 जून तक प्रदेश की सभी प्रकार की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर विकास की मुख्य धारा में उ0 प्र0 को लाकर खड़ा करने के संकल्प के लिए महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अन्त में मैं महामहिम श्री राज्यपाल महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी की पारदर्शी पहल करने के लिए उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अनुरोध करता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ में स्थापित हुई ए0टी0एल0 फैक्ट्री जिसे तत्कालीन सरकार ने बेच दिया आज उसकी भूमि और भवन लगभग 200 बीघे के क्षेत्रफल में लावारिस पड़ी हुई है। इस पर तत्काल ध्यान देते हुए पुर्नस्थापित करने की मांग करता हूं कि उसमें पहल कर कई जन उपयोगी उद्योग स्थापित कर युवाओं को रोजगार का उपक्रम स्थापित कराया जाये।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी–

महाभारत में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब–जब धर्म की हानि होती है, तब–तब धार्मिक पुनर्जागरण के लिए महापुरुष का अवतार होता है। मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश में अधर्म का राज स्थापित हो गया था धर्म का राज स्थापित करने के लिए कृष्ण के रूप में माननीय योगी जी का अवतार हुआ है।

धर्म से मतलब कदापि किसी धर्म विशेष से नहीं है। धर्म से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें हर व्यक्ति अपने–अपने कर्तव्य का पालन करे और सबको न्याय मिले। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा भी है या यूं कह लीजिये हमारी सरकार का मूल मंत्र है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था गत सरकार के काम को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी हम उस परम्परा के पोषक हैं। गड्ढा को और गहरा नहीं करना गड्ढे को पाटकर बेहतर सड़क बनाना हमारी संस्कृति है। आज हमारे सामने गड्ढे को पाटने में कठिनाई क्यों हो रही है क्योंकि मायाराज के गड्ढे को अखिलेश राज में और गड्ढा कर दिया गया। दो सरकारों द्वारा किये गड्ढे को भरने में समय लगेगा 2 महीने का समय विपक्ष ने जो तय किया है यह निश्चित रूप से कम है।

गत सरकार द्वारा बनायी गयी कमजोर नींव को मजबूत बनाकर बेहतर इमारत खड़ी करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा कहना उचित नहीं है। हम अपने संकल्प–पत्र में जो वादा किये थे उसे पूरा कर रहे हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हमारी सरकार की प्राथमिकता है कभी उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेश था लेकिन आज पीछे है। उत्तर प्रदेश का अतीत अच्छा रहा है। गत सरकार की व्यवस्था बिगड़ी थी उसे ठीक करना हमारी कार्य योजना में है।

भोजन, पेयजल, आवास, स्वच्छता (शौचालय), स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था के साथ–साथ जनधन की सुरक्षा के लिए योगी सरकार दृढ़ संकल्प है।

हम सभी सरल सुलभ और संवेदनशील परम्परा से आते हैं। विपक्ष अपने को इस परम्परा से दूर रखना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आम आदमी की खुशी और नाराजगी का मापदण्ड चुनाव होता है। 2017 के विधान सभा में प्रदेश की जनता ने सपा, बसपा, कांग्रेस को नकार कर प्रदेश में भाजपा की प्रचण्ड बहुमत की सरकार बनायी है लेकिन सत्ता से दूर रहने की पीड़ा जो विपक्ष को है उससे यह तय है कि सरकार और सत्ता सुख भोगने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं।

मैं कुशीनगर विधान सभा से आता हूं मेरे विरुद्ध सपा के एक वरिष्ठ मंत्री चुनाव लड़े थे, उनकी सम्पत्ति 2012 में 2 करोड़ थी 2017 में जब शपथ–पत्र दाखिल किये तो उनकी सम्पत्ति 32 करोड़ हो गयी, ऐसे सभी लोगों के आय से अधिक सम्पत्ति के मामले की जांच होनी चाहिए।

किसी भी चुनी हुई सरकार की आलोचना तथ्यगत होना चाहिए। विरोध के लिए विरोध करने की परम्परा पर विराम लग जाता तो दोनों मिलकर विकास की बात करते या फिर बेहतर प्रशासन देने की बात करते।

सत्ता और विपक्ष दोनों के विचार और व्यवहार को जनता देख रही है। अपराधियों को संरक्षण मिलना बन्द हो जाये तो आज से अपराध कम हो जायेगा। जहां तक कानून राज का विषय है। कानून व्यवस्था में गुणात्मक सुधार है। बिजली व्यवस्था पहले से काफी बेहतर है, अधिकारी, कर्मचारी समय से उपस्थित होकर जनता को सुनकर उनकी समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के साथ–साथ व्यवस्था परिवर्तन दिख रहा है। विपक्ष को भले न दिखे। राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण से स्पष्ट है कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण का समर्थन करते हुए मेरा कहना है कि कृषि के क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम्य विकास की योजना समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, बाल विकास, उच्च शिक्षा व बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल, चिकित्सा शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात को प्रोत्साहन, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, बैंकिंग व्यवस्था, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ऊर्जा के क्षेत्र में, न्याय, पर्यटन, खनन, राजस्व, सड़क, परिवहन सभी क्षेत्रों की योजना सरकार ने बनायी है और काम भी हो रहे हैं।

कुशीनगर मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज एवं बुद्ध डिग्री कालेज को विश्वविद्यालय की मान्यता तथा भगवान बुद्ध वैशाली से चलकर कुशीनगर पहुंचे उस मार्ग को बुद्धगमन मार्ग बनाकर पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। मैत्रय परियोजना का सच क्या है ? सदन के माध्यम से यह आग्रह कराना चाहते हैं कि इस संस्था की जांच करायी जाये।

श्रीमती कृष्णा पासवान–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में बोलने का मौका दिया। मैं आपकी आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी मैं जनपद फतेहपुर, खागा विधान सभा से चुनकर लगातार आ रही हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा अति पिछड़ी है। पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मेरी विधान सभा खागा में बिजली की यह स्थिति थी कि दो घण्टे, तीन घण्टे आती थी बहुत बड़ा आन्दोलन करने के बाद बिजली

की स्थिति कुछ ठीक हुई तथा 4–5 घण्टे आती थी। माननीय अध्यक्ष जी, भारती जनता पार्टी की केन्द्र में सरकार जब से बनी। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी बिजली के बारे में लगातार कहते थे, पर समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली की स्थिति सुधरी नहीं थी, जब से मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं 24 घण्टे शहर को, 20 घण्टे तहसील को और 18 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र को बिजली मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी लोग कहते थे कि हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं पर उत्तर प्रदेश में जब से केन्द्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने किसानों के चेहरों में खुशहाली चमक आयी, क्योंकि प्रधानमंत्री कोष से दैवीय आपदा में जितनी आसमानी बिजली से घटनायें हुई थीं उन लाभार्थियों के खाते में चार–चार लाख रुपया सीधे खाते में पहुंचा था। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दैवीय आपदा में खेतों में आग लगी, खलिहान में आग लगी, गांव में आग लगी, जो 48 घण्टे में चेक देने का काम किया गया, उसकी किसान भूरि–भूरि प्रशंसा करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा 243, खागा, फतेहपुर, धाता ब्लाक में गन्ना का उत्पादन बहुत होता है। यहां पर चाहे चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ एवं फतेहपुर जितने जिले आते हैं। इस ब्लाक में आसपास गन्ने की खेती बहुत होती है।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह निवेदन है कि एक वहां पर चीनी मिल की स्थापना करने का कष्ट करें। जमीन ग्राम सभा भूरचुनी में 225 बीघा ग्राम समाज की जमीन बंजर पड़ी है। उसी में चीनी मिल की स्थापना करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

श्री महेन्द्र पाल सिंह–

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, 2014 में जब केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी बनें, तो उन्होंने एक नारा दिया ''सबका साथ सबका विकास'' और उसी अनुरूप चलते हुए उन्होंने देश को नई ऊंचाई दी और देश निरन्तर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने गांव के गरीब को प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना देकर पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी का सपना अन्तिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देने का कार्य किये हैं। प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देखकर गांव की जनता ने विश्वास कर 2017 उ0 प्र0 में भा0ज0पा0 की प्रचण्ड बहुमत की सरकार बनाई। हमारी सरकार के प्रथम कैबिनेट की बैठक में किसानों की पीड़ा को समझा और उनके 1 लाख रुपये तक के फसली ऋण को 31.03.2016 तक का माफ किया। आज बिजली शहर में 24 घण्टा, तहसील में 20 घण्टा, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टा देने का कार्य किया है, अक्टूबर, 2018 तक हर घर को बिजली से परिपूर्ण कर 24 घण्टा बिजली देने का संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश में 5027 गेहूं क्रय केन्द्र खोलकर किसानों से सीधा गेहूं 1625/– कुन्टल के दर से शत–प्रतिशत खरीद हो रही है और एक सप्ताह के अन्दर किसान के खाते में त्ळै के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गयी है। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 85ः भुगतान कर दिया है शेष जल्द ही भुगतान कर दिया जायेगा। भा0ज0पा0 की सरकार गांव, गरीब व

किसानों की सरकार है। हम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए हमारे विधान सभा क्षेत्र में रोहिन नदी के किनारे ताल जहदा का बड़ा कृषि भू–भाग जो लगभग 2000 एकड़ है। यहां पर बरसात के समय में पानी निकास की व्यवस्था न होने के कारण धान की फसल डूब जाती है और फसल समाप्त हो जाती है। हम माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मांग करता हूं कि एक पम्प की व्यवस्था हो जिससे कृषि भू–भाग से जल निकासी करवाकर फसल की सुरक्षा हो सके।

अध्यक्ष जी हमारे विधान सभा क्षेत्र में टिकरियां जंगल भेलमपुर है जिसमें नीलगायों की संख्या बहुत ज्यादा है जिससे जंगल के आस–पास के सभी कृषि फसलों का नुकसान हो जाता है जिससे किसान की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है और उसकी स्थिति दिन–प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। आप के माध्यम से यह मांग करता हूं कि समस्या का स्थाई समाधान हो जिससे किसान की फसलों की सुरक्षा हो सके और किसान खुशहाल हो। ऐसी हमारी सरकार की सोच है।

मा0 अध्यक्ष जी मैं आप में आस्था व्यक्त करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री संदीप सिंह–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रथम अधिवेशन में माननीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जनार्दन द्वारा केन्द्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचण्ड बहुमत दिलाकर सरकार बनाने का कार्य किया। मा0 सदन के नेता एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मा0 मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश मात्र 02 माह के कार्यकाल में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सरकार के संकल्प–पत्र में यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग के अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। उसी क्रम में सरकार द्वारा आहूत अपनी प्रथम कैबिनेट बैठक में ही प्रदेश के कई वर्षों से पीड़ित किसानों की ऋण माफ किये जाने, अवैध बूचड़खानों को बन्द किये जाने, वर्षों से गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किये जाने, गांव के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ उनको ड्रेस, बैग एवं किताबें आदि उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि मेरी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त कर पूरी पारदर्शिता के साथ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास करने हेतु कृत संकल्प है। मा0 अध्यक्ष जी, पूर्व में कुछ जनपद वीवीआईपी श्रेणी में रखे गये थे जिनमें विद्युत आपूर्ति अन्य जिलों के अपेक्षा अधिक उपलब्ध करायी जाती थी किन्तु मेरी सरकार द्वारा जनता की उम्मीदों के अनुरूप ''सबका साथ सबका विकास'' की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मा0 अध्यक्ष जी, इधर बीच मुझे अपने विधान सभा क्षेत्र में जाने का अवसर प्राप्त हुआ जहां ग्रामीण जनता को मेरी सरकार द्वारा 18 से 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति होने से काफी खुशी का माहौल है। जबकि अधिकारी वही हैं केवल सरकार द्वारा कार्य लिये जाने की प्रणाली बदल गयी है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, पूर्व में माता–बहनों में जहां असुरक्षा की भावना थी, पढ़ने जाने वाली छात्राओं के वापस आने तक उनके परिवार में चिन्ता बनी रहती थी। आज मेरी सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्कवायड का गठन कर मनचलों व आपराधिक प्रवृत्ति के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया उससे बहन–बेटियों एवं छात्राओं में निर्भीकता एवं सुरक्षा की भावना जागृत हुई है। मा0 अध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में किसानों की मेहनत से उत्पादित फसल गेहूं एवं आलू का उचित मूल्य वर्तमान सरकार द्वारा दिलाया जा रहा है तथा किसानों के बीच से बिचौलिया को हटाकर सीधे उनकी फसल को क्रय केन्द्र पर बेचने एवं उनका भुगतान तय समय पर किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो सम्भव नहीं हो पाया वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश की जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने का जो संकल्प मेरी सरकार द्वारा लिया गया है उस पर त्वरित गति से समयबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में कार्य किया जा रहा है।

मा0 अध्यक्ष जी, अन्त में मैं आपके माध्यम से लोक संकल्प–पत्र में जो भी वादे किये गये हैं उनको पूरा करने हेतु सरकार कृत संकल्प है और जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षा पर खरा उतरने हेतु हर सम्भव प्रयास कर रही है। मा0 अध्यक्ष महोदय, वर्षों से अवैध कब्जों से परेशान गांव एवं शहरी को जनता को राहत दिलाने हेतु सरकार द्वारा अवैध कब्जेदारों को बेदखल कर वास्तविक कब्जा दिलाने का जो कार्य कर रही है वह एक ऐतिहासिक कदम है। मा0 अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग से लेकर और जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थायें हैं उनकी साख एवं प्रतिष्ठा को गिराने का पूर्व में जो कार्य किया गया उसको स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा संकल्प लिया गया है।

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के मा0 विधायकगण से अनुरोध करना चाहूंगा कि सदन की एक गरिमा होती है। मा0 राज्यपाल जी प्रदेश के सर्वप्रथम नागरिक एवं हम सबके लिए आदरणीय भी हैं। अतः प्रतिपक्ष द्वारा मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय प्रतिपक्ष द्वारा जो कृत्य किया गया वह अत्यन्त अशोभनीय एवं सदन की गरिमा के सर्वथा प्रतिकूल है।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए हार्दिक धन्यवाद।

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम 51 के अन्तर्गत सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) को वक्तव्य पीछे पृष्ठ 158 पर)

सिंचाई खण्ड द्वितीय, देवरिया

रबी 1424 फसली में नहरों के टेल फीडिंग की स्थिति

जनपद–देवरिया

क्र0 सं0	नहर का नाम	नहर की लम्बाई (कि0मी0 में)	टेल फीडिंग की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	देवरिया राजवाहा	54.000	टेल फीड	
2	मा0 गौनरिया	10.200	टेल फीड	
3	मा0 पहाड़पुर	2.700	टेल फीड	
4	मा0 बरारी	6.000	टेल फीड	
5	मा0 करजही	3.000	टेल फीड	
6	रा0 परसा	9.200	टेल फीड	
7	मा0 बरनई	3.300	टेल फीड	
8	मा0 बलियवां	3.300	टेल फीड	
9	मा0 भीमपुर	1.800	टेल फीड	
10	मा0 बैकुण्ठपुर	7.800	टेल फीड	
11	मा0 बभनी	7.400	टेल फीड	
12	मा0 भगवानपुर	3.000	टेल फीड	
13	रा0 हाटा	58.200	टेल फीड	
14	द्वारिका रा0	22.300	टेल फीड	
15	पटनी रा0	11.570	टेल फीड	
16	मा0 दुबौली	4.000	टेल फीड	
17	मा0 मन्झरिया	1.800	टेल फीड	
18	मा0 मुण्डेरा	5.800	टेल फीड	
19	मा0 हेतिमपुर	4.000	टेल फीड	
20	मा0 सेमरा	6.500	टेल फीड	
21	मा0 बालकुआं	3.200	टेल फीड	
22	मा0 शामपुर	4.200	टेल फीड	
23	रा0 सिरसिया	12.800	टेल फीड	
24	मा0 शहबाजपुर	2.325	टेल फीड	
25	मा0 बरईपुर	4.800	टेल फीड	

1	2	3	4	5
26	मा0 माधोपुर	3.200	टेल फीड	
27	मा0 रघवापुर	3.200	टेल फीड	
28	मा0 डुमरी	1.790	टेल फीड	
29	मा0 धनौती	7.800	टेल फीड	
30	मा0 सिधुवा	2.600	टेल फीड	
31	मा0 प्रानपुर	5.800	टेल फीड	
32	मा0 करमहां	2.893	टेल फीड	
33	रा0 बैतालपुर	29.400	टेल फीड	
34	रा0 गौरीबाजार	22.540	टेल फीड	
35	मा0 रैश्री	3.200	टेल फीड	
36	मा0 ककवल	5.800	टेल फीड	
37	मा0 रतनपुर	7.400	टेल फीड	
38	मा0 पड़री	6.400	टेल फीड	
39	मा0 सुरचक	4.600	टेल फीड	
40	मा0 चरियावं	6.070	टेल फीड	
41	मा0 सिरजम	4.200	टेल फीड	

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड द्वितीय,
देवरिया।

सिंचाई खण्ड द्वितीय, देवरिया

रबी 1424 फसली में नहरों के टेल फीडिंग की स्थिति

जनपद–कुशीनगर

क्र0 सं0	नहर का नाम	नहर की लम्बाई (कि0मी0 में)	टेल फीडिंग की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	रा0 कप्तानगंज	48.000	टेल फीड	
2	मा0 कोटवा	0.100	टेल फीड	
3	मा0 पटखौली	3.800	टेल फीड	
4	रा0 नरायनपुर	16.680	टेल फीड	
5	मा0 लक्ष्मीपुर	8.850	टेल फीड	
6	मा0 मधौली	5.400	टेल फीड	

7	मा0 पचार	3.500	टेल फीड	
1	2	3	4	5
8	मा0 सिरसिया	2.850	टेल फीड	
9	मा0 अजीजनगर	3.100	टेल फीड	
10	मा0 सकरौली	3.400	टेल फीड	
11	नि0 देवरिया शाखा	38.600	टेल फीड	
12	रा0 डेरवा	21.000	टेल फीड	
13	मा0 बरवाकला	2.400	टेल फीड	
14	मा0 कारीतीन	2.000	टेल फीड	
15	मा0 भड़सर	1.800	टेल फीड	
16	मा0 सुधियानी	3.080	टेल फीड	
17	मा0 असना	4.500	टेल फीड	
18	मा0 भलूही	0.050	टेल फीड	
19	रा0 खोट्ठा	6.800	टेल फीड	
20	मा0 सितुहिया	4.000	टेल फीड	
21	मा0 सिहुलिया	4.600	टेल फीड	
22	रा0 बलुआ	10.220	टेल फीड	
23	मा0 बेलवा/बलुआ	2.296	टेल फीड	
24	मा0 पट्टन	4.160	टेल फीड	
25	मा0 बाधनाथ	5.600	टेल फीड	
26	मा0 खैरटवा	3.500	टेल फीड	
27	मा0 धरमपुर	3.100	टेल फीड	
28	मा0 रामपुर पौटवा	3.076	टेल फीड	
29	मा0 भुजौली	4.450	टेल फीड	
30	मा0 पिपराशीतल	6.900	टेल फीड	
31	रा0 सुकरौली	14.500	टेल फीड	
32	मा0 तितिला	5.400	टेल फीड	
33	मा0 गनेशपुर	5.000	टेल फीड	
34	मा0 पिड़रा	5.550	टेल फीड	
35	मा0 विशुनपुर	3.000	टेल फीड	
36	मा0 पिपरा	3.200	टेल फीड	
37	मा0 बेलवा/बैतालपुर	2.800	टेल फीड	
38	मा0 चम्पापुर	2.200	टेल फीड	

अधिशासी अभियन्ता,

सिंचाई खण्ड द्वितीय,
देवरिया।

अनुबन्ध का सार

1–अनुबन्ध संख्या– 18/एस0ई0/2015–16/दिनांक 31.03.2016

2–ठेकेदार का नाम– श्री रवीन्द्र कुमार
ग्राम टिकरा, पोस्ट कहुआ मिल्कीपुर,
जिला फैजाबाद (उ0 प्र0)।

3–कार्य का नाम– मथौली माइनर, हरखा रोड सहित माइनर, बिना माइनर — जोगिया माइनर, घुघली माइनर, हरखी माइनर, माइनर, पचार माइनर, पटखौली माइनर, बरवां माइनर, लक्ष्मीपुर माइनर (09 अदद माइनर सर्विस के पुनर्स्थापना कार्य) सिरसिया माइनर, अजीजनगर सकरौली माइनर, पकड़ियार माइनर (04 अदद माइनर सर्विस रोड के पुनर्स्थापना का कार्य) (कुल 13 अदद की पुनर्स्थापना कार्य)।

4–खण्ड का नाम– सिंचाई खण्ड–द्वितीय, देवरिया

5–कार्य प्रारम्भ की तिथि– **04.04.2016**

6–कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि– **03.01.2017**

7–जमानत की धनराशि

एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0– **रु0 5,43,000.00**

8–प्राफार्मेन्स सिक्योरिटी– **रु0 शून्य**

9–स्टाम्प ड्यूटी– **रु0 38,100.00**

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुबन्ध की मात्रा	दर	अनुबन्ध की धनराशि
1	.....। चमत ठपसस वि फनंदजपजल			**68,57,964.00**

अनुबन्ध का सार

1–अनुबन्ध संख्या– 21/एस0ई0/2015–16/दिनांक 31.03.2016

2–ठेकेदार का नाम– मे0 श्रेया इण्टरप्राइजेज, प्रो0 श्री राजेन्द्र कुमार,
पुत्र श्री हनुमान प्रसाद,
2/3/22बी, कन्धारी बाजार,
जिला फैजाबाद (उ0 प्र0)।

3–कार्य का नाम– अदद करजही माइनर, — बरारी माइनर, बभनी माइनर, बैकुण्ठपुर माइनर, (03 माइनर सर्विस रोड सहित के पुनर्स्थापना कार्य) माइनर, भगवानपुर माइनर, वरनई माइनर, बलियवा भीमपुर माइनर (05 अदद माइनर बिना सर्विस

रोड के पुनर्स्थापना — पुनर्स्थापना का कार्य) (कुल 08 अदद माइनर की कार्य)।

4–खण्ड का नाम– सिंचाई खण्ड–द्वितीय, देवरिया

5–कार्य प्रारम्भ की तिथि– **04.04.2016**

6–कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि– **03.01.2017**

7–जमानत की धनराशि

एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0– **रु0 4,68,000.00**

8–प्राफार्मेन्स सिक्योरिटी– **रु0 शून्य**

9–स्टाम्प ड्यूटी– **रु0 32,800.00**

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुबन्ध की मात्रा	दर	अनुबन्ध की धनराशि
1	.....। चमत ठपसस वि फनंदजपजल			**53,58,368.00**

अनुबन्ध का सार

1–अनुबन्ध संख्या– 05/एस0ई0/2015–16/दिनांक 30.03.2016

2–ठेकेदार का नाम– श्री केदारनाथ दूबे, पुत्र स्व0 बृजराज दूबे, ग्राम भखरा, थाना खजनी, जिला गोरखपुर।

3–कार्य का नाम– सहित के रामपुर सर्विस रोड — पिपराशीतल माइनर, (01 अदद माइनर सर्विस रोड पुनर्स्थापना कार्य) खैरटवां माइनर, धर्मपुर माइनर, माइनर, पौवटवा माइनर, (03 अदद माइनर बिना के पुनर्स्थापना का कार्य) (कुल 04 अदद माइनर की पुनर्स्थापना कार्य)।

4–खण्ड का नाम– सिंचाई खण्ड–द्वितीय, देवरिया

5–कार्य प्रारम्भ की तिथि– **04.04.2016**

6–कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि– **03.01.2017**

7–जमानत की धनराशि

एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0– **रु0 3,95,000.00**

8–प्राफार्मेन्स सिक्योरिटी– **रु0 शून्य**

9–स्टाम्प ड्यूटी– **रु0 27,700.00**

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुबन्ध की मात्रा	दर	अनुबन्ध की धनराशि
1	.....। चमत ठपसस वि फनंदजपजल			**39,48,233.00**

अनुबन्ध का सार

1–अनुबन्ध संख्या– 20/एस0 ई0/2015–16/दिनांक 31.03.2016

2–ठेकेदार का नाम– श्री अनूप सिंह, पुत्र श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह,

झारखण्डी,

एमआईजी–974, आवास विकास कालोनी, महादेव कूड़ाघाट, गोरखपुर।

3–कार्य का नाम– चरियांव मा0, रैश्री कार्य।

तितिला मा0, गनेशपुर मा0, पिंडरा मा0, पिपरा मा0, मा0, सिरजम मा0, सुरचक मा0, ककवल मा0, रतनपुर पड़री मा0, विशुनपुर मा0, बेलवा मा0, चम्पापुर मा0, मा0, बाघनाथ मा0, पहाड़पुर मा0 की पुनर्स्थापना

4–खण्ड का नाम– सिंचाई खण्ड–द्वितीय, देवरिया

5–कार्य प्रारम्भ की तिथि– **04.04.2016**

6–कार्य समाप्ति की प्रस्तावित तिथि– **03.01.2017**

7–जमानत की धनराशि

एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0– **रु0 7,03,000.00**

8–प्राफार्मेन्स सिक्योरिटी– **रु0 5,49,500.00**

9–स्टाम्प ड्यूटी– **रु0 49,300.00**

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुबन्ध की मात्रा	दर	अनुबन्ध की धनराशि
1	.....। चमत ठपसस व फिनंदजपजल			1,00,59,485.00

अधीक्षण अभियन्ता,
गण्डक सिंचाई कार्य
मण्डल–प्रथम,
गोरखपुर।

पी0एस0यू0पी0—170 विधान सभा—18.10.2017—813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।